खण्ड-425, अंक-4
गुरूवार, 18 आषाढ़, शक संवत् 1920
(9 जुलाई, 1998 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 425 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग ...	1
प्रश्नोत्तर	1–80
सचिवालय में कार्यरत श्रीमती सुहेला शकील की हत्या विषयक सूचना को नियम–311 के अन्तर्गत उठाये जाने का प्रयास	81
नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं	81
जनपद जालौन में उरई से बबीना वाया अकबरपुर इटौरा पक्के मार्ग की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	82
जनपद गोण्डा के कतिपय क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था ठीक करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	82
जनपद बलिया को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिये पर्याप्त स्टाफ तैनात करने के संबंध नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	82
जनपद बांदा की नगर पालिका बांदा के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि गाटा संख्या–2124 मौजा भवानीपुरवा को अवैधानिक रूप से नीलाम किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	83
कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर क्षेत्रान्तर्गत किशुनपुर पम्प कैनाल का रख रखाव जनपद कौशाम्बी से ही संचालित करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	83
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में गत कई वर्षों से रिक्त निजी सचिवों के पदों पर वैयक्तिक सहायकों को प्रोन्नति करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	84
जनपद फतेहपुर में गत तीन माह से बिगड़ी कानून व्यवस्था में सुधार लाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	84
नियम 300 की सूचनाएं	85
उत्तर प्रदेश विधान सभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण विशेषाधिकार समिति के सभापति का मनोनयन किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	85–87
नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें ...	87–113
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य), अनुदान संख्या–23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना), एवं अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (जारी) ...	113–147
विधान सभा के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे सीमेन्ट मजदूरों की समस्याओं से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना को नियम 311 में उठाये जाने का प्रयास ...	147–149
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य), अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) एवं अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) ...	149-171
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	171–172

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के बेरोजगार आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मासिस्टों द्वारा कतिपय मांगों के संबंध में किये जा रहे आमरण अनशन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	172–173
जनपद मैनपुरी की ग्राम सभा मैनपुरी देहात की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किये जाने से संबंधित नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	174
जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर की ग्राम मोहलिया पट्टी में श्री नाथूलाल जाटव को नायब तहसीलदार द्वारा मारपीट एवं बेइज्जती करने से संबंधित नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य ...	174
जनपद मथुरा में जल निगम द्वारा कराये जा रहे कार्यों में किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	175–176
जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्र अन्तर्गत मनकापुर–नवाबगंज मार्ग पर ऊंटघाट व मसकनवां गौराचौकी मार्ग पर श्रृंगारघाट तथा झिलाई बजीरगंज मार्ग पर चौखटघाट के लकड़ी के पुलों के टूटने से जन-सामान्य को हो रही असुविधाओं तथा पुलों के पुनर्निर्माण के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	176
पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश में जंगलों के बीच रहने वाले वन टांगिया किसानों की दयनीय दशा सुधारने हेतु उनके विरुद्ध झूठे मुकदमों को समाप्त किये जाने तथा उन्हें स्थायी रूप से बसाकर सरकारी सुविधा का लाभ दिलाये जाने के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	177–178
उत्तरांचल विकास मंत्री के लखनऊ स्थित आवास से हजारों रुपये के जेवरात व सोने के मुकुट की चोरी कर अपराधियों द्वारा सरकार की शान्ति व्यवस्था के संबंध में दी गयी चुनौतियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	178–179
प्रदेश में सरकारी वाहनों के प्रयोग हेतु शासन द्वारा मानक निर्धारित किये जाने विषयक दिनांक 23 जून, 1998 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 नत्थी 'क' के संबंध में डा० लक्ष्मी कान्त वाजपेयी आदि की सूचना पर नियम–49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा	179–182
प्रदेश में चल रही अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा संस्थाओं में ली जाने वाली फीस की दरों में कई गुना वृद्धि किये जाने विषयक दिनांक 23 जून, 1998 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 नत्थी 'ख' के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि की सूचना पर नियम–49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा ...	182–191
नत्थियां	192–197

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरुवार, दिनांक 9 जुलाई, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	भारत सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
अजय कुमार पोइया, श्री	मथुरा	मंगल सिंह सैनी, श्री	मुरादाबाद
अजय भट्ट, श्री	अल्मोड़ा	महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
अनीस खां, श्री	पीलीभीत	मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर	मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री	गढ़वाल
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती	रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया", कुंवर	प्रतापगढ़
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	रमेश पोखरियाल "निशंक", डा०	गढ़वाल
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर	रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो०	मेरठ
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
अशोक बाजपेई, डा०	हरदोई	राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं	राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
कृष्णा राज, श्रीमती	खीरी	राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
के० सी० सिंह, "बाबा"	उधमसिंह नगर	राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव	राम हर्ष सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी	रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री	मुरादाबाद
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती	विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर	विनय कुमार पाण्डेय, "विन्नू", श्री	गोण्डा
जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा	विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा	विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा	विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर	वेद प्रकाश सिंह, एम० एस०, डा०	बिजनौर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद	संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर	संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर	सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 9 जुलाई, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, भीषण बरसात से कानपुर के तमाम घर ढह गये हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें। माननीय रामजग जी बैठ जायें।

श्री रामजग–

मान्यवर, इस पर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–7 जब लूंगा तो इसको देख लूंगा अगर बाढ़ से संबंधित कोई सूचना चयनित होती है तो ठीक है अन्यथा आप लोगों के अनुरोध पर अवसर दे दूंगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में पूर्ण मद्य निषेध लागू करने की मांग

**1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार उ० प्र० में पूर्ण मद्य निषेध लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के आर्थिक संसाधनों तथा जनस्वास्थ्य के परिपेक्ष्य में पूर्ण मद्य निषेध व्यवहारिक नहीं है।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 47 में नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में उल्लेख है कि राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिये हानिकारक औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिबन्ध करने का प्रयास करेगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर कदम उठायेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ही ध्यान में रखते हुए सम्यक विचार किया जा रहा है और अनेक स्थानों पर खासतौर से कुमायूं मण्डल के ग्रामीण क्षेत्रों में देशी मदिरा जो पोलीथीन बैग्स में हुआ करती थी, उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर वह प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जहां पर पहले से मद्य निषेध लागू है जैसे हरिद्वार में छः किमी० बाहर तक मदिरा बेचना वर्जित था और मद्यपान वर्जित

था, लेकिन इसको बदलकर छः किमी० से घटाकर 3 किमी० क्यों कर दिया गया है । क्या छः किमी० करने पर विचार करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

हरिद्वार में छः किमी० तक मद्य निषेध लागू है और मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि कुम्भ मेले की स्थिति को देखते हुए एक अप्रैल से लेकर 15 जून तक पूर्ण मद्य निषेध लागू किया गया है और जो प्रमुख त्योहार हैं उनके समय में भी पूर्ण मद्य निषेध लागू है ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अभी बताया है हरिद्वार में 6 किमी० तक मद्यनिषेध है लेकिन मेरे सवाल का जो उत्तर दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि 3 किमी० तक लागू है तो मैं यह जानना चाहता हूं कौन सा उत्तर आपका सही है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैं इसको दिखवा लूंगा जो पहले से प्रतिबन्ध है उसमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया है ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मेरा प्रश्न बाराबंकी के संबंध में था लेकिन अन्य स्थानों के साथ-साथ हरिद्वार के बारे में भी बताया गया है कि 3 किमी० की परिधि में पूर्ण मद्य निषेध लागू है उस क्षेत्र में मदिरा नहीं बेची जा सकती है । और 6 किलोमीटर मा० मंत्री जी जबाब दे रहे हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय सदस्य ने 6 कि० मी० की जो बात कही है तो जो पहले से निर्धारित सीमा रही है उसमें से किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, जब हरिद्वार में 6 कि० मी० परिधि के बाहर मद्य निषेध रखा गया है और फिर अब कोई दूसरा जबाब आता है वहां के विधायक का कहना है कि 3 कि० मी० की परिधि में कर दिया गया है तो क्या कोई नई नीति निर्धारित की गई है ? जिसमें यह अन्तर किया गया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । मान्यवर, जिन क्षेत्रों का उल्लेख है उनको मैं फिर से बता देना चाहता हूं । बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषीकेश, वृन्दावन, अयोध्या, चित्रकूटधाम, मिश्रिख नैमिषारण्य, पीरान कलियर, देवाशरीफ एवं देबबन्द में तीन किलोमीटर की परिधि में मद्य निषेध प्रभावी है ।

श्री यशपाल सिंह–

मान्यवर, मद्य निषेध स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके स्वास्थ्य के लिये क्या-क्या फायदे हैं ? क्या इसे खत्म करने पर विचार करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मद्य निषेध समाप्त करने का कोई विचार नहीं है, सरकार धीरे-धीरे यह प्रयास करती रही है कि लोगों में जागरुकता पैदा करके मादक द्रव्यों से जनता को विरक्त कर इस प्रकार प्रचार कर लोगों में इसके प्रति जागरुकता पैदा की जाय । जहां तक पाबन्दी का प्रश्न है इस पर पहले भी कई बार प्रयोग किये गये 1978-80 के बीच 16 जनपदों में मद्य निषेध लागू किया गया था उसका परिणाम अच्छा नहीं निकला था । अन्य प्रदेशों में भी यह प्रयोग हुआ, जहरीली और कच्ची शराब पीने से मृत्यु की ज्यादा घटनायें बढ़ी हैं । तो फिर वर्तमान नीति लागू करनी पड़ी है । जहां तक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखने का संकेत है कि उसका मतलब है कि जहरीली और कच्ची शराब पीने से असमय लोग काल कलपित न हो ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, किदवई जी के प्रश्न के जबाब में 3 कि० मी० की सीमा रखी गयी है और जो दूसरा प्रश्न मा० सदस्य ने किया है उसमें 6 कि०मी० कहा गया है। तो दो में से कम से कम एक का उत्तर सही होगा। सदन में आज ही एक ही विषय पर दो उत्तर आये हैं तो यह एक गम्भीर मामला है। किस प्रकार मंत्रीगण सदन को गुमराह कर रहे हैं। बिना तैयारी किये उत्तर दे देते हैं और जानबूझकर सदन को गुमराह करने की कोशिश की गयी है। दोनों पक्षों के उत्तर को आप देख लें। दो में से एक का उत्तर गलत है ही। मा० मंत्री जी को निर्देश करें कि भविष्य में इस प्रकार की गलती न करें और इस प्रश्न को स्थगित कर दें। कम से कम एक दिन तो सही उत्तर दिया करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो आज मूल प्रश्न रखा गया है, जिसमें पूछा गया था कि सरकार क्या उत्तर प्रदेश में पूर्ण मद्य निषेध लागू करने पर विचार कर रही है, जिसका उत्तर दिया कि नहीं। और अगले अनुपूरक प्रश्न में मा० मंत्री जी ने उत्तर दिया कि हमने पर्वतीय क्षेत्र में पाउच बन्द कर दिये हैं तो वह इस दिशा में एक कदम है। तो इन दोनों में से, जी नहीं, और दूसरे में उस दिशा में यानी मद्य निषेध में पाउच बन्द करके कदम बढ़ाने की बात कही है। तो दोनों उत्तरों में सरकार कन्फ्यूजन पैदा कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्री अम्बिका चौधरी–

इस भ्रम की स्थिति से निकलने के लिए सरकार क्या करेगी ? इस भ्रम को कितने दिन में निकाल दिया जायेगा और सही स्थिति क्या होगी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इस संदर्भ में सरकार की नीति स्पष्ट है कि मद्य निषेध लागू किया जाय किन्तु फिलहाल लागू न होने के कारण प्रभावी कदमों को उठाना पड़ा है। मद्य निषेध का आंशिक प्रयोग कुछ हिस्सों में किया है। गढ़वाल मंडल में पूर्ण मद्य निषेध है कुछ अपवादों को छोड़कर जहां परमिट की व्यवस्था है। इसी तरह से कुमायूं मंडल में प्रयास किया है। वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची मदिरा न जाय इसके लिये 51 दूकानों को बन्द कर दिया गया है।

प्रदेश में दस्यु प्रभावित जनपदों में शस्त्र लाइसेन्स की मांग को देखते हुए विशेष नीति निर्धारित करने विषयक जानकारी

**2–श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के दस्यु प्रभावित जनपदों में नागरिकों को शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने की बढ़ती हुई मांग पर सरकार द्वारा कोई विशेष नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

"जी नहीं। जिला मजिस्ट्रेट आवेदकों की आवश्यकताओं का आंकलन करके नागरिकों को शस्त्र लाइसेन्स प्रदान करते हैं। शस्त्र अधिनियम में नीति के परिवर्तन का अधिकार चूंकि केन्द्र सरकार में निहित है। अत राज्य स्तर पर नीति में कोई परिवर्तन संभव नहीं है।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने दस्यु प्रभावित जिले हैं और दस्यु प्रभावित जनपदों में ऐसे कितने ग्राम हैं जिनको एक भी शस्त्र लाइसेंस नहीं दिये गये हैं। क्या उन ग्रामों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस देने की व्यवस्था करेंगे ?

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, प्रदेश में 12 जनपद ऐसे हैं जो दस्यु प्रभावित हैं। यदि ऐसे गांवों से कोई आदमी आवेदन पत्र देगा तो विचार किया जायेगा। अगर आवेदन पत्र नहीं देगा तो शासन उसके पास जाने से रहा। आवश्यकतानुसार और पात्रता के अनुसार जो क्राइटेरिया है उसको मद्देनजर रखते हुए लाइसेंस प्रदान किये जाते हैं। ऐसे कितने गांव हैं इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। जो नीति है उसके अनुसार आवेदन पत्र आयेंगे तो उनका परीक्षण कराया जायगा और अगर वह सही है तो लाइसेंस दिया जायेगा।

श्री श्रीराम पाल–

मैं जानना चाहता हूं दस्यु प्रभावित जनपद जिनमें अपहरण और हत्याओं की घटनायें हो रही हैं वहां ऐसे परिवार जिनमें अपहरण, हत्या, डकैती हुयी हैं शस्त्र लाइसेंस लेने के लिये उन्होंने आवेदन किया है और उनकी जांच आख्या आ चुकी है। ऐसे आवेदन पत्रों जिनके परिवारों में विगत 5 वर्षों में अपहरण या डकैती हुयी है और ऐसे प्रभावित लोगों के जो शस्त्र लाइसेंस लम्बित हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये जायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

3 जून, 1998 को आदेश किया जा चुका है जिसमें जिलाधिकारियों से कहा गया है कि जो प्रार्थना-पत्र आयें उनका 3 महीने की अवधि में निस्तारण कर दिया जाय। अगर थाने से या पुलिस से अनुरूप आख्या आये तो उनका निस्तारण किया जाता है।

श्री राम सिंह सैनी–

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो पात्र व्यक्ति हैं उनके प्रार्थना-पत्र पुलिस और तहसीलदार के यहां से आ चुके हैं और बहुत बड़ी संख्या में मुख्यालय पर लम्बित हैं। डी० एम० ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है। 20-20 हजार की एन०एस०सी० लोगों से जमा करायी गयी है। तो क्या आप ऐसी नीति बनायेंगे ताकि ऐसे पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण 3 महीने में हो जाय। क्या इसमें जन प्रतिनिधियों का कुछ इन्वाल्वमेंट किया जायगा ताकि पात्र व्यक्तियों को इस प्रकार के लाइसेंस दिये जा सकें ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रश्न तो केवल दस्यु प्रभावित जनपदों के बारे में कहा था। उसके बारे में प्रदेश के सभी जनपदों के लिये शासनादेश जारी हो गया है। इसमें स्थिति स्पष्ट कर दी है कि इतनी अवधि न लगायी जाय। आपने सही बात कही है कि इससे पहले 5-5, 8-8 साल तक के मामले लम्बित पड़े हैं। इसी को देखते हुए वर्तमान में 3 महीने की अवधि निर्धारित कर दी है कि इतने समय में मामले का निस्तारण कर दिया जाय। सेन्ट्रल गर्वनमेंट का ऐक्ट है, उसकी प्रक्रिया है उसमें जन प्रतिनिधियों को शामिल नहीं कर पायेंगे। उसमें संबंधित पुलिस विभाग और प्रशासन आख्या प्राप्त होने के बाद कार्यवाही करता है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां 3, 4, 5, 6 साल पहले के आवेदन-पत्र जिलाधिकारी के यहां लम्बित न हों। माननीय मुख्य मंत्री जी ने तीन महीने के अन्दर ऐसे आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उसका निस्तारण करने के आदेश दिये हैं, यह एक अच्छा कदम उठाया है। अगर उसमें कोई कमी होगी तो उसको वापस कर देंगे। लेकिन अगर किसी जिले में यह आवेदन-पत्र तीन महीने से ज्यादा तक पेंडिंग पाये गये तो क्या ऐसे डी० एम० के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जैसा कि हमने भी बताया कि पहले 5-5, 6-6 साल तक के मामले लम्बित थे उनके निस्तारण के लिये एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है ताकि उन नागरिकों को सहूलियत मिल सके। जो

पांच-पांच साल पुराने पड़े हैं उनकी जांच कराना न व्यावहारिक है न सम्भव है। जो लाइसेंस चाहते हैं और उनको दिया जाना आवश्यक है तो उनको समय सीमा के अन्दर दे दिया जायेगा।

श्री बी० आर वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा आपने बताया कि तीन महीने के अन्दर कार्यवाही किये जाने के आदेश सभी जिलाधिकारियों को दिये गये हैं तो क्या जो जिलाधिकारी उन आदेशों का अनुपालन नहीं करेंगे अर्थात् तीन महीने से अधिक समय लेंगे क्या उन जिलाधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

जो जिलाधिकारी सरकारी आदेशों का पालन नहीं करेंगे इसकी सूचना यदि सरकार को प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, दस्यु प्रभावित परिवारों में डकैती हुई और हत्या हुई हैं। मैं ऐसे कई प्रकरण अपने जिले का जानता हूं और अन्य जिलों में भी इस तरह की वारदातें हुई हैं मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर तीन महीने के अन्दर शस्त्र लाइसेंस बिना एन० एस० सी० के देना सुनिश्चित करायेंगे कि डी० एम० उनको लाइसेंस दे दे ?

श्री हुकुम सिंह–

माननीय डंग साहब ने कहा, एक कठिनाई है यह नियम और अधिनियम दोनों केन्द्र सरकार के हैं उनका उल्लंघन करना तो सम्भव ही नहीं है। बिना पुलिस की जांच के ....

डा० सरजीत सिंह डंग–

एफ० आई० आर० दर्ज है, जांच हुई है और लोग पकड़े गये हैं। आज तक वह परिवार असुरक्षित हैं। मंत्री जी कानून अधिनियम का हवाला देकर ऐसे प्रकरण को लपेटना चाहते हैं।

श्री हुकुम सिंह–

जैसा कि बी० आर० वर्मा जी के उत्तर में मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि तीन महीने की अवधि निर्धारित है, यह सबके लिये निर्धारित है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय डंग साहब का प्रश्न यह है कि जिस परिवार में हत्या हुई है, डकैती हुई है, उस परिवार को बिना राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के जमा किये हुये लाइसेंस देने की कृपा करेंगे।

श्री हुकुम सिंह–

यह पैसे वाली बात का न नियमों में कोई प्राविधान है न आवश्यक है। कहीं कानून में नहीं दिया हुआ है यह तो जो प्रश्नगत व्यक्ति है उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। चाहे वह दस्यु प्रभावित हो या न हो अगर उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है तो वह जमा करेगा। उसमें कानून नियम की कोई बात नहीं है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आप निर्देश दें प्राथमिकता के आधार पर करें। इसमें नियम आड़े नहीं आते हैं।

श्री हुकुम सिंह–

प्राविधान नहीं है।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इटावा दस्यु प्रभावित क्षेत्र हैं। यहां पर चौकिया क्षेत्र में 24 तारीख को टेनीराम के एक लड़के की हत्या हुई। दूसरा लड़का 7 अप्रैल को मारा गया। जो लड़का मारा गया उसके नाम लाइसेन्स था। टेनीराम ने दोनों लड़कों के बाद लाइसेन्स के लिये एप्लाई कर दिया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न से संबंधित अनुपूरक करें। घटना विशेष का उल्लेख न करें।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

क्या मा० मंत्री जी टेनीराम को लाइसेन्स दिलवायेंगे ? इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मंत्री जी की है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो घटना विशेष का जिक्र है।

श्री अम्बिका चौधरी–

सिद्धान्त रूप से लाइसेन्स देंगे, यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

एक घटना हुई। उस घटना के रूप में सिद्धान्त के रूप में लाइसेन्स देंगे या नहीं ? किसी एक व्यक्ति को लाइसेन्स दिया जाय। बिना जानकारी के मंत्री जी कैसे उत्तर देंगे ? इसका संज्ञान ले लीजियेगा।

श्री लालजी वर्मा–

मैं मा० मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शस्त्र अधिनियम सेण्ट्रल ऐक्ट है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है। मान्यवर, राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई शासनादेश दिया गया है जिसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र की आवश्यकता यदि नहीं है तो जो अनिवार्यता लगाई है 20-25 हजार की, उसको समाप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं।

(तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

सदन को गलत सूचना दे रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

प्रदेश में आलू की फसल में झुलसा रोग से हुए क्षति की पूर्ति करने एवं जनपद मैनपुरी में इस क्षति का ब्लाकवार सर्वेक्षण कराने की मांग

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि माह दिसम्बर, 1997 में प्रदेश में भारी ठण्ड एवं कोहरा के कारण आलू की फसल में झुलसा का रोग हो जाने से आलू उत्पादक किसानों को भारी क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की क्षतिपूर्ति करेगी ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जनपद मैनपुरी में आलू की फसल में हुये नुकसान की ब्लाकवार सर्वेक्षण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्षतिपूर्ति की कोई प्राविधान/व्यवस्था न होने के कारण ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आलू के फसल की खुदाई हो जाने के कारण ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं । आलू उत्पादक किसानों के सवाल के तीन भाग हैं । झुलसा रोग से नुकसान, क्षतिपूर्ति होना और सर्वेक्षण कराना । पहले प्रश्न पर मंत्री जी ने बताया कि नुकसान हुआ । यह झुलसा रोग लगना आलू में प्रतिवर्ष की बीमारी है । सरकार ने झुलसा रोग से फसल को बचाने के लिए क्या-क्या उपाय किए थे । मंत्री जी ने कहा कि सर्वेक्षण नहीं करा पाए । खसरे में इसकी इंट्री होती है इसलिए सर्वेक्षण कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए । इतने बड़े विभाग में जिसमें करोड़ों रुपया खर्च करती है यह किसान के हित के लिए आवश्यक है कि असेसमेंट कराया जाए । प्रतिवर्ष के आंकड़े के हिसाब से नुकसान का आंकलन किया जा सकता है । इस तरह का आंकलन आ जाए जिससे पता चल जाए कि झुलसा रोग से कितना नुकसान हुआ है । इससे बचाने के लिए क्या उपाय किए ? और भविष्य में सरकार इससे फसल को बचाने के लिए क्या उपाय करेगी ?

श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण –

झुलसा रोग से जब नुकसान हुआ तो पूरे प्रदेश में खासतौर से मैनपुरी में हमने डी०एच०ओ० और अपने निदेशालय से टीम भेजकर सर्वे कराया । मैनपुरी में पूरे ब्लाकों का सर्वे इस प्रकार है । मैनपुरी में 11,960 हे०ए० आलू की फसल बोई गई थी । इसमें लगभग 5,640 हे०ए० में झुलसा रोग लगा । झुलसा रोग लगने के बाद पूरे प्रदेश में झुलसा रोग के लिए केन्द्रीय सरकार से 3.22 करोड़ रुपये की मांग की । मैनपुरी जनपद के लिए खासतौर से वहां के लिए 10.31 लाख रुपये की मांग की । निदेशालय की और केन्द्र से भी टीम आई । उसके बावजूद मांग करने के उपरान्त धन उपलब्ध नहीं हुआ । सर्वे कराने की जहां तक बात है जब झुलसा रोग लग रहा था तभी सर्वे हुआ था । अब फसल खुदाई के कई महीने हो गए इसलिए अब सर्वे का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, आलू का उत्पादन फर्रुखाबाद और बदायूं में सबसे ज्यादा होता है । मंत्री जी बताएंगे कि पूरे प्रदेश में झुलसा रोग लगने के कारण कितने हे०ए० फसल प्रभावित हुई है ? और क्या पूरे जनपदों के लिए मंत्री जी ने केन्द्र सरकार से मुआवजे की मांग की है ?

श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण –

पूरे प्रदेश में 82,615 हे०ए० क्षेत्रफल में आलू का उत्पादन प्रभावित हुआ था ।

श्री विनोद मणि–

मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि झुलसा रोग से फसल को नुकसान हुआ है । उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकारों द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति के लिए फसल बीमा योजना लागू की है । दैवी आपदाओं जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, सूखा में सरकार सहायता देती है । इस योजना के तहत सर्वेक्षण कराकर किसानों को मुआवजा देंगे ?

श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण –

मान्यवर, झुलसा रोग से पूर्णरूपेण आलू की फसल नष्ट नहीं हुआ करती है । जहां तक दैवी आपदा से फसल नष्ट होती है और जो सरकार की तरफ से 500 रुपया प्रति एकड़ सहायता राशि दी जाती थी उसे बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया है । झुलसा रोग से आलू की फसल का जो नुकसान हुआ

है उसके लिए हमने केन्द्र सरकार से धन की मांग की है । अभी धन उपलब्ध नहीं हुआ है । धन उपलब्ध होते ही किसानों की सहायता हेतु बांट दिया जायेगा ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि झुलसा रोग से क्षतिग्रस्त हुई आलू की फसल के लिए केन्द्र सरकार से इन्होंने 28 करोड़ रुपये की मांग की है । पिछले वर्ष किसान के खेत से लेकर कोल्ड स्टोरेज तक आलू की जो दुर्गति हुई उसे आप जानते है । इस वर्ष आलू 12 रुपये किलो बिक रहा है और आलू पर महंगाई आ गयी है । क्या सरकार किसानों की मदद के लिए कोई कार्य योजना आगे के वर्षों के लिए बना रही है ?

श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, इस सवाल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है मैं तो यह कहूंगा कि जब पिछली बार किसानों का आलू सड़ रहा था तब किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पाया और इस समय जब आलू के दाम मिल रहे तब इनको तकलीफ क्यों हो रही है ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि झुलसा रोग से आलू की फसल को काफी नुकसान हुआ और किसानों की फसल चौपट हो गई । यह सरकार एक कल्याणकारी सरकार है माननीय मुख्य मंत्री जी का राहत कोष है, दैवी आपदा से निपटने के लिए दैवी आपदा राहत कोष है । तो क्या माननीय मंत्री जी मुख्य मंत्री राहत कोष से या दैवी आपदा राहत कोष से किसानों को कुछ सहायता देने की कृपा करेंगे ?

श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण –

मान्यवर, प्रदेश सरकार के पास इस तरह का कोई फण्ड नहीं है, हमने केन्द्र सरकार से सहायता की मांग कर रखी है । जब उपलब्ध होगा तब किसानों की मदद की जायेगी ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि फसलों को काफी नुकसान हो गया है और केन्द्र सरकार से 28 करोड़ रुपये की मांग भी की है । सरकार की तरफ कोई व्यवस्था नहीं हो सकी । जबकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन रहता है, यह सरकार की लापरवाही है । मैं आप के माध्यम से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को 28 करोड़ रुपया मांगने के लिए आप ने पत्र कब भेजा है और अगर केन्द्र सरकार से धन उपलब्ध नहीं हुआ तो फिर सरकार की तरफ से दुबारा क्या प्रयास किया गया ? क्योंकि केन्द्र में भी आप की सरकार है । क्या आपने वहां जाकर माननीय प्रधान मंत्री जी से मिल कर स्थिति से अवगत कराया और अगर नहीं कराया तो यह सरकार और माननीय मंत्री जी की लापरवाही है ?

श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय यादव जी को बताना चाहूंगा कि पहली बार जब झुलसा रोग से आलू की फसल नष्ट होने लगी तो अक्टूबर में सर्वे कराया और सर्वे कराने के बाद दिसम्बर में केन्द्रीय सरकार से 28 करोड़ रुपये की मांग की । इसके बाद जनवरी में पुनः 3 करोड़ 22 लाख रुपये की मांग की । 28 करोड़ की पहले मांग की थी, 3 करोड़ 22 लाख की फिर मांग की । मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से कृषि राज्य मंत्री से दो बार मिल चुका हूं, अनुरोध भी कर चुका हूं । किसानों को क्षतिपूर्ति देने के लिये हम सम्पूर्ण रूप से प्रयत्नशील हैं, केन्द्र सरकार को रिमाइन्डर भी दे चुके हैं, धन उपलब्ध होते ही किसानों को सहायता के लिये बांट दिया जायेगा ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, आलू में झुलसा रोग लग जाने से किसान बर्बाद हो गया, यह बात माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार की, किसान के पास बोने के लिये बीज भी नहीं है, क्या अगले सीजन में आलू बीज, खाद एवं कीटनाशक दवाइयों पर सरकार छूट देने की व्यवस्था करेगी यदि हां तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण–

पिछली बार जब बीज बोया जा रहा था, उस समय 700 रुपये सरकारी बीज का दाम था, जब मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विभाग का काम देखने के लिये कहा तो मेरा सबसे पहला काम यही था कि मैंने उसे घटाकर 450 रुपये क्विन्टल किया । मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा सहायता, बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों आदि में दिया जा सकता है, उसके लिये हम पूर्ण रूप से सहायता देने के लिये तत्पर हैं ।

प्रदेश में किसान बही नियमावली पर विचार के साथ उसके वितरण, निर्गमन, जांच आदि के प्रारूप के सम्बन्ध में जानकारी

*2–श्री जगदम्बिका पाल (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार प्रदेश में किसान बही नियमावली, 1998 के प्रख्यापन पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो किसान बही के वितरण, निर्गमन, बही की जांच, उसकी पूर्ति तथा उसका सत्यापन करने व प्रविष्टियों को अद्यावधिक करने के लिये क्या प्रारूप होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

जी हां । उत्तर प्रदेश किसान बही (पासबुक) नियमावली, 1998 का प्रख्यापन उ० प्र० सरकार राजस्व अनुभाग–9 की अधिसूचना संख्या–1054/1-9-98-10-1(38)/93–रा० 9, दिनांक 5-6-1998 द्वारा किया जा चुका है ।

उ० प्र० किसान बही (पास बुक नियमावली, 1998) के पैरा 3 से 15 तक में किसान बहियों के वितरण, निर्गमन, बही की जांच, उसकी पूर्ति, तथा उसके सत्यापन करने व प्रविष्टियों को अद्यावधिक करने के लिए व्यवस्थाएं की गयी हैं एवं पासबुक में तत्संबंधी कार्यों के प्रपत्र भी निर्धारित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में आलू व अरबी के उत्पादन से मिट्टी में खनिज तत्वों की कमी के कारण अन्य फसलों में बीमारियां आने के रोक थाम व उपाय करने के सम्बन्ध में जानकारी

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में आलू व अरबी (घुइयां) उत्पादक क्षेत्रों में उसी पैदावार को बार-बार लेने से मिट्टी में खनिज/उर्वरक तत्वों की कमी आ गयी है ? क्या यह सही है कि इससे फसलों में छाटका, फुंसी व खुदरापन आदि बीमारियां पैदा हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बीमारी की रोकथाम का कोई उपाय करेगी ? क्या यह भी सही है कि जनपद मैनपुरी के भोगांव में आलू में उक्त रोग पैदा हो जाने के कारण पैदावार घटकर 25 प्रतिशत रह गयी है ? यदि हां. तो सरकार पैदावार बढ़ाने की क्या कार्ययोजना बना रही है और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण–

प्रदेश में आलू एवं अरबी (घुइयां) उत्पादक क्षेत्रों में खनिज/उर्वरक तत्वों की कथित कमी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रदेश में कथित रोगों के विषय में कोई रिणेर्ट प्राप्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के भोगांव में आलू की फसल असामान्य मौसम और झुलसा रोग के प्रभावित होने के कारण घटी है न कि कथित रोगों से ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि आलू की पैदावार बढ़ाने के लिए रोगरहित आलू बीज, संस्तुति उर्वरकों का प्रयोग, भूमि शोधन तथा रसायनों का सामयिक छिड़काव आवश्यक होता है, जिसके विषय में कृषकों को मार्गदर्शन देने का कार्य शासन द्वारा पूर्व से ही कराया जा रहा है।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह सवाल पहले सवाल से मिलता-जुलता हुआ है। पहले वाले में झुलसा का जिक्र था, इसमें खुदरापन, फुंसी की बात है। मैंने पूछा है कि आलू, अरबी की बार-बार उपज लेने से मिट्टी में खनिज/उर्वरक तत्वों की कमी आ गई है तो जवाब आया है कि कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। फिर पूछा फुंशी, खुदरापन की बीमारी हो गई है तो जवाब आया कि इसके बारे में भी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस प्रश्न पर इतनी उदासीन क्यों है, उसने रिपोर्ट प्राप्त करने के बारे में क्या प्रयास किया है, जबकि सरकार के पास अपनी लेबोरेटरी है, विशेषज्ञ हैं, रिपोर्ट अपनी तरफ से आना अलग बात है, रिपोर्ट प्राप्त करना अलग बात है, सरकार लेबोरेटरी के माध्यम से किसानों के खेत की मिट्टी की जांच करायें, यह तो विभाग की नेगलीजेंस है, इसके बारे में सरकार की क्या व्यवस्था है ?

श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भूमि शोधन का कार्य कृषि विभाग द्वारा कराया जाता है और कृषि विभाग द्वारा रिपोर्ट भेजी जाती है, यदि रिपोर्ट आती है तो हमारा विभाग मार्ग दर्शन करता है। कमी होने के बारे में कृषि विभाग की तरफ से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। यदि माननीय सदस्य कहते हैं कि कमी आई है तो मैं आश्वत करता हूं कि इसको सर्वे करा लिया जायेगा और उसका निदान करा दिया जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह प्रश्न पूछा गया उसका लिखित उत्तर है पहले भाग में, अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और दूसरे भाग में स्वतः जानकारी नहीं है कि उस प्रश्न का उत्तर क्या है ऐसी स्थित में प्रार्थना करता हूं कि जब माननीय सदस्य इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं और सरकार का उत्तर आता है कि अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तो मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को स्थगित क्यों न कर दें। मान्यवर, जब सरकार को जानकारी है ही नहीं तो सदन को कहां से जानकारी देंगे, इसलिए इसको स्थगित कर दें। अन्य प्रश्नों पर तो दाहिने बायें मंत्री जी ने उत्तर दे दिया लेकिन इसमें तो यह स्वीकार कर रहे हैं कि इसका उत्तर नहीं है।

श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, पूर्ण जानकारी है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न को देख लें इसमें है कि क्या यह सही है कि इससे फसलों में चटका, फुन्शी व खुदरापन आदि की बीमारियां पैदा हो गयी हैं ? और इस प्रश्न का उत्तर है कि कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं है अर्थात् इन बीमारियों के पैदा होने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, सूचना नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस बारे में सरकार के पास कोई रिपोर्ट नहीं है कि यह बीमारियां हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

प्रदेश में कथित रोगों के विषय में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट कर दें, इसका आशय क्या है ?

श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, मैंने जो उत्तर दिया है मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बहुत से रोगों के क्षेत्रीय नाम होते हैं। मैं केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूं माननीय सदस्य से कि यह चटका, फुन्शी, खुदरापन, इस

तरह के रोगों की प्रदेश में अभी तक कोई शिकायत हमारे पास नहीं आयी है और मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध किया है कि यदि किसी जगह पर शिकायत हो तो हमें बता दें हम तुरन्त सर्वे कराकर उसका निदान कर देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपके स्पष्ट निर्देश के बाद जो स्पष्ट उत्तर आया है अगर आप संतुष्ट हों तो मुझे कुछ नहीं कहना है आपका आदेश और आपकी व्यवस्था सर्वोपरि है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके स्पष्ट निर्देश और जो भी उसकी आड़ में इन्हें मदद लेनी चाहिए थी वह लेने के बाद भी उसका उत्तर उनके पास नहीं है अगर ऐसे प्रश्नों में भी प्रश्न स्थगित नहीं होगा तो प्रश्नों के पूछने का मूल उद्देश्य समाप्त हो जायेगा। चूंकि उत्तर नहीं है इसलिए इसको स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

इन्होंने रिपोर्ट के बजाय शिकायत शब्द का प्रयोग कर दिया है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने कहा हमारे पास कोई जानकारी नहीं आयी तो मैं जानना चाहता हूं कि खनिज तत्वों की कमी के कारण आलू या अरबी इन दो फसलों में कौन-कौन रोग लग जाते हैं क्या इसकी जानकारी मंत्री महोदय को है यदि नहीं है तो खनिज तत्वों की कमी के कारण जो-जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में कृषि वैज्ञानिकों के कोई सुझाव आये हैं या संज्ञान में लाया गया है, शासन को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है या नहीं ?

श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जिस जमीन में लगातार एक फसल कई बार बोई जाती है तो निश्चित रूप से खनिज तत्वों की कमी आना शुरू हो जाती है। इसका फसल चक्र होता है। जहां तक किसी भी उर्वरक की कमी होने के कारण अलग-अलग फसलों में अलग-अलग बीमारियां लगती हैं इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि यदि किसी जगह से इस तरह की शिकायत होगी तो हम सर्वे कराने के लिए तैयार हैं। मैं सभी किसानों के शुभचिन्तक माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अभी तक किसी की शिकायत नहीं है यदि किसी की कोई शिकायत हो तो भिजवा दें मैं सर्वे करवा लूंगा।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट पूछा है दो फसलों आलू और अरबी के बारे में। कौन-कौन से तत्वों की कमी के कारण, कौन-कौन से रोग, मैंने दो फसलों का नाम लिया है आलू और अरबी, लगते हैं ? इसके बारे में कोई रिपोर्ट भी वैज्ञानिकों की शासन में पहुंची है ? यदि हां, तो कृपया उससे अवगत करा दें ?

श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, उर्वरक तत्व की कमी, खनिज तत्व कमी होने की जो बात है....

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, क्या जवाब आ रहा है, शाही जी ने जो परामर्श दिया है, लगता है उसमें अपने विभाग का कुछ अंश दे दिया है ?

श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, आलू में काली फूफूंद, चोरी पपड़ी–यह हैं, अरबी के बारे में आलू के बारे में बीमारियों के बारे में मान्यवर, विस्तृत जानकारी मंगा लूंगा, वे कृपया लिखकर दे देंगे, मैं इसके लिये तैयार हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति उदासीन है, माननीय उद्यान मंत्री जी जिस तरीके से बचकाने बयान के द्वारा प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं सही रूप से, और अपनी अज्ञानता को यहां हंस कर टाल रहे हैं, इसलिए सरकार की उदासीनता को देखते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी के सभी साथियों के सहित सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं मंत्री जी के ज्ञानवर्धन के लिए बताना चाहता हूं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, कापर, मैगनीज, कोबाल्ट और सल्फर ये मुख्य तत्व होते हैं । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनपद मैनपुरी के भोगांव में इन खनिज तत्वों में से किस तत्व की कमी हो गयी है । क्योंकि मान्यवर, प्रश्न के आगे हिस्से में यह पूछा गया है कि क्या यह भी सही है कि जनपद मैनपुरी के भोगांव में आलू में उक्त रोग पैदा हो जाने के कारण पैदावार घटकर 25 प्रतिशत रह गया है । इसके उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि जनपद मैनपुरी में भोगांव में आलू की फसल असामान्य और झुलसा रोग के प्रभावित होने के कारण घटी है । इसे माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं और फिर आगे कह रहे हैं कि रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, यह तो विरोधाभास युक्त उत्तर है ।

श्री अध्यक्ष–

ऊपर से देखने में विरोधाभास लग रहा था इसीलिए मैंने माननीय मंत्री जी से स्पष्ट करने के लिए कहा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपके निर्देश के बावजूद भी मंत्री जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं इसलिए इस प्रश्न को स्थगित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष–

आलू और अरबी की फसल पर लगने वाले रोग न लगे और पैदावार बढ़े इसके बारे में आप चर्चा कराने के लिए लिखकर दे दें मैं उस पर विचार कर लूंगा ।

राज्य में खेलकूद नीति के अन्तर्गत निशानेबाजी प्रतियोगिता में सफल होने वाले उ० प्र० के निवासी खिलाड़ी को सेवायोजन दिये जाने की मांग

*2–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में खेलकूद प्रोत्साहन देने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता तथा अन्तर्राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में सफल होने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी खिलाड़ियों को विशेष पुरस्कार एवं प्रोत्साहन तथा सेवायोजन देने पर विचार करेगी ?

खेलकूद, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय विकास दल मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

हां ।

क्रीड़ांगनों का रख-रखाव तथा विभिन्न खेलों के कोचिंग की व्यवस्था है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी हां । नियमों के अन्तर्गत प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार की व्यवस्था है । सेवायोजन दिये जाने की व्यवस्था नहीं है ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के दूसरे भाग में कहा है कि क्रीड़ांगनों का रख-रखाव तथा विभिन्न खेलों के कोचिंग की व्यवस्था है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो भी इच्छुक लोग हैं उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था निःशुल्क है या सशुल्क है ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, उनकी व्यवस्था हमारे यहां कुछ शुल्क से होती है ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई–

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करते हैं या प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को यात्रा व्यय, प्रशिक्षण व्यय और प्राथमिकता के आधार पर उनको सेवायोजन देने पर सरकार किसी योजना के तहत विचार कर रही है ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, जहां तक सेवायोजन का प्रश्न है, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट बता दिया है कि सेवायोजन की कोई व्यवस्था नहीं है । लेकिन वरीयता है । प्रदेश के खिलाड़ियों को देश और विदेश में प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खेल संघों के निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्ताव प्राप्त होने पर धनराशि दे दी जाती है, जिसमें हवाई यात्रा, किट और पाकेटमनी भी शामिल है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

ऐसे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सेवायोजन देने को सरकार कृत संकल्प है । यह तो यहां पर कहा गया । लेकिन क्या भविष्य में उनको प्रोत्साहन देने के लिए सेवायोजन देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, हमने अपने उत्तर में कहा है कि प्रोत्साहन के आधार पर प्राथमिकता है । मान्यवर, स्पोर्ट्स की एक पालिसी सरकार ने बनायी है जिसमें यह प्राविधान करने का सरकार प्रयास कर रही है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने अनेकों खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिये हैं, लेकिन नीति निर्धारित नहीं की है । पिक एण्ड चूज की नीति वह अपना रही है । सरकार ने ऐसे बहुत से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है जो दूसरे प्रान्तों के हैं और जो हमारे प्रान्त के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वह भीख मांगते फिर रहे हैं । यह सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है । तो ऐसे खिलाड़ियों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और जिन्होंने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है जैसे रणवीर सिंह, जो हमारे यहां के बालीबाल के खिलाड़ी हैं और सात साल बालीबाल के कैप्टन भी रहे, एशिया का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया और तमाम मेडल लेकर आये और इस प्रदेश का गौरव बढ़ाने का उन्होंने काम किया उन्हें एक प्लाट तक नहीं दिया गया वही दूसरी तरफ जो दूसरे प्रान्तों के खिलाड़ी हैं, उनको आपने पुरस्कार स्वरूप कई-कई लाख के इनाम दिये हैं । ऐसे ही हमारे सम्मानित सदस्य के० सी० बाबा हैं जो एशिया के चैम्पियन भी रहे उनको प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने किसी तरह का पुरस्कार नहीं दिया । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी इस प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहे हैं तो उनके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, जो हमारी वर्तमान नीति चल रही है उसके अनुसार खेल विभाग द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम संचालित है । इस प्रदेश की नयी खेल नीति तैयार की जा रही है उसमें अधिकांश प्रतिभा पलायन सारी चीजों का प्राविधान जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे जो खेल की नीति है उसका प्रसार और प्रचार हो सके ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है कि क्रीडांगनों के रख-रखाव की व्यवस्था है तो मेरी निश्चित जानकारी है कि प्रदेश में कई स्थानों पर इसकी व्यवस्था नहीं की जा रही है । हमारे वाराणसी में एस्ट्रोटर्फ जिसमें हाकी खेली जाती है तथा उसकी एक निश्चित आयु होती है, आज वह सड़ रहा है और बदलने की स्थिति में है । इसमें आज तक खेल का प्रारम्भ भी नहीं हो पाया है । इसी तरह से तरण-ताल हैं कई जगहों पर वहां पर जो विभिन्न उपकरण लगे हैं, लाइफ गार्ड हैं वह भी नहीं है, तो इस स्थिति के कारण जो प्रतिभा का पलायन हो रहा है, उसको रोकने के लिए और कई स्थानों पर जो रख-रखाव में कमी आ रही है, जैसे एस्ट्रोटर्फ सड़ रहा है, तो क्या सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, जहां तक प्रतिभा पलायन को रोकने की बात है तो सरकार नयी खेल नीति में विचार कर रही है और दूसरा जो वाराणसी के बारे में माननीय सदस्य ने बताया है उसके बारे में सरकार विचार कर लेगी और व्यवस्था सुनिश्चित कर लेगी ।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, दूसरे प्रदेशों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए जो सुख-सुविधाएं मिलती हैं वह सुविधायें हमारे प्रदेश के जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनको नहीं मिल पा रही हैं तो क्या मा० मंत्री जी जो दूसरे प्रदेशों में खिलाड़ियों को तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, उसी तरह की सुविधाएं अपने यहां देंगे ? जिससे प्रदेश के खिलाड़ियों में जो कुण्ठा व्याप्त है, वह दूर हो सके और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकें ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, वर्तमान सरकार खेलों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध और वचनबद्ध है । हमारे यहां भी निश्चित रूप से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था है । अगर मा० सदस्य पूरे डिटेल चाहें, तो मैं उनको उपलब्ध करा सकता हूं । ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश से खिलाड़ी पैदा नहीं कर पाते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने 10 इण्टरनेशनल खिलाड़ी पैदा किये हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया कि नयी खेल नीति बनाने पर वह विचार कर रहे हैं । मंत्रियों की संख्या को देखते हुए खेलमंत्री और कूद मंत्री अलग बनायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं ।

*3–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[13वें मंगलवार में ता० प्र० सं० 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

निदेशक, मण्डी परिषद् कार्यालय विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ में मारे गये छापे में प्राप्त धन एवं जनपद सीतापुर में भूमि की खरीद पर तत्कालिक उपनिदेशक मण्डी परिषद् लखनऊ द्वारा खोटाले की जानकारी

*4–श्री विश्वनाथ तथा श्री संजय गर्ग–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1998 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तत्कालीन निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा अर्जित अवैध सम्पत्ति एवं सरकारी देयों का भुगतान न करने के विरुद्ध 22 जनवरी, 1997 को आयकर विभाग

के अधिकारियों द्वारा आकस्मिक छापा डाला गया था तथा निदेशक के निजी सचिव (श्री रामजीत राम) तथा मण्डी परिषद् के मुख्य अभियन्ता (श्री गुप्त) के वर्किंग टेबिल की दराज में क्रमशः पचास हजार एवं नब्बे हजार अवैध रुपये प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो उन दोनों कर्मचारियों/अधिकारी को सेवा में बनाये रखने का क्या औचित्य है ? क्या इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

दिनांक 22-1-97 को नहीं, बल्कि दिनांक 21-1-97 को आयकर अधिकारियों द्वारा छापा डाला गया।

श्री राम जीत राम के मेज की दराज से रु० पचास हजार प्राप्त हुए थे, परन्तु मुख्य अभियन्ता (श्री गुप्त) की दराज से रुपये नहीं प्राप्त हुए थे। श्री राम जीत राम की जांच आयकर विभाग में लम्बित है। आयकर विभाग से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त इन्हें सेवा में बनाये रखने के औचित्य पर विचार किया जा सकेगा। आयकर विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

*5–श्री राजधारी–

'[6ठवें शुक्रवार में ता० प्र० सं० 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*6–श्री समरपाल सिंह तथा श्री योगेन्द्र सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

मोहन मीकिंग आसवनी लखनऊ को अधिकृत क्षमता से अधिक उत्पादन करने के कारण दण्डित करने की मांग

*7–श्री जगदीश नारायण (मुन्ना)–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित मोहन मीकिन आसवनी, अपने अधिकृत उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहा है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा अधिक उत्पादन के लिये अनुमति प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्षमता से अधिक उत्पादन करने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसके लिये दोषी व्यक्ति को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत इकाई द्वारा अपनी निर्धारित अधिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन करने से संबंधित तथ्यों की जांच की जा रही है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदीश नारायण (मुन्ना)–

मान्यवर, मैंने अपने सवाल के पहले खण्ड में पूछा था कि लखनऊ स्थित मोहन मीकिंस आसवनी अपने अधिकृत उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहा है तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया, जी

हां । तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार को है । इसकी जांच कब से प्रारम्भ है और क्या वह फैक्ट्री बन्द कर दी गयी है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, राज्य सरकार की अनुमति से अधिकृत उत्पादन क्षमता की वृद्धि कर सकती है और दूसरा जो प्रश्न है उसके संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि जांच चल रही है । जांच के आदेश 22 जून, 1998 को दिये गये हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मैं जानना चाहता हूं कि यह जो फैक्ट्री है, इसमें कब से बिना राज्य सरकार के आदेश प्राप्त किये हुए निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा उत्पादन शुरू कर दिया है और उसके कारण सरकार को हानि हुई है, टैक्स नहीं दिया है और बिना अनुमति के अधिक उत्पादन कर रही है, राज्य सरकार को कितना नुकसान हुआ है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, सन् 1974-75 में इसकी क्षमता 15 लाख एल० टी० गैलन थी जो 41,42,180 बल्क लीटर के बराबर है, 1983-84 में इसकी क्षमता 5142 लाख बल्क लीटर के आधार पर नवीनीकरण किया गया था, इसमें जो तथ्य प्रकाश में आये हैं वह यह है कि 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97 और 1997-98 में अधिकृत उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही है । इस संदर्भ में नोटिस दी गयी है और उनका स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

सात-आठ साल हो गये इनका लाइसेन्स क्यों कैन्सिल नहीं हुआ ? जब आपके पास सूचना थी कि अधिक उत्पादन कर रहे हैं ? उस समय क्यों नहीं कार्यवाही की गयी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त लागू है ।

श्री अध्यक्ष–

यह 1991-92 से अधिक उत्पादन कर रहे हैं । बड़े-बड़े उद्योगपति इस प्रकार की कर चोरी करते हैं और गरीब आदमी परेशान होता है । अगर 100 रुपये लगान के रह जाते हैं तो तहसीलदार पहुंच जाता है और उसको बन्द कर देता है । यह 1991 से अधिक उत्पादन कर रहे हैं और उस पर ड्यूटी नहीं दे रहे हैं । तो यह कब आपके संज्ञान में आया कि अधिक उत्पादन कर रहे हैं ? कितने दिनों में कार्यवाही होगी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जो अधिक उत्पादन किया है उस पर उन्होंने टैक्स अदा किया है जो वाइलेसन किया है वह अधिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन का है । उसके लिए अभियोजन की कार्यवाही किये जाने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

जब तथ्य हैं, उसमें अभियोजन के लिए इतना ही पर्याप्त है । मेरा निर्देश यह है कि इससे लोगों में असन्तोष पैदा होता है । बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती और छोटे-छोटे लोगों के खिलाफ

कार्यवाही होती है । आठ साल तक 1991 का यह मामला है । सरकार सोती रही, यह चिन्ता की बात है ।

*8–श्री यशपाल सिंह चौहान–

[4थे बुधवार में ता० प्र० सं० 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय कृषि अभियंत्रण शोध कर्मशाला चिनहट लखनऊ को किसानों के हित में पूर्ववत् बनाये रखने की मांग

*9–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि अ० शा० पत्रांक–ई–1-425/10 द०शा०–1998, दिनांक 6-4-98 द्वारा राजकीय कृषि अभियंत्रण शोध कर्मशाला चिनहट, लखनऊ को बन्द किये जाने का आदेश दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त कर्मशाला किसानों के उपयोग हेतु कृषि यंत्र पर शोध एवं विकास का कार्य करती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हित में उक्त शोध कर्मशाला को पूर्ववत् बनाये रखने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां । प्रश्नगत पत्र में वित्त विभाग द्वारा उन्नत कृषि प्रणालियों की प्रदर्शनी तथा कृषि यंत्रों को प्रदर्शित करने, बनाने, बेचने एवं उनको लोकप्रिय बनाने की योजना तथा इस योजना के 239 पदों को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है । राजकीय कृषि अभियंत्रण शोध कर्मशाला चिनहट, लखनऊ इसी योजना का एक अंग है ।

जी नहीं । किसानों के उपयोग हेतु कृषि यंत्रों पर शोध एवं विकास का कार्य यू० पी० एग्रो के माध्यम से कराये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि राष्ट्रीय कृषि अभियंत्रण शोध कर्मशाला, चिनहट को बन्द करने की योजना है । इससे 239 लोग बेकार हो जायेंगे । तो क्या इन व्यक्तियों को एग्रो या दूसरे विभागों में समायोजित करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैंने स्वयं कहा है कि यह पूरा विषय विचाराधीन है । एक सुझाव हमें वित्त विभाग से मिला है कि योजना तक खर्चों में कमी करने के लिए जहां अधिक खर्च हो रहा है वहां कम किया जाये । इस संबंध में जो मा० सदस्य ने 239 लोगों को अन्यत्र समायोजित करने की बात कही है अथवा बेकार होने की बात कही है । जिनमें अधिकांश स्थायी कर्मचारी है उनकी सेवायें समाप्त होने का प्रश्न नहीं है लेकिन केवल थोड़े बहुत अस्थायी है उनके बारे में क्या किया जाये अभी निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, स्थायी कर्मचारियों का तो समायोजन हो जायेगा लेकिन जो अस्थायी हैं उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है । तो मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग अस्थायी हैं उनके विषय में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कोई नीति तय करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मैंने स्वयं कहा है कि सारे मामलों पर विचार किया जा रहा है ।

प्रतापगढ़ गल्ला मण्डी में हुए भीषण अग्निकाण्ड

*10–श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनवरी, 1998 में प्रतापगढ़ गल्ला मण्डी में हुए भीषण अग्निकाण्ड में 64 गल्ला व्यापारियों की करोड़ों रुपये की क्षति हो गयी है ? यदि हां, तो मण्डी समिति द्वारा गल्ला व्यापारियों की क्षतिपूर्ति में क्या कोई सहायता दी गयी ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त क्षतिपूर्ति कब तक दी जायेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

जनवरी, 1998 में प्रतापगढ़ गल्ला मण्डी में कोई अग्निकाण्ड नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मैं आपके माध्यम से मान्यवर, बताना चाहता हूं कि मंत्री जी [x x x] बोल रहे हैं । वहां पर भयंकर अग्निकाण्ड हुआ ।

श्री अध्यक्ष–

यह कब हुआ ? जनवरी माह में हुआ कि और किसी माह में हुआ ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, जनवरी में नहीं हुआ होगा तो फरवरी में हुआ होगा । पांच हजार रुपया प्रति व्यक्ति वहां पर सहायता सरकार द्वारा दी गई और एक लाख रुपया स्वयं हमने वितरित करवाया । तो क्या माननीय मंत्री जी को इस चीज का ज्ञान है ?

श्री अध्यक्ष–

आपने प्रश्न किया कि जनवरी में अग्निकाण्ड हुआ या नहीं ? इसका उत्तर आ गया कि नहीं ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, बहुत पुरानी वह गल्ला मंडी है । जिला मजिस्ट्रेट ने पांच-पांच हजार रुपया व्यापारियों को क्षति पूर्ति के रूप में वितरित किया ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मैंने कहा, जनवरी में कोई अग्निकाण्ड नहीं हुआ ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, दिसम्बर में अग्निकाण्ड हुये जनवरी में हुये और सरकार ने क्या सहायता दी मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे ?

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जनवरी में कोई अग्निकाण्ड नहीं हुआ है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इसको स्थगित कर दीजिये। मंत्री जी कह रहे हैं कि सूचना की आवश्यकता है। आप संरक्षण तो देंगे।

श्री अध्यक्ष–

सदन 23 तारीख को स्थगित हो रहा है, यह दोबारा जायेगा नहीं तो क्या फायदा है।

एक मा० सदस्य–

माननीय मंत्री जी [x x x] बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या 165-166 के अन्तर्गत नोटिस को दे दीजिये।

कृषि विभाग में सम्पर्क परियोजना पुनः शुरू करने एवं उसके प्रारूप के संबंध में जानकारी

*11–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में सम्पर्क परियोजना को फिर से शुरू करने के लिये सरकार निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? इसका प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

वर्तमान में कृषि विभाग में सम्पर्क परियोजना (प्रशिक्षण एवं सम्पर्क योजना) क्रियान्वित है। अतः फिर से शुरू करने का प्रश्न नहीं उठता।

*12–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[8वें बुधवार में ता० प्र० सं० 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर सहकारी दुग्ध बोर्ड की बन्द पड़ी उत्पादन इकाई के पुनः चालू होने पर छटनी हुये कर्मचारियों को लिए जाने की मांग

*13–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या दुग्ध विकास मंत्री को जानकारी है कि कानपुर सहकारी दुग्ध बोर्ड की उत्पादन इकाई वर्ष 1981 में बन्द कर दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त इकाई कितनी अवधि तक बन्द रही और पुनः कब चालू की गयी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त इकाई के लाभ में चलने की स्थिति आने पर पूर्व में छटनी किये गये कर्मचारियों को उनके पूर्व पद पर पुनः सेवायोजित किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि बोर्ड द्वारा नियमित पदों के विरुद्ध श्रम विभाग के ठेके का लाइसेन्स प्राप्त किये बिना ठेका पद्धति से श्रमिकों को सेवायोजित किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त अनियमितता के लिये दोषी कौन है ? उनके विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

दुग्ध विकास, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुन्दर सिंह बघेल–

जी हां।

दुग्ध संघ की उत्पादन प्रक्रिया दिनांक 11-6-81 से दिनांक 13-10-83 तक बन्द रही और दिनांक 14-10-83 से पुनः कार्य प्रारम्भ हुआ।

कुल 208 छटनी शुदा कर्मचारियों में से वर्ष 1986 से मई, 1998 के मध्य आवश्यकतानुसार वरिष्ठता के आधार पर 50 कर्मचारियों को स्वीकृत पदों के सापेक्ष तथा 68 कर्मचारियों को प्रतिस्थानी के रूप में समायोजित किया गया है। प्रतिस्थानी के रूप में समायोजित 68 कर्मचारियों में से 03 कर्मचारी मृत्यु/त्याग-पत्र, सेवानिवृत्त हो जाने के कारण वर्तमान में कार्यरत नहीं है। इसके अतिरिक्त 24 छटनीशुदा कर्मचारियों ने नियुक्ति पत्र भेजने के बावजूद योगदान नहीं किया है। वर्तमान में 66 छटनीशुदा कर्मचारी सेवायोजन हेतु शेष है।

नियमित पदों के विरुद्ध ठेका पद्धति से श्रमिकों को सेवायोजित नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक बहुत गंभीर प्रकरण है और जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है वह प्रश्न के मूल बिन्दु को बिल्कुल नकार कर दिया है, जो गलत है। मैंने प्रश्न किया था कि "क्या यह सही है कि बोर्ड द्वारा नियमित पदों के विरुद्ध श्रम विभाग से ठेके का लाइसेन्स प्राप्त किए बिना ठेका पद्धति से श्रमिकों को सेवायोजन किया जा रहा है? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि नियमित पदों के विरुद्ध ठेका पद्धति से श्रमिकों को सेवायोजित नहीं किया जा रहा है। मिल्क बोर्ड द्वारा 91 में संयुक्त मिल्क निदेशक को वहां के एम० डी० ने जवाब दिया। मान्यवर, मेरे पास जो सूचना है यह मैं बता रहा हूं। जांच हुई उसमें पाया गया कि प्रतिष्ठान में छटनी शुदा कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों की तरह प्रतिष्ठान में कई वर्षों से नियमित प्रक्रिया में लगे हुए कार्यरत हैं जिनमें से कुछ को निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम का भुगतान किया जा रहा है। प्रतिष्ठान में कोई पंजीकृत ठेकेदार नियोजित नहीं है। इस प्रकार यह सभी श्रमिक छटनीशुदा भी हैं, नियमित कर्मचारियों की तरह कार्यरत हैं किन्तु इन्हें प्रतिष्ठान के रोल पर नहीं रखा जा रहा है। इन उल्लंघनों के लिये अलग से कार्यवाही विचाराधीन है। सर्वश्री विनोद सिंह, शिवदुलारे दुबे, शिवनन्दन दुबे, शिवबालक दुबे, जवाहर लाल, रवीन्द्र कुमार दीक्षित, श्याम किशोर पाठक तथा शंकर सिंह को उनकी नियमित करने की शिकायत के कारण अब काम पर आने से रोक दिया गया है। यही तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इतना स्पष्ट प्रश्न है और गलत उत्तर आ रहा है।

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

जहां तक जो ठेका संबंधी बात है तो यह प्रकरण संज्ञान में आया था कि जो पहले से नियमित कर्मचारी थे उन्हें हटा दिया गया था तो उनके हित में कि बेरोजगारी न होने पाये ठेका पद्धति के अनुसार उसमें समायोजन किया गया है लेकिन जो ठेका पद्धति से लगाये जाते हैं नियमित श्रमिक के रूप में काम नहीं करते हैं। उनको जब आवश्यकता हुई लगा लिया। अगर लगातार आवश्यकता होती है तो लगातार लगाये रहते हैं और यदि आपके पास इस विषय में कोई विशेष जानकारी हो तो मुझे अवगत करा दें मैं इस सदन को आश्वासन देता हूं कि उस विषय में कार्यवाही की जायेगी।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

श्रीमन्, इस सदन के अन्दर गलत उत्तर दिया जा रहा है। क्या मंत्री जी उन अधिकारियों को जो गलत तरीके से उत्तर बनाकर सदन में प्रस्तुत करने के लिये आपको दे रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

मान्यवर, मैं यही अनुरोध करना चाह रहा था और सदन को भी आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि आप कोई बिन्दु मेरी जानकारी में लायेंगे तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ । †

प्रदेश में कीट नाशक नकली दवाओं के प्रचलन को रोकने के संबंध में जानकारी

*14–श्री विजय पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि पूरे प्रदेश में कीट नाशक नकली दवाओं का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है ? यदि हां, तो क्या कीट नाशक दवाओं के दोषी निर्माताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने का कोई निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन कीट नाशक दवा निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

पहले से ही इनमें नियम निर्धारित है और उसी के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है ।

यदि कोई होंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

कृषि विभाग आजमगढ़ के गोदामों में खाद, पोटाश आदि की बन्द सप्लाई को पुनः चालू करने विषयक जानकारी

*15–श्री रामजग–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले सहित पूरे उ० प्र० के कृषि विभाग के गोदामों पर उर्वरक खाद (डी० ए० पी, यूरिया, पोटाश, जिंक सल्फेट) की सप्लाई बन्द हो गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या किसानों के हित में कृषि विभाग के गोदामों के माध्यम से सरकार उर्वरक खाद वितरित करायेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

कृषि गोदामों से वर्ष 1990-91 से डी० ए० पी०, यूरिया, पोटाश की आपूर्ति सिद्धान्तया बन्द कर दी गयी, परन्तु जिंक सल्फेट की आपूर्ति की जाती है ।

उर्वरक वितरण का कार्य अन्य संस्थाओं पी० सी० एफ०, यू० पी० एग्रो, गन्ना संघ तथा निजी क्षेत्र द्वारा की जा रही है ।

अभी विचाराधीन नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

उप आबकारी निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा

1–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा तथा श्री रंग बहादुर पटेल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1998 के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–18, दिनांक 29-1-1998 के संदर्भ में क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप आबकारी निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती हेतु

नोट :–†नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या–13 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

आबकारी आयुक्त, उ० प्र० द्वारा आयोजित राज्य सम्पत्ति विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा 1990 प्रतीक्षा सूची (गोपनीय) की वैधता किस शासनादेश के अन्तर्गत मात्र एक वर्ष थी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि किस शासनादेश के अन्तर्गत उक्त परीक्षा की प्रतीक्षा सूची को घोषित नहीं किया गया था ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

उप आबकारी निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती हेतु आयोजित राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा–1990 की प्रतीक्षा सूची (गोपनीय) शासनादेश संख्या 8/4/1975 का०–2 दिनांक 29-5-79 के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए वैध थी ।

प्रतीक्षा सूची प्रकाशित करने की शासन की कोई नीति न होने के कारण प्रतीक्षा सूची प्रकाशित नहीं की गई ।

जनपद हरदोई वि० सभा क्षेत्र मल्लावां के ग्रामों में ऊसर सुधार के अन्तर्गत कार्यों की जांच की मांग

2–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 91 मल्लावां, निर्वाचन क्षेत्र, जनपद हरदोई में कितने ग्रामों में ऊसर सुधार के अन्तर्गत कार्य हुआ है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में विगत वर्षों में दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत 24 ग्रामों में ऊसर सुधार कार्य कराया गया है ।

अभी तक प्राप्त शिकायत की जांच कराई जा रही है ।

3–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[दि० 1-7-98 अता० प्र० सं०–179 द्वारा उत्तरित ।

4–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[4थे बुधवार में अता० प्र० सं०–175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद तहसील हण्डिया के मृतक राम नारायन की भूमि का बैनामा

5–श्री रामनाथ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लाल चन्द्र व श्री फूल चन्द्र आदि पुत्रगण श्री राम निहोर यादव निवासी हरिपुर पट्टी परगना तहसील–हण्डिया, जनपद इलाहाबाद ने गांव के ही मृतक राम नारायन पुत्रगण श्री गिरधारी यादव की सम्पूर्ण जमीन बैनामा करवा ली है और उसके परिवार को उक्त जमीन की कोई कीमत भी नहीं दी है ? यदि हां, तो क्या उसकी जमीन वापस उसके परिवार को दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि खरीददारों ने 1,40,000 रुपया किस खाते से धन निकाल कर विक्रेता के किस खाते में जमा कराया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं । क्रेता द्वारा विक्रेता को एक लाख, दस हजार, पांच सौ रुपया जमीन की कीमत नगद भुगतान की गयी है ।

जी नहीं । विक्रेता राम नरायन ने अपने जीवनकाल में अपने समस्त भूमि का बैनामा क्रेता को कर दिया था, क्योंकि विक्रेता अर्न्तराज्यीय विवाह करके बाम्बे में स्थायी रूप से निवास करने लगा था और आज भी विक्रेता की विधवा और उसके बच्चे बाम्बे में ही स्थायी रूप से रह रहे हैं । विक्रेता ने अपनी स्वेच्छा से भूमि का विक्रय किया था और उसकी विधवा या उसके भतीजों की उक्त विक्रय पर कोई आपत्ति नहीं है ।

क्रेता ने बाम्बे में अपनी आटा चक्की कृष्णा फ्लावर मिल को बेचकर जमीन क्रय की थी और विक्रेता ने भूमि की जो कीमत प्राप्त की थी, उससे बाम्बे में अपने परिवार के लिए झुग्गी-झोपड़ी में कोठरी खरीदी थी और उसके बच्चे भी उसमें निवास कर रहे हैं ।

ग्राम हरिपुर तह० हण्डिया जिला इलाहाबाद की भूमि पर किए गये अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में विधायक के पत्र पर कार्यवाही

6–श्री रामनाथ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदस्य, विधान परिषद् श्री अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी का पत्र दिनांक 2-4-98 जो कि ग्राम हरिपुर पट्टी परगना व तहसील हण्डिया, जिला इलाहाबाद की भूमि गाटा संख्या 928, 935, 945, 954 तथा 959 पर किये गये अतिक्रमण को हटवाने के संबंध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

भूखण्ड सं०–928 का कुल रकबा 0.25 हेक्टेयर है जिसमें से 0.034 हेक्टेयर आम रास्ता है । शेष 0.217 हेक्टेयर पर काशीराम, पुत्र उदित नि० हरिपुर पट्टी का अवैध कब्जा होने के कारण उनके विरुद्ध बेदखली का मुकदमा तहसीलदार, हण्डिया के न्यायालय में विचाराधीन है । भूखण्ड सं०–935 का कुल रकबा 1.867 हेक्टेयर है, जिसमें से 0.200 हेक्टेयर भूमि आवंटित है, जिस पर आवंटी काबिज है । रकबा 0.925 हेक्टेयर अमर बहादुर, पुत्र सहदेव व रामहित, पुत्र मोतीलाल आदि के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है तथा 0.702 हेक्टेयर बंजर व 0.034 हेक्टेयर ऊसर के खाते में अंकित है, जिसमें से 0.160 हेक्टेयर पर सड़क व 0.280 हेक्टेयर पर नहर है । शेष 0.296 हेक्टेयर पर बनवारी लाल, पुत्र जोखू व सन्त लाल पुत्र सोभनाथ, निरहू पुत्र महाबीर का अवैध कब्जा है, जिसके विरुद्ध बेदखली का वाद तहसीलदार, हण्डिया के न्यायालय में विचाराधीन है । भूखण्ड सं०–945 का कुल रकबा 2.329 हेक्टेयर है, जिसमें से 1.006 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न काश्तकारों के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है । उक्त भूखण्ड में से 0.114 हे० आवंटित भूमि है और आवंटी के कब्जे में है । रकबा 0.319 हे० गांव सभा बंजर अंकित है, मौके पर खाली है । भूखण्ड सं० 954 का कुल रकबा 0.674 हेक्टेयर है जिसमें से 0.235 हेक्टेयर आवंटित है और आवंटी के कब्जे में है तथा 0.439 हेक्टेयर बंजर गांव सभा की भूमि है जो मौके पर खाली है । भूखण्ड सं०-959 का कुल क्षेत्रफल 0.100 हेक्टेयर है जो नवीन परती गांव सभा के खाते में दर्ज है और मौके पर खाली है ।

मेरठ तह० सरधना ग्राम पिठलोकर को बाढ़ से बचाने की योजना

7–श्री समरपाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद की सरधना तहसील का ग्राम पिठलोकर बाढ़ की चपेट में है ? सरकार द्वारा उक्त गांव को बचाने की क्या कोई प्रभावी योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद मेरठ की तहसील सरधना का ग्राम पिठलोकर गत 10 वर्षों में कभी भी बाढ़ से प्रभावित नहीं रहा है तथा किसी प्रकार की क्षति बाढ़ से इस ग्राम में नहीं हुई है । इस ग्राम के पश्चिम दिशा में हिन्डन नदी अवश्य बहती है, परन्तु कोई क्षति बाढ़ से नहीं पहुंची है ।

8–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

[दिनांक 26-6-98 को अता० प्र० सं० 188 द्वारा उत्तरित]

जनपद बहराइच में आग लगने से जलने वाले गांवो/मकानों हेतु जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी सहायता धनराशि की जानकारी

9–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच में वर्ष 1996-97, 1997-98 में आग लगने से कितने गांव एवं मकान जलकर राख हो गये हैं तथा सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा कितनी-कितनी सहायता दी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद बहराइच में वर्ष 1996-97 में 1595 ग्रामों में अग्निकाण्ड की घटनायें हुई जिनमें 6490 परिवार प्रभावित हुए । 6105 आंशिक रूप से तथा 385 घर पूर्ण रूप से कुल 6490 घर जलकर नष्ट हो गये । इन अग्निकाण्डों में 19 मनुष्यों की मृत्यु हो गई एवं 249 छोटे एवं 87 बड़े कुल 336 जानवर जलकर मर गये ।

अग्निकाण्ड से प्रभावित 3912 पात्र परिवारों को रु० 31,51, 900/- अहेतुक सहायता के रूप में, रु० 16,97,775/- गृह अनुदान के रूप में 3443 परिवारों को तथा 91 परिवारों को अनुग्रह सहायता के रूप में रु० 4,22,600/- की सहायता उपलब्ध कराई गई ।

वर्ष 1997-98 में जनपद बहराइच में 1064 घरों में आग लगी जिसमें 3177 परिवार प्रभावित हुए, 1159 पूर्ण रूप से तथा 1952 घर आंशिक रूप से कुल 3111 घर जलकर नष्ट हो गये । इन अग्निकाण्डों में 6 मनुष्यों की जाने गईं व 92 छोटे तथा 36 बड़े पशु जलकर मर गये । अग्निकाण्ड से प्रभावित 2421 पात्र परिवारों को रु० 13,56,300/- अहेतुक सहायता के रूप में, 705 परिवारों को रु० 4,44,850/- गृह अनुदान के रूप में एवं 51 परिवारों को रु० 2,73,600/- अनुग्रह सहायता के रूप में वितरित किया गया है ।

लखनऊ मण्डी हेतु क्रय की गई भूमि की जांच खुफिया एजेन्सी से कराने के सम्बन्ध में जानकारी

10–श्री विजय पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में मण्डी हेतु भूमि गत वर्षों में क्रय की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह जमीन उसी व्यक्ति की मां से खरीदी गयी है जिस की सास से उन्नाव में क्रय की गयी थी ? क्या उक्त प्रकरण की किसी खुफिया जांच एजेन्सी द्वारा जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारियों की मिली भगत से उक्त कार्य किया गया है ? क्या दोषी अधिकारियों के प्रति कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण में अभी तक कोई अनियमितता सामने नहीं आई है, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है ।

दुग्ध विकास विभाग उ० प्र० शासन के आदेश पर मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी उत्तराखण्ड के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही की जानकारी

11–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय आदेश संख्या 4794/33–97-5(7)/97, दिनांक 10 दिसम्बर, 1997 के द्वारा मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड के विरुद्ध शिकायतों की जांच हेतु महाप्रबन्धक (प्रशासन) पी० सी० डी० एफ० उत्तर प्रदेश लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया था ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो कौन-कौन से आरोप सही पाये गये और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

जी हां ।

जी नहीं । जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जांच प्रगति पर है, चूंकि जांच का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है तथा शिकायतकर्ता व शिकायतें भिन्न-भिन्न जनपदों से सम्बन्धित हैं । अतः जांच की कार्यवाही पूर्ण होने में समय लगने की सम्भावना है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी ।

मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी उत्तरांचल श्री नगर गढ़वाल द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

12–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तरांचल श्रीनगर, गढ़वाल द्वारा की गयी वित्तीय एवं प्रशासकीय अनियमितओं की जांच वर्ष 1997 में संयुक्त दुग्ध आयुक्त तथा वित्त नियंत्रक ने की थी ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तरांचल, श्रीनगर गढ़वाल के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों की जांच संयुक्त दुग्ध आयुक्त (प्रशासन) तथा वित्त नियंत्रक को संयुक्त रूप से करने के आदेश अपर दुग्ध आयुक्त द्वारा दिए गए थे ।

संयुक्त दुग्ध आयुक्त की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई थी, परन्तु जांच रिपोर्ट सन्तोषजनक न पाये जाने के कारण शासन द्वारा एक वरिष्ठ पी० सी० एस० अधिकारी को पुनः जांच हेतु जांच अधिकारी नामित किया गया है । जांच प्रगति पर है, और जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

बांदा विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्रामों में पशु चिकित्सालय खोले जाने विषयक विधायक के पत्र पर कार्यवाही

13–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-5-97 जो जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी अर्न्तगत ग्राम गोसरही सिंहपुर पपरेंदा, गजनी, सांडी में पशु चिकित्सालय खोले जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

पशुधन, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार (श्री गोरख प्रसाद निषाद)–

जी हां ।

पशु चिकित्सालय की स्थापना जिला योजना के अन्तर्गत की जाती है । इस हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा विचार कर प्रस्ताव पारित किया जाता है तथा जिला योजना में आवश्यक परिव्यय (धनराशि) की व्यवस्था की जाती है । तदनुसार जिलाधिकारी, बांदा को पत्र में उल्लिखित स्थानों में पशु चिकित्सालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव जिला अनुश्रवण समिति में प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा के क्षेत्रीय पंचायत के वार्ड सं० 53 के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही

14–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के क्षेत्रीय पंचायत के वार्ड संख्या 53 के निरस्तीकरण किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-6-95 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

पंचायती राज–राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई मल्लावां क्षेत्र में पेयजल संकट निदान हेतु मण्डी परिषद् द्वारा हैण्ड पम्प लगवाने की मांग

15–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल संकट निदान हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाने के लिये प्रस्तावित सूची संयुक्त निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद्, लखनऊ के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु लम्बित है ? क्या क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उत्पन्न पेयजल संकट के निदान हेतु 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में मण्डी परिषद् द्वारा हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

ऐसी कोई सूचना कृषि विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन एवं मंडी परिषद् द्वारा इस आशय का नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है कि प्रदेश में मंडी स्थलों के परिसर के बाहर नये हैण्ड पम्प अधिष्ठापन का कार्य मंत्री परिषद द्वारा नहीं किया जायेगा । इसलिए प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र में वांछित हैण्ड पम्प लगाया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद बाराबंकी तह० रामनगर एवं बहराइच की तह० के सीमा विवाद के निस्तारण हेतु कमेटी बनाने की मांग

16–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी की तहसील रामनगर जनपद बहराइच की तहसील के अन्तर्गत सीमा विवाद के मामले को तय करने हेतु दोनों जनपद के जिलाधिकारी स्तर की कोई कमेटी तय करेगी, जो विवाद के मामले को सुलझा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सम्प्रति कोई आवश्यकता नहीं है । ग्राम बडनपुर तहसील रामनगर जनपद बाराबंकी व ग्राम अहाता तहसील कैसरगंज जनपद बहराइच के भू–चित्रों में ओवरलैपिंग है दोनों ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है चकबन्दी प्रक्रिया में भू–चित्रों की ओवरलैपिंग ठीक हो जायेगी ।

जनपद काशी में आयोजित गंगा महोत्सव एवं कलाकारों पर व्यय की गई धनराशि की जानकारी

17–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि काशी में आयोजित गंगा महोत्सव पर वर्ष 1997 में कितना व्यय हुआ और भाग लेने वाले कलाकारों में किसे कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)–

काशी में आयोजित गंगा महोत्सव में वर्ष 1997 में संस्कृति विभाग द्वारा कुल रुपये 5,12,071.40 पैसे (रुपये पांच लाख अट्ठारह हजार इकहत्तर एवं चालीस पैसे मात्र) का व्यय किया गया । गंगा महोत्सव वर्ष 1997 में भाग लेने वाले कलाकारों को भुगतान की गई धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

कलाकार का नाम	भुगतान की गयी धनराशि
1–सुश्री अश्विनी भिंडे, मुम्बई	36,325.00
2–सुश्री गिरिजा देवी, वाराणसी	60,000.00
3–सुश्री नलिनी कमलिनी, दिल्ली	20,000.00
4–श्री नरेन्द्र नाथ धर, लखनऊ	6,000.00
5–श्री सी० आर० व्यास, मुम्बई	40,000.00
6–श्री विश्व मोहन भट्ट, जयपुर	55,945.00
7–श्री गोपाल शर्मा, मुजफ्फरनगर	25,000.00
8–सुश्री अमृतानन्दी, लखनऊ	8,000.00
9–सुश्री रेवती साकलकर, वाराणसी	4,000.00
10–श्री अलोक पाण्डेय, वाराणसी	20,000.00
11–श्री शिव शंकर महतो, रांची, बिहार	2,250.00
12–श्री अभय सिन्हा, पटना	2,700.00
13–श्री मनोज तिवारी, वाराणसी	4,000.00
14–सुश्री महुआ बनर्जी, वाराणसी	4,000.00

15–सुश्री माधवी सिंह, वाराणसी	4,000.00
कलाकार का नाम	भुगतान की गयी धनराशि
16–सुश्री सन्तोष श्रीवास्तव, वाराणसी	4,000.00
17–सुश्री अमिता सेन, मुम्बई	30,000.00
18–श्री सिंहजीत सिंह एवं चारू माथुर	30,724.00
19–सुश्री पूर्वा नरेश, लखनऊ	6,132.00
20–श्री अखिलेश गुन्डेचा, भोपाल	25,000.00
21–सुश्री अर्चना सतीश, लखनऊ ।	11,080.00
कुल योग	3,99,156.00

(रुपये तीन लाख निन्नानबे हजार एक सौ छप्पन मात्र)

नवोदय विद्यालय जनपद जालौन के भवन हेतु चाही गयी भूमि को राजस्व अभिलेखों में अंकन कराने के सम्बन्ध में जानकारी

18–श्री श्रीराम पाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नवोदय विद्यालय के भवन हेतु चाही गयी भूमि कालपी तहसील के ग्राम मदरेखी में ग्राम सभा की भूमि संख्या 341, 342, 343, में से 30.00 एकड़ भूमि का भूमि प्रबन्धक समिति का जिलाधिकारी, जालौन द्वारा भेजा गया प्रस्ताव राजस्व परिषद् को वर्ष 1997 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या राजस्व परिषद् द्वारा प्रस्तावित भूमि को नवोदय विद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकन कराया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

राजस्व परिषद् से प्राप्त आख्या के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव राजस्व परिषद् में प्राप्त होना नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश स्तर पर पशु चिकित्सा अस्पतालों पर कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीमन रखने हेतु खरीदे गये फ्रिज का विवरण

19–श्री संजय गर्ग–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1995-96 में प्रदेश स्तर पर पशु अस्पतालों पर कृत्रिम गर्भाधान के लिये सीमन रखने हेतु फ्रिज की खरीद हुई थी ? यदि हां, तो कितनी फ्रिज किस कम्पनी से तथा किस दर पर खरीदे गये थे ? क्या इसके टेण्डर आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो न्यूनतम और अधिकतम दर क्या थी ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि अधिकांश फ्रिजें

सरकारी अस्पतालों के बजाय विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के घरों में लगे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री गोरख प्रसाद निषाद–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जानकारी के आधार पर ऐसी स्थिति नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के भूमि संरक्षण अधिकारी जलागम को वृक्षारोपण कार्य हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी

20–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी, जलागम, जनपद बलरामपुर को 1 जनवरी, 1996 से 25-4-98 के बीच जिला विकास ग्राम्य अभिकरण गोण्डा/बलरामपुर को कितनी धनराशि वृक्षारोपण कार्य हेतु आवंटित की गयी है ? क्या सरकार वन विभाग के अनुश्रवण मूल्यांकन विभाग से भौतिक सत्यापन कराकर वृक्षारोपण की सफलता की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

भूमि संरक्षण अधिकारी (राष्ट्रीय जलागम) बलरामपुर को 1 जनवरी, 1996 से 25-4-98 तक के बीच जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा/बलरामपुर द्वारा वृक्षारोपण मद में कोई धन उपलब्ध नहीं करायी गयी बल्कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बलरामपुर से उपलब्ध कराया गया धनराशि में से रु० 2,84,421.00 वृक्षारोपण कार्यों पर व्यय किया गया है ।

जी नहीं, भौतिक सत्यापन हेतु कृषि विभाग का प्राविधिक सम्प्रेक्षण प्रकोष्ठ सक्षम है ।

भूमि संरक्षण अधिकारी जलागम जनपद बलरामपुर/महराजगंज के विरुद्ध विधायक के पत्र पर कार्यवाही

21–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 5 अप्रैल, 1998 से 25-4-98 के बीच में भूमि संरक्षण अधिकारी (जलागम) जनपद बलरामपुर/महराजगंज के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी, प्रमुख सचिव (कृषि) तथा प्रमुख सचिव, सतर्कता अधिष्ठान को दिया था ? यदि हां, तो आरोप क्या थे ? जांच किस एजेन्सी द्वारा करायी जा रही है ? क्या सरकार शीघ्र जांच कराकर दोषी पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मा० मुख्य मंत्री जी को नहीं अपितु मा० कृषि मंत्री जी को सम्बोधित तथा मुख्य सचिव प्रमुख सचिव, कृषि, प्रमुख सचिव सतर्कता, निदेशक सतर्कता अधिष्ठान, अपर पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन को पृष्ठांकित मा० विधायक का शिकायती-पत्र दिनांक 16-4-1998 प्राप्त हुआ है ।

आरोप निम्नलिखित हैं :–

1–वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97 व 1997-98 में श्री आर० एस० गुप्ता, भूमि संरक्षण अधिकारी, जलागम जनपद बलरामपुर तथा श्री टी० पी० चौधरी, भूमि संरक्षण अधिकारी, बलरामपुर जो कि वर्तमान में भूमि संरक्षण अधिकारी, महराजगंज है के विरुद्ध भारत सरकार एवं

जिला ग्राम्य विकास अधिकरण गोण्डा द्वारा नदियों के किनारे तथा बाढ़ क्षेत्र में तथा पहाड़ी नालों पर वृक्षारोपण कराकर बाढ़ को रोकने और कृषि योग्य भूमि की कटान रोकने तथा गोल एवं ठोकर का निर्माण कराने के लिये प्रदत्त करोड़ों रुपये के बन्दरबाट का आरोप है ।

2–श्री आर० एस० गुप्ता जब जनपद महराजगंज में तैनात थे, और टी० पी० चौधरी जब जनपद बलरामपुर में तैनात थे, उस समय की इनके खिलाफ करोड़ों रुपये की जांच चल रही है । दोनों अधिकारी एक दूसरे के स्थान पर कार्यरत होने के कारण जांच प्रभावित कर रहे हैं ।

3–दि० 31 मार्च, 1998 तक करोड़ों रुपये का आवंटन जलागम को कर दिया गया । लेकिन मौके पर कोई कार्य नहीं हुआ ।

जांच कृषि विभाग, भूमि संरक्षण अनुभाग में स्थापित प्राविधिक सम्प्रेक्षण प्रकोष्ठ से कराई जा रही है ।

दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पौड़ी गढ़वाल के पशुधन प्रसार अधिकारी की पत्नी श्रीमती सुनीता देवी द्वारा 90% भुगतान के सम्बन्ध में निदेशक पशुपालन विभाग, पौड़ी को दिये गये पत्र पर कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी

22–श्री राम स्वरूप सिंह–

क्या पशुधन विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री सादर सिंह नेगी, पशुधन प्रसार अधिकारी, पशु औषधालय किलबौखाल, विकास क्षेत्र रिखणीखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल का सेवाकाल के दौरान दिनांक 22-11-96 को मृत्यु हो गयी है ? क्या यह सत्य है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा पत्रांक/स०भ०नि०/97/98, दिनांक 3-1-97 की स्व० श्री सादर सिंह नेगी की पत्नी श्रीमती सुनीता देवी, ग्राम लालपानी, पो० कुम्भीचौड़ा, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल को श्री सादर सिंह नेगी के सा० भ० नि० लेखा संख्या ए० एच० यू० 9040 से 90% का भुगतान करने के संबंध में निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोरख प्रसाद निषाद–

जी हां ।

जी हां ।

स्व० श्री सादर सिंह नेगी की जी० पी० एफ० पास बुक में नियमित प्रविष्टियां न होने के कारण निदेशक, पशुपालन विभाग के पत्र दिनांक 15-6-98 द्वारा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी को जी० पी० एफ० पासबुक प्रविष्टियां ठीक करने हेतु वापस भेज दी गयी है । औपचारिकताएं पूर्ण होने पर 90% का भुगतान किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पशुधन प्रसार अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल की सेवा काल में मृत्यु पश्चात सामूहिक बीमा निदेशालय को उनके भुगतान के सम्बन्ध में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पत्र पर कार्यवाही

23–श्री राम स्वरूप सिंह–

क्या पशुधन विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री सादर सिंह नेगी, पशु औषधालय, बिलबौखाल, विकास क्षेत्र रिखणीखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल में पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर कार्यरत थे ?

उनकी मृत्यु क्या सेवाकाल के दौरान दिनांक 22-11-96 को हो गयी थी ? क्या यह सत्य है कि मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा पत्रांक 1495 स्था० जी० आई० एस०/97-98, दिनांक 5 नवम्बर, 1997 को अपर निदेशक राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशलाय को अन्तिम भुगतान करने के संबंध में पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोरख प्रसाद निषाद–

जी हां ।

जी हां ।

स्व० श्री सादर सिंह नेगी की आश्रित श्रीमती सुनीता देवी को बीमा की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर अधिकारियों के स्थानान्तरण/तैनाती का विवरण

24–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर श्रेणी–1 व 2 के अधिकारियों के स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश पारित करने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु शासन का पत्र सं० 2132/33-97-5(7)/97, दिनांक 22-7-97 दुग्ध आयुक्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

जी हां ।

मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी (उत्तरां०) द्वारा श्रेणी–1 व 2 के अधिकारियों का स्थानान्तरण शासनादेशों के विपरीत और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर करने के कारण शासन के पत्र दिनांक 22-7-97 द्वारा दुग्ध आयुक्त को प्रश्नगत स्थानान्तरण पूर्वगामी तिथि से निरस्त करने तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करने के लिए मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी (उत्तरां०) को सचेत करने एवं उक्त कृत्य के लिए उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश प्रसारित किए गए थे । उक्त आदेश के अनुपालन में दुग्ध आयुक्त के आदेश दिनांक 28-7-97 द्वारा प्रश्नगत स्थानान्तरण निरस्त करते हुए मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी (उत्तरां०) को आदेश दिनांक 30-7-97 द्वारा सचेत करते हुए उनका स्पष्टीकरण मांगा गया था । दुग्ध आयुक्त ने उनका उक्त स्पष्टीकरण प्राप्त कर शासन को दिनांक 23-6-98 को उपलब्ध कराया है, जो परीक्षणाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

मुख्य दुग्धशाला अधिकारी उत्तरांचल श्रीनगर गढ़वाल के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में जानकारी

25–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तरांचल, श्रीनगर गढ़वाल के विरुद्ध वर्ष 1978 में गम्भीर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच सतर्कता विभाग द्वारा करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में कौन-कौन से तथ्य सही पाये गये हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

जी हां ।

सतर्कता विभाग द्वारा उन्हें अनियमित नियुक्तियों/पदोन्नतियों के मामले में उ० प्र० सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा निर्मित सेवा विनियम के नियम–5 के उल्लंघन का दोषी पाया गया था ।

सतर्कता विभाग की संस्तुति के दृष्टिगत श्री मिश्र के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर सिद्ध पाये गये आरोप के आधार पर उन्हें लिखित रूप से मौखिक चेतावनी देते हुए मामले को समाप्त किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हीरा मणि धस्माना सहा० कृषि निरीक्षक प्रभारी बिक्री केन्द्र खाती गांव अल्मोड़ा के विरुद्ध विभागीय जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जानकारी

26–श्री राजधारी–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि श्री हीरामणि धस्माना, सहायक कृषि निरीक्षक प्रभारी बिक्री केन्द्र खातीगांव/रावतखेरा सानी उड़ियार विकास क्षेत्र बागेश्वर, जिला अल्मोड़ा में दिनांक 12 मई, 1983 में सेवारत थे ? क्या इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच के तथ्यों के आधार पर विभाग द्वारा अब तक क्या निर्णय लिया गया है ? क्या यह सत्य है कि दिनांक 26-12-97 को कृषि अनुभाग–9 उप सचिव, उ० प्र० शासन द्वारा अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) उ० प्र० कृषि भवन को इस मामले की जांच आख्या देने के संबंध में एक पत्र भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या कृषि निदेशालय द्वारा अपनी आख्या सहित पूरी जांच रिपोर्ट शासन को अब तक नहीं भेजी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? इस प्रकरण में शासन द्वारा अब तक निर्णय लिया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

श्री धस्माना को विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत आदेश संख्या-गबन–5523/इ०–4 दिनांक 27-2-86 से पदच्युत किया जा चुका है ।

जांच आख्या नहीं अपितु श्री धस्माना के पत्र दिनांक 5-12-97 पर आख्या मांगी गई थी ।

जी नहीं । परियोजना अधिकारी (कृषि) अल्मोड़ा से आख्या प्राप्त होने पर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण कर दिया जायेगा ।

राजकीय कृषि साधन पूर्ति भण्डार विकास खण्ड तिंदवारी में जनपद बांदा के जीर्ण भवन की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में विधायक के पत्र पर कार्यवाही

27–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 83/बी/97, दिनांक 19-4-97 जो जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी में राजकीय कृषि साधन पूर्ति भण्डार के जीर्ण भवन के मरम्मत कराये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि भण्डार की मरम्मत का प्राक्कलन कृषि निदेशालय में गत वर्ष भेजने के बावजूद अब तक धन स्वीकृत नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ? क्या मरम्मत कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जिला कृषि अधिकारी, बांदा द्वारा संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) झांसी के माध्यम से प्राप्त प्राक्कलन पर कृषि अभियन्ता (मुख्यालय) द्वारा उठायी गयी कतिपय आपत्तियों के निवारण हेतु प्राक्कलन मूलरूप में संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) झांसी को वापस कर दिया गया था, जो अभी वापस प्राप्त नहीं हुआ है ।

कृषि पूर्ति संगठन योजना को सरप्लस घोषित कर दिये जाने के फलस्वरुप अनुरक्षण मद में इस वर्ष बजट व्यवस्था न होने के कारण मरम्मत कार्य कराया जाना सम्भव नहीं होगा ।

अम्बेडकर नगर ग्राम मुमकेरीपुर के श्री भदई को जहर देकर मारने और जमीन जायजाद कब्जा करने में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

28–श्री विश्वनाथ तथा श्री ओम प्रकाश गुप्ता–

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम मुमकेरीपुर पो० गोसाईगंज, जिला अम्बेदकरनगर के निवासी श्री भदई अनुसूचित जाति को उसी ग्राम के निवासी सर्वजीत पाण्डेय पुत्र भगौती, गया पुत्र सर्वजीत पाण्डेय द्वारा अपने घर में जहर देकर मार डाला गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अनुसूचित जाति परिवार की भूमि और घर पर उक्त व्यक्तियों ने जबरदस्ती कब्जा करके उनको घर से निकाल दिया है ? यदि हां, तो क्या श्री भदई को सम्पूर्ण भूमि व घर उनकी पुत्रियों के नाम भू–अभिलेखों में पूर्ववत् दर्ज है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्पूर्ण प्रकरण की शासन स्तर से जांच करते हुए दोषी व्यक्तियों पर प्रशासनिक कार्यवाही करके पीड़ित परिवार को उनकी भूमि व घर पर किये गये अतिक्रमण को शीघ्र हटाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि भूमि पुत्रियों के नाम अंकित है । घर श्रेणी–6 की आबादी होने के कारण पुत्रियों के नाम दर्ज होने का औचित्य नहीं बनता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही उठता ।

संयुक्त दुग्ध आयुक्त, प्रशासन, लखनऊ द्वारा श्री अवधेश चन्द्र मिश्रा, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी शाहजहांपुर को प्रत्यावर्तित किये जाने का प्रकरण

29–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (मुन्ना)–

क्या दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि संयुक्त दुग्ध आयुक्त, प्रशासन, लखनऊ ने दिनांक 18-10-97 को शासनादेश जारी कर अवधेश चन्द्र मिश्रा, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, शाहजहांपुर को वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के पद पर प्रत्यावर्तित कर जनपद शाहजहांपुर में तैनात दुग्ध विकास विभाग के

कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन, भत्ते कन्टेजेन्सी आदि के आहरण वितरण का अधिकार मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर को दे दिया है ? यदि हां, तो श्री मिश्रा के विरुद्ध की गयी जांच में किस-किस आरोप तथा कितने धन के गबन में दोषी पाये गये ? क्या सरकार जांच में दोषी पाये गये उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर निलम्बित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

जी हां ।

उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से कार्यरत श्री मिश्रा को दंडस्वरूप नहीं अपितु उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के पद पर विनियमितीकरण हेतु अनुपयुक्त पाये जाने के कारण प्रत्यावर्तित किया गया था ।

एक अन्य प्रकरण में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच प्रचलित है और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम सभा मरुई सहाई सिंह स्थित ग्राम हृदयीपुर के किसानों द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा

30–श्री शिव सिंह चक तथा श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के ग्राम सभा मरुई सहाई सिंह स्थित ग्राम हृदयीपुर के किसानों द्वारा ग्राम समाज, हरिजन एवं सामान्य आबादी, चकरोड, सेक्टर मार्ग, परिक्रमा मार्ग विद्यालय भवन, श्मशान आदि के लिए छोड़ी गयी भूमि पर अवैध रूप से वृक्षारोपण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल अवैध रूप से वृक्षारोपण को हटाते हुए संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार ग्राम समाज व आबादी की भूमि को गरीबों में वितरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं । केवल गांव सभा की नवीन परती के एक भूखण्ड सं०–202 मि०/4 बिस्वा 5 बिस्वांसी पर अवैध कब्जा करके वृक्षारोपण किया गया है ।

अनधिकृत कब्जेदार वंशी पुत्र कामता, निवासी ग्राम–हृदयीपुर के विरुद्ध उ० प्र० जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 बी० की कार्यवाही तहसीलदार, बीकापुर के न्यायालय में दिनांक 12-4-96 से विचाराधीन है ।

मा० न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा चुकी है . वर्तमान में कोई भूमि आवंटन हेतु अवशेष नहीं है ?

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी, सदस्य, विधान परिषद् का श्री जगदीश नरायन आदि द्वारा जबरिया पट्टेदार की भूमि पर कब्जा किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

31–श्री रामनाथ सरोज–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० विधान परिषद् सदस्य श्री अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी का पत्र दिनांक 2-4-98 जो ग्राम हरिपुर पट्टी, परगना मह, तहसील हण्डिया, जनपद इलाहाबाद के पट्टेदार श्यामसुन्दर व शोभनाथ अनुसूचित जाति जिसे 20 वर्ष पूर्व से पट्टा कब्जा व दखल दे दिया गया था उस पर जबरिया श्री जगदीश नरायन आदि लोगों द्वारा कब्जा कर लिये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पट्टेदार को कब्जा दिया जायेगा, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

पट्टेदार आवंटित भूमि पर काबिज है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सदस्य, विधान परिषद् श्री अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी का ग्राम हरिपुर पट्टी, परगना मह, तहसील हण्डिया जनपद इलाहाबाद के खेत सं० 934 के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

32–श्री रामनाथ

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० विधान परिषद् सदस्य श्री अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी का पत्र दिनांक 2-4-98 जो ग्राम हरिपुर पट्टी, परगना मह, तहसील हण्डिया जनपद इलाहाबाद के खेत सं० 934 को अवैध ढंग से अनुज्ञापित करने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उप जिलाधिकारी हण्डिया, इलाहाबाद की जांच आख्या के अनुसार अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत भूमि ऊसर के खाते में दर्ज होने के कारण गांव सभा के अधिकार क्षेत्र में है । इसी अधिकार के तहत अनुज्ञापी को स्थल का कब्जा दे दिया गया है । किसी पक्ष द्वारा कोई प्रमाणिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । इसलिये अनुज्ञप्ति निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

33–श्री हरदेव सिंह–

[5वें मंगलवार में अता० प्र० सं० 184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अम्बेडकर नगर में बरुआ जलाकी टाण्डा मार्ग से मोहीउद्दीनपुर मार्ग के निर्माण पर किये गये खर्च की जानकारी

34-श्री लालजी वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1994-95 में टाण्डा मण्डी समिति के अन्तर्गत जनपद अम्बेडकर नगर में बरुआ जलाकी टाण्डा मार्ग से मोहीउद्दीनपुर मार्ग का निर्माण स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग निर्माण पर अब तक कितना धन खर्च किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

बरुआ, जलाकी टाण्डा मार्ग से मोहीउद्दीनपुर मार्ग वर्ष 95-96 में स्वीकृत है ।

उक्त मार्ग के निर्माण पर अब तक रु० ५.. लाख खर्च किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

35–श्री अजय कुमार पोइया–

[4थे बुद्धवार में अता० प्र० सं० 187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरिद्वार के निर्माणाधीन मुख्यालय पर बनने वाले भवनों एवं मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की कार्यवाही किये जाने की मांग

36–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरिद्वार के निर्माणाधीन मुख्यालय पर मुख्य भवन, विकास भवन, न्यायालय भवन तथा अन्य कार्यालय भवनों के अतिरिक्त कितने आवासीय भवनों (विभिन्न श्रेणीवार) का निर्माण हो चुका है ? क्या उनमें अधिकारी कर्मचारी रह रहे हैं ? क्या उस क्षेत्र में मूलभूत सुविधायें सड़क, बिजली, पानी, स्कूल आदि मुख्यालय निर्माण से पूर्व उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद हरिद्वार के मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट, विकास भवन, न्यायालय भवन, तथा अन्य कार्यालय भवनों के अतिरिक्त, निर्मित हो चुके तथा निर्माणाधीन आवासीय भवनों का श्रेणीवार विवरण निम्नवत् है :–

क्रम संख्या	श्रेणी	कुल संख्या	निर्माण पूर्ण हो चुका है	निर्माणाधीन आवास
1	2	3	4	5
1–	जिलाधिकारी आवास	01	—	01
2–	जिला जज आवास	01	01	—
3–	पुलिस अधीक्षक आवास	01	01	—
4–	श्रेणी–4 के आवास	16	16	—
5–	श्रेणी–3 के आवास	34	34	—

1 2	3	4	5
6–श्रेणी–2 के आवास	135	115	20
7–श्रेणी–1 के आवास	103	81	22
8– 500 व्यक्तियों हेतु पुलिस बैरक	01	01	—
9– 100 व्यक्तियों हेतु पुलिस बैरक	01	01	—
योग–	293	250	43

मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उक्त आवासीय भवनों में अभी तक अधिकारियों/कर्मचारियों ने रहना आरम्भ नहीं किया है । जहां तक उक्त क्षेत्र में मूलभूत सुविधायें, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल आदि मुख्यालय निर्माण के पूर्व उपलब्ध कराने की योजना बनाये जाने का प्रश्न है, मुख्यालय निर्माण से पूर्व जो जोनल प्लान बनाया गया है, मुख्यालय पर एक बस/टैक्सी स्टैण्ड, व्यापारिक केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, बैंक और चिकित्सालय, हाई स्कूल एवं डिग्री कालेज के निर्माण की योजना बनायी गयी है । परन्तु सम्बन्धित विभागों से धन उपलब्ध न होने के कारण अभी तक उक्त योजनाओं पर कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

इसके अतिरिक्त कतिपय योजनाओं यथा आवासीय भवनों में पानी/ड्रेनेज व्यवस्था, पुलिस विभाग के आवासीय भवनों में विद्युत व्यवस्था आदि की कार्यवाही की जा रही है । 33 के०वी० की लाईन व 11 के०वी० का एक सब स्टेशन का निर्माण कराया जा चुका है ।

प्रदेश में अतिवृष्टि, कुहरे और ओलावृष्टि के कारण फसलों की हानि से प्रभावित किसानों को मुआवजे की राशि वितरित किये जाने की जानकारी

37–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1997-98 में कुहरे और अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुई हानि का सर्वेक्षण करने आये केन्द्रीय दल की सिफारिश के आधार पर 242 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से किसानों को क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु प्राप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या प्रभावित किसानों को उक्त धनराशि मुआवजे के रूप में वितरित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार से धनराशि प्राप्त करने हेतु सक्रिय प्रयास किये जा रहे हैं ।

मा० मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता (श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना) का प्रबन्धक, दुग्धशाला विकास अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच हेतु पत्र

38–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

क्या दुग्ध विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा मा० मुख्य मंत्री को एक पत्र दिनांक 27-8-97 या इसके आसपास प्रबन्धक, दुग्धशाला विकास अधिकारी शाहजहांपुर के द्वारा किये जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में दिया गया प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य के दो पत्र क्रमशः दिनांक 14-7-97 तथा दिनांक 12-8-97 का प्राप्त हुए थे। उक्त पत्रों के साथ संलग्न अध्यक्ष, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, शाहजहांपुर के एक शिकायती पत्र की जांच कराई गयी है तथा सिद्ध पाये गए आरोपों के आधार पर तत्कालीन प्रबन्धक, दुग्धसंघ, शाहजहांपुर के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। दूसरे शिकायती पत्र की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है, जिसकी जांच आख्या प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि० द्वारा विभिन्न पदों के साक्षात्कार के बाद नियुक्ति किये जाने की मांग

39–श्री विजय पाल सिंह–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि० द्वारा फरवरी, 1997 में राजकीय डेरी सुपर वाइजर मैकेनिक कम आपरेटर एवं प्रयोगशाला सहायकों को विज्ञापित पदों का माह अप्रैल, मई, 1997 में लिये गये साक्षात्कार के अनुसार उनकी नियुक्तियां कर दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

जी नहीं।

नवनिर्मित चिलिंग सेन्टर/डेरी प्लान्ट तथा फ्लश सीजन में आवश्यकता को दृष्टिगत सुपरवाईजर, रेफ्रिजरेशन मैकनिक कम आपरेटर तथा प्रयोगशाला सहायक के पदों पर तदर्थ रूप से तीन माह की अवधि हेतु नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था परन्तु उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में तीन माह की अवधि न दर्शाए जाने के कारण नियुक्ति पत्र जारी किया जाना सम्भीचीन नहीं पाया गया है।

दुग्ध संघों के स्टाफ स्ट्रेन्थ का परीक्षण पूर्ण हो जाने के पश्चात् रिक्त पदों की संख्या निर्धारित होने पर पुनः चयन की कार्यवाही कर नियमित नियुक्तियां की जानी प्रस्तावित है।

जनपद शाहजहांपुर निर्वाचन क्षेत्र पुवायां के ब्लाक सिंधौली के ग्राम कोटावारी में भूमिहीनों को पट्टे पर दी गयी भूमि पर कब्जा दिये जाने की मांग

40–श्री चेतराम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के जनपद शाहजहांपुर निर्वाचन क्षेत्र पुवायां की ब्लाक सिंधौली के ग्राम कोटावारी में वर्ष 1997-98 में जिन चौरानवे पात्र भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि के पट्टे किए गये थे उन्हें मौके पर कब्जा अभी तक न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार जनहित में उक्त भूमिहीनों को पट्टे पर दी गयी भूमि पर कब्जा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्राप्त सूचनानुसार ग्राम कोटावारी परगना–बड़ागांव, तहसील–पुवायां, ब्लाक सिंधौली जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1997-98 में कुल 71 व्यक्तियों को ग्राम सभा की भूमि का आवंटन किया गया था न कि 94 व्यक्तियों को। सभी 71 व्यक्तियों को भूमि पर कब्जा दे दिया गया है।

श्री राम सेवक लाल श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार, तहसील सलोन, जिला रायबरेली के सेवानिवृत्त के देयों का भुगतान किये जाने की मांग

41–श्री शिवपूजन राम–

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री राम सेवक लाल श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार, तहसील सलोन, जिला रायबरेली दिनांक 30-4-93 को सेवानिवृत्त हुये हैं ? क्या यह भी सही है कि उन्हें अभी तक सेवानिवृत्ति के देयों का भुगतान नहीं किया गया है और न ही उन्हें पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? उक्त अवशेष देयों एवं पेंशन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

यह कहना उचित नहीं है कि उनकी सेवा देयों का भुगतान नहीं किया गया है । श्री श्रीवास्तव को अनन्तिम पेंशन का भुगतान दिनांक 31-12-96 तक किया जा चुका है । शेष सेवा निवृत्तिक देयों का भुगतान भी नियमानुसार किया गया, परन्तु उनके विरुद्ध गृह अनुदान के मद में रु० 63,000/- के व्यय वितरण संबंधी आडिट आपत्ति लम्बित होने के कारण, अन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है । शेष सेवा निवृत्तिक देयों का भुगतान नियमानुसार किया गया है । कोई जिम्मेदार नहीं है, लम्बित आडिट आपत्ति के निस्तारण के कारण हुआ ।

उक्त प्रकरण के निस्तारण के आलोक में शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

42–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[दिनांक 26-6-98 को अता० प्र० सं० 186 द्वारा उत्तरित]

जनपद मैनपुरी के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कृषि आयुक्त से सम्बद्ध डाइवर्सीफाइड एग्रीकल्चरल सपोर्ट, प्रोजेक्ट के अधीन योजना लागू किये जाने की मांग

43–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि उत्पादन आयुक्त से सम्बद्ध डाइवर्सीफाइड एग्रीकल्चरल सपोर्ट, प्रोजक्ट के अधीन वर्ष 1997-98 में किन-किन जनपदों में क्या-क्या कार्य हुए ? विभिन्न जनपदों में यह योजना लागू करने का मानक क्या है ? क्या सरकार जनपद मैनपुरी के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव में उक्त योजना लागू करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

यू०पी० डाईवर्सीफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट पर विश्व बैंक के बोर्ड द्वारा दिनांक 30 जून, 1998 को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है । इसमें पूर्व वर्ष 1997-98 में पूर्व परियोजना (प्री-प्रोजेक्ट) गतिविधियां चलायी जा रहीं थीं । प्रथम चरण में परियोजना के अन्तर्गत आच्छादित जनपदों में से पांच जनपदों (झांसी/बस्ती/नैनीताल/लखनऊ व सहारनपुर) में परियोजना के क्रियान्वयन के पूर्व की गतिविधियों के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों का चयन, ग्रामीण हाट-पैठों का चयन, स्ट्रेटिजिक एक्सटेंशन प्लान की तैयारी व पुनर्बोध प्रशिक्षण सत्र इत्यादि आयोजित किये गये हैं ।

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जनपदों/विकास खण्डों का चयन निम्नलिखित मानकों को ध्यान में रख कर किया गया है :–

(1) जनपदों/विकास खण्डों की एग्रोइकोलाजिकल अनुकूलताएं ।

(2) चयनित उत्पादों के विपणन की उपलब्ध सम्भावनायें तथा ग्रामीण निर्धन परिवारों के अनुरूप उत्पादन प्रणाली के प्रसार की अनुकूल सम्भावनाओं की उपलब्धता ।

(3) अधिक निर्धनता वाले क्षेत्रों जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखण्ड तथा पर्वतीय अंचल के जनपद जहां ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का प्रसार व प्रभाव अधिक है, का चयन ।

(4) विकास के प्रतिमानों पर लिंग भेद की तीव्रता "अर्थात् पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद जहां महिला श्रम शक्ति का नियोजन पुरुष श्रम शक्ति के नियोजन की तुलना कम है ।" वाले जनपदों का चयन ।

(5) लागत मूल्य में साझेदारी के आधार पर सामग्री व सेवाओं की जनपदों/विकास खण्डों में उपलब्ध मांग ।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की आवश्यकता को देखते हुए व्यावसायिक पैमाने पर औद्यानिक फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु अनुकूल वातावरण की उपलब्धता ।

(7) विकास की भावी सम्भावनाओं वाले जनपद ।

जी हां ।

परियोजना के द्वितीय चरण में वर्ष 1999-2000 मे लागू किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्र सिंह काकरान सेवा निवृत्त, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी जनपद बिजनौर के सेवा निवृत्ति के बाद अवशेषों के भुगतान का मामला

44-श्री राम स्वरूप सिंह–

क्या युवा कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बिजनौर के अन्तर्गत युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल, बिजनौर में वर्ष 1992 में जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए (श्री सुरेन्द्र सिंह काकरान) की समस्त देयकों का भुगतान किये जाने में हुए विलम्ब के कारण ब्याज हेतु दिनांक 12–12–97 को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा ब्याज दिये जाने के संबंध में सचिव, युवा कल्याण, उ०प्र० शासन एवं निदेशक, युवा कल्याण को आदेश हुए थे ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण धनराशि का विलम्ब हेतु ब्याज सहित भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

श्री सुरेन्द्र सिंह काकरान, सेवा निवृत्त, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी की केवल रोकी गई ग्रेच्युटी की धनराशि के विलम्ब से अवमुक्त किये जाने के फलस्वरूप ब्याज के भुगतान के संबंध में समुचित आदेश पारित करने का निर्णय मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 12–12–97 को दिया गया था ।

महानिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल ने अवशेष ग्रेच्युटी पर ब्याज की धनराशि के भुगतान के आदेश दिनांक 24 जून, 1998 को जारी कर दिये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

45–श्री तेजभान सिंह–

[दिनांक 29–1–98 को अता०प्र०सं०–59 द्वारा उत्तरित]

श्री मुहम्मद अली पुत्र फूलबाज, निवासी ग्राम–बलीपुर, खुर्दवां द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत

46–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे गुरुवार हेतु निर्धारित अता०प्र०सं०-29 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन्दर्भित गाटा संख्या सुरक्षित भूमि है ? यदि हां, तो क्या इस पर किसी ने कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां । संदर्भित गाटे पर श्री मुहम्मद अली, पुत्र फूलबाज, निवासी ग्राम बलीपुर खुर्दवां द्वारा कब्जा किया गया था ।

अवैध कब्जेदार के विरुद्ध धारा 122 (बी) जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 के अन्तर्गत वाद योजित कर के दिनांक 25–11–97 को बेदखल कर दिया गया तथा रु० 600.00 क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है ।

47–श्री ओम प्रकाश –

[4थे गुरुवार के लिये स्थगित]

48–श्री कृपा शंकर सिंह–

[दिनांक 29–6–98 को अता०प्र०सं०-94 द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर में स्थित ग्राम पाटन की स्थापना के बाद भवन न बनाये जाने के कारणों की जानकारी

49–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1995 में शासन द्वारा उन्नाव जनपद में पांचवीं तहसील बीघापुर स्थित ग्राम पाटन की स्थापना की गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कई वर्षों से तहसील कार्य एक छोटे से मकान में संचालित हो रहा है ? यदि हां, तो भवन का निर्माण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

तहसील बीघापुर का कार्य वर्तमान में ग्राम छांछीराई खेड़ा में निर्मित एक धर्मशाला के भवन में अस्थाई रूप से सम्पन्न हो रहा है ।

प्रश्नगत भवन निर्माण हेतु राजस्व परिषद् की आख्या/संस्तुति सहित समुचित प्रस्ताव/आगणन/मैप शासन को प्राप्त होने के पश्चात् धन की उपलब्धता की दशा में शासन स्तर से वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के पश्चात् उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

प्रबन्धक दुग्ध विकास, शाहजहांपुर के विरुद्ध प्रकरण की जांच

50–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

क्या दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21–2–95 या इसके आस-पास प्रबन्धक दुग्ध विकास, शाहजहांपुर के विरुद्ध प्रकरण की जांच कराये जाने के संबंध में उनको प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सचिव, दुग्ध विकास को जांच कराकर प्रभावी कार्यवाही किये

जाने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो सचिव, दुग्ध विकास ने उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

मा० मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12–8–95 सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी से दिनांक 8–9–95 को प्राप्त हुआ था ।

सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी ने उक्त पत्र को मा० मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की थी ।

तत्कालीन मा० राज्य मंत्री जी द्वारा सचिव, दुग्ध विकास को आवश्यक कार्यवाही के आदेश दिये गये थे ।

उक्त पत्र दुग्ध आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था । दुग्ध आयुक्त द्वारा मामले की जांच करा ली गई है और प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर उनके द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

51–श्री अजय कुमार पोइया–

[2रे मंगलवार में अता०प्र०सं०–190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

52–श्री अजय कुमार पोइया–

[2रे मंगलवार में अता०प्र०सं०–191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री जगन्नाथ, भूतपूर्व नायब तहसीलदार, मोहनलालगंज द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे का प्रकरण

53–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ के ग्राम माधोखेड़ा के श्री सन्तराम व श्री राम दुलारे पुत्र स्व० श्री प्यारे द्वारा अपनी भूमि गाटा संख्या–219 रकबा 14 विस्वा 5 विस्वांसी को उक्त ग्राम की श्रीमती लक्ष्मी देवी लोधी पत्नी श्री महादेव प्रसाद लोधी के हाथों दिनांक 12–4–1982 को बेचकर उसकी रजिस्ट्री भी उसी दिन करा दी गई थी ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त गाटा संख्या को भू-स्वामियों द्वारा पुनः श्री प्रकाश पुत्र श्री जगन्नाथ जो मोहनलालगंज में उस समय नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे, को दिनांक 6–10–1983 को बेचकर रजिस्ट्री करा दी गई थी । क्या श्री जगन्नाथ भूतपूर्व नायब तहसीलदार द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुये अपने परिवार के नाम ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान व फार्म बना रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त प्रकरणों की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उपरोक्त भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

दिनांक 12–4–82 को दस्तावेज सं० 388/82 के माध्यम से श्री सन्तराम व राम दुलारे पुत्रगण स्व० प्यारे, नि० माधोखेड़ा, मजरा मऊ, मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा गाटा संख्या 219 रकबा 14 बिस्वा 5 बिस्वांसी की रजिस्ट्री श्रीमती लक्ष्मी देवी लोधी पत्नी श्री महादेव प्रसाद लोधी के पक्ष में हुई है ।

जी नहीं । वस्तुतः श्री राम दुलारे पुत्र प्यारे द्वारा श्री प्रकाश पुत्र श्री जगन्नाथ के पक्ष में गाटा संख्या 219 मिनजुमला रकबा 5 विस्वा की रजिस्ट्री दस्तावेज संख्या 140/83 के माध्यम से दिनांक 06–10–83

को कराई गई है । श्री जगन्नाथ प्रसाद, तत्समय नायब तहसीलदार, मोहनलालगंज के पद पर कार्यरत रहे थे जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।

जी नहीं । फार्म ग्राम समाज की भूमि पर नहीं बना है, भूमि सं० 2047 स्थित ग्राम बक्खाखेड़ा, मजरामऊ पुरानी आबादी के रूप में दर्ज है जिसके कुछ भाग पर श्री जगन्नाथ प्रसाद के पुत्रों के भवन की बाउन्ड्री बनाई गई है । यह मकान भूमि सं० 2046 पर है जो श्री जगन्नाथ प्रसाद के परिवार के सदस्यों की संक्रमणीय भूमिधरी है । गाटा सं० 2047 पर बनी बाउन्ड्री के संबंध में बेदखली वाद विचाराधीन न्यायालय तहसीलदार मोहनलालगंज में है ।

जनपद उन्नाव तह० बीघापुर ग्राम पंचायत त्रिपुरारिपुर के अन्तर्गत अनियमित चकों की पुनः पैमाइश विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

54–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा० राज्य मंत्री पंचायती राज के माध्यम से पत्र सं०–वी०आई०पी० 452/रा०मं०/पंचायती राज/98, दिनांक 24–3–98 जनपद उन्नाव, तह०–बीघापुर, ग्राम पंचायत त्रिपुरारिपुर के अन्तर्गत अनियमित चकों की पुनः चक पैमाइश विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15–3–98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

मा० राज्य मंत्री पंचायती राज के माध्यम से प्राप्त पत्र में अंकित श्री महादेव के चक का सहा परीक्षण कराकर भू-अभिलेखों के अनुसार पड़ोसी चकदारों की उपस्थिति में निष्पक्ष पैमाइश करा दी गई है ।

नायब तहसीलदार गौरीगंज सुल्तानपुर द्वारा मुकदमा नं० 603 फर्जी हस्ताक्षर के कारण निरस्त होने विषयक प्रकरण की जांच के संबंध में जानकारी

55–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि नायब तहसीलदार गौरीगंज, सुल्तानपुर ने मुकदमा नं० 603 आदेश दिनांक 14–10–97 को लेखपाल के फर्जी हस्ताक्षर से पत्रावली प्रस्तुत करने के कारण उक्त आदेश निरस्त किया है ? यदि हां, तो उक्त फर्जी हस्ताक्षरयुक्त साक्ष्य किसी ओर से दाखिल किया गया था ? क्या इसकी जांच कर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

वादीगण श्रीमती मिथलेश सिंह पत्नी श्री सुरेश सिंह व श्रीमती राजेश्वरी सिंह, पत्नी श्री अवधेश सिंह, नि० ग्राम हरिहरपुर पर०–अमेठी तहसील गौरीगंज की ओर से दाखिल किया गया ।

वादीगण श्रीमती मिथलेश सिंह पत्नी श्री सुरेश चन्द्र व श्रीमती राजेश्वरी सिंह पत्नी श्री अवधेश सिंह, नि० ग्राम–हरिहरपुर व पैरोकार संतराम तिवारी सुत रामपाल तिवारी पर०–अमेठी के विरुद्ध प्राथमिकी थाना गौरीगंज में दर्ज कराई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परगना कालपी के ग्राम सांजापुर में ग्राम पंचायत की कृषि योग्य परती व बंजर भूमि का पात्र व्यक्तियों में आवंटन

56–श्री श्रीराम पाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के परगना कालपी के ग्राम सांजापुर में ग्राम पंचायत की कृषि योग्य परती व बंजर भूमि का ग्राम के पात्र व्यक्तियों में आवंटन कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद जालौन के परगना, कालपी के ग्राम सांजापुर (शाहजहांपुर) में कृषि हेतु 15.745 हेक्टेयर भूमि का आवंटन उप जिलाधिकारी, कालपी के आदेश दिनांक 24-9-1997 एवं 14.121 हेक्टेयर भूमि का आवंटन उप जिलाधिकारी, कालपी के आदेश दिनांक 30-4-98 द्वारा कर दिया गया है ।

जनपद जालौन की कृषि, उत्पादन मंडी समिति उरई कालपी तथा कोंच में बड़े पैमाने पर फर्जी फार्मों पर कथित बांधली

57–श्री श्रीराम पाल–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन की कृषि उत्पादन मंडी समिति उरई, कालपी तथा कोंच में बड़े पैमाने पर फर्जी फर्मों द्वारा अधिकारियों की मिली भगत से गेट पास बनवा कर कारोबार किया जा रहा है तथा करोड़ों रुपये की बिक्री कर की चोरी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों मण्डियों में कार्यरत फर्मों की वर्ष 1997-98 में किये गये कारोबार की जांच व सत्यापन कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जालौन की तहसील कालपी के अन्तर्गत ग्राम टिकावली में अनुसूचित जाति के लोगों की आबादी हेतु छोड़ी गयी भूमि पर सामान्य जाति के लोगों द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने की जानकारी

58–श्री श्रीराम पाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन की तहसील कालपी के अन्तर्गत ग्राम टिकावली में अनुसूचित जाति के लोगों के लिये चकबन्दी क्रियाओं में आबादी हेतु छोड़ी गयी भूमि पर सामान्य जाति के लोगों द्वारा अनाधिकृत कब्जा करके मकानों का निर्माण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या अब तक उक्त अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद–जालौन की तहसील कालपी के अन्तर्गत टिकावली में गाटा संख्या–681 रकबा 4.59 एकड़ भूमि चकबन्दी प्रक्रियाओं के उपरान्त खलिहान हेतु सुरक्षित की गई थी । उप संचालक चकबन्दी के आदेश दिनांक 24-3-93 के द्वारा इसी आराजी नं० में 2.00 ए० भूमि हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित की गई थी । इस आराजी नं० में कुछ मकान सामान्य जाति के व्यक्तियों द्वारा चकबन्दी प्रक्रियाओं के पूर्व से ही निर्मित थे अनधिकृत अध्यासियों द्वारा उप संचालक चकबन्दी के आदेश दिनांक 24-3-93 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका दायर की गयी । इसी दौरान सामान्य जाति के व्यक्तियों द्वारा दो मकान और निर्मित कर लिये गये, चूंकि इस रिट याचिका में मा० उच्च न्यायालय के

आदेश दिनांक 8-4-93 द्वारा यथा स्थिति बनाये रखने हेतु आदेश दिये गये हैं, अतः अनाधिकृत अध्यासियों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

जनपद मिर्जापुर के ग्राम–धरवासपुर, परगना हवेली तहसील चुनार में स्कूल हेतु सुरक्षित भूमि पर हुए अतिक्रमण की जांच

59–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1998 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम धरवासपुर, परगना हवेली तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर में स्थित स्कूल की भूमि सं० 39 का कुल क्षेत्रफल 15 बिस्वा सुरक्षित है ? जबकि मौके पर 12 बिस्वा से भी कम भू-खण्ड उपलब्ध है ? यदि हां, तो उक्त स्कूल भूमि का अतिक्रमण किसने किया है ? क्या प्रश्नगत प्रकरण में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने स्कूल भूमि का स्थल निरीक्षण किया है ? क्या यह भी सही है कि अपर जिलाधिकारी ने बगैर स्थाई निरीक्षण किये अतिक्रमणकर्ता संग्रह अमीनों से मिली भगत करके सर्वथा असत्य रिपोर्ट प्रेषित की है ? क्या सरकार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उक्त स्कूल भूमि का सीमांकन कराकर अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाने एवं गलत रिपोर्ट प्रेषित कर सदन को गुमराह करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु प्रभावी निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्राइमरी पाठशाला धरवासपुर ग्राम–धरवासपुर, परगना हवेली, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर के स्कूल के भू-खण्ड संख्या–39 का कुल क्षेत्रफल 15 बिस्वा मौके पर सुरक्षित है ।

विद्यालय की भूमि संख्या–39 में कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया है । उक्त विद्यालय भवन एक बिस्वा दस बिस्वांसी क्षेत्रफल में बना है तथा शेष क्षेत्रफल स्थल पर खाली है ।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) ने स्कूल भूमि के स्थल का निरीक्षण नहीं किया बल्कि उक्त स्थल का निरीक्षण उप जिलाधिकारी चुनार से कराया गया था । उक्त आराजी में निरीक्षण के दौरान कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया ।

उक्त स्कूल भवन के स्थल का सीमांकन तहसीलदार चुनार से कराया गया । विद्यालय की भूमि संख्या–39 में कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया है । अतः प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर के ग्राम–धरवासपुर, परगना–हवेली तहसील चुनार में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह प्रधान/चेयरमैन चकबन्दी समिति एवं ग्रामीणों का गलत मालियत लगाने विषयक प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

60–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह प्रधान/चेयरमैन–चकबन्दी समिति ग्राम धरवासपुर, परगना–हवेली, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर एवं ग्रामीणों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 14-5-97 जो पक्की सड़क अम्बेडकर भवन, अकृषिक भूमि (लाठ) का गलत तौर पर मालियत लगाने विषयक है, जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही हेतु संबंधित चकबन्दी अधिकारी अदलहाट को दिनांक 16-5-98 को निर्देश जारी कर दिया गया है । यह मामला वाद सं०–178 अन्तर्गत धारा–9क(2) राजेन्द्र सिंह बनाम सूर्यमुखी देवी न्यायालय चकबन्दी अदलहाट में विचाराधीन है जिसे शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डी० डी० सी० द्वारा स्थलीय निरीक्षण न कराने एवं अनियमितता का निवारण न करने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा चकबन्दी आयुक्त को दिये गये पत्र पर जिलाधिकारी, जिला (उपसंचालक) चकबन्दी मिर्जापुर के कार्यवाही के निर्देश के संबंध में जानकारी

61–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 25-4-97 पर चकबन्दी आयुक्त, उ० प्र० द्वारा पारित आदेश पत्रांक सं०–मेमो/आ०लि०/दिनांक 28-4-97 जिलाधिकारी जिला उप संचालक, चकबन्दी, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में चकबन्दी आयुक्त के निर्देशानुसार अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि चकबन्दी आयुक्त के निर्देश के बावजूद आज की तिथि तक डी० डी० सी० द्वारा न तो स्थल निरीक्षण किया गया है, न ही प्रश्नगत अनियमितता का निवारण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस गम्भीर प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने एवं चक निर्माण के पूर्व सन्दर्भित अनियमितता दूर करने हेतु प्रभावी निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

चकबन्दी आयुक्त ने मामले को वाद संख्या–178 राजेन्द्र प्रसाद बनाम सूर्यमुखी धारा–9–क (2) के तहत न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत चकबन्दी अधिकारी, अदलहाट, मिर्जापुर से निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया है ।

उप संचालक चकबन्दी के निर्देश पर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया, परन्तु प्रकरण चकबन्दी अधिकारी के यहां न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को संबंधित चकबन्दी अधिकारी को जांच हेतु भेजा गया है ।

चूंकि अभी मामला चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है और चकबन्दी अधिकारी की जांच पूरी नहीं हुई है । इसलिये इस समय किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

लम्बित वाद के निस्तारण से पूर्व मामले में दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद इलाहाबाद में मेजा क्षेत्र के ग्राम बडोखर में चकबन्दी के दौरान हुई कथित अनियमिततायें

62–श्री राम कृपाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र मेजा इलाहाबाद में चल रही चकबन्दी बडोखर गांव में व्यापक पैमाने पर जमीनें फर्जी रूप से बांटी गई है ? क्या यह सही है कि उक्त चकबन्दी कराने के लिये न तो गांव सभा ने प्रस्ताव किया है और न ही [illegible] मजिस्ट्रेट मेजा ने इसकी

स्वीकृति दी हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि पट्टेदारों की जमीन को चकबन्दी के दौरान कुछ लोगों ने अपनी पत्नी के नाम करा लिये हैं तथा ग्राम सभा एवं भूदान की भूमि पर भी कम मालियत लगवाकर अच्छी जमीनों पर कब्जा कर लिये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल इसको निरस्त कराकर भूमिहीनों में भूमि बांटी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि बांटी नहीं जाती है अपितु खातेदारों की भूमि का विनिमय अनुपात लगाकर मालियत के अनुसार मूल जोत पर चक प्रदिष्ट किये जाते हैं । विषम परिस्थितियों में कभी-कभी खातादारों को मूल जोत से हटाकर भी चक प्रदिष्ट किये जाते हैं ।

इस ग्राम की चकबन्दी प्रथम चक्र की है । किसी ग्राम को प्रथम चक्र की चकबन्दी कराने हेतु गांव सभा के प्रस्ताव एवं परगनाधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है ।

ग्राम बडोखर में कुल 117 पट्टेदार असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है इनमें से किन 10 पट्टेदारों का उल्लेख किया गया है स्पष्ट नहीं है ।

गांव सभा एवं भूदान की भूमि पर कम मालियत लगाकर चक प्रदिष्ट किये जाने के संबंध में किसी विशेष गाटे का उल्लेख नहीं किया गया है । चकों को चौकोर किये जाने हेतु अगल-बगल के गांव सभा की भूमि की मालियत लगाकर चक चौकोर किये जाने का प्राविधान है ।

चकों में प्रदिष्ट गांव सभा के गाटों की चकों से निरस्त कराकर भूमिहीनों को भूमि बांटने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इसके बदले में खात्रेदारों से की गई कटौती से सार्वजनिक प्रयोजनों में भूमि सुरक्षित करने के उपरान्त बचत के रूप में भूमि छोड़ी जाती है जो भूमिहीनों को बांटी जा सकती है ।

जनपद–अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड कटेहरी के ग्राम-पंचायत बसन्तपुर में प्रस्तावित कृषि भूमि का पट्टा दिये जाने का विवरण

63–श्री धर्मराज निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड कटेहरी के ग्राम पंचायत बसन्तपुर में कृषि भूमि के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को पट्टा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

किसी को भी पट्टा नहीं किया गया है ।

आवंटन की कार्यवाही अनियमित होने के कारण पट्टा नहीं किया गया है ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना में कमिश्नर फैजाबाद द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान बगैर कार्यवाही के न्यायालय में पड़ी पाई गयी पत्रावली के संबंध में तहसीलदार के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

64–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना का दिनांक 2-12-1997 (तहसील दिवस) को कमिश्नर फैजाबाद ने आकस्मिक निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो क्या निरीक्षण के दौरान कोई ऐसी पत्रावली जो तहसीलदार द्वारा काज लिस्ट में निर्णित अंकित किये जाने के बावजूद बिना तारीख कार्यवाही/निर्णय के न्यायालय में पड़ी पाई गयी है ? यदि हां, तो इस संबंध में उक्त तहसीलदार के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

निरीक्षण के दौरान कोई ऐसी पत्रावली नहीं मिली जो काज लिस्ट में निर्णीत अंकित किये जाने के बावजूद बिना तारीख/कार्यवाही के न्यायालय में पड़ी पायी गयी हो परन्तु एक पत्रावली दिनांक 21-1-97 के उपरान्त बिना कोई आगामी तिथि नियत किये हुए पड़ी पाई गयी इसके लिए सम्बन्धित तहसीलदार को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान कर दी गई है ।

जनपद हरदोई की कृषि उत्पादन मण्डी समिति मल्लावां द्वारा प्राप्त धनराशि के व्यय विवरण की जानकारी

65–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में कृषि उत्पादन मण्डी समिति, माधोगंज में वर्ष 1994-95 में तीस लाख रुपये 95-96 में चालीस लाख तथा वर्ष 1996-97 में चालिस लाख रुपये कुल एक करोड़ दस लाख रुपये की आय हुई तथा उक्त मण्डी समिति से उ० प्र० राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् लखनऊ को वर्ष 1994-95 में सत्रह हजार रुपये एवं 1996-97 में उन्चास लाख रुपये भेजे गये । विधान सभा क्षेत्र मल्लावां में कुल कितना रुपया किस मद में मण्डी समिति द्वारा खर्च किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं । मण्डी समिति माधोगंज में वर्ष 94-95 में रु० 31,88,786.86, वर्ष 95-96 में रु० 43,89,532.37 तथा वर्ष 96–97 में रु० 45,29,172.56 इस प्रकार कुल रु० 1,21,07,491.79 (रु० एक करोड़ इक्कीस लाख सात हजार चार सौ इक्यानवे तथा उन्यासी पैसे मात्र) की आय हुई ।

जी नहीं । मण्डी समिति माधोगंज द्वारा उ० प्र०, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, लखनऊ को अंशदान/निर्माण/हैण्ड पम्प हेतु वर्ष 94–95 में रु० 17,52,527.95 (रु० सत्रह लाख बावन हजार पांच सौ सत्ताइस तथा पच्चानबे पैसे मात्र व वर्ष 96–97 में रु० 48,99,923.50 (रु० अड़तालिस लाख, निन्यान्नबे हजार नौ सौ तेइस तथा पचास पैसे मात्र) भेजे गये ।

वित्तीय वर्ष 95 से दिसम्बर, 97 तक विधान सभा क्षेत्र मल्लावां के अन्तर्गत मण्डी निर्माण पर रु० 6.49 लाख, सम्पर्क मार्गों के निर्माण पर रु० 52.76 लाख तथा हैण्ड पम्प स्थापना पर रु० 12.00 लाख कुल रु० 71.70 लाख व्यय किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरांचल दुग्ध विकास विभाग के अन्तर्गत श्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या एवं नियुक्ति विषयक जानकारी

66–श्री लाखी राम जोशी–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुग्ध विकास विभाग के अन्तर्गत उत्तरांचल में कुल रिक्त पदों की श्रेणीवार संख्या क्या है ? क्या उन रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

दुग्ध विकास विभाग के अन्तर्गत उत्तरांचल के कुल रिक्त पदों की श्रेणीवार संख्या निम्नवत् है :–

श्रेणी	रिक्त पद
क	04
ख	09
ग	94
घ	04

लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों का अधियाचन आयोग को भेजा जा चुका है। शेष पदों को भरने की कार्यवाही प्रगति पर है। जो शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

67–श्री अजय कुमार पोइया–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद जौनपुर में आये चक्रवात से हुए नुकसान हेतु दी गयी राहत का विवरण

68–श्री अफजाल अहमद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मई, 98 के पहले सप्ताह में आये चक्रवात से जनपद जौनपुर में काफी नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो कितने लोगों को राहत दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जनपद जौनपुर में मई, 98 के पहले सप्ताह में आये चक्रवात से क्षति हुई है जिसमें 7 व्यक्तियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपये) अनुग्रह सहायता तथा 10 पशुओं की मृत्यु पर रु० 7,500/- नियमानुसार पशु, स्वामियों को अनुग्रह सहायता दी गई है। 15 मकानों के क्षतिग्रस्त होने पर पात्रता के अनुसार 4 गृह स्वामियों को रु० 6,800/- गृह अनुदान तथा 2 परिवार को रु० 2,000/- अहेतुक सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

जनपद अम्बेडकरनगर तहसील अकबरपुर में मछुआ समुदाय को मत्स्य पालन हेतु पट्टा स्वीकृति का विवरण

69–श्री धर्मराज निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के अकबरपुर तहसील में सन् 1996-97 से अब तक कितने मछुआ समुदाय के लोगों को मत्स्य पालन का पट्टा स्वीकृत किया गया ? कितने शेष हैं ? उनको वितरण करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील अकबरपुर में वर्ष 1996-97 से अब तक मछुआ समुदाय के 92 व्यक्तियों को पट्टा स्वीकृत किया गया है। पट्टा सम्बन्धी कोई प्रस्ताव अवशेष नहीं है। 92 व्यक्तियों में से 59 व्यक्तियों को पट्टा (शर्तनामा) जारी किया जा चुका है। शेष कार्यवाही प्रगति पर है।

जनपद फैजाबाद के ग्राम पंचायत गोकुलपुर कस्बा तहसील सदर परगना अमसिन के अनुसूचित जाति को भूमि का पट्टा दिए जाने के सम्बन्ध में जानकारी

70–श्री धर्मराज निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोकुलपुर एवं कस्बा तहसीलदार सदर परगना अमसिन में अनुसूचित जाति को आवासीय एवं कृषि योग्य भूमि का पट्टा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । ग्राम–गोकुलपुर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवासीय, कृषि योग्य भूमि तथा सीलिंग का पट्टा हो चुका है । ग्राम कस्बा में अनुसूचित जाति को आवासीय पट्टा हो चुका है परन्तु कृषि योग्य भूमि का आवंटन शेष है ।

ग्राम कस्बा में कृषि योग्य उपलब्ध 0.727 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु भूमि प्रबन्धक समिति की बैठकें तीन बार बुलाई गईं, परन्तु आपसी पार्टीबन्दी के कारण दो बार कोरम के अभाव में तथा एक बार विवाद हो जाने के कारण कोई प्रस्ताव नहीं पारित हो सका ।

भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि के पट्टे आवंटित करने की प्रक्रिया के रूप में पुनः जानकारी

71–श्री विजय पाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का पट्टों पर जो भूमि आवंटित की गयी थी उन्हें विक्रय करने का अधिकार दिये जाने से अधिकतर पट्टेदारों द्वारा जमीनों की बिक्री कर दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः भूमि पट्टे पर आवंटित करेगी ? यदि हां, तो भूमि आवंटन की प्रक्रिया क्या होगी ? यदि नहीं, तो पट्टेदारों को बिक्री का अधिकार दिये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

शासन स्तर पर ऐसी भूमि बेचे जाने की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

जी नहीं ।

उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 131–ख की उपधारा (3) में यह व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाने के पश्चात् बिक्री द्वारा भूमि का अन्तरण करता है तो वह गांव सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि या उ० प्र० अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम में परिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों को अपनी भूमि का अन्तरण या उसका उपयोग कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु करने, अपने भूमि के संबंध में वसीयत आदि करने का अधिकार प्राप्त नहीं था अतः इस प्रकार भौमिक अधिकार दिये जाने हेतु उन्हें उनकी भूमि पर संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्रदान कराये गये हैं ।

जनपद गोरखपुर-तहसील चौरी चौरा ग्राम परसौनी चकिया में ग्राम समाज की जमीन व पोखरा को बेनामी संगठन को लाभ देने के संबंध में जिलाधिकारी को दिए गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

72–श्रीमती गौरी देवी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी चौरा के ग्राम परसौनी चकिया (अम्बेडकर ग्राम) में ग्राम समाज की बहुमूल्य जमीन व पोखरा (मत्स्य पालन हेतु उपयुक्त) आदि की आराजी नम्बर 117 व अन्य नम्बरों को जिनका क्षेत्रफल लगभग 3 एकड़ है का खुला उल्लंघन करते हुए सतीज्ञान सखेर दास चेला नवरंग दास (बेनामी संगठन अस्तित्व लुप्त संगठन) को धारा 122 बी–4 (एफ) का बिना ग्राम प्रधान भूमि प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव व सरकारी ग्राम समाज के वकील आदि को बिना सुने तहसीलदार चौरी-चौरा ने माह जनवरी से अक्टूबर, 1997 ई० के बीच लाभ दे दिया है ? यदि हां, तो क्या इस दिशा में जिलाधिकारी, गोरखपुर को सम्बोधित पत्र जिसकी

प्रतिलिपि मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री, प्रमुख सचिव, राजस्व, मुख्य सचिव अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, आयुक्त गोरखपुर को अक्टूबर से माह दिसम्बर, 1997 के बीच कितने पत्र प्राप्त हुए हैं ? इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

उप जिलाधिकारी चौरी-चौरा, गोरखपुर के आदेश दिनांक 8-11-96 द्वारा आराजी नं० 117 मि/0.024 हेक्टेयर का बन्दोबस्त धारा 123(1) तथा आराजी नं० 117 मि/०.624 हे० का बन्दोबस्त धारा 122बी (4 एफ) उ०प्र० जमी० विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत सती ज्ञान सरोवर दास चेला नवरंग दास ग्राम चकिया के पक्ष में किया गया है जो नियमानुसार तथा विधिक है ।

उक्त धारा 123(1) एवं 122 बी (4–एफ) के अन्तर्गत बन्दोबस्त किये जाने हेतु ग्राम प्रधान/अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है ।

ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला टिहरी गढ़वाल में दो दुग्ध अधिकारी एक ही पद पर कार्यरत रहने विषयक जानकारी

73–श्री लाखी राम जोशी–

क्या दुग्ध विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला टिहरी गढ़वाल में दो-दो दुग्ध विकास अधिकारी एक ही पद पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

जनपद टिहरी में दुग्धशाला विकास अधिकारी का कोई पद स्वीकृत नहीं है वरन् उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के एक पद के समक्ष वर्तमान में एक अधिकारी कार्यरत है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चन्दौली वि० सभा क्षेत्र चकिया, वि० खण्ड नौगढ़ में ग्राम समाज एवं वन विभाग की आरक्षित भूमि सम्मिलित होने से पट्टा आवंटन में कठिनाई का निवारण करने की मांग

74–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार को ज्ञात है कि चकिया विधान सभा क्षेत्र में स्थित नौगढ़ ब्लाक में वन विभाग का आरक्षित भू-भाग एवं गांव सभा की भू-सम्पत्ति एक में सम्मिलित होने के कारण गांव सभाओं के समक्ष कमजोर वर्गों, भूमिहीनों, दलितों एवं आदिवासियों को पट्टा आवंटन करने में गंभीर विधिक कठिनाई आ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार वन विभाग एवं गांव सभा की भू-सम्पत्ति को तत्काल चिन्हित करने हेतु एक कार्य योजना बनाकर समय सीमा के अन्दर कराने हेतु निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं । प्राप्त सूचनानुसार जनपद चन्दौली के नौगढ़ विकास खण्ड में यद्यपि वन भूमि राजस्व भूमि की अपेक्षा बहुत अधिक है, किन्तु राजस्व भूमि के गाटा सं०, खाता संख्या व मैप पृथक होने के कारण उनका वन विभाग से कोई सीमा सम्बन्धी विधिक विवाद नहीं है । जहां कहीं वन विभाग के पिलर हट जाने के कारण भू-आवंटन में कोई कठिनाई होती है वहां दोनों विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मौके की पैमाइश कराकर दोनों विभागों की भूमियां पृथक कर ली जाती हैं ।

दोनों विभागों की भूमि में कोई विधिक विवाद न होने के कारण भू सम्पत्ति के चिन्हीकरण हेतु कार्य योजना के निर्माण की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद चन्दौली का नाम परिवर्तन एवं जिला मुख्यालय भवन स्थानान्तरित करने विषयक जानकारी

75–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार नवसृजित जनपद चन्दौली का नाम परिवर्तन करने एवं जिला मुख्यालय अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव राजकीय पशु चिकित्सालय चमरौली ब्लाक नवाबगंज में पशु चिकित्सक की नियुक्ति करने की मांग

76–श्री दीपक कुमार–

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय पशु चिकित्सालय चमरौली, ब्लाक नवाबगंज, जनपद उन्नाव में कब से पशु चिकित्सक नहीं है ? क्या जनहित में पशु चिकित्सक की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोरख प्रसाद निषाद–

राजकीय पशु चिकित्सालय, चमरौली ब्लाक नवाबगंज, उन्नाव पर दिनांक 4-9-95 से पशु चिकित्सक तैनात नहीं है ।

जी हां ।

उ० प्र० लोक सेवा आयोग से पशु चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु नव चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध हो गये हैं । इनमें से 12 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति जनपद उन्नाव में की जा चुकी है । इन नव नियुक्त चिकित्सकों में से किसी एक चिकित्सक को पशु चिकित्सालय, चमरौली में तैनात किये जाने हेतु मण्डलीय उप निदेशक, पशुपालन विभाग को निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्व बन्दी गृहों की दशा सुधारने विषयक जानकारी

77–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजस्व बन्दी गृहों की दशा सुधारने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व बन्दी गृहों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए बन्दीगृहों की वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि जहां पहले से बन्दीगृह नहीं हैं या जिन तहसीलों में बन्दीगृह अत्यधिक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गये हैं उनके स्थान पर नये बन्दीगृह बनाये जायें।

इस दिशा में वित्तीय वर्ष 1994-95 में दस तहसीलों में बन्दीगृहों के निर्माण के लिये कुल रुपये 76.40 लाख, वित्तीय वर्ष 1996-97 में दस तहसीलों के लिये कुल रुपये 21.90 लाख, वित्तीय वर्ष 97-98 में दस तहसीलों के लिये रुपये 21.90 लाख एवं वित्तीय वर्ष 1998-99 में प्रथम चार माह के लेखानुदान के आधार पर दस तहसीलों के लिये कुल रुपये 7.30 लाख की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर, तहसील उतरौला में आवासीय/कृषि योग्य भूमि का पट्टा अपात्र व्यक्तियों को देने की जांच एवं उसे निरस्त करने की मांग

78–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला के ग्राम सभा उतरौला में 1-1-94 से 30-4-98 तक किन-किन व्यक्तियों को आवासीय/कृषि योग्य भूमि का पट्टा दिया गया है ? क्या सभी पात्र व्यक्ति हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर अपात्र व्यक्तियों को दिया गया पट्टा निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

दिनांक 1-1-94 से दिनांक 30-4-98 के मध्य तहसील उतरौला के ग्राम सभा उतरौला में कृषि योग्य भूमि का कोई पट्टा नहीं हुआ है ? आवास आवंटनं हेतु कुल 66 व्यक्तियों को पट्टा हुआ है, जिसकी सूची संलग्न है ।

पात्रता के परीक्षणोपरान्त ही पट्टे के प्रस्ताव प्रस्तावित/अनुमोदित किये गये हैं ।

उक्त पट्टेदारों की अपात्रता के संबंध में कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 192–194 पर)

कृषि निदेशालय उ० प्र० लखनऊ के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने की मांग

79–श्री अफजाल अहमद–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय उ० प्र० लखनऊ के अधिष्ठान अनुभाग में कितने तृतीय श्रेणी के कर्मचारी एवं अधिकारी कब-कब से तैनात हैं ? क्या यह सही है कि कुछ कर्मचारी एवं अधिकारी 15-15 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या उनका स्थानान्तरण अन्यत्र किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

कृषि निदेशालय के पांच अधिष्ठान अनुभागों में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी एवं अधिकारी के तैनाती का विवरण निम्नवत् है :—

किस वर्ष से	कर्मचारी/अधिकारी की संख्या
I—लिपिक संवर्ग	
1990	14
1991	7
1992	6
1993	5
1994	11
1995	11
1996	5
1997	15
1998	2
योग–	76
II—लेखा संवर्ग	
1997	2

III–अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2

1987

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती सुखराजी पत्नी मिश्री लाल चमार, निवासी ग्राम हरखपुर कौड़हा तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद का जिला अधिकारी, फैजाबाद को श्री नान्हू द्वारा फर्जी जाति प्रमाण-पत्र बनाकर उसकी जमीन जायदाद हड़पने के संबंध में प्रार्थना-पत्र एवं कार्यवाही

80–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुखराजी पत्नी मिश्रीलाल चमार, निवासी ग्राम हरखपुर कौड़हा तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद ने जिलाधिकारी, फैजाबाद को दिनांक 16-2-93 को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया था कि उसके गांव के निवासी श्री नान्हू ने फर्जी तरीके से अपनी जाति धर्म चमार लिखवाकर हरिजनों को शासन द्वारा प्राप्त सुख-सुविधाओं का उपयोग किया है और उसी आधार पर उसका खानदानी बनकर जमीन जायदाद हड़प लेना चाहता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा उसकी जांच अपने स्तर से करायी और उक्त संबंध में सी० डी० ओ० फैजाबाद को कोई आदेश भी दिया ? यदि हां, तो जिलाधिकारी ने जांच के दौरान शिकायत के आधार पर उक्त संबंध में प्रार्थिनी से व अन्य माध्यमों से कौन-कौन से साक्ष्य प्राप्त किये और क्या आदेश किया ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर एवं देहरादून स्पोर्ट्स कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सेवानियमावली की समस्त अर्हताएं पूरी न करने पर उन्हें हटाकर अर्ह अधिकारी की नियुक्ति करने की मांग

81–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्पोर्ट्स कालेज के प्रधानाचार्य की सेवा नियमावली में क्या अर्हताएं हैं ? क्या गोरखपुर एवं देहरादून स्पोर्ट्स कालेज के प्रधानाचार्य सेवा नियमावली के अनुसार प्रधानाचार्य के पद की समस्त अर्हताएं पूरी करते हैं यदि नहीं, तो इनकी तैनाती किस आधार पर हुई ? क्या सरकार स्पोर्ट्स कालेज के प्रधानाचार्य के पद से अनर्ह अधिकारी को हटाकर अर्ह अधिकारी को तैनात करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

सीधी भर्ती हेतु निम्न अर्हताएं हैं :–

1–सेकेण्ड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ।

2–डिग्री/डिप्लोमा इन टीचिंग या कम से कम 10 वर्ष का टीचिंग अनुभव ।

3–राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी ।

4–10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव ।

5–आयु 35 से 45 वर्ष विशेष दशा में अधिकतम आयु 52 वर्ष तक ।

प्रतिनियुक्ति के आधार पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

82–श्री विजय पाल सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

83–श्री रमेश राही–

[दिनांक 29-6-98 को अता० प्र० सं०–117 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की जिलेवार संख्या एवं शराब निर्माण प्रकरण की जांच तथा मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता देने के संबंध में जानकारी

84–श्री राम सिंह सैनी–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 1998 से 30 मई, 1998 तक उ० प्र० में किस-किस जिले से कितने लोग जहरीली शराब पीकर मरे हैं ? क्या इस जहरीली शराब के निर्माण के प्रकरण की कोई जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मृतक के परिवार वालों को कोई आर्थिक सहायता भी दी गयी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जनवरी, 1998 से 30 मई, 98 के मध्य उ० प्र० के जनपद सहारनपुर में 9, बरेली में 20, वाराणसी में 5 तथा कुशीनगर में 31 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब अवैध शराब के अड्डों से लेकर सेवन करने से हुयी ।

जी हां । कथित जहरीली शराब में इथाईल अल्कोहल के साथ मिथाइल अल्कोहल, जो घातक विष है, का मिश्रित होना प्रकाश में आया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली में 6 मृतक आश्रित परिवारों को रु० 10,000 प्रति परिवार तथा जनपद कुशीनगर में 29 मृतक आश्रित परिवारों को रु० 10,000 प्रति परिवार की दर से आर्थिक सहायता जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ।

85–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

[दिनांक 1-7-98 को अता० प्र० सं०–180 द्वारा उत्तरित]

जनपद बलरामपुर वि० खण्ड पचखेड़ा में थारू जनजाति योजनान्तर्गत भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की मजदूरी का भुगतान कराने के संबंध में जानकारी

86–श्री विश्वनाथ–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थारू जनजाति योजनान्तर्गत भूमि संरक्षण विभाग द्वारा जिला बलरामपुर के विकास खण्ड पचखेड़ा में वर्ष 1996-97 में कराये गये कार्यों की मजदूरी का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां, अंशतः भुगतान किया गया है ।

धन अभाव के कारण अवशेष मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा सका । धनराशि की व्यवस्था होने पर भुगतान कर दिया जायेगा ।

जनपद गोण्डा तहसील मनकापुर उप जिलाधिकारी द्वारा अपात्र व्यक्तियों को दिए गये पट्टे की जांच पर कार्यवाही की मांग

87–श्री राम विशुन आजाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील मनकापुर, जनपद गोण्डा में वर्ष 1990 से मार्च, 1998 तक कितने पट्टे उप जिलाधिकारी मनकापुर द्वारा बिना प्रक्रिया पूर्ण किये हुए किये गये हैं ? जिन

लोगों को पट्टा दिया गया है क्या वे पात्रता की श्रेणी में आते हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच करवा कर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, ती क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

कोई नहीं ।

जिन लोगों को पट्टा दिया गया है वे पात्रता की श्रेणी में आते हैं । ग्राम अम्बरपुर में सीलिंग भूमि के 14 अपात्र पाये गये व्यक्तियों के पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही मण्डलायुक्त, फैजाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है ।

दोषी पाये गये लेखपाल को निलम्बित किया गया तथा राजस्व निरीक्षक को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई ।

उप निदेशक पशुपालन विभाग लखनऊ मण्डल द्वारा की गई नियुक्तियां एवं सेवा समाप्त प्रकरण पर मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर बहाल करने की मांग

88–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग लखनऊ मण्डल में उप निदेशक द्वारा माह जून, 1997 में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कुल कितनी नियुक्तियां की गई थीं ? क्या यह सही है कि इन नियुक्तियों में से कुछ कर्मचारियों की सेवायें उनकी तैनाती हो जाने के पश्चात् समाप्त कर दी गई हैं ? यदि हां, तो इनकी सेवायें किसके आदेशों से तथा किन कारणों से समाप्त की गई है ? क्या यह भी सही है कि इन कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेन्च लखनऊ द्वारा स्थगनादेश पारित किये जाने के बावजूद भी अभी तक उन्हें सेवा में बहाल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि इन कर्मचारियों को बहाल किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोरख प्रसाद निषाद–

उप निदेशक, पशुपालन विभाग, लखनऊ मण्डल द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर माह जून, 97 में कुल 42 नियुक्तियां की गई थी ।

जी हां । उपर्युक्त सभी 42 नियुक्तियां समाप्त कर दी गई है ।

नियुक्तियों पर रोक लगे होने के बावजूद, अनियमित प्रक्रिया से नियुक्तियां किए जाने के कारण, शासन के आदेश पर समाप्त की गई हैं ।

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय से प्राप्त स्थगनादेशों को रिक्त कराये जाने हेतु शपथ-पत्र/प्रार्थना-पत्र उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए गये हैं ।

प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद कानपुर सहकारी दुग्ध विकास संघ लि० के महाप्रबन्धक द्वारा उनके कार्यकाल में की गई अनियमितताओं की जांच के संबंध में विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

89–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर सहकारी दुग्ध विकास संघ लि० में महाप्रबन्धक के पद पर कार्यरत रहे श्री एस० सी० गुप्ता द्वारा उनके सेवाकाल में बरती गई अनियमितताओं की शिकायतों के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-5-98 दुग्ध आयुक्त, उत्तर प्रदेश को

प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र पर बिन्दुवार कब तथा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

जी हां ।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित अनियमितताओं की जांच हेतु पी० सी० डी० एफ० द्वारा दिनांक 16-6-98 को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है ।

जांच प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

कानपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अनियमितता के संबंध में जारी नोटिस में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

90–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या दुग्ध विकास मंत्री को जानकारी है कि कानपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के परिपालन में अनियमितता के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कोई नोटिस संख्या–का/निरी–4/21-0745-02/95, दिनांक 25 जुलाई, 1995 जारी की गई थी ? यदि हां, तो इस पूरे प्रकरण में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नोटिस संख्या–का/निरी–4/21-0745-02/95, दिनांक 24 जुलाई, 1995 (न कि 25 जुलाई, 1995) जारी की गयी थी । दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, कानपुर द्वारा उक्त नोटिस का उत्तर दिनांक 9-10-95 को दिया गया था । इसके पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिनांक 3-11-95 को रु० 14,916.00 की वसूली हेतु जारी वसूली आदेश के विरुद्ध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, कानपुर ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/जज ई० आई० कोर्ट, कानपुर से वसूली स्थगन प्राप्त कर रखा है । उक्त वाद अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

कानपुर सहकारी दुग्ध विकास संघ लि० में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में भारतीय दुग्ध उत्पादक सहकारी मजदूर संघ के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

91–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर सहकारी दुग्ध विकास संघ लि० में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में भारतीय दुग्ध उत्पादक सहकारी मजदूर संघ कानपुर का मुख्य मंत्री को संबोधित शिकायती-पत्र दिनांक 14-10-97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गई तथा कब ? यदि नहीं, तो अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

प्रश्नगत शिकायती-पत्र दिनांक 14-10-97 पी० सी० डी० एफ० में दिनांक 18-12-97 को प्राप्त हुआ था परन्तु उक्त शिकायती-पत्र काफी खोजबीन के उपरान्त भी उपलब्ध न हो सकने के कारण भारतीय दुग्ध उत्पादक सहकारी मजदूर संघ, कानपुर से सम्पर्क कर शिकायती-पत्र की प्रति दिनांक 19-6-98 को प्राप्त की गयी है ।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच पी० सी० डी० एफ० के प्रबन्धक श्रेणी–1 के अधिकारी से करायी जा रही है और जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बस्ती के श्री रामाराम पुत्र गंगा निवासी ग्राम त्रिलोकपुर तहसील हर्रैया की आवंटित भूमि पर अवैध भवन निर्माण पर रोक

92–श्री राम नक्षत्र–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे गुरुवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–72 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुम्हारी कला के लिये भूमि आवंटन की क्या शर्तें हैं ? क्या इस उद्देश्य के लिये आवंटित भूमि पर भवन निर्माण कार्य की छूट दी गई है तथा क्या मेन रोड के किनारे की समतल भूमि के प्लाट का आवंटन कुम्हारी कला हेतु किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार शर्तों की अवहेलना करने पर उक्त अवैध निर्माण को हटाने तथा आवंटन निरस्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

कुम्हारी कला के लिये भूमि आवंटन की निम्न शर्तें हैं :–

(1) इस पट्टे की भूमि का उपयोग केवल कुम्हारी कला के लिये मिट्टी निकालने हेतु किया जायेगा ।

(2) पट्टेदार किसी भी व्यक्ति को सिंचाई के लिये पानी लेने अथवा अन्य किसी परम्परागत सामुदायिक उपयोग से मना नहीं करेगा ।

(3) पट्टा में यह भी अंकित किया जायेगा कि यदि पट्टेदार द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया जायेगा तो उसका पट्टा निरस्त किया जा सकता है ।

जी नहीं । जहां कुम्हारी कार्य हेतु उपयुक्त चिकनी मिट्टी उपलब्ध हो उसका आवंटन कुम्हारी कार्य में लगे हुये व्यक्तियों/परिवारों को किया जाता है ।

पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकता है । प्रश्न में उक्त अवैधानिक निर्माण स्पष्ट नहीं है ।

प्रकरण के प्रकाश में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

जनपद इलाहाबाद से वाराणसी तक जाने वाली वरुणा नदी की सफाई हेतु ऊसर सुधार निगम द्वारा स्वीकृत धनराशि

93–श्री जोखू लाल यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऊसर सुधार निगम द्वारा विकास खण्ड फूलपुर जनपद इलाहाबाद से होकर वाराणसी तक जाने वाली स्थानीय वरुणा नदी (बरना नदी) की सफाई हेतु वर्ष 1997-98 में कितनी धनराशि आवंटित हुयी है ? उस धनराशि से कब तक सफाई कार्य कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

वरुणा नदी की सफाई हेतु वर्ष 97-98 में कोई धनराशि भूमि सुधार निगम द्वारा आवंटित नहीं की गयी है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर तहसील अकबरपुर ग्राम जैनापुर में टोंस नदी में अवैध रूप से दिए गये श्मसान घाट के पट्टों को निरस्त करने की मांग

94–श्री रामदेव आचार्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा श्मसान घाट को पट्टा दिये जाने का कोई प्राविधान है ? यदि नहीं, तो जनपद अम्बेडकर नगर, तहसील अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम जैनापुर थाना सम्मनपुर–सिकन्दरपुर में टोंस नदी के किनारे क्या श्मसान घाट का पट्टा दिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? क्या सरकार इस अवैध तरीके से दिये पट्टे को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

95–श्री उबैदुर्रहमान–

[4थे बुधवार में अता० प्र० सं०–176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रयोगशाला सहायक मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र के वेतन विसंगतियों को दूर करने के मा० उच्च न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन कराने विषयक जानकारी

96–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रयोगशाला सहायक पशुपालन विभाग का वेतनमान सम्पूर्ण प्रदेश में 1400–2600 रु० है ? यदि हां, तो पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान 1200-2040 रु० क्यों है ? क्या माननीय उच्च न्यायालय ने प्रयोगशाला सहायक मैदानी क्षेत्र एवं पर्वतीय क्षेत्र के वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने हेतु आदेश पारित किया है ? यदि हां, तो उसका कार्यान्वयन अब तक न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री गोरख प्रसाद निषाद–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महाराजगंज तहसील फरेन्दा व नौतनवां में सूखे से प्रभावित खरीफ की फसल की क्षतिपूर्ति/आर्थिक सहायता वितरण कराने के संबंध में जानकारी

97–श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महाराजगंज में तहसील फरेन्दा व नौतनवां में इस वर्ष (धान) खरीफ की फसल 80 प्रतिशत सूखे से प्रभावित थी ? क्या जिलाधिकारी, महराजगंज की आख्या भी शासन में इसी संदर्भ में लम्बित है ? क्या शासन सूखे से बरबाद फसलों की क्षतिपूर्ति/आर्थिक सहायता किसानों में वितरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं । गत खरीफ (धान) की फसल में महराजगंज जनपद में सूखे की स्थिति नहीं थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ललित कला केन्द्र लखनऊ के कार्यशालाओं में कलाकारों के प्रवेश प्रक्रिया के नियमों में परिवर्तन के कारण एवं उसके समाधान के संबंध में जानकारी

98–श्री समरपाल सिंह–

क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित ललित कला केन्द्र के कार्यशालाओं में कलाकारों के प्रवेश प्रक्रिया के नियमों में कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्या और क्या इस परिवर्तन से कलाकारों में रोष है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है एवं क्या उक्त कारण का समाधान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री फागू चौहान–

लखनऊ स्थित ललित कला केन्द्र, केन्द्रीय ललित कला अकादमी, नई दिल्ली की इकाई है, जो उत्तर प्रदेश शासन के सांस्कृतिक विभाग के नियंत्रणाधीन नहीं है ।

जनपद बलरामपुर कृषि उत्पादन मण्डी समिति उतरौला द्वारा कतिपय मार्गों के लेपन कार्य के संबंध में विधायक के पत्र पर कार्यवाही

99–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति उतरौला के संबंध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 5-7-97 को निदेशक, मण्डी परिषद् को हाटन रोड से सिंगारजोत/हाशिमपारा से झिगना घाट आसाम रोड से छितरपारा होते हुए गैण्डास बुजुर्ग विकास खण्ड मुख्यालय तक लेपन स्तर तक का कार्य कराने का प्रस्ताव दिया था ? उसका आगणन बनाया गया था और धनाभाव के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया ? यदि हां, तो प्रस्तावित सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डी समिति उतरौला से प्रश्नगत निर्माण विषयक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

जिला परिषदों में टीकाकार पद पर कार्यरत कर्मचारियों को राज्य स्तर के टीकाकारों के समान वेतन देने विषयक जानकारी

100–श्री विजय पाल सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों में टीकाकार के पदों पर कार्यरत कर्मियों को क्या राज्य स्तर के टीकाकारों के समान वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं ।

जिला पंचायत के कार्यरत कर्मी राजकीय कर्मी नहीं है ।

जनपद आगरा तहसील फतेहाबाद वि० खण्ड शमसाबाद ग्राम पंचायत लुहारी की आबादी हेतु छूटी भूमि का विवरण

101–श्री विजयपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद में विकास खण्ड शमसाबाद की ग्राम पंचायत लुहारी (इरादतनगर) खाता सं०–15, 17, 40, 238,76,458 की जमीन आबादी के विस्तार के लिये छूटी हुयी थी ? क्या यह सही है कि परगना अधिकारी व तहसीलदार आदि द्वारा वर्ष 1995-96 में कृषि कार्य हेतु आवण्टित कर दी गयी ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

खाता सं०–15, 17, 40, 238, 76 संक्रमणीय भूमिधर काश्तकारों के नाम है तथा 458 नम्बर का कोई खाता खतौनी में नहीं है । अतः इन खातों की भूमि के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर तह० उतरौला में ग्राम पंचायत के तालाब का पट्टा प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव से अपात्र व्यक्तियों को दिये जाने की जांच

102–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत तहसील उतरौला में 1-1-95 से 30-4-98 के बीच में किस-किस पात्र व्यक्तियों को किस ग्राम पंचायत में तालाब का पट्टा भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव से स्वप्रेरणा पट्टा दिया गया ? क्या सरकार जांचोपरान्त अपात्र व्यक्तियों का दिया गया पट्टा निरस्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव से दिनांक 1-1-95 से 30-4-98 तक तहसील उतरौला की 28 ग्राम पंचायतों में 57 पात्र व्यक्तियों को तालाब का पट्टा आवंटित किया गया है जिसका विवरण संलग्न है ।

आवंटन के पूर्व जांचोपरान्त ही पट्टे की स्वीकृति दी गई है । फिर भी यदि कोई अपात्र व्यक्ति के पक्ष में आवंटन का मामला प्रकाश में आयेगा तो पट्टे के निरस्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ पर 195–197 पर)

ग्राम समाज की भूमि में धांधली आदि विषयक श्री सत्यनाम सिंह ग्राम पूरे भग्गू सिंह पो० इयोढ़ी जिला फैजाबाद द्वारा चकबन्दी आयुक्त आदि को दिये गये पत्र पर जांच कराने विषयक जानकारी

103–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी आयुक्त, उ० प्र०/जिलाधिकारी, फैजाबाद/बन्दोबस्त अधिकारी फैजाबाद/उपसंचालक चकबन्दी, फैजाबाद को संबोधित श्री सत्यनाम सिंह, ग्राम–पूरे भग्गू सिंह, पो०–इयोढ़ी, जिला फैजाबाद का रजि० प्रार्थना-पत्र दि० 21-2-97 जिसमें ग्राम पूरे भग्गू सिंह की ग्राम समाज की भूमि को कम मालियत लगाना, सुरक्षित भूमि को तालाब में छोड़ना, मालियत लगाने में धांधली करने, मूल नम्बरों वाले खातेदारों को अन्यत्र चक देने की गंभीर शिकायतें हैं, प्राप्त हुआ है ?

यदि हां, तो इस शिकायत की जांच की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बिन्दुवार जांच आख्या सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

एतद्विषयक प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-2-97 एवं 20-2-97 प्राप्त हुए हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच आख्या में पायी गई त्रुटियों के निराकरण के उद्देश्य से संदर्भ संख्या–49 सत्यनाम सिंह बनाम चन्द्रभान सिंह आदि धारा–48 (3) जो चकबन्दी अधिनियम जिला उप संचालक चकबन्दी के न्यायालय में विचाराधीन है । जांच आख्या इस मुकदमें का अंग है । मुकदमें के लम्बित रहने के दौरान मामले में टिप्पणी करना उचित नहीं है ।

जनपद आगरा तह० फतेहाबाद ग्राम पंचायत धनौला कलां के किसानों की भूमि पर वन विभाग द्वारा किए गये कब्जे से मुक्त कराने की मांग

104–श्री विजय पाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद ग्राम पंचायत धनौला कलां के कुछ किसानों की जमीन पर वन विभाग द्वारा वर्षों से कब्जा है परन्तु लगान किसानों से वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त जमीन पर किसानों को कब्जा दिलाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं । ग्राम धनौला कलां, परगना व तहसील–फतेहाबाद, आगरा के किसी काश्तकार की जमीन पर वन विभाग का कब्जा नहीं है । अतः अनियमित रूप से लगान वसूल किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में भूमि सुधार हेतु कार्यरत इकाईयों को योजनाओं हेतु उपलब्ध धनराशि से तहसीलवार कार्य कराने के संबंध में जानकारी

105–श्री विजय पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत भूमि सुधार हेतु कुल कितनी इकाई कार्यरत हैं ? वर्ष 1996-97 व 1997-98 में कुल कितना धन उक्त इकाइयों को किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है ? उक्त धन से तहसीलवार क्या-क्या कार्य कराये गये हैं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जनपद आगरा के अन्तर्गत भूमि एवं जल संरक्षण हेतु वर्तमान में कुल 5 इकाईयां कार्यरत हैं ।

वर्ष 1996-97 व 97-98 में उक्त इकाइयों को कुल उपलब्ध करायी गयी धनराशि क्रमशः 177.78 लाख एवं 672.55 लाख रुपये हैं और यह धनराशि राष्ट्रीय जलागम योजना, दस लाख कूप योजना,

जवाहर रोजगार योजना, परती भूमि विकास योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना एवं नाबार्ड योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी है ।

उक्त धन से तहसीलवार निम्न कार्य कराये गये हैं :–

क्र०सं०	तहसील का नाम	कराये गये कार्यों का विवरण
1	खेरागढ़	कन्टूर बन्ड, चेकडैम, पेरीफेरल बांध, समतलीकरण, सिंचाई नाली, एवं चकरोड ।
2	सदर आगरा	---तदैव---
3	बाह	कन्टूर बन्ड, चेकडैम, पेरीफेरल बांध, मार्जिनल बांध, समतलीकरण ।
4	फतेहाबाद	कन्टूर बन्ड, चेकडैम, पेरीफेरल बांध, मार्जिनल बांध, समतलीकरण एवं पक्की संरचनायें ।

शासनादेश के अनुसार दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों एवं रिक्त पदों की सूचना अनुसार समाप्त होने वाली कृषि योजनाओं के दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में जानकारी

106–श्री रामतेज यादव एडवोकेट, डा० अशोक बाजपेयी तथा श्री पीतम राम–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं०–2/1/97–का०–2/1998 दिनांक 8 मई, 1998 द्वारा रिक्त पदों की सूचना एवं दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का संकलन संबंधी सूचना जो कि समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ० प्र० शासन से दिनांक 31 मई, 1998 तक मांगी गयी है, के अन्तर्गत क्या कृषि विभाग से भी सूचना संकलित होनी है ? यदि हां, तो नियमितीकरण की कार्यवाही कब तक पूर्ण की जायेगी ? क्या भविष्य में समाप्त होने वाली कृषि योजनाओं में वर्तमान में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों को भी नियमित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

कार्मिक विभाग की नीति के अनुसार ।

कार्मिक विभाग की नीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि निदेशालय की भांति जनपद/मण्डल स्तर के कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रिक्त होने वाले पदों पर नियमित करने की मांग

107–श्री रामतेज यादव एडवोकेट तथा श्री पीतम राम–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों (लिपिक/चतुर्थ श्रेणी) में से मात्र कृषि निदेशालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ही नियमित करने की कार्यवाही की जा रही है ? क्या जनपद स्तर से कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी नियमित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जनपद/मण्डल स्तर के कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी कृषि निदेशालय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की ही भांति रिक्त होने वाले पदों पर नियमित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जनपद स्तर/मण्डल स्तर के कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कार्मिक विभाग द्वारा बनाई जा रही नीति के अनुसार नियमित करने की कार्यवाही की जायेगी ।

108–श्री बाबू लाल कुशवाहा–

[दिनांक 1-7-98 को अता० प्र० सं०–181 द्वारा उत्तरित]

जनपद जालौन के गृह खण्ड विकास क्षेत्र में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

109–श्री श्रीरामपाल–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत अधिकारियों को गृह खण्ड विकास क्षेत्र में तैनाती बनाये रखने हेतु सरकार द्वारा कोई निर्णय किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो जनपद जालौन के सभी खण्ड विकास क्षेत्रों में ऐसे कितने ग्राम पंचायत अधिकारी हैं जो गृह विकास खण्ड क्षेत्रों की न्याय पंचायतों में कार्यरत हैं ? क्या उनको गृह खण्ड विकास क्षेत्रों की न्याय पंचायतों से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं ।

सम्प्रति जनपद जालौन के किसी भी विकास खण्ड में कोई भी ग्राम पंचायत अधिकारी अपने गृह विकास खण्ड में तैनात नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन ग्राम गधेला कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के सांड़ सेवकों के बकाया वेतन का भुगतान कराने के संबंध में जानकारी

110–श्री श्रीरामपाल–

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर साड़ों की देख-रेख करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो जनपद जालौन में ग्राम गधेला केन्द्र पर कार्यरत सांड़ सेवक श्री कृष्ण को 18 माह का तथा उसके स्थान पर दूसरे कार्यरत कर्मचारी बृजभान को 14 माह का वेतन दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोरख प्रसाद निषाद–

बजट की उपलब्धतानुसार दैनिक श्रमिकों का वेतन भुगतान किया जा रहा है ।

(1) श्री कृष्ण, दैनिक श्रमिक को 18 माह का भुगतान किया जा चुका है । अन्तिम भुगतान 31-3-94 को किया गया है ।

(2) श्री बृजभान, दैनिक श्रमिक को 14 माह का वेतन भुगतान बजट उपलब्ध न होने के कारण अभी नहीं किया गया है ।

प्रदेश में कच्ची शराब को कुटीर उद्योग का दर्जा देने विषयक जानकारी

111–श्री राम विशुन आजाद–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कच्ची शराब बनाने को कुटीर उद्योग का दर्जा देने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी नहीं ।

अवैध एवं गैर कानूनी ढंग से कच्ची शराब के निर्माण को कुटीर उद्योग का दर्जा दिया जाना न तो जनस्वास्थ्य की दृष्टि से और न ही नैतिकता की दृष्टि से उचित है ।

श्री रामयज्ञ विश्वकर्मा चकबन्दी लेखपाल जनपद आजमगढ़ पो० मधसिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

112–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सिगासन यादव ग्राम पो० मधसिया जनपद आजमगढ़ के द्वारा श्री रामयज्ञ विश्वकर्मा चकबन्दी लेखपाल (तत्कालीन) के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र मा० राजस्व मंत्री जी/राज्य मंत्री जी तथा आयुक्त, चकबन्दी को भेजा था ? क्या चकबन्दी आयुक्त ने अपने पत्र सं०–123 प० सं० 14/97 दिनांक 11-6-97 एवं पत्र सं०–125/प०सं० 14/97 दिनांक 17-6-97 एस० ओ० सी०/डी० डी० सी० आजमगढ़ से आख्या मांगी थी ? यदि हां, तो क्या जांच आख्या प्राप्त हुयी है ? उक्त कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां।

जी हां ।

श्री रामयज्ञ विश्वकर्मा, चकबन्दी लेखपाल दोषी पाये गये जिनके विरुद्ध निदेशालय के पत्र दिनांक 19-1-98 द्वारा विभागीय कार्यवाही किये जाने के लिए सक्षम अधिकारी बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, आजमगढ़ को निर्देश दिये गये ।

जनपद आजमगढ़ ग्राम मधसिया में चकबन्दी प्रक्रिया में धांधली के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

113–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मधसिया जनपद आजमगढ़ में चकबन्दी प्रक्रिया में हुयी धांधली के संबंध में वहां के निवासियों का पत्र मा० राजस्व मंत्री, प्रमुख सचिव, राजस्व एवं चकबन्दी आयुक्त को दिया गया था ? क्या उक्त प्रकरण की जांच मुख्यालय के संयुक्त निदेशक द्वारा करके दिनांक 12-11-97 को जांच आख्या प्रेषित की गयी ? यदि हां, तो उक्त आख्या के आधार पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

इस मामले में दोषी चकबन्दी लेखपाल एवं चकबन्दीकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं। दोषी पाये गये सहायक चकबन्दी अधिकारी दिनांक 31-1-95 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की अनुमति दी जा चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ चकबन्दी सरकिल तहबरपुर के कार्यालय को तहबरपुर या तहसील मुख्यालय निजामाबाद में करने के संबंध में सदस्य विधान परिषद् के पत्र पर कार्यवाही

114–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी सरकिल तहबरपुर आजमगढ़ के कार्यालय को तहबरपुर या तहसील मुख्यालय निजामाबाद आजमगढ़ करने के संबंध में श्री बृजभूषण सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान परिषद् का दिनांक 3-10-97 का पत्र मा० राजस्व मंत्री जी को दिया गया था, प्राप्त हुआ ? राजस्व मंत्री जी ने अपने पत्र सं०–वी० आई० पी० 263 दिनांक 13-10-97 के द्वारा चकबन्दी, आयुक्त को तत्काल कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जी हां।

उक्त पत्र पर जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी आजमगढ़ को जांच कर समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

भूमि संरक्षण विभाग इकाई महोली जनपद सीतापुर द्वारा कराये गये कार्यों में की गई अनियमितता की जांच

115–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि संरक्षण विभाग इकाई महोली जनपद सीतापुर द्वारा पिछले वर्ष 1997-98 में कौन-कौन सा कार्य कराया गया है ? उक्त कार्यों में हुई अनियमितता की जांच क्या सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

भूमि संरक्षण इकाई महोली जनपद सीतापुर द्वारा वर्ष 97-98 में समोच्चरेखीय मृदा बांध, वानस्पतिक सहित समोच्चरेखीय मृदा बांध, उद्यानीकरण, कृषि वानिकी, पेरीफेरल बांध, मार्जिनल बांध, अवरोध बांध, एस० डी० एस०/डब्लू० एच० एस० भूमि विकास, जल निकास प्रबन्ध कार्य, जल निकास निर्माण एवं पक्की संरचनाओं का कार्य कराया गया है।

अभी तक प्रकाश में आयी अनियमितताओं की जांच करायी गयी है।

चकबन्दी आयुक्त उ० प्र० लखनऊ को मा० मुख्य मंत्री के पृष्ठांकन आदेश के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

116–श्री ददू प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-6-97 चकबन्दी आयुक्त, उ० प्र० लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री के पृष्ठांकन आदेश–एम्–1/55-64/बांदा/97 के अनुपालन में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जांच कराई गई जिसमें कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद छत्रपति शाहू जी महाराजनगर के ग्राम रैपुरा में अनुसूचित जाति के लोगों को आवासीय पट्टे पर कब्जा दिलाने के संबंध में विधायक के पत्र पर कार्यवाही

117–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराजनगर को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 जुलाई, 1997 उसमें माननीय मुख्य मंत्री के पृष्ठांकन आदेश एम०–1/102-70/बांदा/97, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में ग्राम रैपुरा में अनुसूचित जाति के लोगों को आवासीय पट्टे पर कब्जा दिलाने हेतु था, पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीरन्द्र सिंह सिरोही– .

जी हां ।

तहसील कर्वी से प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1994 में ग्राम रैपुरा, जनपद–छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में दिनांक 3-10-1994 को 19 व्यक्तियों को आवासीय पट्टे स्वीकृति किये गये थे जिसमें 14 अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे । अनुसूचित जाति के 14 व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों को गाटा सं०–1692 में तथा 12 व्यक्तियों को गाटा सं०–1546/3 में भूमि आवंटित की गई है । गाटा सं०–1602 में दोनों पट्टेदारों के आवास बने हुए है और उनमें कोई विवाद नहीं है । गाटा सं०–1546/3 के संबंध में स्वत्व का वाद अन्तर्गत धारा 229 (बी) उ० प्र० जमी० विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 परगनाधिकारी कर्वी के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित हैं । अतः फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही की जानी संभव नहीं है ।

निदेशक मण्डी परिषद द्वारा सम्पर्क मार्गों का वित्तीय स्वीकृति से निर्माण कराने की मांग

118–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पृष्ठांकन आदेश मु० अभियन्ता/97-1661 दिनांक 30 मई, 1997 द्वारा 22 नग सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु रुपये 219.33 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृत निदेशक, मण्डी द्वारा प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मार्गों का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

उपरोक्त में से पांच नग सम्पर्क मार्ग निर्माणाधीन है, शेष 17 नग सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है ।

जी हां, केवल पांच नग सम्पर्क मार्गों का ।

प्रश्न में सन्दर्भित सम्पर्क मार्गों में से 17 नग मार्गों का निर्माण कार्य सम्भव नहीं है, क्योंकि मण्डी समिति/मण्डी परिषद में उपलब्ध धन के सापेक्ष अधिक उत्तरदायित्व सृजित हो जाने के कारण ऐसे स्वीकृत कार्यों को जो अभी आरम्भ नहीं हुए थे तथा जिन पर धनराशि व्यय नहीं हुयी है, को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

119–श्री दद्दू प्रसाद–

[दिनांक 26-6-98 को अता० प्र० सं० 179 द्वारा उत्तरित]

120–श्री मुरलीधर–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद शाहजहांपुर उद्यान विभाग के फल संरक्षण केन्द्र में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का बकाया वेतन भुगतान कराने के सम्बन्ध में जानकारी

121–श्री मुरलीधर–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान विभाग के फल संरक्षण केन्द्र शाहजहांपुर में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं ? उनमें से कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को माह अप्रैल, 1995 से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? क्या इन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को अविलम्ब वेतन भुगतान कराये जाने हेतु आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण–

फल संरक्षण केन्द्र, शाहजहांपुर में चतुर्थ श्रेणी (परिचर) के पदों पर तीन कर्मचारी कार्यरत हैं ।

इन सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का भुगतान माह अप्रैल, 1995 से किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

122–श्री मुरलीधर–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद महामाया नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव

123–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद महामाया नगर में जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो चुनाव कब तक कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

नवसृजित जिला पंचायत, महामायानगर के उपाध्यक्ष का चुनाव दिनांक 21-6-98 को सम्पन्न हो गया है । अध्यक्ष का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर ग्राम-पो० कौहार तहसील गौरीगंज के लेखपाल के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

124–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को संबोधित श्री राम प्यारे पुत्र सूर्यबली ग्राम-पो०–कौहार, तहसील गौरीगंज, सुल्तानपुर का दिनांक 11-4-98 का रजि० प्रार्थना-पत्र जिसमें प्रार्थी को मृतक घोषित कर भूमि के खाते को काटकर, लेखपाल द्वारा दूसरे के नाम करने की शिकायत है ? प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

शिकायत की जांच जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा करायी गयी । श्री राम प्यारे का कथन सत्य पाया गया तद्नुसार अभिलेखों को शुद्ध कर लिया गया है । दोषी लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डी परिषद में अवर अभियन्ताओं के स्वीकृत पद एवं प्रतिनियुक्ति पर आये अभियन्ताओं को मूल विभाग भेजते हुए अतिरिक्त स्टाफ में शामिल अवर अभियन्ताओं से कार्य कराने की मांग

125–श्री समर पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् में अवर अभियन्ताओं के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? वर्तमान में कितने अवर अभियन्ता कार्यरत हैं ? प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभागों से कितने अवर अभियन्ता कार्यरत हैं ? क्या सरकार प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं को उनके मूल विभाग में भेज कर अतिरिक्त स्टाफ में शामिल अवर अभियन्ताओं से काम कुराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

अवर अभियंता (सिविल) के 164 पद तथा अवर अभियन्ता (वि०यां०) के 25 पद स्वीकृत हैं ।

अवर अभियन्ता (सिविल) में 142 तथा अवर अभियंता (वि० यां०) में 22 अभियंता कार्यरत हैं ।

अवर अभियंता (सिविल) में 60 अवर अभियंता (वि० यां०) में 5 अभियंता प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं ।

जी नहीं । परिषद् में 15 अवर अभियन्ता ऐसे हैं जो अतिरिक्त स्टाफ की श्रेणी में आते हैं परन्तु इनकी नियुक्तियां नियमित न होने के कारण इन्हें सेवा में बनाये रखने अथवा सेवामुक्त किये जाने के संबंध में विचार किया जा रहा है जिस पर निर्णय होने के पश्चात ही ऐसे अभियंताओं से काम कराने/न कराने के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

जनपद उन्नाव के मौरावां पावर स्टेशन एवं सड़क हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान शासनादेश के अनुसार काश्तकारों को कराने के सम्बन्ध में जानकारी

126–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौरावां जनपद उन्नाव के पावर स्टेशन एवं उसके सामने बने सड़क के निर्माण हेतु किस वर्ष में भूमि अधिग्रहण की गयी थी एवं इसका निर्माण किन-किन वर्षों में किया गया था ? क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों की भूमि पावर स्टेशन हेतु अधिग्रहण की गयी थी उन्हीं की भूमि सड़क निर्माण में भी अनाधिकृत रूप से अधिग्रहण की गयी है ? क्या सम्बन्धित विभागों द्वारा अनाधिकृत कब्जों के सम्बन्ध में शासनादेश सं०–244/1–13/89–रा०–13 दिनांक 7 मार्च, 1989 एवं 2–1(4)/85–175–रा०–अनु०–13 दिनांक 16 नवम्बर, 1985 का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो जिलाधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी उन्नाव द्वारा समय से कार्यवाही की गयी ? क्या सम्बन्धित काश्तकारों को भूमि के प्रतिकर का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? समस्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मौरावां मोहनलालगंज मार्ग पर बने पावर स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4 व 6 की विज्ञप्ति क्रमशः दिनांक 12-4-90 तथा 27-12-90 को गजट में प्रकाशित की गई थी तथा पावर स्टेशन का निर्माण वर्ष 1966 में तथा इसकी एप्रोच रोड का निर्माण भी इसी के साथ किया गया । यदि सड़क का तात्पर्य मौरावां मोहनलालगंज मार्ग से है, तो लोक निर्माण विभाग, उन्नाव के अनुसार इस सड़क का निर्माण वर्ष 1960 के लगभग हुआ है, जिसका कोई रिकार्ड लोक निर्माण विभाग, उन्नाव में उपलब्ध नहीं है । पावर स्टेशन से संबंधित भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही विद्युत विभाग द्वारा धनराशि उपलब्ध न कराने के कारण पूर्ण नहीं की जा सकी । अतः विद्युत विभाग द्वारा भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करके पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है । शासनादेश दिनांक 7 मार्च, 1989 एवं शासनादेश दिनांक 16-11-85 का अनुपालन वांछित प्रतिकर के अभाव में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही स्वतः लैप्स होने के कारण नहीं किया जा सका । जिलाधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उन्नाव द्वारा समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत की गई तथा विद्युत विभाग से प्रतिकर की मांग हेतु कई बार पत्र भी भेजे गये । अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव द्वारा संबंधित काश्तकार श्री हरिश्चन्द पुत्र श्री महावीर को वर्ष 1994 में सीधे रु० 4,44,000/- भुगतान किया गया है, अतएव प्रतिकर भुगतान की अवशेष कार्यवाही का निस्तारण विद्युत विभाग द्वारा ही किया जाना है ।

जनपद बाराबंकी के निलम्बित सहा० चकबन्दी अधिकारी की पुनः तैनाती एवं निलम्बन काल का वेतन भुगतान कराने के सम्बन्ध में जानकारी

127–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपा बतायेंगे कि वर्ष 1994-95 में जनपद–बाराबंकी में कितने सहायक चकबन्दी अधिकारी निलम्बित किये गये थे तथा कितनों का निलम्बन शासन ने वापस लिया था ? निलम्बन वापस लिये गये वे समस्त स० च० अधिकारी अब कहां-कहां तैनात हैं ? क्या सभी को निलम्बन काल का वेतन भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

वर्ष 1994-95 में जनपद बाराबंकी के किसी भी सहायक चकबंदी अधिकारी को निलम्बित नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर में चकबन्दी प्रक्रिया के निस्तारण हेतु चकबन्दी अधिकारी की नियुक्ति करने की मांग

128–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर से कितने ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान लिये गये हैं और कब से इन गांवों पर चकबन्दी चल रही है ? कितने चकबन्दी अधिकारी तैनात हैं ? क्या यह सत्य है कि पिछले तीन चार वर्षों से कोई चकबन्दी अधिकारी न तैनात होने के कारण सैकड़ों गांव इस प्रक्रिया में लम्बित है ? यदि हां, तो नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1982 से कुल 1122 गांव चकबंदी प्रक्रिया के अन्तर्गत लिए गए, इनमें से 157 गांव दिनांक 16-5-82 से, 139 गांव दिनांक 23-3-91 से तथा 28 गांव दिनांक 20-5-98 से चकबन्दी में लिए गये हैं । इस समय 324 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है ।

वर्तमान में एक चकबंदी अधिकारी कार्यरत है ।

जी नहीं।

वर्ष 1994-95 में 3, वर्ष 95-96 में 4, वर्ष 96-97 में 3 तथा वर्ष 97-98 में 2 चकबन्दी अधिकारी कार्यरत रहे हैं।

इस वित्तीय वर्ष 1998-99 में चकबन्दी अधिकारी के चार पद स्वीकृत हैं जिनमें एक कार्यरत है तथा दो की तैनाती अन्य जनपद से स्थानान्तरण करके की जा चुकी है।

मण्डी परिषद् में कतिपय अवर अभियन्ताओं को अतिरिक्त स्टाफ की श्रेणी में रखते हुए उन्हें माप पुस्तिका अंकन के कार्य से वंचित करने के सम्बन्ध में जानकारी

129–श्री समर पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि मण्डी परिषद् में कुछ अवर अभियन्ताओं को अतिरिक्त स्टाफ की श्रेणी में रखते हुये उन्हें माप पुस्तिका अंकन के कार्य से वंचित किया गया है ? यदि हां, तो कितने लोगों को और क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां, गैर नियमित रूप से नियुक्त 15 अवर अभियन्ताओं से माप पुस्तिका अंकन का कार्य वापस ले लिया गया है।

15 अवर अभियन्ताओं से उक्त कार्य इसलिए वापस लिया गया क्योंकि यह तथ्य प्रकाश में आ चुका है कि उक्त अभियन्ताओं की नियुक्तियां सेवा नियमावली के पूर्णतया विपरीत हैं तथा माप पुस्तिका अंकन जैसे कार्य का उनके द्वारा निष्पादन विभाग के हित में नहीं है।

जनपद उधमसिंह नगर तहसील-गदरपुर ग्राम रजपुराकुतुबपुर में चकबंदी विभाग में कतिपय वर्षों से लम्बित वाद से नुकसान की भरपाई करने की मांग

130–श्री समर पाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद उधम सिंह नगर की तहसील–गदरपुर में ग्राम रजपुराकुतुबपुर में चकबन्दी विभाग में विगत लगभग 25 साल से वाद लम्बित हैं ? यदि हां, तो उसके क्या कारण है ? क्या सरकार चकबन्दी का कार्य बन्द होने से वहां के किसानों को हो रहे नुकसान की भरपाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

हां।

इस ग्राम में चकबन्दी अधिनियम की धारा–4(2) के अन्तर्गत चकबंदी प्रक्रियायें लागू करने हेतु राजकीय गजट में दिनांक 26-4-74 को प्रकाशन किया गया था। इसके उपरान्त चकबंदी विभाग में उप संचालक चकबंदी के स्तर तक का कार्य दिनांक 16-6-75 को पूर्ण कर लिया गया, जिसके विरुद्ध कृषकों द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–निल/75, श्यामचन्द्र बनाम उप संचालक चकबन्दी प्रस्तुत की गई जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19-8-75 को स्थगन आदेश पारित किया। मा० उच्च न्यायालय द्वारा 4 रिट याचिकाओं की सुनवाई के उपरान्त वर्ष 1993 में उप संचालक चकबंदी, नैनीताल के स्तर पर सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित की गई। कृषकों के द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्र के आधार पर चकबंदी आयुक्त, उ० प्र०, लखनऊ के द्वारा वर्ष 1995 प्रश्नगत वाद सुनवाई हेतु उप संचालक चकबंदी, मुरादाबाद को स्थानान्तरित किये गये जिसकी सुनवाई का कार्य दिनांक 10-6-1998 को पूर्ण हो चुका है और आदेश हेतु तिथि नियत की गई है।

जी नहीं ।

प्रश्नगत वादों को इतनी अवधि तक लम्बित रहने का मुख्य कारण वादों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा सुनवाई किया जाना तथा स्थगन आदेश दिया जाना है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

131–श्री राम औतार शाक्य–

[दिनांक 30-6-98 को अता० प्र० सं०–196 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में दलहन एवं तिलहन उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम हेतु विगत वर्षों में आवंटित धनराशि का विवरण

132–श्री राम नरेश यादव–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि दलहन एवं तिलहन की उपलब्धता प्रति व्यक्ति उ० प्र० में कम होती जा रही है ? यदि हां, तो इसके उत्पादन में वृद्धि के लिये सरकार ने क्या कार्यक्रम किसानों को दिया है ? उस पर कितने करोड़ रुपये की धनराशि विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में आवंटित की गयी थी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में थोक सब्जी व फल विक्रेताओं से मण्डी समिति की शुल्क की दोहरी वसूली व्यवस्था को समाप्त करने की मांग

133–श्री श्रीराम पाल–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में थोक सब्जी व फल विक्रेताओं से मण्डी समिति की शुल्क की दो बार वसूली की जाती है ? यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि सब्जी व फल थोक विक्रेता प्रदेश में अन्य जनपदों से माल क्रय करते हैं तो उनसे क्रय स्थल पर मण्डी शुल्क ले लिया जाता है तथा अपने गृह जनपद में वहीं माल लाकर बेचने पर पुनः मण्डी शुल्क लिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या दोहरी वसूली खत्म करके एक ही क्रय स्थल पर मण्डी शुल्क वसूल करने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

सब्जी व फल थोक विक्रेता जब किसी मण्डी समिति के क्षेत्र से माल क्रय करते हैं तब उनसे सम्बन्धित मण्डी समिति अपने लाइसेंसधारी/आढ़तिया विक्रेता व्यापारी के माध्यम से उस क्रय-विक्रय पर मण्डी शुल्क वसूल करती है । उसी माल को जब वह क्रेता व्यापारी अपने गृह जनपद या अपनी मूल मण्डी समिति के क्षेत्र में लाकर बेचते हैं तब उसके क्रय-विक्रय पर सम्बन्धित मंडी समिति अपने लाइसेंसी/आढ़तिया/विक्रेता व्यापारी के माध्यम से मण्डी शुल्क वसूल करती है ।

वर्तमान में मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश की प्रत्येक मण्डी में क्रय-विक्रय के समव्यवहार पर मण्डी शुल्क वसूल करने की व्यवस्था है ।

जी हां ।

एक सूत्रीय मण्डी शुल्क की व्यवस्था लागू करने हेतु मण्डी अधिनियम/मण्डी नियमावली में संशोधन की अपेक्षित प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ।

प्रश्न नहीं उठता ।

134–श्री श्रीराम पाल–

[दिनांक 26-6-98 को अता० प्र० सं०–185 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोरखपुर तहसील चौरी चौरा ग्राम विशुनपुरा मटियरा में चक परिवर्तन की कार्यवाही

135–श्रीमती गौरी देवी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी चौरा के ग्राम विशुनपुरा मटियरा में सन् 1990 से चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ है ? क्या चक परिवर्तन की कार्यवाही गत वर्ष प्रारम्भ हुई थी परन्तु लेखपाल की लापरवाही व स्टाफ की कमी आदि कारणों से नहीं हो सकी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि पुनः इस वर्ष दिनांक 2-5-98 से एक ही ग्रुप कब्जा परिवर्तन का काम कर रहा है ? स्टाफ की कमी लम्बी जोत आदि को देखकर समय से कार्य सम्पन्न कराने हेतु इस गांव के निवासी व पूर्व विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ने माह अप्रैल, 1998 से अब तक डी० डी० सी० जिलाधिकारी, एस० ओ० सी० गोरखपुर आदि को कितने पत्र भेजे हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

गत वर्ष चक परिवर्तन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई थी । ग्राम के निगरानियों का निस्तारण न होने, ग्रामवासियों द्वारा कब्जा परिवर्तन कार्य न करने का अनुरोध करने और स्थल पर कब्जा परिवर्तन कार्य को लेकर ग्रामवासियों में आपस में विवाद उत्पन्न होने के कारण कब्जा परिवर्तन का कार्य नहीं हो सका ।

यह सही है कि दिनांक 2-5-98 से एक ही ग्रुप कब्जा परिवर्तन का कार्य कर रहा है ।

ग्राम निवासी व पूर्व विधायक व सांसद माननीय श्री फिरंगी प्रसाद विशारद द्वारा चार प्रार्थना-पत्र पैमाइश करने एवं कब्जा परिवतर्तन कराने हेतु दिये गये हैं । समय से कार्य सम्पन्न कराने हेतु एक चकबंदी कर्ता तथा तीन लेखपालों को अतिरिक्त लगा दिया गया इस प्रकार इस समय दो चकबन्दी कर्ता तथा चार लेखपाल कार्य में लगे हैं ताकि कब्जा परिवर्तन का कार्य पूर्ण हो सके ।

जनपद मथुरा निवासी पधुरी कुण्ड श्री हरस्वरूप सिंह के देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठ के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

136–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरस्वरूप सिंह पुत्र श्री बौरी सिंह निवासी पधुरी कुण्ड जनपद मथुरा की नियमित नियुक्ति एवं देयकों के भुगतान के संबंध में विधायक कोष्ठ का पत्रांक-सी०एम०/वि०को/एम–3/8755/मथुरा/98 दिनांक 6-4-98 सचिव, कृषि को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

प्रकरण मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित है । मा० न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

137–चौ० रवीन्द्र प्रताप–

[दिनांक 2-7-98 को अता० प्र० सं०–40 द्वारा उत्तरित]

ग्राम पूरे पूरन तिवारी मजरे-खरिकाफूल तह०राम सनेही घाट बाराबंकी के प्रकरण पर जांच के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को दिए गये पत्र पर कार्यवाही

138–चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, बाराबंकी को आपके पत्रांक 1573, दिनांक 25-4-98 को ग्रांम–पूरेपूरन तिवारी, मजरे–खरिकाफूल, तह०–रामसनेही घाट, बाराबंकी के प्रकरण पर जांच हेतु निदेशित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

चकबन्दी विभाग द्वारा पैमाइश, करा दी गयी है तथा शान्ति व्यवस्था हेतु पुलिस विभाग को लिखा गया है ।

जनपद प्रतापगढ़ वि० सभा क्षेत्र पट्टी के प्रत्येक ब्लाक में हैण्ड पम्प लगाने हेतु शासन के आदेश पर कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी

139–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन का आदेश दिनांक 14-2-97 द्वारा राज्य मण्डी परिषद् के स्टेट पूल फण्ड से विधान सभा क्षेत्र पट्टी, प्रतापगढ़ के प्रत्येक ब्लाक को 100–100 इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाने के आदेश कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, नगर विकास को पत्रांक 836–बी एस (बी)/97 दिनांक 17-2-97 प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पत्र पर कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

उक्त पत्र पर विचार किया गया किन्तु मंडी स्थल के परिसरों के बाहर नये हैण्ड पम्प न लगाने के संबंध में लिये गये नीतिगत निर्णय के कारण पत्र में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

जनपद मथुरा ग्राम खागरा चम्पी वाली धर्मशाला व प्याऊ की जमीन के गलत आवंटन के सम्बन्ध में विधायक के पत्र पर कार्यवाही

140–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–खागरा चम्पी वाली धर्मशाला व प्याऊ की जमीन गलत ढंग से आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में विधायक प्रकोष्ठ के पत्रांक सी० एम०वि० को०/एम–3/8749/मथुरा/98, दिनांक 6-4-98 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी छाता मथुरा द्वारा कराई गई । प्रश्नगत भूमि ग्राम खायरा के खाता सं०–214 श्रेणी 1–क (क) में प्याऊ व धर्मशाला प्रबन्धक घनश्याम व दीनदयाल व गिर्राज व

बाबूलाल पुत्रगण रामफल व हरीशंकर पुत्र गनेशी व धनीराम, राधेश्याम, सत्यदेव पुत्रगण रामहरी के नाम दर्ज है। प्रश्नगत भूमि का कोई आवंटन नहीं किया गया है।

जनपद सुल्तानपुर निवासिनी गुवावां श्रीमती कमला देवी से वसूली रकम अमीन द्वारा बैंक में जमा न करने के सम्बन्ध में विधायक के पत्र पर जांच विषयक जानकारी

141–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी, गौरीगंज सुल्तानपुर को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-5-98 जो श्रीमती कमला देवी बेवा छविलाल निवासी–गुवावां जनपद–सुल्तानपुर से बैंक की वसूली गई रकम को अमीन द्वारा बैंक में न जमा करने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जी हां।

बाकीदार श्री छविलाल पुत्र राम कृपाल निवासी ग्राम गुवावां परगना-अमेठी, तहसील गौरीगंज, जनपद–सुल्तानपुर की पत्नी श्रीमती कमला देवी से वसूल की गयी ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स शाखा अमेठी की बकाया धनराशि मु० रु० 1,800.00, 700.00 तथा 900.00 क्रमशः दिनांक 31-1-98, 20-11-97 तथा 18-2-97 को सम्बन्धित संग्रह अमीन द्वारा ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स शाखा अमेठी में जमकर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुक्त फैजाबाद मण्डल को प्रेषित 14 अपात्र व्यक्तियों के पट्टों के निरस्तीकरण के प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही की जानकारी

142–श्री राम विशुन आजाद–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1997 के तृतीय गुरुवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 88 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि 14 अपात्र व्यक्तियों के पट्टों के निरस्तीकरण का प्रस्ताव आयुक्त, फैजाबाद मण्डल को भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या निरस्तीकरण की कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? पट्टों का निरस्तीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जी नहीं। न्यायिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

अपर आयुक्त, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद, प्रशासन के न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर तह० मऊ में तहसीलदार के रिक्त पद के सम्बन्ध में जानकारी

143–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील–मऊ जिला–छत्रपति शाहू जी महाराजनगर में तहसीलदार का पद विगत आठ माह से खाली है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

पूर्व तहसीलदार मऊ की प्रोन्नति डिप्टी कलेक्टर के पद पर होने के कारण उक्त पद रिक्त हुआ है । मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं० 5535 (एस० एस०)/1997 में पारित आदेश दिनांक 16-12-1997 में ये निर्देश दिये गये हैं कि नायब तहसीलदार की कोटिक्रम सूची अंतिम होने तक कोई प्रोन्नति तहसीलदार के पद पर न की जाय । नायब तहसीलदार कोटिक्रम सूची का प्रकाशन अपने अंतिम चरण में है ।

जिला बांदा तह० अतर्रा के कतिपय गांवों को जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में शामिल करने विषयक निर्णय

144–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला–बांदा की अतर्रा तहसील के 23 गांव जिला छत्रपति शाहू जी महाराजनगर में शामिल किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त गांव कब तक छत्रपति शाहूजी महाराज नगर में शामिल कर दिये जायेंगे ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

उपरोक्त प्रकरण अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति को संदर्भित है । समिति की आख्या/संस्तुति प्राप्त होने पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।

जनपद बाराबंकी देवा शरीफ के तीन किलोमीटर ईसमायलपुर एवं देवा चिनहट रोड पर शराब की दुकानें हटवाने की मांग

145–श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में पांच धार्मिक स्थानों पर जिसमें देवा शरीफ जनपद बाराबंकी भी शामिल है, की पांच किलोमीटर की परिधि में मदिरा नहीं बेची जा सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि देवा शरीफ से बाराबंकी रोड पर तीन किलोमीटर के अन्दर ईसमायलपुर में एवं देवा चिनहट रोड पर दो किलोमीटर के अन्दर सिपहया में शराब की दुकानें चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन दुकानों को वहां से तुरन्त हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जनपद बाराबंकी में देवा शरीफ सहित प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृन्दावन, अयोध्या, चित्रकूट धाम, मिश्रिख, नैमिषारण्य, पीरान कलियर एवं देवबन्द, के चारों ओर तीन किलोमीटर की परिधि में पूर्ण मद्य निषेध लागू है, अतः उस क्षेत्र में मदिरा नहीं बेची जा सकती ।

देवा शरीफ से बाराबंकी रोड पर ईसमायलपुर में तथा चिनहट रोड पर गोपालपुर सिपहिया में देवा शरीफ से 3 किलोमीटर की परिधि में आबकारी दुकानें चल रही थीं ।

अब उक्त आबकारी दुकानों को जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा देवा शरीफ से 3 किलोमीटर की परिधि, मद्य निषेध क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ लालगंज एवं तरवां ब्लाक में ऊसर सुधार योजना का कार्य

146–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के सर्वाधिक ऊसर वाले क्षेत्र लालगंज ब्लाक तरवां ब्लाक में ऊसर सुधार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

वर्तमान में अम्बेडकर ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के लालगंज ग्रा तरवां ब्लाक में ऊसर सुधार का कार्य कराया जा रहा है ।

प्रशासनिक अधिकारी चकबन्दी मुख्यालय के विरुद्ध विधायक के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

147–श्री गोमती यादव तथा श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री गोमती यादव विधायक द्वारा तत्कालीन राज्य मंत्री राजस्व को प्रशासनिक अधिकारी, चकबन्दी मुख्यालय के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन राजस्व राज्य मंत्री जी ने अपने पत्र संख्या–226 एम दिनांक 13-6-97 के द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व को तत्काल कार्यवाही हेतु आदेश दिया था ? यदि हां, तो किन-किन बिन्दुओं पर जांच की कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 21-5-97 तत्कालीन माननीय राज्य मंत्री, राजस्व श्री अशोक यादव के पत्र दिनांक 13-6-97 के साथ प्रमुख सचिव राजस्व को जांच कराकर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु प्राप्त हुआ था जिसे चकबंदी आयुक्त को भेजा गया ।

इस शिकायती पत्र में इंगित बिन्दुओं के बारे में चकबंदी आयुक्त को पहले ही शिकायतें प्राप्त हो चुकी थी जिन पर उनके द्वारा जांच भी कराई जा चुकी थी । जांच में प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध की गई शिकायतें निराधार पाये जाने के कारण शिकायतों को पत्रावलित कर दिया गया था । इसी कारण माननीय विधायक के पत्र में इंगित उन्हीं शिकायतों पर पुनः जांच नहीं कराई गई ।

जनपद आगरा वि० खण्ड अछनेरा के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में ऊसर भूमि विकास योजना अन्तर्गत, स्वयं सेवकों की नियुक्ति नियमानुसार न करने के विरुद्ध कार्यवाही

148–श्री विजय पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा विकास खण्ड अछनेरा के अन्तर्गत ग्राम अरतौनी, रूनकता, सींयना, मागरौल गुर्जर, कीठम आदि ग्रामों में ऊसर भूमि विकास योजना के अन्तर्गत स्वयं सेवकों के पदों पर रुपये 1500.00 प्रतिमाह पर रखे गये है ? क्या यह सही है कि नियमानुसार उक्त पदों पर ग्राम का ही व्यक्ति होना आवश्यक है, जबकि भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर ब्लाक ब्रह्मपुर राप्ती, गोर्रा नदी के बीच के ग्रामों में फसलों के नुकसान के सम्बन्ध में पूर्व विधायक/सांसद के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

149–श्रीमती गौरी देवी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर के राप्ती गोर्रा नदी दोआब के ग्रामों में एक विशेष प्रकार के कांटे जैसे बलेसरा व अन्य प्रकार के कांटे तथा भृंग्र के पौधों से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्या इस दिशा में पूर्व विधायक व सांसद फिरंगी प्रसाद विशारद का कोई पत्र आपको एवं जिलाधिकारी गोरखपुर को माह अप्रैल, 1998 ई० से 24 मई,

1998 के बीच प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

यद्यपि प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी सूचना प्राप्त होने पर इसके नियंत्रण हेतु ग्रीष्मकाल में खेतों की गहरी जुताई करने एवं फसल में 2–4–डी सोडियम साल्ट 80% डब्लू० पी० रसायन की 625 ग्राम मात्रा 600–800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करने का सुझाव कृषकों को दिया गया है ।

जनपद गोरखपुर के कतिपय तहसीलों में तहसील दिवस पर राजस्व विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध पूर्व विधायक/सांसद द्वारा स्वयं दिए गये पत्र पर कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी

150–श्रीमती गौरी देवी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की विभिन्न तहसीलों पर दिनांक 5-5-1998 में तहसीलों चौरी चौरा, खजनी, गोला के "तहसील दिवस" के अवसर पर राजस्व विभाग के अलग-अलग किन-किन व्यक्तियों से संबंधित शिकायती पत्र मय साक्ष्य किन-किन लोगों ने प्रस्तुत किया है ? क्या इसमें श्री फिरंगी प्रसाद विशारद पूर्व विधायक व सांसद गोरखपुर ने भी दिनांक 5-5-98 में तहसील चौरी चौरा मुख्यालय पर स्वयं उपस्थित होकर "तहसील दिवस" अवसर पर दिया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

दिनांक 5-5-98 को चौरी–चौरा तहसील में 4 तहसील खजनी में कुल 13 तथा तहसील गोला में कुल 19 पत्र प्राप्त हुये जिसमें राजस्व विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध मय साक्ष्य कोई आवेदन पत्र नहीं प्राप्त हुआ ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद पूर्व विधायक व सांसद, गोरखपुर ने भी तहसील चौरी-चौरा में साक्ष्य प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया । प्रार्थी द्वारा पुराने आराजी नम्बर 35 नया नम्बर 60 ग में आवास आवंटन दिनांक 21-11-76 में हुए पट्टे पर वर्ष 1998 में कब्जा देने के बावत डी० जी० सी० (सिविल) से राय प्राप्त करने का पत्र भेजा गया है । मूल पत्रावली तहसील सदर से मांगी गयी है । आवंटन की सत्यता जानने के बाद विधि सम्मत ढंग से कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में सांडी हरदोई रोड पर शीशम के पुराने खराब हो रहे पेड़ों के संबंध में जिला पंचायत को अधिकार देने विषयक लम्बित प्रकरण

151–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में सांडी हरदोई रोड पर जिला पंचायत हरदोई के स्वामित्व वाले शीशम के बहुत पुराने वृक्ष खराब हो रहे हैं ? क्या पंचायत राज उत्तर प्रदेश के शासनादेश दिनांक 29-7-93 के अनुसार सड़क के किनारे की सम्पत्ति पर जिला पंचायत का अधिकार है क्या इस संबंध में प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है ? क्या शासन शीघ्र विचार कर जनहित में प्रस्ताव स्वीकृत करके जिला पंचायत हरदोई को आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योग निदेशालय कानपुर श्री आर० के० अग्रवाल सेवा निवृत्त वरिष्ठ सम्प्रेक्षक के क्लेम्स के भुगतान के संबंध में विधायक के पत्र पर कार्यवाही

152–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर० के० अग्रवाल सेवा निवृत्त वरिष्ठ सम्प्रेक्षक उद्योग निदेशालय कानपुर के क्लेम्स के भुगतान संबंधी प्रकरण के निस्तारण न किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4 जुलाई, 1997 सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इतने वर्षों तक मामले को लम्बित रखने का क्या कारण है ? उपरोक्त प्रकरण के त्वरित निस्तारण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्यों ?

लघु उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री बाबू राम, एम० काम०)–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अवमानेना याचिका संख्या–1671/93 आर० के० अग्रवाल बनाम वी० के० मल्होत्रा लम्बित है, जिसमें अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही संभव है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

व्यय बचत आयोग की संस्तुति के अनुसार महाराष्ट्र पैटर्न पर प्रति जिला उद्योग केन्द्रों पर पदों को रखे जाने विषयक निदेशक, उद्योग द्वारा की गई कार्यवाही

153–डा० वकार अहमद शाह–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि व्यय बचत आयोग की संस्तुति के अनुसार महाराष्ट्र पैटर्न पर प्रति जिला उद्योग केन्द्रों पर 30 पदों को रखे जाने विषयक निदेशक, उद्योग का पत्रांक 2145 दिनांक 12-9-97 के क्रम में शासनादेश सं०–3028, दिनांक 24 अक्टूबर, 97 के संदर्भ में निदेशक द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शासन कार्यवाही करेगा ?

श्री बाबू राम, एम० काम०–

व्यय बचत आयोग की संस्तुति के अनुसार महाराष्ट्र पैटर्न पर प्रति जिला उद्योग केन्द्रों पर 30 पदों को रखे जाने विषयक प्रश्न में संदर्भित निदेशक, उद्योग का पत्र सं० 2145 न होकर वास्तव में पत्रांक 2163 दिनांक 12-9-97 है जिसके क्रम में जारी शासनादेश सं०–3028 दिनांक 24-10-97 के संदर्भ में निदेशक, उद्योग द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की गयी :–

(1) महाप्रबन्धक, प्रबन्धक (ऋण), प्रबन्धक (तकनीकी), प्रबन्धक (विपणन), प्रबन्धक (परियोजना), सहायक प्रबन्धक, सांख्यकीय, सहायक, ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक, प्रधान लिपिक, चालक, दफ्तरी, चौकीदार तथा स्वच्छकार के पदों की स्वीकृति महाराष्ट्र पैटर्न में पूर्व की भांति होने अथवा अधिक होने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

(2) प्रमोशनल असिस्टेन्ट, सहकारी सांख्यकीय अधिकारी के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों जिनके पद महाराष्ट्र पैटर्न में स्वीकृत नहीं हैं, का समायोजन समस्तरीय पद सहायक प्रबन्धक के पद पर किया जा चुका है । इसी तरह अन्वेषक कम संगणक के पूर्व स्वीकृत 310 पदों के विरुद्ध 157 पद धारक कार्यरत थे । महाराष्ट्र पैटर्न के अन्तर्गत अभी तक 76 जनपदों के जिला उद्योग केन्द्रों हेतु 76 पद स्वीकृत हैं, अस्तु महाराष्ट्र पैटर्न के आधार पर सरप्लस हुए 81 पदों में से 57 पद

धारकों को प्रोन्नति के माध्यम से सहायक प्रबन्धक के पद पर तथा 24 पद धारकों को विभाग की सेन्सस योजना में समान रिक्त उपलब्ध पद पर स्थानान्तरित करते हुए समायोजित किया गया है।

(3) पी० एल० आई० के 15 पद धारकों जिनके पद महाराष्ट्र पैटर्न में स्वीकृति नहीं हैं, को प्रोन्नति के व्यवस्था सेवा नियमावली में सहायक प्रबन्धक के पद पर किये जाने का प्राविधान है। प्राविधानुसार इन पद धारकों की सेवा अवधि 11 वर्ष पूर्ण होते ही इन्हें प्रोन्नत कर समायोजित किया जायेगा तब तक सरप्लस कर्मचारियों के मद में इनका वेतन आहरित किया जा रहा है।

लिपिकीय संवर्ग के पदों वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक/टंकक तथा आशुलिपिक के पद धारकों का समायोजन मण्डल स्तर पर उद्योग विभाग की अन्य योजनाओं के रिक्त उपलब्ध पदों के विरुद्ध किये जाने हेतु परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। नये जनपदों में शासन द्वारा महाराष्ट्र पैटर्न के अनुसार पदों के सृजन नहीं किये जाने के कारण समस्त पद धारकों का समायोजन संभव नहीं हो रहा है अस्तु ऐसे पद धारकों जिनका समायोजन चल रही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाना संभव नहीं है, का वेतन सरप्लस कर्मचारी के लिए प्राप्त बजट से आहरित करने हेतु निदेशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल आन्दोलन में जले, पौड़ी तहसील भवन के निर्माण संबंधी विचाराधीन प्रस्ताव

154–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1994 में उत्तरांचल आन्दोलन के समय पौड़ी तहसील का भवन जल गया था ? यदि हां, तो क्या तहसील पौड़ी के भवन के निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जी हां।

प्रस्ताव विचाराधीन है।

जनपद बहराइच आदमपुर रेवली बांध के कटान से प्रभावित लोगों को अनुदान देने की मांग

155–श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के आदमपुर रेवली बांध जो कटान में काफी क्षतिग्रस्त हो गया परिणामस्वरूप कई गांव कटान में विलीन हो गये हैं ? क्या वर्ष 1996-97, 97-98 में कटान से प्रभावित लोगों को मुआवजा एवं राहत कार्य के रूप में धन दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? पीड़ित परिवारों को अनुदान कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1996-97 या 97-98 में आदमपुर रेवली बांध पर नदी का अत्यधिक दबाव रहा परन्तु कटान नहीं हुआ, अतः कोई गांव बांध कटान के कारण विलीन नहीं हुआ।

वर्ष 1996-97 व 97-98 में नदी के कटान से प्रभावित लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया बल्कि तात्कालिक सहायता के रूप में 854 परिवारों को रु० 4,01,700/– गृह अनुदान के रूप में तथा रु० 65,000/–अहेतुक सहायता के रूप में पात्रता के आधार पर वितरित की गयी।

सचिवालय में कार्यरत श्रीमती सुहेला शकील की हत्या विषयक सूचना को नियम 311 के अन्तर्गत उठाये जाने का प्रयास

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। सचिवालय में पुस्तकालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी श्रीमती सुहेला की हत्या कर दी गयी कर्मचारी उत्तेजित हैं। उनकी लाश गोमती बैराज में मिली। मैं नियम 311 में इसकी सूचना दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह जानकारी मेरे संज्ञान में सुबह आ गयी है।

श्री प्रमोद कुमार–

आप स्थानीय पुलिस को निर्देश दे दें।

श्री अध्यक्ष–

निर्देश दे दिये गये हैं। यहां के सीनियर सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस को निर्देश दे दिये गये हैं। इसमें तात्कालिक कार्यवाही करने की व्यवस्था कर दी गयी है।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, कानपुर में भीषण बाढ़ से हजारों घरों के लोग सड़क पर आ गये हैं, कुछ लोग छतों पर पड़े हुए हैं। पूरा प्रशासन पंगु पड़ा है। मेरी बहतु महत्वपूर्ण सूचना है। इसको लेने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

मैं विचार कर लेता हूं।

नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 9 जुलाई, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छीड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री श्रीरामपाल जी की है। इन्होंने जनपद जालौन में उरई से बबीना थाना अकबरपुर इटौरा पक्के मार्ग की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। दूसरी सूचना श्री आर० के० सिंह पटेल की है। यह अनुपस्थित हैं।

तीसरी सूचना श्री राम विशुन आजाद की है। इन्होंने जनपद गोण्डा के कतिपय क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था ठीक करने के संबंध में सूचना दी है। चौथी सूचना श्री राजधारी की है। इन्होंने जनपद बलिया को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिये पर्याप्त स्टाफ तैनात करने के संबंध में सूचना दी है। पांचवीं सूचना श्री विजय कुमार की है। इन्होंने जनपद बांदा की नगरपालिका बांदा के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि गाटा सं० 2124 मीखा भवानीपुरवा को अवैधानिक रूप से नीलाम किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। छठी सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की है। इन्होंने कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर क्षेत्रान्तर्गत विशुनपुर पम्प कैनाल का रख-रखाव जनपद कौशाम्बी से ही संचालित करने के संबंध में सूचना दी है।

सातवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की है। इन्होंने उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में गत कई वर्षों से रिक्त निजी सचिवों के पदों पर वैयक्तिक सहायकों की प्रोन्नति करने के संबंध में सूचना दी है। श्री आर० के० सिंह पटेल चूंकि अनुपस्थित हैं इसलिये इनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की सूचना ले रहा हूं। इन्होंने जनपद फतेहपुर में गत तीन माह से बिगड़ी कानून व्यवस्था में सुधार लाने के संबंध में सूचना दी है। उपर्युक्त सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं। शेष सूचनाएं श्री चन्द्रनाथ सिंह, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्रीमती माया प्रसाद, श्री अम्बरीष कुमार, श्री राम ललित चौधरी, श्री रामनरेश यादव, श्री सतीश जतारिया, श्री सुरेश चन्द्र आर्या, श्री जगदीश नारायण राय, श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री प्रमोद कुमार, श्री मुन्ना चौहान, श्री लालजी वर्मा की हैं। इनको निरस्त किया जाता है।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद जालौन में उरई से बबीना वाया अकबरपुर इटौरा पक्के मार्ग की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री श्रीराम पाल–

[मान्यवर, उपरोक्त पक्का रोड करीब 20 वर्षों पूर्व लो०नि० विभाग उरई द्वारा निर्मित कराया गया था। 50 ग्रामों को जोड़ते हुए यह रोड कठपुरवा बबीना तक है। उक्त रोड की कभी मरम्मत न होने से आवागमन पूरी तरह ठप्प हो गया है। कृषक अपनी कृषि की उपज मंडियों तक नहीं ले जा पा रहे हैं जिससे उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है तथा कृषि वाहन खाद, बीज लेनें नहीं जा पा रहे हैं।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने का कष्ट करें।]

जनपद गोण्डा के कतिपय क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था ठीक करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम विशुन आजाद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत मोतीगंज फीडर, बगदर फीडर, रेहरा फीडर है जिसकी लाइने अत्यधिक लम्बी होने के कारण विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पाती है। फीडरों के तार पुराने होने के कारण यदि धीरे से हवा चलती है तो तार कहीं न कहीं टूट जाते हैं। जिससे विद्युत आपूर्ति में बाधा पड़ती है। अधिकतर विद्युत के पोल लकड़ी के होने के कारण जो सड़ चुके हैं। हवा चलते ही टूट जाते हैं। आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। शासन द्वारा अभी तक सीमेन्ट के पोल नहीं लगवाये गये हैं। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। परन्तु अभी तक किसी प्रकार कार्यवाही न हुई। सही ढंग से विद्युत आपूर्ति के लिए जनता की बराबर मांग रही है। झिलाही बाजार, साबरपुर बाजार और टिकरी बाजार के 33 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र खोल दिया जाय, तो विद्युत व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त हो जायेगी।

मान्यवर, बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का सवाल है लाखों जनता इस समस्या से परेशान है और सरकार इस समस्या का समाधान करने में असफल हो रही है। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उक्त समस्याओं का तत्काल समाधान करने का कष्ट करें।]

जनपद बलिया को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए पर्याप्त स्टाफ तैनात करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजधारी–

[मान्यवर, जनपद बलिया गंगा एवं घाघरा नदी से घिरे होने के कारण प्रति वर्ष बाढ़ की विभीषिका से बुरी तरीके से प्रभावित होता रहा है। वर्तमान में गंगा एवं घाघरा के तटबन्धों पर कई जगह कटान है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बाढ़ विभाग बलिया जो बाढ़ बचाव का कार्य करता है वहां बाढ़ खण्ड प्रथम में मात्र दो सहायक अभियन्ता है जहां 4 (चार) स्वीकृत पद है, बाढ़ खंड द्वितीय में मात्र एक सहायक अभियन्ता है जहां 4 (चार) का पद स्वीकृत है साथ ही ड्रेनेज विभाग में मात्र एक सहायक अभियन्ता है वे भी 31 जुलाई को अवकाश पर जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति में सहायक अभियन्ताओं की संख्या बाढ़ बचाव में पर्याप्त नहीं है।

मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान उपरोक्त की तरफ आकृष्ट करते हुए जनहित में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा की नगरपालिका बांदा के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि गाटा संख्या 2124 मौजा भवानी पुरवा को अवैधानिक रूप से नीलाम किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार–

[मान्यवर, आपके माध्यम से मैं शासन का ध्यान नगर पालिका बांदा के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि गाटा सं० 2124 मौजा भवानी पुरवा तहसील व जिला बांदा की ओर दिलाना चाहता हूं। यह भूमि राम लीला मैदान के अन्तर्गत है। अनेक धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। इस भूमि को बांदा नगरपालिका की अध्यक्ष तथा अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) ने सांठ गांठ करके 15-6-98 को अवैधानिक रूप से बांदा शहर के एक गुटखा व्यवसायी श्री रोहित कुमार पुत्र चन्द्र कमल के नाम नीलाम कर दिया है। निलामी की सूचना आम जनता को नहीं दी गई मात्र एक समाचार-पत्र जिसकी प्रतियां उस दिन बिकी ही नहीं, में विज्ञापित करवाया गया था।

उक्त नीलामी प्रक्रिया के पूरा होने से जहां एक ओर सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि में कमी आयेगी, वहीं दूसरी ओर 13 परिवारों का निकास बन्द हो जाएगा। सार्वजनिक उपयोगिता तथा धार्मिक स्थल की उपरोक्त भूमि के नीलाम होने से बांदा शहर की जनता में तीव्र आक्रोश व्याप्त है। अतः नीलामी निरस्त करने योग्य है।

घटना अविलम्बनीय है तथा लोक महत्व की है। अतः इस विषय पर शासन का ध्यानाकर्षण कराने की कृपा करें।]

कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर क्षेत्रान्तर्गत किशुनपुर पम्प कैनाल का रख-रखाव जनपद कौशाम्बी से ही संचालित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इन्द्रजीत सरोज–

[मान्यवर, कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर क्षेत्र के अन्तर्गत किशुनपुर पम्प कैनाल का रख-रखाव सिंचाई खण्ड द्वितीय, इलाहाबाद से होता था उक्त पम्प कैनाल का स्थानान्तरण मुख्य अभियन्ता राम गंगा सिंचाई विभाग कानपुर द्वारा निचली गंगा नहर प्रखण्ड फतेहपुर कर दिया गया है। उक्त व्यवस्था से किशुनपुर पम्प कैनाल का रख-रखाव प्रभावित हो रहा है। जिससे किसानों को अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

अतः जनहित में मेरी मांग है कि यदि कैनाल का रख-रखाव स्थानान्तरित ही करना आवश्यक है तो मेरे जनपद कौशाम्बी में ही किया जाय अन्यथा इसे यथावत् रखा जाय।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में गत कई वर्षों से रिक्त निजी सचिवों के पदों पर वैयक्तिक सहायकों को प्रोन्नति करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम औतार शाक्य–

[मान्यवर, आपका ध्यान उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लखनऊ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उक्त निगम में हैड आफिस लखनऊ में निजी सचिव के कई पद रिक्त हैं जिनमें से तीन पद अनुसूचित जाति के कई वैयक्तिक (पी०ए०)कैडर के लिए आरक्षित है किन्तु कई वर्ष व्यतीत होने के बावजूद प्रबन्ध निदेशक द्वारा उक्त पदों पर प्रोन्नति नहीं की गई है जिसमें पी०ए० संवर्ग में काफी रोष व क्षोभ व्याप्त है। उक्त प्रोन्नतियां त्वरित रूप से करना अवश्यम्भावी हो गया है तथा अभी तक प्रोन्नति न करने के लिए दायित्व निर्धारण करना भी उतना ही जरूरी है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार से पी०ए० संवर्ग के लिये प्रोन्नतियां करने तथा देरी के लिए दायित्व निर्धारित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद फतेहपुर में गत तीन माह से बिगड़ी कानून व्यवस्था में सुधार लाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं जनपद फतेहपुर में गत तीन माह से कानून व्यवस्था बिगड़ने के कारण आये दिन अज्ञात लोगों के मिलने का सिलसिला जारी है, हत्यायें, लूट व अपहरण की घटनाओं में भंयकर बढ़ोत्तरी हो रही है, पुलिस अपराधियों से मिलकर बेकसूर दलितों के फर्जी अज्ञात इन्काउन्टर दिखा कर शासन से प्रशंसा पत्र ले रही है जबकि कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। दिनांक 1 जून, 1998 को श्री राम नारायण निषाद, निवासी जलन्धरपुर थाना किशनपुर में 16 वर्षीय 10वीं कक्षा के छात्र का फर्जी इन्काउन्टर मुम्हारनडेरा मंजरा धसवेल में घर से पकड़कर अपर पुलिस अधीक्षक की देख-रेख में किया गया है। जबकि उक्त छात्र का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। इसी तरह पिछले वर्ष रनवीर सिंह थानाध्यक्ष किशनपुर द्वारा गरीबदास निवासी ग्राम जलन्धरपुर का फर्जी इन्काउन्टर घर से पकड़कर किया गया था जिसमें मजिस्ट्रेट जांच के आधार पर कोतवाली शहर फतेहपुर में रनवीर सिंह के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। फिर भी उक्त केस के अभियुक्त रनवीर सिंह को थाना औंग का चार्ज दिया गया है।

इसी तरह थाना मलवा में तैनात बी०एन० तिवारी द्वारा पिछले वर्ष थाना हुसैनगंज में पुलिस पिटाई करने से बिन्देश्वरी सोनकर निवासी बड़ागांव की हत्या हुई थी। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद वादी पर दबाव डालकर फाइनल रिपोर्ट लगाई गयी, ठीक इसी तरह वर्ष 1994 में मेयेकी इटवा काण्ड थाना रैपुरा (बांदा) के निलम्बित श्री ए० के० द्विवेदी को थाना थरियांव का चार्ज दिया गया है थाना ललौली के बहुचर्चित 7 वर्षीय अन्शू पटेल का अपहरण काण्ड व 14/15 जून, 1998 की रात बहुआ कस्बे के पास 21 ट्रकों की लाखों की लूट काण्ड तथा थानाध्यक्ष ललौली द्वारा अपट्रान के सैकड़ों कलर टी०वी०, वी०सी०आर० गबन प्रकरण तथा शहर कोतवाली में चौगलिया बीच शहर में दो अज्ञात लोगों का फर्जी मुठभेड़ काण्ड लोकमहत्व के विषयों पर चर्चा कराना आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने हेतु स्वीकृत करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नियम 300 की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसमें दो सूचनाएं एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव और डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की सूचना है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण विशेषाधिकार समिति के सभापति का मनोनयन किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 263 के अनुसार विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के सभापति मा० उपाध्यक्ष, विधान सभा होते हैं। विशेषाधिकार समिति माननीय सदस्यों के अथवा सदन के अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार भंग करने अथवा अवमानना के प्रश्न पर विचार करती है। वर्तमान विधान सभा में मा० उपाध्यक्ष महोदय का पद रिक्त है। इसके अभाव में विधान सभा की विशेषाधिकार समिति निष्क्रिय है। ऐसी स्थिति में किसी माननीय सदस्य अथवा सदन की किसी समिति के विशेषाधिकार भंग तथा अवमानना के प्रश्न, चाहे कितने ही गम्भीर क्यों न हों, विचार नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस-समय विशेषाधिकार समिति निष्क्रिय हैं। संसदीय लोकतंत्र में आप भी इस बात से अवगत हैं कि विशेषाधिकार समिति इस सदन के सम्मानित सदस्यों का सबसे बड़ा अस्त्र है। आज उस अस्त्र का इस्तेमाल विशेषाधिकार समिति के निष्क्रिय होने की वजह से नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष जी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं विगत दिनों ऐसी ही परिस्थिति लोक सभा में उपाध्यक्ष न होने की वजह से उत्पन्न हुई थी। लेकिन जुलाई के प्रथम सप्ताह में मा० अध्यक्ष लोक सभा ने वहां कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य को माननीय उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष नामित किया है। मैं आपकी अनुमति से जो संसद की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमावली है उसके नियम 258 (ए) में जो उल्लेख है "द चेयरमैन आफ ए कमेटी शेल बी एप्वाइंटेड वाई द स्पीकर फ्राम एमांगेस्ट द मेम्बर्स आफ द कमेटी प्रोवाइडेड दैट इफ द डिपुटी स्पीकर इज ए मेम्बर आफ द कमेटी ही शैल बी एप्वाइंटेड चेयरमैन आफ द कमेटी" तथा उसके नियम 258(ए) में उल्लेख है कि "इफ द चेयरमैन इज फार एनी रीजन अनेबुल टु एक्ट द स्पीकर मे एप्वाइंट एनअदर चेयरमैन इन हिज प्लेस"। हिन्दी रूपान्तरण लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 258(1) के परन्तुक के अनुसार यदि उपाध्यक्ष किसी समिति का सदस्य है तो वह समिति का सभापति नियुक्त किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

इसके समानान्तर विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के किसी नियम में है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मैं 258(2) का रूपान्तरण करता हूं। यदि किसी कारणवश उपाध्यक्ष जो समिति का पदेन सभापति होता है कार्य करने में असमर्थ है तो अध्यक्ष लोक सभा उसके स्थान पर दूसरे माननीय सदस्य को सभापति नियुक्त कर सकेंगे। आज इस सम्मानित सदन का तथा सदन के सदस्य का सबसे बड़ा संसदीय अस्त्र है विशेषाधिकार समिति, वह निष्क्रिय पड़ा है। चाहे इस सदन के अवमान का प्रश्न हो, विशेषाधिकार भंग का प्रश्न हो, किसी माननीय सदस्य के विशेषाधिकार हनन का प्रश्न हो या किसी समिति के अवमान का प्रश्न हो, उस विशेषाधिकार के निष्क्रिय होने की वजह से सबसे बड़े हथियार का प्रयोग नहीं हो पा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आप भी इस बात से अवगत हैं कि संविधान को अंगीकार करने के साथ ही साथ 1 अप्रैल सन् 1950 में विशेषाधिकार समिति का गठन लोक सभा में किया गया था । अतः इस औचित्य के प्रश्न पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें ।

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने इस प्रकरण को आज नियम 300 के अन्तर्गत और 29 जून को नियम 311 के अन्तर्गत उठाया था और केवल विशेषाधिकार समिति के संबंध में नहीं बल्कि माननीय उपाध्यक्ष जिन समितियों के सभापति होते हैं उन सभी के बारे में था जैसे पुस्तकालय समिति याचिका समिति, प्रश्न संदर्भ समिति और विशेषाधिकार समिति । ये सारी समितियां माननीय उपाध्यक्ष के निर्वाचित न होने के कारण कार्य नहीं कर पा रही हैं । इस संबंध में मेरा निवेदन है हमारी कार्य-संचालन नियमावली के नियम 201(1) और (2) में व्यवस्था है । इसके साथ ही 263 एवं 234 के सुसंगत भाग जिनका संबंध उपाध्यक्ष के इन समितियों के सभापति होने से है उनको निलम्बित करके इन समितियों के कार्यकारी सभापति नियुक्त कर दें ताकि जो माननीय सदस्य इन समितियों के मेम्बर हैं उनको कार्य करने और सीखने का मौका मिलेगा और इन समितियों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलेगी । इसको आप चाहें 300 या 311 में स्वीकार करें क्योंकि यह समितियां माननीय उपाध्यक्ष के न होने के कारण काम नहीं कर पा रही हैं, उनके काम करने की परिस्थिति पैदा हो सके ऐसा निर्णय करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव एवं डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी को सुनने के उपरान्त मैं उचित समझता हूं कि जिन समितियों में विधान सभा के उपाध्यक्ष सभापति होते हैं उनमें जब तक उनके पद पर निर्वाचित कोई व्यक्ति न उपलब्ध हो तब तक सुसंगत नियमों को निलम्बित करते हुए एक कार्यकारी सभापति का मनोनयन कर दिया जायेगा और यह इसी सप्ताह में कर दिया जायेगा । लेकिन इसके लिए सदन के औपचारिक प्रस्ताव की आवश्यकता होगी ।

*श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसके लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी औपचारिक प्रस्ताव रखेंगे । लेकिन यदि आप चाहें तो आप उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि सुनिश्चित कर दें और परम्परा के अनुसार उपाध्यक्ष विपक्षी दल का होना है । यदि आप तिथि निश्चित कर दें तो कार्यकारी बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ।

*श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, आप तिथि घोषित कर दें, उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो जायेगा और ये समितियां स्वतः कार्य करने लग जायेंगी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपने व्यवस्था दी है कि इसके लिए औपचारिक प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ेगी । 29 जून को मैंने एक प्रस्ताव दिया था और आज भी है, इस पर आप व्यवस्था दे दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, इसमें आग्रह यह करना है कि पिछले 10 महीनों से विधान सभा चल रही है और तीन-चार उपवेशन भी हो चुके हैं, एक बार नहीं अनेक बार सवाल आया, उपाध्यक्ष के चुनाव का लेकिन सरकार टाल-मटोल कर रही है । आप आज कोई तिथि घोषित कर दें और जब तक उपवेशन चल रहा है उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाय । सितम्बर में विधान सभा के चुनाव हुए थे और दो साल होने वाले हैं अब तक उपाध्यक्ष के चुनाव नहीं हुए ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस संबंध में अनुरोध किया था कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी और विपक्ष के लोग सहमत हो जाएं अगर सहमत नहीं होंगे तो कैसे हो पायेगा ?

* संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर,जहां तक उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रश्न है, सत्तापक्ष उसमें आड़े आने वाला नहीं है । विरोध पक्ष समन्वय करके किसी एक नाम पर सहमत हो जाए सत्तापक्ष उस पर विचार करेगा क्योंकि परम्परा यही रही है कि उपाध्यक्ष का पद विरोध पक्ष को जाना चाहिए, सत्तापक्ष के परामर्श से । अब तक विपक्ष से कोई नाम नहीं सुझाया गया है । आप आपस में विचार-विमर्श कर लें और नाम बता दें, प्रयास यह होगा कि सर्वसम्मति से उसका निर्वाचन हो जाए । जैसा अभी अध्यक्ष जी की व्यवस्था आयी थी नियमों को निलम्बित कर के सभापति बनाया जाए, माननीय अम्बिका चौधरी जी ने आपत्ति जताई कि उपाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए । इस पर अभी कोई औपचारिक प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है ।

श्री लाल जी वर्मा–

नियम–9 के अन्तर्गत–आपको अधिकार है, आप उस अधिकार का प्रयोग करके तिथि की घोषणा कर दें ।यदि सर्वसम्मति से अपोजीशन कोई नाम नहीं देता तब तो कोई बात आती है । विधान सभा की समितियां ढंग से अपना कार्य करें, इसके लिये तिथि घोषित होना आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रयास करूंगा कि इसी सत्र में आ जाय । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री से बात कर लूं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आप मा० उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित कर देगें वह तो अलग बात है, लेकिन यदि तत्काल किसी सम्मानित सदस्य के अवमान का मामला है या अन्य कोई विशेषाधिकार भंग का मामला है तो वह विशेषाधिकार समिति के निष्क्रिय होने के कारण आ नहीं सकता । मैं कहना यह चाहता हूं कि आप विशेषाधिकार समिति का कार्यकारी सभापति तो मनोनीत कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री औपचारिक प्रस्ताव ला दें ।

श्री हुकुम सिंह–

विचार करने के बाद ले आयेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर मैं अपनी व्यवस्था दे दूंगा।

अगली सूचना जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत थाना कोतवाली में एक व्यवसायी की हत्या के संबंध में है, यह नियम 300 में नहीं आती एवं चयनित मद संख्या 3, 4, 5 व 6 में कुछ नहीं है।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 9-7-98 को नियम–311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा, शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री राम विशुन आजाद की है।

* श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, पर्यावरण प्रदूषण का सवाल उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ जनता के जनजीवन से जुड़ा हुआ है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण से लाखों लोग बीमार हो रहे हैं और उनकी मृत्यु हो रही है। विश्व के वैज्ञानिकों का कहना है कि पर्यावरण प्रदूषण से दुनिया में 7 लाख हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष रेगिस्तान में बदल रही है और 110 लाख हेक्टेयर वन सम्पदा नष्ट हो रही है, उससे जनजीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है।

इसी प्रकार पूरे देश में 13 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्रतिवर्ष वन सम्पदा का नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से सूखा, अकाल पड़ने की स्थिति पैदा हो गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसकी वजह से पूरे विश्व में प्रतिवर्ष कार्बन डाइ आक्साइड की मात्रा 45 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और इसके फलस्वरूप सन् 2020 तक पृथ्वी का तापमान 4 डिग्री बढ़ जायेगा, जिसके कारण पूरे विश्व में हिम ग्लेशियर और तेजी से पिघलेंगे जिससे महानगरों में जलभराव उत्पन्न हो जायेगा, बाढ़ आ जायेगी। आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद तथा दिल्ली आदि महानगरों में देखा जाय तो वाहनों से जो धुआं निकलता है, वह वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। इस धुंयें की वजह से गैसियाहाइड्रो आक्साइड, कार्बन मोनोआक्साइड जैसी विषैली गैसें निकलती हैं, जिससे जनजीवन को अत्यन्त गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है मान्यवर, लोगों को कई बीमारियों खांसी, दमा, टी०बी०, कैंसर आदि अनेक भयंकर बीमारियों की चपेट में जनजीवन है। इस तरह से जनजीवन को खतरा हुआ है और आने वाले कल में अगर देखा जाय तो उनका जीवन बहुत ही मुश्किल हो जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि अस्पताल के प्रर्यावरण प्रदूषण अनुसंधान के डाक्टर ए० महासूर्य का कहना है कि भारत की व्यापारिक राजधानी में वायु को प्रदूषित करने में सबसे बड़ा कारण मोटर वाहनों से छोड़ा जाने वाला धुंवा है और दूसरा कारण उद्योग है और तीसरा कारण अवशिष्ट पदार्थों का जलाया जाना है। नेशनल एनवायरेनमेन्टल इंजीनियरिंग एण्ड इंस्टीट्यूट (नीरी) के वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारत में जितना जल है उस जल का कुल 70 प्रतिशत प्रदूषित जल है जिससे जीवन को खतरा पैदा हो गया है। मान्यवर, भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा के वैज्ञानिक पी०एस० दत्ता साहब ने कहा है हमारे में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक गिलास पानी पीते हैं और अज्ञातवश यह नहीं जानते हैं कि वह जहर पी रहे हैं। इसलिये मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मांग करता हूं कि सरकार की ओर से कुछ ऐसी योजना चलाई जानी चाहिए जिससे आदमी का जनजीवन सुरक्षित हो सके।

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में जितने सतही जल के तालाब हैं झीलें हैं, नदियां हैं, सब प्रदूषित हो चुके हैं। आप गोमती नदी को ही देख लीजिए, गंगा नदी को देख लीजिए इसके जल के कारण आदमी अनेक प्रकार के रोगों का शिकार हो रहा है। मान्यवर, जितनी भी मौतें होती हैं अगर उनका आंकड़ा निकाला जाय तो उनमें से 80 प्रतिशत रोगों से जो मत्यु होती है उसका कारण प्रदूषित जल होता है।

मान्यवर, जो बड़े बड़े उद्योग और कल कारखाने हैं उनसे जो कचरा निकलता है वह बोरिंग के माध्यम से उस गंदे जल को कचड़े को भूमि के नीचे उसकी जड़ों में ले जाया जा रहा है जिसके कारण नीचे का जल विषैला हो गया है इस कारण जनसामान्य को खतरा पैदा हो गया है।

मान्यवर, यह केवल प्रदेश का मामला ही नहीं पूरे देश का मामला है। भारत सरकार को चाहिए कि इसमें जो करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है वह नाजायज तरीके से खर्च किया जाता है। इसके लिए कोई ठोस उपाय किया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं अपने जनपद गोण्डा के बारे में बताना चाहता हूं कि बभनान शुगर मिल, मैजापुर शुगर मिल, आई०टी०आई० मनकापुर, बलरामपुर शुगर मिल, नवाबगंज शुगर मिल, मैजापुर शुगर मिल के प्रदूषित तेल से आसपास के गांवों और कस्बों में लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं अगर इसे तत्काल नहीं रोका गया तो यह भयंकर रूप ले सकता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पीपल के वृक्ष, बरगद के, नीम के, जामुन के, महुआ के वृक्ष लगाये जाते थे जो अब खत्म हो रहे हैं। यह वृक्ष प्रदूषित वायु को स्वच्छ करते थे। आज कामर्शियल पेड़ लगाये जाते हैं और इस तरह के वृक्ष नहीं लगाये जा रहे हैं। मेरी मांग है कि इस तरह के वृक्ष लगाये जाने चाहिए। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है इसलिए इसे आपके संज्ञान में लाकर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

* संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, प्रदूषण की समस्या सारे विश्व की समस्या है माननीय सदस्य ने अपने काल्पनिक बयान के आधार पर कह दिया कि ग्लेसियर पिघल जायेगा सारी जमीन जलमग्न हो जायेगी मान्यवर, मैं भविष्यवाणी करने की स्थिति में नहीं हूं। वास्तविकता यह है कि उद्योगों से प्रदूषण रोकने के लिए कानून बनाया गया है यह जरूरी होगा कि वह एन०ओ०सी० लेंगे और वह तब की जायेगी जब अपने प्लांट में यह व्यवस्था कर देंगे कि प्रदूषण नहीं फैलेगा इस तरह से जल प्रदूषण के लिए उसको रोकने के लिए जब तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा देंगे अनुमति नहीं देंगे। अभी बहुत कुछ काम इस क्षेत्र में करने वाला है। जो नीम और पीपल के पेड़ लगाने की बात है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है लेकिन यह समस्या एक-दो दिन में हल होने वाली नहीं है। उसको अभियान के रूप में चलाना होगा ताकि आने वाले पीढ़ियों के साथ हम खिलवाड़ न कर सकें। व्यापक प्रचार-प्रसार करके सामाज में जागृति पैदा हो तथा प्रदूषण को रोकने के लिए, जो उपाय हो सकते हैं किए जाएं।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम विशुन आजाद व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना श्री अम्बिका चौधरी, श्री राजेन्द्र यादव व श्री कैलाश यादव की है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस पर पहले माननीय राजेन्द्र जी को सुन लें।

*श्री राजेन्द्र–

मान्यवर, जनपद गाजीपुर में थाना जंगीपुर ग्राम मिर्जापुर में चकबंदी के दौरान 6-7-98 को उस गांव में लेखपाल और कानूनगो चक नापने के लिए जाते हैं तो उस गांव के लोग कहते हैं कि गांव चकबन्दी के दौरान है खूटागड़ जायेगा तब आप लोग आना, अन्यथा पैमाइश नहीं होने देंगे वे लोग वापस लौट जाते हैं फिर अगले दिन एस०डी०एम० गाजीपुर सदर क्षेत्राधिकारी जंगीपुर और अन्य कर्मचारीगण गांव में प्रवेश करते हैं दहशत का माहौल वहां फैला देते हैं। इस गांव में 27 परिवारों के मकान, मड़ई और झोपड़ी गिरा दी गयीं। हमने देखा कि वहां लोग दहशत में हैं इतना बड़ा जुल्म हमने कभी नहीं देखा जो विवाद था मात्र एक जाति विशेष के लोगों उसमें सिर्फ यादव परिवार के लोगों की मड़ई झोपड़ी गिरा दी गयी, मान्यवर, कृपया इसमें जांच कमेटी बिठाकर जांच करा दें। वहां महिलाएं, नौजवान रो रहे हैं कई नौजवानों को पुलिस पकड़कर ले गई लेकिन गिरफ्तारी से पुलिस इंकार करती है कृपया इस पर चर्चा करवा दें।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जनपद गाजीपुर में जंगीपुर थाने में मिर्जापुर गांव है यह गांव चकबंदी चकिया के अन्तर्गत है चक की पैमाइश और खूंटों के गाड़ने का काम जो एस०ओ०सी० लेबिल पर किया जाता है, नहीं हुआ है। पहले से कुछ लोग उन चकरोडों पर काबिज थे। कोई चक निकालने वाली बात नहीं थी बस केवल इतना था कि नई चकबंदी में एस०ओ०सी० और सी०ओ०सी० स्तर पर कुछ चकों को चिह्नित किया गया था निकालने के लिये। गांव के लोगों ने कहा या तो पहले खूंटा गाड़ा जाये यहां फिर बिना किसी भेदभाव के जो लोग चकरोडों पर पहले काबिज है उनके कब्जे चकरोड़ों से हटाए जायें, फिर हम लोगों का नम्बर आना चाहिए। (इस समय 12 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए) उस दिन चकबंदी के लोग चले गये। अगले एस० डी० एम०, सदर श्री राजेश प्रकाश, नायब तहसीलदार श्री अधेश, कानूनगो, पी०ए०सी० की कई ट्रकें, बिन्नू के थानेदार तथा जंगीपुर के थानेदार बड़ी पुलिस फोर्स लेकर गांव में आये। जो लोग उस गांव में पचास वर्षों से रह रहें थे उनके घरों को ट्रैक्टर और बुल्डोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। 22 घर ध्वस्त किये गये। उसमें से 13–14 झोपड़ियां है, 4–5 घर खपरैल के थे और 3 मकान पक्के थे। इन मकान को ध्वस्त कर गांव में आतंक फैला दिया और साथ ही पी०ए०सी० के लोग उस गांव के 15–20 नौजवानों को पकड़ कर ले गई।

पुलिस से जब इस बारे में पूछा गया तो वह कहने लगे कि हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है और हमारे यहां कोई नहीं है। आज तक ये नौजवान गायब हैं, इस बात की आशंका है कि कहीं फर्जी मुठभेड़ के बहाने उनकी हत्या न कर दी जाए। मान्यवर, एक विशेष बात है कि ऐसे लोगों की सरकार है जिसने जाति और धर्म पूछ-पूछ कर उनके घरों को उजाड़ा गया। वस्तुस्थिति यह है उस गांव में एक गौड़ जाति को छोड़कर 21 यादवों के घर को नेस्तनाबूत करने का काम किया गया है। उनके ट्यूबवेल गिरा दिये गये, पक्की नालियां गिरा दी गई और एस०डी०एम० के अगवाई में, स्थानीय पुलिस प्रशासन की अगवाई में इस गांव को तबाह करने का काम किया गया। मान्यवर, आक्षेप की बात फिर हो जायेगी, नाम लेकर नहीं कहना चाहता हूं। बी०जे०पी० के लोग जिनका इस इलाके के अगल-बगल से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहीं अता-पता नहीं रह गया है उन सब ने मिलकर यह किया। इसमें प्रशासन पूरी तौर से लिप्त है और सरकार की आंखे खुले या न खुले मैं यह मांग करना चाहता हूं कि जिनके घर गिराये गये हैं उनके घर तत्काल बनाये जाये, उनको जो नुकसान हुआ है उस हिसाब से उन्हें मुआवजा दिया जाए और चकबन्दी प्रक्रिया में जो कानून सम्मत तरीका है उसके हिसाब से चकरोडों की पैमाइस की जाए। यदि सरकार इस मामले में सही तरह से कार्यवाही करेगी तो प्रथम अभियुक्त एस०डी०एम० खुद ही होंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। गाजीपुर और मण्डल स्तर के किसी अधिकारी से इसकी निष्पक्ष जांच सम्भव नहीं है। जिन नवजवानों को पुलिस पकड़ कर ले गयी है उन्हें उनके घर वापस भेजा जाए। यह अतिलोक महत्व का प्रश्न है और अविलम्बनीय है इसलिए सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरी सहानुभूति माननीय अम्बिका जी के साथ है। जो पीड़ा इनकी है क्योंकि जब नियम–56 के लिए कोई उपयोगी विषय नहीं मिलता है तो इसी प्रकार की घटना को लिया जाता है। मान्यवर, यह 7-7-98 की घटना है। चकरोड का मामला था। चूंकि वहां पर अतिक्रमण था और टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर है इसलिए इसे हटाने के लिए एस०डी०एम०, नायब तहसीलदार, कानूनगो और दो थानों के थानाध्यक्ष गये। पुलिस बल भी गया और उसको हटा दिया गया। मान्यवर, केवल एक व्यक्ति, जिनका नाम सुखराम है, उसने नायब तहसीलदार के साथ अभद्र व्यवहार किया था इसलिए उसको 151 में बन्द कर दिया। न तो वहां पर कोई गिरफ्तारी हुई है और न ही कोई गायब है। अब यादव जाति का नाम लिया गया है। बड़े दुख की बात है कि किसी जाति का उल्लेख करके यह विषय उठाया गया है।

मान्यवर, चाहे कोई जाति का हो, ब्राह्मण हो, गौड़ हो, यादव हो सब एक समान हैं। यह एक छोटी सी घटना है और उसको तूल दिये हुए हैं और पता नहीं यह कौन सी कहानी बना दी है। यह बहुत मामूली सी घटना है। यह ग्राह्यता पर नहीं आती इसलिए निरस्त करने योग्य है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह एक गंभीर घटना है। .....

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई चर्चा नहीं हो रही है। जिन माननीय सदस्यों की सूचना थी उनको ग्राह्यता पर सुन लिया गया है। माननीय सदस्य आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के भी विचार आ गये हैं। अब इस पर किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इतनी गंभीर घटना पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह उत्तर दिया कि एक आदमी था उसको 151 में बन्द कर दिया। उसका तो रिकार्ड है। लेकिन मान्यवर, मेरे पास बहुत से ऐसे नाम हैं–पातीराम, राम नरेश, दशरथ, भभूती इन लोगों को पुलिस उठाकर ले गयी है उनके बारे में कुछ पता नहीं है। उनके बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कोई सूचना नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, अब उनको दूसरे फर्जी मुकदमों में फंसा देंगे, यह सरकार फर्जी मुकदमों में फंसा भी रही है, इन्काउन्टर करा देंगे। तो यह गंभीर स्थिति पैदा हो रही है मान्यवर, माननीय सदस्य ने बड़ी गंभीरता से अपनी बात कही है कि 22 लोगों के घर गिरा दिये हैं और वह यह स्वयं देखकर आये हैं। अगर उनकी बात सही नहीं होगी तो वह अपनी विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। माननीय मंत्री जी इसका उत्तर हल्के ढंग से दे रहे हैं। यह कोई मामूली घटना नहीं है। अगर माननीय सदस्य की सूचना गलत है तो वह इस्तीफा देने

को तैयार हैं लेकिन अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी झूठे निकलते हैं तो स्वयं अपने लिए सजा तय कर लें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं तो सदन की कार्यवाही को बहुत गंभीरता से लेता हूं। मेरा प्रयास यही रहता है कि इधर उधर की बात न कही जायं। मैंने सूचना प्राप्त की थी उसकी सत्यता प्रमाणित हैं। मैंने अधिकारियों से पूछा और लिखित रिपोर्ट मंगायी है। यह हो सकता कि थोड़ा बहुत नमक मिर्च कम रह गया हो। लेकिन यह कहना कि इसमें नमक ही नमक है तो यह ठीक नहीं है। 151 में उसे बन्द किया गया है तो बेल हो जायेगी वह छूट जायेगा।

श्री राजेन्द्र–

श्रीमन्, इसमें जांच करा लें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसमें इनको जांच कराने में क्या आपत्ति है। अगर सरकार एस०डी०एम० और उन अधिकारियों को नहीं बचाना चाहती है तो इसकी जांच करा लें। उच्चस्तरीय जांच कराने में क्या दिक्कत है। जांच तो होनी चाहिये अगर दो तरह की रिपोर्ट है तो जांच करा दें। मैंने नहीं कहा कि उनको जेल भेज दे, सस्पेंड कर दें, मैंने कहा कि जांच करा लें। इसमें आपको क्या आपत्ति है ?

श्री हुकुम सिंह–

जांच किसकी करा लें। कोई घटना हो तो जांच करायें।

कुं० रेवती रमण सिंह–

माननीय राजेन्द्र यादव जी ने इस घटना को मौके पर जाकर देखा है और बयान किया है, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को अधिकारियों ने सूचना दी है। मैं कहना चाहता हूं कि श्री राजेन्द्र जी सदन के सम्मानित सदस्य हैं और सदन में घटना के बारे में बताया है। आप किस अधिकारी से जांच करायेंगे, एस०डी०एम० तो स्वयं इन्वाल्व हैं तो कमिश्नर से या किसी अन्य उच्चाधिकारी से जांच करा लें। और अगर सही तथ्य आ जाते हैं तो दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करें।

श्री हुकुम सिंह–

इसमें जांच की बात, चकरोड है या नहीं। कोई आपके सामने तथ्य है कि चकरोड नहीं है। चकरोड वह है जिस पर किसान चलता है बहुत लम्बी-चौड़ी सड़क नहीं होती है। चकरोड पर वहां अतिक्रमण था, उसको हटाने के लिये अधिकारी गये और परगनाधिकारी गये तथा राजस्व के और अधिकारी गये, पुलिस बल को लेकर गये और जो टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर थे उनको हटाया। अगर कहते हैं कि चकरोड नहीं था, बिल्डिंग थी तो मैं जांच कराता अगर उसको हटवा दिया तो जांच किस बात की करायें।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय, मंत्री जी ने कहा कि जांच किस बात की करावें, मैं बताना चाहता हूं कि 50 वर्ष पुरानी आबादी के बीच में जो मकान थे उनको तोड़ा गया, ट्यूबवेल और उसकी नाली तोड़ी गई उन लोगों पर बर्बर ढंग से लाठीचार्ज हुआ, पुलिस उनको उठाकर ले आयी इस कार्यवाही की उनके पास क्या बैलिड अथारिटी थी। जो मकान तोड़े गये हैं उसकी जांच करा लें, पक्के मकान थे उनको तोड़ा गया है इसकी जांच आप करायें।

श्री हुकुम सिंह–

अगर दो आदमियों का मेडिकल दे दें कि चोटें आयी हैं, तो मैं जांच करा लूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

जो सूचना है उसको जरा देख लें।

श्री राजेन्द्र –

मान्यवर, जो सूचना है वह पक्के मकान गिराने से संबंधित है।

श्री अधिष्ठाता–

जो आपकी सूचना है वह इस प्रकार है कि जनपद गाजीपुर के थाना जंगीपुर के ग्राम मिर्जापुर में चकरोडों के पैमाइश एवं अवैध कब्जों को हटाये जाने में पुलिस के साथ मिलकर अराजक तत्वों द्वारा नागरिकों के उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि चकरोड पर पैमाइश करके जो अस्थाई मकान बने थे उनको हटाया गया। अब इसमें कहीं आपने मकानों का संदर्भ नहीं दिया है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, सूचना संक्षिप्त में होती है। जो बात मा० सदस्य द्वारा कही गई है। वह सदन की सम्पत्ति होती है। यह नियम 56 की सूचना है, कोई 301 की सूचना नहीं है। मान्यवर, ग्राह्यता पर इस प्रकार सूचना पर बोलते हैं उसके लिये अतिरिक्त तथ्य नियमानुसार और परम्परानुसार ग्राह्यता के लिए रखते हैं तो अतिरिक्त तथ्य रखने का काम माननीय सदस्य ने किया है।

माननीय सदस्य ने एक बात कही है उस विषय पर ग्राह्यता पर बोलते समय और कहा की हमारी विश्वसनीयता का परीक्षण करा लीजिये उन्होंने यहां तक कहा कि अगर वह झूंठ बोल रहे हैं तो इस्तीफा देने के लिये तैयार हैं अगर पक्के मकान नहीं गिराये गये हैं तो सदस्यता छोड़ देंगे। घर गिराने में कोई मेडिकल रिपोर्ट लाये तो यह कहां संभव है। तो मेडिकल रिपोर्ट लाने का तरीका मा० मंत्री जी सिखायेंगे तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि मेडिकल रिपोर्ट लाने का क्या तरीका है ? भविष्य में वह भी देख लेंगे। मान्यवर, इसमें जांच की बात है एस०डी०एम० इन्वाल्व है। इसलिये जिले से न्याय नहीं मिल सकता है। मेरी प्रार्थना है किसी मंडल के उच्च अधिकारी से जांच करा लें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो सूचना दी गई है, उसको वह स्वयं पढ़ लें (व्यवधान) मैं पढ़ देता हूं। मान्यवर, सूचना में कहा गया है कि जनपद गाजीपुर के थाना जंगीपुर के अन्तर्गत गांव मिर्जापुर में दिनांक 7-7-98 को चकरोड की पैमाइश और उसके अवैध कब्जों को खाली कराने की कार्यवाही हो रही थी।

मान्यवर, सूचना में नहीं दिया गया है कि मकान गिराये गये।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, सूचना में है कि मकान गिराये गये हैं। मैं पढ़ना चाहता हूं। गांव के कुछ दबंग लोग जिनका मेल जोल स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन से है, का अवैध कब्जा हटवाने का दबाव जब गांव वालों ने बनाया तो जाति विशेष के लोगों को सबक सिखाने की बात कहते हुये उप जिलाधिकारी सदर गाजीपुर थानाध्यक्ष जंगीपुर के साथ मौजूद पुलिस बल व पी०ए०सी० तथा स्थानीय दबंगों व उनके गुंडों ने कोहराम मचा दिया। 27 लोगों के कच्चे, खपरैल व ईंट के मकानों को मटियामेट कर दिया।

दर्जनों लोग जिनमें महिलायें भी शामिल हैं घायल कर दिया । पूरा गांव छावनी की शक्ल में तब्दील हो गया है । सारा गांव खाली हो गया है और अनेक नौजवानों को पुलिस पकड़ कर ले गई है किन्तु उनकी गिरफ्तारी से इन्कार कर रही है ।

मान्यवर, सूचना में सारी बातें हैं लेकिन संसदीय कार्य मंत्री इन्कार कर रहे हैं । 27 लोगों के मकान गिराये गये हैं ।

श्री बाबूराम यादव–

आपके समक्ष स्पष्ट हो गया है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आधी सूचना पढ़ी आधी छिपा लिया । सूचना में मकानों के गिरने की बात है । मैं कहना चाहता हूं कि जहां चकरोड होते हैं वहां मकान नहीं होते हैं और जहां मकान होते हैं वहां चकरोड नहीं होता है । गाजीपुर में एक जाति विशेष के ऊपर अत्याचार हुआ है । इतना अत्याचार तो अंग्रेजी हुकूमत में भी नहीं हुआ होगा । संसदीय कार्य मंत्री जी ने सूचना को छिपाया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, गये थे चकरोड नापने और गिरा दिये बस्ती के घरों को । जब चकरोड नापने गये तो लोगों ने कहा कि पहले उनके नापो जिनका अवैध कब्जा है तो गरीब लोगों का यह कहना अनर्थ हो गया उनके पक्के मकान गिराये गये, उनके ट्यूबवेलों की नालियां ट्रैक्टर और बुलडोजर से गिरा दिया । दूसरी बात अगर माननीय अधिष्ठाता जी आप इस राय के हों कि मेरे लिखने में कमी है तो टिप्पणी में दर्ज कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप जैसे वरिष्ठ सदस्य के बारे में यह धारणा नहीं बन सकती है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

सूचना में चकरोड पैमाइश करने की प्रक्रिया का उल्लेख है । अब माननीय सदस्य को अगर यह कहना है कि यह भूलवश छूट गया था गांव का उल्लेख करना और गांव में जाकर अलग से गिराया गया है चकरोड से अलग हटकर तो इसको फिर से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसकी पुनः जांच करा लें कि गांव में चकरोड से अलग हटकर डिमाल्यूशन की प्रक्रिया हुई है, इसकी जांच करा लें । इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन्, उच्च स्तरीय कमिश्नर लेविल पर जांच करवा लें ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, आपका आदेश शिरोधार्य है । अगले सप्ताह सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय इतना आदेश करवा दें । संसदीय कार्य मंत्री ने आधा वक्तव्य छिपाया है । मेरा अनुरोध है कि अगले सप्ताह सदन में रिपोर्ट आ जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अब यह रिपोर्ट देने की कोई नई परम्परा पैदा हुई है । यहां पर जब अध्यक्ष पीठ से निर्देश आता है तो वह आश्वासन होता है ।

श्री दद्दू प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। हरिजन शब्द सदन की भाषा नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बड़े जिम्मेदार हैं अभी अपने जवाब में उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया। मेरा अनुरोध है कि इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसके लिये खेद व्यक्त करें। मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सदन की यह भाषा नहीं है। हरिजन का क्या अर्थ होता है ?

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, मैं इसको कार्यवाही से निकलवा दूंगा अगर कार्यवाही में यह शब्द कहा गया होगा तो।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कौन सा शब्द ? मैंने नहीं कहा है।

श्री अधिष्ठाता–

आपका कहना है कि आपने उत्तर देते समय हरिजन शब्द का प्रयोग किया है, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं कार्यवाही दिखवा लूंगा अगर यह शब्द उसमें होगा तो हटाया जायेगा।

(व्यवधान)

मैंने व्यवस्था दे दी। आपकी बात आ गई है। अगर कार्यवाही में इस शब्द का उल्लेख किया गया होगा तो उसको निकाल दिया जायेगा।

श्री दद्दू प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं संरक्षण चाहते हुये आपसे कहना चाहता हूं कि पीठ से निर्देश हो जाने चाहिये कि कोई भी सदस्य और कोई भी माननीय मंत्रीगण इस शब्द का प्रयोग न करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं संरक्षण चाहते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन के सामने हरिजन शब्द का प्रयोग किया और प्रत्युत्तर में कहा कि नहीं कहा। आपने निर्देश दिया कि यदि होगा तो निकाल दिया जायेगा। अगर कार्यवाही में है तो क्या संसदीय कार्य मंत्री खेद व्यक्त करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मौर्य जी यह प्रकरण समाप्त हो गया। इस पर व्यवस्था आ गई। [illegible] आगे कार्यवाही बढ़ायें।

(व्यवधान)

श्री जटा शंकर–

मान्यवर, जिस शब्द को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा है उसी शब्द को यह लोग बार-बार कह कर प्रयोग कर रहे हैं। यह आपत्ति जनक है।

(व्यवधान)

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें। यह प्रकरण समाप्त हो गया है। अगली सूचना श्री चन्द्रनाथ सिंह जी की है।

श्री मुराद लारी–

मान्यवर, पीठ से निर्देश दे दें संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, 5 जुलाई से प्रतापगढ़ में प्रातः से लगातार तीन दिन से बरसात होती रही। संभवतः आजादी के पचास साल में इतनी ज्यादा बरसात नहीं हुई है। तीन दिन मूसलाधार बरसात हुई। शहरी क्षेत्र में सदर ब्लाक मान्धाता ब्लाक में सभी मकान, घरों में पानी भर गया है, झोपड़ियां गिर गई हैं। कई पुलिया बह चुकी हैं। सड़कें बह गई हैं। पूरा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मैं चाहता हूं सरकार तत्काल सारी कार्यवाही सदन की स्थगित करके चर्चा कराये। सरकार आश्वासन दे, गरीबों के जो मकान गिर गए हैं उनको विशेष राहत दी जायेगी ताकि वह मकान बना सकें। पुलिया जो बह गई हैं, सड़कें जो बह गई हैं, उनको तत्काल बनवाया जाए। लोगों की कमर से ऊपर पानी भरा है। जिला अस्पताल में पानी भर गया है वहां जल निकासी की व्यवस्था करा दें। ताकि मजदूर काम कर सकें। सर्विस वाले अपने दफ्तर जा सकें। स्कूल, कालेज में बच्चे पहुंच सकें।

मान्यवर, सदन की कार्यवाही को स्थगित करके प्रतापगढ़ के जल भराव के संबंध में चर्चा कराई जाय। शासन इस पर तत्काल राहत दे सरकार यह घोषणा करे। संसदीय कार्य मंत्री जी घोषणा करें कि कितनी राहत की धनराशि दे रहे हैं। रेडियो और दूरदर्शन पर भी इस वर्षा के बारे में कहा गया है यह अति लोकमहत्व का प्रश्न है इस पर चर्चा कराई जाए और सरकार आश्वासन दे कि कितनी राहत दी जाएगी अगर यह राहत नहीं देती है तो मैं समझूंगा यह सरकार जन विरोधी है, कमाने खाने के लिए बैठी है, इनका जनता से कोई वास्ता नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस लोकमहत्व के विषय पर चर्चा कराएं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसी से संबंधित मेरा प्रश्न है, सुन लें। बाढ़ से संबंध है। कानपुर महानगर में पानी भर गया है, घरों में पानी भर गया है। आपके घर में भी पानी भर गया है, नियम 311 में यह सूचना है। मैं संरक्षण चाहता हूं, इसी सूचना से संबंधित है, जल भराव से संबंधित है। इसलिए आपसे निवेदन है इसको इसी के साथ लेकर सुन लें। कानपुर महानगर में हाहाकार मचा हुआ है। मेडिकल कालेज में चिकित्सा व्यवस्था खत्म हो गई है। इसको इसी के साथ ले लें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चन्द्रनाथ सिंह जी की सूचना जो है यह नियम 56 में ली गई इसमें कार्यवाही पूरी हो जाए।

(व्यवधान के मध्य)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, जब दो विषय एक ही तरह के हों तो उनको एक साथ सम्बद्ध कर लिया जाता है। दोनों को सुनकर संसदीय कार्यमंत्री जी से उत्तर दिलवा दें।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है। नियम 56 की कार्यवाही पूरी हो जाए उसके बाद भगवती प्रसाद सागर, राजाराम व वर्मा जी की जो सूचना है उसको सुन लूंगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, एक सूचना मैं दो दिन से दे रहा हूं कि छः लाख शिक्षक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आज कारपोरेशन के अधिकारी भी हड़ताल पर जा रहे हैं। इस तरह से 27 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यह महत्वपूर्ण और लोकमहत्व का विषय है, तात्कालिक है, पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। किन्हीं कारणों से यह नियम 56 में नहीं आ पा रहा है। जब नियम 56 की सूचनाएं समाप्त हों उसके बाद सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

कुंवर साहब आप वरिष्ठ बल्कि अति वरिष्ठ सदस्य हैं। आपकी सूचना शलाका में नहीं आई होगी उसको पुनः दे दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सदन में परम्परा रही है कि जो अति महत्वपूर्ण सवाल हों, पूरे प्रदेश से जुड़े हों, अविलम्बनीय हों, उनको नियम 56 की सूचना के बाद सुन लिया जाता है। अभी दो दिन पूर्व ही ऐसा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 56 की सूचना के बाद एक सूचना मैंने ले ली है। आप फिर से लगा दें। जो बाढ़ की स्थिति है इस को मैंने पहले ही कह दिया कि नियम 56 के बाद सुन लूंगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, दो दिन पूर्व ही अध्यक्ष जी ने इस तरह की व्यवस्था दी थी। मेरा मामला अति महत्वपूर्ण है आप एक सूचना सुनेंगे उसके बाद मुझे भी सुन लें। मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। यह 27 लाख लोगों का मामला है।

आपकी कठिनाई समझ रहा हूं, आप मेरी कठिनाई समझें। एक जगह की घटना नहीं पूरे प्रदेश से संबंधित है। आज से शिक्षक हड़ताल पर हैं, विद्यार्थियों को टी० सी० नहीं मिल रही है। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व एवं तात्कालिक है, नियम 56 की जो ग्राह्यता की शर्तें होती हैं, कोई भी शर्त ऐसी नहीं है जिसको यह पूरी न करती हो। आप सभी सूचनाएं सुन लें उसके बाद 10 मिनट का समय देने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता–

श्री चन्द्रनाथ सिंह की सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री जी अपना पक्ष रखें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह आदेश दे दिये गये हैं कि जहां पर दैवी आपदा हो वहां पर राहत पहुंचाई जाए इसके लिए 12 लाख 10 हजार की धनराशि पहले स्वीकृति की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सभी

जिलाधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं। शासन की स्वीकृत की प्रत्याशा में ट्रेजरी के नियम 27 में धन आहरण कर पीड़ित परिवारों की सहायता करें।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, जो कच्चे मकान गिर गये हैं उससे लोग बेघर हो गये हैं। पुलिया व सड़क भी टूट गयी है इसके लिए माननीय मंत्री जी घोषणा कर दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, राजस्व विभाग के द्वारा नियम निर्धारित है कि किस तरह के मकान की क्या मालियत है उसकी रिपोर्ट आयेगी उसके बाद स्वीकृति दी जायेगी। यह मैंने वह धनराशि बताई है जिससे कोई अविलम्बनीय कार्य किया जाना हो तो किया जायेगा जैसे पानी निकालने के लिए पम्प लगाना हो तो उसके लिए है।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, जिनके मकान गिर गए हैं उनके लिए कोई घोषणा कर दें नहीं तो इस पर चर्चा करा दें। पुलिया और सड़क भी टूट गई हैं।

श्री अधिष्ठाता–

पुलिया और सड़क का तत्काल राहत से कोई संबंध नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि 12 लाख पहले ही भेज दिया है तत्काल राहत के लिए। शासन स्तर पर एक मानक है उस हिसाब से एसेस्मेन्ट किया जायेगा और फिर शासन सहायता प्रदान करेगी।

यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है इसलिये इसे अग्राह्य कर रहा हूं। इसके साथ ही शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि वहां राहत कार्य यथाशीघ्र करेंगे।

(श्री रामपाल जी के उपस्थित न होने पर)

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, मैं आप की अनुमति से जो विषय सदन की संज्ञान में ला रहा हूं वह अत्यन्त लोकमहत्व का और तात्कालिक है। हमारे जिला छत्रपति शाहू जी महाराज नगर में अछूत लोगों को कुएं एवं सार्वजनिक हैण्डपम्प से पानी नहीं भरने दिया जा रहा है।

पूरे छत्रपति शाहूजी महाराज नगर में पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो गया है। पठारी क्षेत्र होने के कारण वैसे भी वहां पेयजल दुर्लभ है। वहां पूरे क्षेत्र में समाज व्यवस्था द्वारा अपमानित तथा कथित अछूत जाति के लोगों को सार्वजनिक हैण्डपम्प, सार्वजनिक तालाब, कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता है, उन लोगों को मजबूरन नदी, नालों आदि से पानी लेना पड़ता है, जिससे तमाम संक्रामक बीमारियां पैदा हो जाती हैं।

खेलकूद एवं युवा कल्याण-मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि यह अछूत जाति कौन सी है, इसका क्या मतलब है ?

श्री दद्दू प्रसाद–

जो आपकी समाज व्यवस्था के द्वारा बनाई गई है, वही अछूत जाति है तो मान्यवर, वहां के पेयजल की गंभीर स्थिति के निराकरण के लिये मैंने अपने विधायक कोटे से 25 हैण्डपम्प लिखे और इसी तरह का एक हैण्डपम्प रामसजीवन पासी, अमरजीत चमार के घर के पास ग्राम पूरबताई, ब्लाक मऊ में

यूनीसेफ के लोग लगाने गये, मुझे चमार कहना स्वीकार है, हरिजन कहना स्वीकार नहीं है। उन्होंने 40 फीट जब बोर कर दिया तो उस ग्राम के दबंग लोग लामबन्द होकर आ गये, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी उसी गांव के रहने वाले हैं, वह तथा ग्राम प्रधान भी आ गये, बन्दूकें लेकर और उन्होंने कहा कि इस जगह पर हैण्ड पम्प नहीं लगेगा और यूनीसेफ वालों को वापस कर दिया। यूनीसेफ के सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के पास गये और उनसे कहा कि हमें पुलिस बल उपलब्ध कराइये ताकि हम वहां हैण्ड पम्प लगा सकें।

यहां, यह भी बताना चाहूंगा कि एक जमाना वह था, जब मनुस्मृति के आधार पर अछूत बनाये गये लोगों को तालाब, कुएं का पानी पीना मना था और बाबा साहब अम्बेडकर को महाराष्ट्र के महाद गांव के बावदार तालाब का पानी पीने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, वही व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी आज भी जारी रखना चाहती है, आज भी यह मनुस्मृति को लागू किये हुये हैं और इन्होंने प्रकारान्तर से अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर दिया है कि कमजोर तबके के लोगों को परेशान किया जाय। मान्यवर, मैं बता रहा था कि जब अभियन्तागण वहां जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मिलने गये तो भाजपा जिलाध्यक्ष के दबाव में पुलिस बल देने से मना कर दिया गया। आज भी वहां चितरवार, बरूवा, हटवाहिन, मवई कलां, रगोती, बीबीपुर, लताई, सुहेल, इन्नाविलैक, वभगढ, वरियारी, करई कलां आदि तमाम गांवों में पासी तथा मेहतर जाती के लोगों को सार्वजनिक हैण्ड पम्प, तालाबों, कुओं आदि से पानी नहीं भरने दिया जाता है और इस संबंध में पुलिस कोई भी कार्यवाही करने का काम नहीं करती। नियमानुसार इसमें छुआ छूत का मामला कायम होना चाहिये परन्तु पिछली 22 सितम्बर को इसी सरकार ने अनुसूचित जाति निवारण ऐक्ट को खत्म करने के लिये अध्यादेश पारित किया इसी का नतीजा है कि आज भी वहां लोगों को पानी नहीं भरने दिया जा रहा है, मैं तो इस चीज को साक्षात देखता हूं, इसलिये आपका संरक्षण चाहता हूं और आपसे मांग करता हूं कि आप अपनी पीठ से ऐसा निर्देश दें कि जो 25 हैण्ड पम्प स्वीकार किये गये हैं, वह चाहे पुलिस बल भेजकर लगवाये जायें लेकिन लगने चाहिये। परसों मुझे सूचित किया गया कि शिवमूरत कोरी, ग्राम बढ़वा, ब्लाक मऊ के यहां 60 फीट बोर की गयी मशीन वापस उखड़वा दी गयी और मशीन वापस चली आयी है यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है, तात्कालिक है इस पर आप अपनी व्यवस्था दें सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसको हल्के ढंग से न लिया जाए इस पर आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देशित करें।

पर्यावरण राज्य मंत्री (श्री विवेक कुमार सिंह)–

मान्यवर, दद्दू प्रसाद जी मेरे मित्र हैं, मेरे जिले के हैं, यह वहां पर किसी गांव का नाम बताएं कि कौन सा गांव है जहां किसी अनुसूचित जाति के भाई को रोका गया है पानी पीने के लिए। यह मात्र वोट की राजनीति के लिए ऐसा कहा जा रहा है। मान्यवर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो। मान्यवर, हमारे जनपद में या प्रदेश में कोई ऐसी घटना यह बता दें जहां इस तरह की घटना हुई हो। यह जाति का जहर फैलाया जा रहा है। मान्यवर, हम लोगों ने इस बात का निर्णय मीटिंग में लिया है कि किसी के घर के सामने हैण्ड पम्प नहीं लगाया जाएगा, हैण्ड पम्प सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक बस्ती में लगाया जाएगा। हैण्ड पम्प फलां के घर के सामने लगा दिया जाय तो इसमें होता यह है कि वह अपने घर की बाउन्डरी को बढ़ाकर अपने घर में कर लेता है और वह इन्हीं के लोगों को पानी नहीं पीने देता है। मान्यवर, इन्होंने जो कहा है इस प्रकार की घटना बांदा जनपद में नहीं हुई है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, दद्दू प्रसाद जी ने स्थान बताया कि इस स्थान पर लगना चाहिए उस स्थान पर लगना चाहिए तो उसको रोकवा दिया गया इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं यह इनका अधिकार है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी उसी जनपद के रहने वाले हैं हमारे साथी ने उल्लेख किया किसी के मकान के सामने न लगाकर सार्वजनिक स्थान पर लगाया जायगा। मान्यवर, यह पूरी कम्युनिटी के लिए है, पूरे समाज के लिए है, हर वर्ग के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। हैण्ड पम्प का सहारा लेकर कोई इस तरह की बात करे, यह उचित नहीं है। माननीय सदस्य ने पेयजल की सूचना दी और उसमें बखान कर दिया पूरे दर्शनशास्त्र का, कि भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ? मान्यवर, भाजपा के लोग वही हैं जिन्होंने एक दलित महिला को प्रदेश के सर्वोच्च स्थान पर बैठाया।

श्री दद्दू प्रसाद–

आपकी मजबूरी थी।

श्री हुकुम सिंह–

हमारी मजबूरी थी, एक दलित महिला जब इस प्रदेश के गेस्ट हाउस के कमरे में बिना पानी के, बिना रोशनी के, बिना खाने के बन्द थी इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो बचाकर लाये थे। दो बार हमने यहां बिठाया और एक बार जान बचाई और आज आप यह कहते हैं कि आपकी मजबूरी थी। आपको तो आभार मानना चाहिए था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मान्यवर, कहा कि किसी के घर के सामने नहीं लगेगा। मान्यवर, अनुसूचित जाति की बस्ती में यह लगना है और गांव का भी उल्लेख किया गया है तो किसी के घर के सामने रहेगा ही। पूरे बस्ती के अन्दर न लगे और बस्ती के एक कि०मी० बाहर लगे तो उसका क्या अर्थ होगा ? मान्यवर, घर के सामने भी एक प्लेस होती है तो बीच में हो सकता है। अब उसमें लीपा-पोती करके पर्दा डालना यह गलत चीज है [x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा आरोप लगाने की अलग प्रक्रिया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विधायक के कोटे में 25 हैण्ड पम्प दिये गये हैं इसके अन्तर्गत कार्यवाही माननीय सदस्य ने की है एक पर्टिकुलर सूचना दी है पूरब पत्ताई गांव की। मान्यवर, जो घर के सामने की बात है अब यह वेल है बीच में उनके भी सामने है हमारे भी सामने है तो जो संस्तुत किया है वहां लगना चाहिए इस पर आपका हम संरक्षण चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मौर्य जी, जैसा पता है कि बस्ती में या तो मार्ग होता है या तो सार्वजनिक स्थान कोई नहीं होता है, एकदम इस तरह का कड़ा नियम नहीं है कि सार्वजनिक स्थान गांव में नहीं होता है। मैं

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आपकी भावनाओं से सहमत हूं कि हैण्ड पम्प ऐसे जगह पर लगना चाहिए जहां से अधिकांश लोगों को लाभ मिल सके । किन्तु आप लोग सहमत होंगे कि कई बार गांव में छोटे-मोटे विषय को लेकर विवाद हो जाता है ऐसे अवसर को लेकर कई बार प्रयास ऐसा होता है कि हमारे नजदीक तो रहे हमारे सामने न रहे । अगर कहीं कोई प्रकरण आपस में विवाद का है तो उसके अगल-बगल जहां विवाद नहीं है और सारे लोगों को लाभ मिल सके । माननीय दद्दू प्रसाद जी को प्रयास करके कोई हल निकालना चाहिए ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, अप्रैल महीने में मैंने 8 हैण्डपम्प उच्च वर्ग की बस्ती में संस्तुति करके लगाए । उसमें ग्राम प्रधान ने दबंगई करके अपने स्थानों पर लगवाये मैंने विधायक कोटे से अनुसूचित जाति की बस्ती में लगाने के लिए लिखा वे लोग नदी का पानी लेने जाते हैं दो कि०मी० चलकर हमने दो हैण्ड पम्प के लिए लिखा । यह स्वीकृत सूची हमारे पास है । इसमें कहीं किसी के घर के सामने नहीं लिखा है प्रशासन इससे सहमत है मानक के आधार पर आ रहा है लेकिन नहीं लगने दिया माननीय मंत्री विवेक सिंह जी को तो धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे सहयोग से जीत गये और आज पाला बदलकर उधर चले गये हैं एक भी पूरे प्रदेश का उदाहरण बता दें जहां अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने गुन्डई करके अपने घर के अन्दर हैण्ड पम्प करा दिया हो मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर बता देंगे, लेकिन वहीं हजारों प्रकरण ऐसे हैं जहां उच्च वर्ग के दबंग लोगों ने दबंगई करके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक हैण्ड पम्प को अपने बाड़े के अन्दर कर लिया है । इस समस्या पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कोई बात नहीं रखी । मान्यवर, मैं पीठ से आपका संरक्षण चाहता हूं हमारे अधिकार में 25 हैण्ड पम्प मिले हैं नहीं लगने दिये जा रहे, जहां जरूरत है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप लोग बैठें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, किसी विधायक के कोटे के हैण्ड पम्प को कोई मनमाने ढंग से लगवाने के तो अधिकार जो दिया गया है उसमें तो अतिक्रमण है ।

(श्री दद्दू प्रसाद तथा उनके साथ अन्य बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे ।)

श्री अधिष्ठाता–

श्री मौर्य जी आप दल के नेता हैं, अपने सदस्यों को संयमित कराइये । आप लोग कृपा करें अपने-अपने स्थान पर जायें । अभी मैंने व्यवस्था दी नहीं और आप लोग पहले ही सदन के फ्लोर पर आ गये, यह अनुचित बात है । आप लोग अपने स्थान पर जाने का कष्ट करें । दबाव डालकर यदि आप व्यवस्था चाहेंगे तो श्री मौर्य जी भी इसे उचित नहीं मानेंगे और न ही यह उचित बात है ।

(श्री दद्दू प्रसाद जी के साथ अन्य बी० एस० पी० के सदस्य जो सदन के फ्लोर पर आये थे, वह अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

एक प्रकरण यहां पर आया । श्री दद्दू प्रसाद जी कहीं पर हैण्ड पम्प लगाना चाहते हैं । शासन के निर्देश भी हैं । विधायक जी ने सूची दी है और स्थान भी दिया है । 10-5 मीटर में कहीं सामंजस्य बैठाकर यह काम होना चाहिये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

पूरी बस्ती में एक भी हैण्ड पम्प नहीं है । श्री ददूदू प्रसाद जी ने हैण्ड पम्प दिये । वहां के लोग दो किलोमीटर दूर जाकर के नदी से पानी लाते हैं । उस बस्ती भर में क्या कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं है, अनुसूचित जाति की बस्ती में सार्वजनिक स्थान नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपने जो बात कही है उससे यह लगता है कि वह पूरी बस्ती अनुसूचित जाति की है और वहां पर एक भी हैण्ड पाइप नहीं लगाया गया है ।

(व्यवधान)

माननीय विधायक जी का यह अधिकार है कि वह जिस सार्वजनिक स्थल का चयन करें वहां पर हैण्ड पाइप लगना चाहिए ।

श्री राम जग–

मान्यवर, यह विधायकों के अधिकार का मामला है । उन्होंने अपने उस गांव में स्थान का चयन किया था कि यहां पर हैण्ड पम्प लगाया जाय और इस हेतु प्रस्ताव भेजा था ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम जग जी आपके इस सूचना पर हस्ताक्षर नहीं हैं और जिन सदस्य के हस्ताक्षर नहीं होते हैं उन्हें नहीं सुना जाता है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी बात कह रहे थे । आप कृपया बैठ जायें मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । यह कोई परम्परा नहीं है ।

श्री राम जग–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने प्रस्ताव भेजा कि यहां पर लगाया जाय लेकिन वहां पर नहीं लगाया जा रहा है तो कृपया इसे सुनिश्चित करायें कि जो भी माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव भेजें उसको लगाया जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बहुत छोटे से प्रकरण पर इतनी लम्बी चर्चा हुई । माननीय विधायक जी उस क्षेत्र के विधायक हैं और अगर ऐसी कोई भेदभाव आपकी नजर में आया है तो हम आशा करते हैं कि वह जिला प्रशासन की जानकारी में आया होगा ।

(व्यवधान)

अगर कोई ऐसी बात है तो हमें आकर बता दें । अगर ऐसी कोई स्थिति आयी है तो उस स्थिति में बैठकर निस्तारण करना चाहिए ।

(व्यवधान)

*श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री कह रहे हैं कि इसलिए उखड़वा दिया कि यह आदेश दिये गये हैं कि किसी के घर के सामने नहीं लगना चाहिए । तो अगर इस तरह के आदेश हैं तो कोई स्थान बच नहीं

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सकेगा । मान्यवर, यह पूरे 425 विधायकों का मामला है, उनके अधिकार का प्रश्न है, उनकी गरिमा का प्रश्न है । मान्यवर, यदि इसी तरह से चयनित स्थलों से, जबकि वह मानक पूरा करता है, उखड़वा दिया जायेगा तो यह ठीक नहीं होगा । इस पर मैं आपसे विनम्रतापूर्वक संरक्षण चाहता हूं । यह केवल एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय दद्दू प्रसाद जी ने वहां के लिये हैण्ड पम्प आवन्टित किया है, वहां पर लगना है । अनुसूचित जाति की वह बस्ती है, किसी बिन्दु पर आपस में सामंजस्य हो सकता है, विवाद जो होगा वह थोड़ा बहुत होगा कि यहां लगे और वहां न लगे ।

(व्यवधान)

आप मेरी बात को सुन तो लें, फिर कहें ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मुझे एक मिनट दे दें, स्थिति स्पष्ट हो जाये । माननीय सदस्य अपनी बात को, अपनी भावना को आप तक नहीं पहुंचा पाये हैं, एक मिनट इजाजत दे दें, तो मैं स्पष्ट कर दूं । मैं कोई घटना पर नहीं बोलूंगा । वह गांव अनुसूचित जाति के लोगों का है, उसमें सवर्ण बस्ती में हैण्ड पम्प लगा हुआ है और जहां पर माननीय दद्दू प्रसाद ने हैण्ड पम्प दिया, वह अनुसूचित जाति की बस्ती है और वहां पर उसे नहीं लगने दिया जा रहा है । जल निगम द्वारा निर्धारित जो मानक हैं, उनको पूरा करता है, अनुसूचित जाति की बस्ती में लगना चाहिए था, लेकिन लगने नहीं पाया । विधायकों को 25 हैण्ड पम्प दिये गये हैं, जहां पर कहेंगे वहां पर लगना चाहिये । अनुसूचित जाति की बस्ती में आज तक हैण्ड पम्प नहीं लगा है, तो कहीं पर सार्वजनिक स्थान पर ठीक स्थान देखकर हैण्ड पम्प लगा दिया जाये, जिससे उनको पानी उपलब्ध हो पाये ।

श्री अधिष्ठाता–

कहने का मतलब यह है कि उस बस्ती में ही हैण्ड पम्प नहीं है ।

श्री दद्दू प्रसाद–

उस बस्ती में ही नहीं लगने देना चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, आपकी बात आ गयी ।

श्री दद्दू प्रसाद–

वहां पर हैण्ड पम्प बोर करने के लिये मशीन गयी और 40 फिट तक बोर भी किया और जबरिया भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उसी गांव के रहने वाले हैं, उनके घर के लोग इसमें शामिल थे, उस मशीन के चलाने वालों को भगा दिया और इसमें तो मुकदमा कायम होना चाहिये, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गयी है, परन्तु मैंने मुकदमें की बात नहीं की है, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, लेकिन मुझे संरक्षण नहीं मिल रहा है ।

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य श्री दद्दू प्रसाद और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद, यह बात आयी कि वहां पर अनुसूचित जाति की बस्ती में ही हैण्ड पम्प नहीं लगने दिया जा रहा है, अगर यह है तो उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये..

(व्यवधान)

आप मेरी पूरी बात को तो सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मेरी बात सुन लीजिये। मैं कहने क्या जा रहा हूं (व्यवधान)

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, विधायकों को संरक्षण दें, हम लोगों को जो 25-25 हैण्डपम्प दिये हैं वह लगेंगे या नहीं (व्यवधान)

(घोर व्यवधान ब०स०पा० के कई सदस्य श्री दद्दू प्रसाद, श्री लालमणि श्री मुरादलारी आदि सदन के मध्य आ गये और नारे लगाने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

आप व्यवस्था सुन लीजिये (व्यवधान) आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, वेल में क्यों आ रहे हैं ? माननीय मौर्य जी मैं व्यवस्था दे रहा हूं। स्थान ग्रहण करें। सदन का समय जाया इस प्रकार क्यों कर रहे हैं ? (व्यवधान) माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) मैं सदन को 2.15 तक स्थगित करता हूं।

(इस समय 2 बजकर 7 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी)

(2 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है।)

(2 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हो रही है इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिस प्रकरण पर चर्चा हो रही थी, मैंने पहले ही बताया था कि सरकार की तरफ से 25 नल लगाये जाते हैं वह माननीय विधायकों के विवेक के अनुसार लगाये जायेंगे।

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने श्री दद्दू प्रसाद जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती इस लिये अग्राह्य की जाती है।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मेरी एक सूचना ग्राह्य हुई थी। आपने मेरा नाम पुकारा लेकिन उस समय मैं पानी पीने चला गया था।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, दो मिनट में अपनी बात कह दें।

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रकरण समाप्त हो चुका है। आप जो कह रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आप जो कह रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा।

*श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, जनपद जालौन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हर दिन डकैती, अपहरण, हत्या जैसे जघन्य कृत्य हो रहे हैं। मान्यवर, यह घटनाएं निरन्तर हो रही हैं और नियंत्रण न होने के कारण जो मैंने अपनी सूचना के माध्यम से दिया है चाहे मानवती का मामला हो, सोमू बलात्कार हो डकैती हुई जिसमें दो दर्जन लोग घायल हुए हैं। जालौन शहर में एक व्यापारी की सरेशाम हत्या करके रुपये छीनने का मामला हो, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। न, नामजद लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। पुलिस कर्मियों और उप निरीक्षकों की मार-पीट और बेइज्जती हो रही है। अभी हत्या में प्रयोग की गई रायफल को एक सब इन्सपेक्टर ने एक सज्जन के यहां बरामद की। उस दरोगा को जूतों से मारा पीटा गया, मुर्गा बनाया गया।

राजनैतिक दबाव के कारण मामले को रफा-दफा कर दिया गया। अभी उरई में जिला मुख्यालय में पिछले हफ्ते एक होटल के पास 3-4 पुलिस कर्मियों को मारा-पीटा गया, उन्होंने मुकदमा भी लिखवाया लेकिन वह मुकदमा एक्सपंज हो गया। दो दिन बाद फिर पुलिस कर्मियों की मार-पीट हुई मुकदमा लिखाया गया फिर वापस हो गया। उल्टे पुलिस कर्मी दण्डित किये जा रहे हैं। जब निरन्तर पुलिस की ठोकाई पिटाई चल रही है, इनकी बेइज्जती की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण मिल रहा है

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो पुलिस वहां पर कोई कार्य नहीं कर रही है। 'आज' पेपर के चीफ को बताया कि जब मानवती का प्रकरण उठा था टेलीफोन पर धमकी दी जा रही है।

प्रेस की आजादी पर हमला होगा पुलिस को जूतों से पीटा जाएगा। मुर्गा बनाया जायेगा। वहां प्रदेश का क्या होगा। लूट, हत्या के मुकदमें चल रहे हैं। दोषियों को दण्डित करने और उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती है। जो मुकदमें दर्ज हुए हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन हो, नामजद लोगों की जांच कराई जाय। स्थानीय संवाददाता उरई के जो हैं, उनको धमकी दी जा रही है। मानवती प्रकरण में। जन प्रतिनिधियों को भी धमकियां दी जा सकती हैं। लोकतंत्र इस तरह से जिन्दा नहीं रह सकता है। मेरा आग्रह है जनपद जौनपुर में जो हुआ है इस मामले की जांच कराई जाय। टीम भेजकर उच्च स्तरीय जांच कसई जाय।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, इसमें जांच करायें। इस संबंध में आप समुचित व्यवस्था देने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इस बिन्दु पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मानवती प्रकरण को परसों उठाया गया था।

श्री अधिष्ठाता–

श्री श्रीराम पाल जी की केवल सूचना है और सदस्यों को कैसे सुना जाय।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

संसदीय कार्य मंत्री जी [xx x] बोलते हैं। मैं बार-बार कहता हूं। जिस तरह से सदन को गुमराह करने की बात समय-समय पर की जाती रही है वह अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

आप शांत रहें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं अपनी बात पर पुनः बल देता हूं। जिस घटना पर मा० सदस्य ने उल्लेख किया है, तो मैं कहना चाहूंगा कि किसी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया नहीं गया है।

(व्यवधान)

केवल राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस पार्टी को बदनाम करने के लिए, शासन प्रशासन को बंदनाम करने के लिए अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

श्री अधिष्ठाता–

श्री पाल जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है।

नोट :–[x xx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नियम 311 में जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उसमें नं० 6 पर श्री गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री रामजग, श्री लाल जी वर्मा, श्री किशन लाल बघेल, श्री लालमणि प्रसाद, श्री राम ललित चौधरी की सूचना है। इन्होंने मथुरा से आ रही मारुति कार से कस्बा रुनकता में दिनांक 5-7-98 को एक व्यक्ति की मौत होने तथा थाना सिकन्दरा की पुलिस द्वारा नागरिकों पर लाठीचार्ज तथा फायरिंग से एक महिला के मारे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। सातवीं सूचना श्री राम प्यारे, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री वसीम अहमद की है। इन्होंने प्रदेश में बढ़ती कत्ल, डकैती एवं राहजनी तथा वाहन चोरी की घटनाओं तथा जनपद आजमगढ़ में 3-7-98 को ए० आर० टी० ओ० कार्यालय के सामने कैशियर को लूटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(व्यवधान)

आठवें नम्बर पर श्री सौलत अली, श्री इकबाल महमूद, श्री रिफाकत हुसैन की सूचना है। इन्होंने लखनऊ स्थित अलीगंज हनुमान मंदिर में मेले के अवसर पर नशे में धुत पुलिस कर्मियों द्वारा दर्शनार्थियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार तथा दोषी पुलिस कर्मियों को दण्डित न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है।

नवीं सूचना श्री अरविन्द गिरि व डा० कौशल किशोर की जनपद खीरी में ग्राम सैदापुर में शान्तिपूर्वक धरना कर रहे नागरिकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने तथा थाना–मोहम्मदी में सदस्य विधान सभा के विरुद्ध वन कर्मियों की साजिश से झूठा मुकदमा कायम किए जाने के संबंध में।

दसवीं सूचना श्री रामाधार सिंह की जनपद हमीरपुर के थाना चिकासी के ग्राम सुकजुवां में एक अबोध बालिका के साथ बलात्कार किए जाने तथा पुलिस द्वारा विलम्ब से प्राथमिकी दर्ज किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाओं को नियम 56 में चयनित नहीं किया गया है, अतः अस्वीकार की गई। श्री विनोदमणि, श्री रामकृपाल, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री लालमणि प्रसाद, श्री राम ललित चौधरी, श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री भोला शंकर मौर्य, श्री अम्बिका चौधरी, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री राम औतार शाक्य, श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री राम सिंह सैनी, श्री दीपक कुमार, श्री उदयराज यादव, श्रीमती गौरीदेवी, श्री प्रमोद कुमार, श्री रामनरेश यादव, श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री बनारसी दास चांदना, श्री परवेज हलीम, श्री राज पाल सिंह, श्री रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार, नियम 311 में प्राप्त श्री भगवती प्रसाद सागर, श्री राजाराम पाल, श्री लालजी वर्मा, श्री रामअचल राजभर, श्री जगदीश नारायण, श्री आर० के० चौधरी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री फरीद महफूज किदवई, श्री राम सिंह सैनी, श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री समरपाल सिंह, श्री राजपाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री चन्द्रनाथ सिंह।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, आजमगढ़ में आर० टी० ओ० आफिस लूट लिया गया वहां पर एस० पी० के बंगले पर बम फेंका गया इसको आप नियम 56 में सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

आज कुल 28 सूचनाएं नियम 311 व नियम 56 की थीं इसमें से पांच को कार्य-स्थगन के लिए सुना गया, पांच पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया। बाकी सूचनाओं को अस्वीकार किया गया। अब आप पुनः कल अपनी सूचना दे दें।

(माननीय अधिष्ठाता की व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी के श्री वसीम अहमद, श्री राम प्यारे, श्री दुर्गा प्रसाद, डा० धर्मज्ञ मिश्र व कुछ माननीय सदस्य वेल में आ गए तथा नारे लगाने लगे ।)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग आसन पर जाएं । आप अपनी सूचना कल फिर दे दें । आज चूंकि पूर्व में मैंने यह व्यवस्था दी है कि नियम 56 के बाद बाढ़ की स्थिति पर जिन माननीय सदस्यों ने सूचना दी है उनको सुन लिया जायेगा ।

(समाजवादी पार्टी के वेल में आए हुए सदस्य अपने आसन पर चले गये ।)

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री इकबाल महमूद–

माननीय अधिष्ठाता जी, जिन लोगों की सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं उनके नाम पढ़ दें ।

श्री अधिष्ठाता–

जिनकी सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं उनके नाम मैंने पढ़ दिये हैं ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, अभी आप ने कहा कि सुन लिया जायेगा और माननीय सदस्यगण वापस आ गये । आप कृपा कर इनको दो-दो मिनट के लिए सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप वरिष्ठ सदस्य हैं आप को सारी प्रक्रिया की जानकारी है जो सूचनाएं शलाका में नहीं आती हैं उनको नहीं सुना जाता है । शलाका में जो सूचनाएं आती हैं उनमें से पांच सूचनाओं की ग्राह्यता पर सुना जायेगा, शेष पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया जाता है । अस्वीकृत सूचनाओं को निरस्त कर दिया जाता है । एक विषय बाढ़ पर जो सूचना आयी है, उस पर श्री पाल जी अपनी बात रखें ।

श्री वसीम अहमद–

माननीय अधिष्ठाता जी, आजमगढ़ की घटना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । आर० टी० ओ० आफिस में दिन दहाड़े डकैती पड़ी है । एस० एस० पी० और डी० आई० जी० के बंगले के पास यह घटना घटी है । एस० एस० पी० के बंगले पर बम फेंक कर अपराधी भाग गये । इस पर आप सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे आप कल दे दीजियेगा, शलाका में आयेगा तो सुन लिया जायेगा ।

श्री राम प्यारे–

मान्यवर, अत्यन्त गंभीर प्रकरण है इस पर आप सुनने की कृपा करें ।

(श्री वसीम अहमद, श्री राम प्यारे सिंह, श्री सुधाकर सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री रामतेज यादव, श्री धर्मज्ञ मिश्र आदि माननीय सदस्य सदन की वेल में आ गये और उक्त घटना को सुने जाने का आग्रह करने लगे तथा लूटपाट की यह सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाते रहे ।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें । इस तरह से बोलेंगे तो कुछ लिखा नहीं जायेगा । माननीय बाबूराम जी, आप इन माननीय सदस्यों को समझायें ।

(समाजवादी पार्टी के सदन के वेल में आये हुये सदस्य वापस अपने स्थान पर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कल अपनी सूचना पुनः दे दीजियेगा, शलाका में आ जायेगी तो अवश्य सुना जायेगा।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य अपने-अपने स्थानों से खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अभी सिंचाई और गन्ना विभाग का महत्वपूर्ण बजट है इसमें आप लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। आप लोग जो कुछ बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा। कहीं ऐसे बात उठाई जाती है। ऐसा लगता है आप लोगों की बजट में रुचि नहीं है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। सदन का समय बहुत बहुमूल्य है, इससे सभी सदस्य अवगत हैं। मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि जिस तरह आपने बाढ़ के महत्वपूर्ण विषय पर पांच सूचनाओं के अतिरिक्त माननीय सदस्यों को दो मिनट का मौका दिया, उसी प्रकार यह विषय भी महत्वपूर्ण है, आप सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, माननीय वर्मा जी आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और इस पीठ पर बैठ चुके हैं, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

आप स्थान ग्रहण करें। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मैंने व्यवस्था दे दी। अगर इसे ही व्यवस्था का प्रश्न बनाकर यह विषय कहेंगे, तो इससे दुर्व्यवस्था बनेगी।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न इस लिए है कि जिस प्रश्न को लेकर सदन का कार्य बाधित हो रहा हो, सदन सुचारु रूप से चल न पा रहा हो।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इसको दुबारा चाहें तो दे सकते हैं वह शलाका में आयेगी तो सुना जायेगा। ऐसा अनेक बार हुआ है कि एक दिन नहीं आती है तो दूसरे दिन आ जाती है।

(अनेक सदस्यों द्वारा लगातार बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठ जायं।

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के वेल में आकर नारे लगाने लगे।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग स्थान ग्रहण करें, मैं एक-एक मिनट सुन लूंगा।

(घोर व्यवधान)

आप लोग आसन ग्रहण करें अभी आजमगढ़ के प्रकरण पर सुन लूंगा।

(सदन के फ्लोर पर आये माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

श्री राम प्यारे–

मान्यवर, आजमगढ़ जनपद में तीन जुलाई, 1998 को कानून व्यवस्था को ताक पर रखते हुए मोटर साइकिल पर तीन डकैत सवार होकर ए०आर०टी०ओ० आफिस पहुंचे वहां कैशियर खजाने में पैसा जमा करने के लिए पैसा निकालकर निकल रहा था, उन्होंने उससे छीनने का प्रयास किया। उन्होंने बम एस० एस० पी० के बंगले की दीवारों पर मारा, डी० आई० जी० कार्यालय और उनके बंगले के सामने मारा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बंगले के सामने मारा, मुख्य विकास अधिकारी के बंगले के सामने मारा, उन्होंने बम डी० एफ० ओ० के बंगले पर मारा। यह सारे कार्यालय एक साथ थे। सारे डकैत बम मारे। मान्यवर, पूरे पिछले 2 महीने में आजमगढ़ में लूट की तीस घटनाएं हुई हैं।

श्री अधिष्ठाता–

केवल घटना तक सीमित रखें।

श्री राम प्यारे–

हत्या हुई 70,304 की 10 वारदात हुई, 307 की 45, अपहरण और हत्या की 24, 376 की 3–कुल 706 घटनायें घटित हुई।

मान्यवर, जब वे डकैत भागे तो जो साईरन वजा, पुलिस गाड़ियां बाद में गयीं। आजमगढ़ कस्बे में जैसे बरसात की काली रात हो सन्नाटा छा गया था कोई डकैती की गिरफ्तारी नहीं की गयी पूरे आजमगढ़ जनपद में एक आतंक का वातावरण व्याप्त है।

श्री अधिष्ठाता–

लूट, डकैती आदि का उल्लेख करना उचित नहीं है इस सूचना तक अपने को सीमित रखें।

श्री राम प्यारे–

मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर चर्चा कराई जाय।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग आसन ग्रहण करें अभी आजमगढ़ के प्रकरण पर सुन लूंगा।

(सदन के फ्लोर पर आये माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। इस समय उत्तर प्रदेश के अन्दर लूट, हत्या, चोरी, वाहन चोरी जैसे कई अपराध बढ़े हैं। जितनी घटनायें लूट, हत्या, चोरी और वाहन चोरी की बी०जे०पी० के शासनकाल में हुई हैं, उतनी किसी शासन में नहीं हुई। मैं आजमगढ़ की ओर शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। 3 जुलाई को कानून-व्यवस्था को ताक पर रखकर आर०टी०ओ० कार्यालय में घुसकर कैशियर से 2 लाख 63 हजार 411 रुपये लूट लिये गये। आश्चर्य की बात यह है कि वहीं पर एस०एस०पी० का आवास है, उससे सटा हुआ डी०आई०जी० का आवास है और उससे सटा हुआ डी०एम० का आवास है तथा उसके बाद मुख्य चिकित्साधिकारी का आवास है इसके बीच में यह घटना होती है।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम प्यारे जी के अलावा यदि आप कोई भिन्न बात रखना चाहते हों तो रखें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

दिन में 12 बजे लुटेरे मोटर साइकिल पर आते हैं और आर०टी०ओ० आफिस में बम फेकते हैं, डी०आई०जी० के आवास की दीवार पर बम फेंकते हैं और इसके बाद लुटेरे भाग जाते हैं। आज तक पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इनके भयमुक्त का नारा झूठा साबित हुआ है।

युवा कल्याण, राज्य मंत्री (श्री अमरमणि त्रिपाठी)–

जितने चोर और डकैत थे, उन्हें दुर्गा प्रसाद यादव जी जानते हैं।

(व्यवधान)

जितने चोर और डकैत थे, उन सबको दुर्गा प्रसाद यादव जी का संरक्षण प्राप्त है, इसकी सूचना सबको है।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

आजमगढ़ शहर के अन्दर डकैत 8 साल की स्कूल की बच्ची को ले गये और उसकी लाश जौनपुर में मिली ....

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें। आप विषय पर आइये।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

इसी तरह से हमारे विधान सभा क्षेत्र में दुर्जनपुर गांव में मुल्ला यादव का अपहरण करके हत्या कर दी तथा अभी तक लाश का पता नहीं चला।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था के नाम पर यह सरकार फेल हो चुकी है। इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये। आज कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। दिन दहाड़े लूट हो रही है, डकैती पड़ रही है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, आज यह भयमुक्त समाज की बात कर रहे हैं और इनके अधिकारी भी कहते हैं। क्योंकि इनके अधिकारी पीछे बैठे रहते हैं और मंत्री लोग इसको मजाक में लेते हैं इसलिये इनकी वजह से ही यह कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अगर कोई नई जानकारी आप देना चाहते हैं तो वह दे दें बाकी बातें तो माननीय सदस्यों ने कह दी है।

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

मान्यवर, चूंकि इन्होंने हमारा नाम लिया है इसलिये मैं कहना चाहता हूं।

श्री वसीम अहमद–

हमने किसी का भी नाम नहीं लिया है। मान्यवर, इसमें इस घटना के बारे में मैं श्री बलराम यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव और श्री राम प्यारे जी ने भी एस०एस०पी० से बात की।

(व्यवधान)

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

मान्यवर, सारी लूट तो यही लोग करवा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आप लोगों को अनुमति नहीं दे रहा हूं आप लोग कृपया एक दूसरे पर आक्षेप न लगायें।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, हमने एस०एस०पी० से बात की। वहां पर डी०एम० आफिस के सामने, सी०एम०ओ० के घर के सामने तथा एस०एस०पी० के दरवाजे पर बम मारा। जब हमने एस०एस०पी० से बात की तो उन्होंने यह कहा कि यह बम नहीं फटा था यह पटाखा था। वहां पर जो पुलिस थी वह भाग गई। भयमुक्त समाज की बात यह कर रहे हैं लोग आज भययुक्त हो गये हैं। जो लुटेरे हैं, गुण्डे हैं, डकैत हैं वह सब इस प्रदेश सरकार के संरक्षण में हैं तभी इस तरह की घटनायें हो रही हैं इसलिये मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर शासन का ध्यान पहले से ही आकृष्ट कर दिया गया है।

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह प्रदेश की जनता की सुरक्षा का सवाल है। जब से यह सरकार आई है इसने यह कहा है कि हमने कानून का राज बनाया है और जंगल राज को खत्म किया है लेकिन हो इसका उल्ट रहा है। माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह सही है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। मान्यवर, यहां पर केन्द्रीय दल भेजा जाना चाहिये और इस प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिये।

डा० वकार अहमद–

मान्यवर, आज पूरे शिक्षक हड़ताल पर हैं। शिक्षण कालेज बन्द पड़े हैं और छात्रों को एडमीशन नहीं मिल पा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

इस आजमगढ़ के प्रकरण को लेकर यद्यपि पहले व्यवस्था दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी सुन लिया गया है। इसलिये इसको समाप्त कर आगे चलें।

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

अध्यापक आन्दोलन कर रहे हैं और सरकार उन की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है।.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आ गये)

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

पूरे प्रदेश के बच्चों का सवाल है...इस पर चर्चा करायें।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में बैठ गये)

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्य रिपोर्टर टेबिल पर आकर जोर-जोर से बोलने लगे पूरे प्रदेश के शिक्षक हड़ताल पर हैं)

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना स्थान ग्रहण करें। (माननीय सदस्यों के सदन के वेल में बैठे रहने पर) मैं सदन को 3.30 तक स्थगित करता हूं।

(इस समय 3 बजकर 18 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी)

(3 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत सभी 5 सूचनाओं पर माननीय सदस्यों को ग्राह्यता के लिये सुन लिया गया। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। अभी जो सूचना हो रही है उस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आज मुझसे कुछ माननीय सदस्य, कक्ष में बाढ़ के संबंध में मिले थे, मैंने अनुमति दी थी, मैंने कहा था कि विशेष उल्लेख के रूप में उनकी बात सुन लूंगा। मेरा अनुरोध है कि बाढ़ की समस्या को कल उठा देंगे तो आपके विचार सुन लूंगा।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं की गयी हैं। श्री विनोदमणि, श्री राम कृपाल, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री लालमणि प्रसाद, श्री राम ललित चौधरी, श्री गौरीशंकर एडवोकेट, श्री भोला शंकर मौर्य, श्री अम्बिका चौधरी, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री राम औतार शाक्य, श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री राम सिंह सैनी, श्री दीपक कुमार, श्री उदयराज यादव, श्रीमती गौरी देवी, श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री बनारसी दास चांदना, श्री परवेज हलीम, श्री राजपाल सिंह, श्री रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य), अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) एवं अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) ....(जारी)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सिंचाई मंत्री जी, मद सं०-1-2-3-4 एक साथ प्रस्तुत कर दें। मैंने चारों मदों पर 4 घंटे का समय बहस के लिये निर्धारित किया है। वह इस प्रकार है लगभग 1 घंटा 15 मिनट सत्तापक्ष के लिये मंत्री जी के भाषण सहित। 1 घंटा समाजवादी पार्टी के लिये कटौती के प्रस्ताव के सहित, 45 मिनट बहुजन समाजवादी पार्टी के लिये और 20 मिनट कांग्रेस पार्टी के लिये और 20 मिनट अन्य दलों के लिये। 20 मिनट उत्तर के लिये जिसमें से 10 मिनट मंत्री जी के लिये और 10 मिनट कटौती के प्रस्तावक के लिये। इस प्रकार से 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। मेरा अनुरोध है कि समय सीमा का ध्यान रखें तो शायद सार्थक बहस हो जायगी और सभी माननीय दलों के नेताओं से अनुरोध है कि वह अपने दल के सदस्यों की एक सूची दे दें तो उसी सूची के अनुसार माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह अपने विचार प्रस्तुत करें।

श्री बाबू राम यादव–

आपका निर्णय शिरोधार्य लेकिन समाजवादी पार्टी को जो समय दिया है वह बहुत कम है।

श्री अध्यक्ष–

एक घंटे और 10 मिनट समय आपका हो जायगा। यह एक लक्ष्मण रेखा नहीं है अगर आवश्यकता होगी तो 10–15 मिनट का समय बढ़ जायगा।

* सिंचाई, गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या –93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,61,54,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–94 सिंचाई (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 10,53,56,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 35,64,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 21,18,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आज इस माननीय सदन को सूचित करते हुये मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि अनुत्पादक खर्च पिछला 210 क्रोड़ से उत्पादक खर्च से ज्यादा रहा है जिसके कारण से विकास की गति अवरुद्ध हुई है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि हमारा बजट विकासोन्मुखी है, किसानोन्मुखी है । मैं इस बात को हर्ष के साथ सूचित करना चाहूंगा कि इस बार सिंचाई विभाग में अनुत्पादक खर्च से ज्यादा उत्पादक खर्च व्यय किया जा रहा है । पिछले वर्ष मान्यवर जहां अधिष्ठान व्यय पर 836 करोड़ रुपये खर्च किया गया था इस वर्ष 619 करोड़ मात्र व्यय किया जायेगा वित्तीय अनुशासन से, मितव्ययिता से, अनावश्यक खर्च में कटौती करके 217 करोड़ रुपये की कमी की गई है । जो निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं उसमें काफी वृद्धि की गई है वास्तविक राशि 785 करोड़ है और अन्य जो वाह्य सहायता देने वाली संस्थाएं हैं उनसे लेकर इस वर्ष काफी वर्षों के बाद सिंचाई के निर्माण कार्य पर 1,066 करोड़ रुपये खर्च किया जायेगा यह वास्तव में सबसे बड़ा उदाहरण है ।

निश्चित रूप से जो सिंचाई अवरुद्ध हुई है उसका कारण यह है कि जो जल हमको उपलब्ध है वह 76 एम० एफ० है लेकिन हम उसका 35.5 एम० एफ० पानी का ही उपयोग सिंचाई कि लिये अर्थात् 50 प्रतिशत हम कर पाते हैं । 50 प्रतिशत जल अभी भी बह जाता है । इसका कारण यह था कि जो धन हमको उपलब्ध था उसको हमने सुनिश्चित नहीं किया । निर्माण कार्यों की जो प्राथमिकता होनी चाहिए थी वह नहीं रहीं और इन दोनों कमियों को दूर करने के लिये हमने इस बार वाह्य सहायता में काफी वृद्धि की है । पिछले वर्ष यह 304 करोड़ थी पहले की सरकारें इसे 70,80,100 करोड़ तक ही प्राप्त कर पातीं थीं लेकिन इस बार आई० आर० डी० एफ० से 150 करोड़, आई०आई०बी०पी० से 153 करोड़, वर्ल्ड बैंक से 60 करोड़ और केन्द्र के मैचिंग ग्राउन्ड से 153 करोड़ रुपये कुल 516 करोड़ रुपये अतिरिक्त संसाधनों से वाह्य सहायता प्राप्त की है । नाबार्ड से 500 करोड़ के प्रस्ताव भेजे हैं । उम्मीद है कि स्वीकृति मिल जायेगी । इसलिये सिंचाई के विकास कार्यों को तेज गति देने के लिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

धन की उपलब्धता को बढ़ाया है। निर्माण कार्यों में तेज गति देकर विकास की गति हर खेत तक पानी पहुंचाने की स्थिति और दशा बड़े स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से दिखेगी। हमने कुछ प्राथमिकताओं पर इस सिंचाई विभाग को एक दिशा दी है, विकास की दिशा दी है। हमारा लक्ष्य है कि हर खेत को पानी पहुंच सके और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कार्यों को प्राथमिकता दी है।

निर्धारित परियोजनाओं को हम विशेष रूप से महत्व देकर और विभाग की जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार पूरा पैसा देकर, उसे प्राथमिकता देकर उसके प्रशासनिक स्थिति, वित्तीय अनुशासन लेकर समयबद्ध धन देकर उसका उपयोग हो जाय ऐसा सुनिश्चित किया है। हम निर्माण कार्यों को गति देने का लक्ष्य बनायें हैं। इस सदन को सूचित करना चाहूंगा कि सन् 1968 से 1974 तक के बीच में जो परियोजनाएं शुरू हुई थीं उनकी संख्या 29 है प्रदेश में। जो नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि चल रही है उसमें से 20 परियोजनाएं पूरी करके प्रदेश के 22 लाख 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में नई सिंचाई क्षमता सृजित करेंगे। इस वर्ष चार परियोजनाएं पूरा करने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं से 1 लाख 22 हजार हेक्टेयर से नई सिंचन क्षमता सृजित होगी। इस कार्य को पूरा करने के लिये प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। यह कहा जाता है तो हमने निर्माण के मुख्य अभियन्ता को अलग कर दिया है। पहले एक अभियन्ता बहुत से काम करता था उसको अलग कर दिया है। 29 परियोजनायें जब बनीं इनकी कुल लागत 1551 करोड़ थी अब यह लागत 8,617 करोड़ हो गई है। 7 हजार 66 करोड़ की लागत बढ़ गई है। अब इस लागत को और नहीं बढ़ने देंगे। जनता का पैसा व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। जनता के पैसे का उपयोग करेंगे, खेतों में पानी पहुंचायेंगे, इसलिए लक्ष्य निर्धारित किया है। इस साल चार योजनायें पूरी कर रहे हैं पिछले साल तीन परियोजनायें पूरी की थीं। योजनाओं को जिस तेज गति से हम पूरा कर रहे हैं उस हिसाब से नवीं पंचवर्षीय योजना में हम 20 परियोजना पूरी करेंगे। 22.58 लाख हेक्टेयर नयी सिंचन क्षमता प्रदेश में करेंगे।

पूरब की सरजू परियोजना लम्बित थी जिसका लोग उदाहरण देते हैं उसको पूरा करने के लिए दो भाग में बांटकर दो मुख्य अभियन्ताओं को दिया है पिछले साल 100 करोड़ दिया था इस साल 120 करोड़ से अधिक देंगे और ज्यादा धन की जरूरत होगी तो फिर देंगे। पैसे के अभाव में किसी परियोजना को विलम्बित नहीं होना पड़ेगा। ऐसे धन की व्यवस्था हमने की है धन के अभाव में कोई परियोजना विलम्बित नहीं होगी धन का इंतजाम किया जाएगा। हमने वन परियोजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में वन सम्पदा है। कालागढ़ बांध में जल संचय नहीं होता है। बीच के क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों की बहुउद्देशीय योजनायें हैं जिससे बिजली बढ़ती, खेतों के पानी का सिंचन होता, ऊर्जा मिलती इस पर पहले ध्यान नहीं दिया गया जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बिजली घट गई इसमें भी प्रयासरत हैं। लखवाड़ योजना शुरू की गई है। 80 लाख का आवंटन हो गया है।

मान्यवर, इसी तरह से टेहरी बांध का विवाद है जिस दिन यह बन जाएगा पानी के संचय से कानपुर, इलाहाबाद तक पूरा पानी मिलेगा पानी की कमी नहीं होगी। सोनभद्र जैसे क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। वहां की योजना लम्बित है उसको शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको जल्दी शुरू किया जाएगा। जमरानी बांध लम्बित पड़ा है उसको शुरू करेंगे। श्रीमन् जो योजनायें शुरू हैं उसको हम जल्दी पूरा करेंगे। जो योजनायें शुरू नहीं हुई हैं उसको शुरू करेंगे। मान्यवर, सामान्य बजट की चर्चा में भाषण में भाग लेते हुए कहा गया कि किसी नयी परियोजना का उल्लेख नहीं है। 50 योजनायें एक साथ शुरू की हैं। हम इस चक्कर में नहीं पड़े कि नयी परियोजनाओं को लें जो चल रही हैं हम उनको पूरा करेंगे। गलत नीति हम स्वीकार नहीं करेंगे। ठोस सुदृढ़ नीति है उस नीति को अपनाया है। इसलिए हमने 14 नई परियोजनाओं का चयन किया है। जिससे उत्तर प्रदेश में सिंचन क्षेत्र में जो विषमता है। पश्चिम का क्षेत्र 85 प्रतिशत सिंचित है, बुन्देलखण्ड क्षेत्र 35 प्रतिशत सिंचित है, पूर्वी उ० प्र०, 55 प्रतिशत सिंचित है। इस सिंचन विषमता के कारण आप अप्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि

आर्थिक समृद्धि में भी विषमता है। यह विषमता घातक है। यह देश की एकता और अखण्डता के लिए, सहिष्णुता के लिए खतरनाक है। इसलिए 14 परियोजनाओं का इस तरह से चयन किया गया है कि क्षेत्रीय सिंचन विषमता समाप्त हो। 14 में से 7 परियोजनाएं बुन्देलखण्ड की हैं। तीन पूर्व की हैं। दो परियोजनाएं पश्चिम की हैं। एक परियोजना पहाड़ की है।

एक परियोजना छोटे और मध्यम नालों के बारे में है। सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इनका नियोजन शुरू करेंगे। आप जानते हैं सिंचाई विभाग की परियोजना जिस साल शुरू की जाती है उस साल से काम नहीं शुरू होता। उनके लिए डिजाइन तैयार करवाई जाती है, नियोजन करने में साल दो साल लग जाते हैं। हम नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम साल में या उसके एक साल पूर्व इन परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करा देंगे। सिंचाई विषमता के कारण जो क्षेत्रीय आर्थिक विषमता पैदा हो गई है उसको समाप्त करने की दिशा में भी हम विशेष पहल करेंगे। समरसता लाएंगे, समन्वय लाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने बुन्देलखण्ड के लिए विशेष सिंचाई पैकेज की बात की है। हम नई परियोजनाओं को शुरू करने जा रहे हैं। बुन्देलखण्ड में एक चेक डेम का सर्वेक्षण पिछले छह महीनों से करा रहे हैं। इसमें गेट लगाकर एक कि०मी० दो कि०मी० की नहरों को निकालकर सिंचाई करेंगे। बरसात में पानी रहेगा जिससे छोटे-छोटे टुकड़ों को सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। क्योंकि बुन्देलखण्ड में लम्बी-चौड़ी नहरें नहीं निकल सकतीं। राजघाट परियोजना मौदहा, गुण्डा नाला परियोजना को पूरा करने जा रहे हैं। जिससे बुन्देलखण्ड वाले यह महसूस करें कि भारतीय जनता पार्टी का शासन काल आया है जिसमें हमारे यहां भी विकास कार्य हुआ है। इस प्रदेश में ड्रेनेज की बड़ी समस्या है। जल प्लावन की बड़ी समस्या है। इस प्रदेश में 36 हजार कि०मी० नाले हैं। 8.67 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि जल प्लावन में रहती है। पहले ड्रेनों की सफाई के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते थे अब पहली बार इसमें 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है। 36 हजार कि०मी० में से 18 हजार कि०मी० नालों की सफाई की व्यवस्था की गयी है जिससे जल प्लावन की स्थिति से बचा जा सके।

8.67 हेक्टेयर जो कृषि भूमि क्षेत्र जल प्लावित रहता है इसके लिए 712 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। ताकि इसको जल जमाव से मुक्त कर दें। कृषि भूमि नहीं बढ़ रही है। 1983-84 में 171 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि थी वही आज है। क्योंकि जितना कृषि क्षेत्र बढ़ रहा है उतनी ही भूमि गैर कृषि कार्यों के लिए जा रही है। इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो भी कृषि योग्य भूमि है उसमें एक फसल के स्थान पर दो-तीन फसलें पैदा कर सकें। इसके लिए सिंचाई सुविधा बढ़ानी होगी। जल प्लावित क्षेत्र का जल जमाव से मुक्त क्षेत्र बनाना होगा। इसके लिए 712 करोड़ रुपयों के लिए विश्वबैंक को लिखा है। प्रस्ताव पेश किया है। वाह्य सहायता से हम जल प्लावित क्षेत्रों को जल प्लावन से मुक्त करेंगे।...

इस जल प्लावन में पूर्वी क्षेत्र 4.1 लाख हेक्टेयर है और इसके लिए 505 करोड़ रुपये की योजना बनाई गयी है। पश्चिमी क्षेत्र में 4.58 लाख हेक्टेयर जल जमाव का क्षेत्र है, इसके लिए 2.7 करोड़ रुपये की योजना बनाई गयी है। किसानों को बहुत बड़ी कठिनाई होती है नहर को पार कर अपने खेत में जाने में जब नहर चलता है तो उस समय उसको पैदल नहीं पार कर पाते हैं और उन्हें बहुत दूर से घूमकर खेत में जाना पड़ता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम पूरे प्रदेश के ऐसे गांवों का सर्वेक्षण करा रहे हैं जहां पैदल पुलिया की आवश्यकता है और हम ऐसी जगह पैदल पुलिया बनवायेंगे ताकि ग्रामवासियों को नहर के पार जाने में कठिनाई न हो इसके लिए चार करोड़ रुपये की योजना बनाने वाले हैं।

, नहर पटरी के बारे में हमारे माननीय सदस्य जानते हैं अब तक जितनी भी सरकारें रहीं उनको ग्राम विकास की चिन्ता नहीं थी, अगर वह ग्राम की बात या किसान की बात करते थे तो नारों में करते थे लेकिन हम बिगड़ी अर्थव्यवस्था में भी संसाधन जुटा कर गांव के विकास का कार्य कर रहे हैं, गरीब

के विकास की बात कर रहे हैं और नहर का पटरी को पक्का करा कर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कस रहे हैं । पिछले साल 1010 किलोमीटर नहर पटरी पक्की की गई थी, इस वर्ष 1000 वर्ग किलोमीटर नहर पटरी को पक्का किया जायेगा । अब हर वर्ष 1000 किलोमीटर नहर पटरी को पक्का किया जायेगा । उसके चयन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है और 15 जुलाई तक पूरा करने का दायित्व दिया गया है ।

अभी तक लोग कहते थे कि नहर की सफाई सिर्फ कागज पर होती थी हमने 19800 किलोमीटर नहर की सफाई की है थोड़ी बहुत गड़बड़ियां जरूर हुई होंगी लेकिन जब लोग मिले तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वर्षों बाद नहर की सफाई को देखा है । हमारे नहरों की कुल लम्बाई लगभग साठ हजार किलोमीटर है । अब तक जो व्यवस्था थी उसके अनुसार एक तिहाई नहरों की सफाई होती थी । पिछली बार जल्दी में निर्णय लिया था इसलिए बीस हजार किलोमीटर की सफाई कर सके, इस वर्ष शेष चालीस हजार किलोमीटर नहरों को एक साथ लेने जा रहे हैं । और तीस करोड़ रुपया उस पर व्यय करेंगे । माननीय सदस्यों से मैं यह कहता हूं कि यह मेरा काम नहीं है आप सब का काम है इसलिए कहीं कोई कमी दिखाई देती है तो आप अपनी ओर से मुझे लिखें । मैं हर जिले की सूची माननीय विधायकों के पास भेजूंगा कि उनके जिले में कौन-कौन से नहर की सफाई होने वाली है इस पर वह नजर रखें । यह कार्य आप सबके सहयोग से होगा, हम ग्राम प्रधानों को लिखेंगे कि वह बतायें उनके यहां नहर की सफाई हुई है या नहीं हुई है ।

भ्रष्टाचार है इसको हम स्वीकार करते हैं लेकिन आगे की व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त व पारदर्शी हो इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं । सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर के महीने में नहरों की सफाई होती है कहीं से भी शिकायत मिलती है तो आप मुझे अवगत करायें मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी भ्रष्टाचारी को हम नहीं छोड़ेंगे । एक कहावत है कि "बिन पानी सब सून" इसी प्रकार बिना नलकूप के सिंचाई की चर्चा भी शून्य है । नलकूप ऐसा विषय है जिससे कुल सिंचाई पांच प्रतिशत होती है लेकिन आलोचना होती है पन्द्रानवे प्रतिशत.....

(इस समय 3 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लाल जी वर्मा पीठासीन हुए)

95 प्रतिशत जिसके कारण आलोचना होती है, उसकी भी चर्चा करना जरूरी है । लेकिन मान्यवर, नलकूपों की हालत खराब है, इसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है । प्रदेश में कुल 28,872 नलकूप लगे हैं, इसमें से 1980 के पहले के 16,622 नलकूप हैं, इनके पम्प अब अपनी लाइफ खो चुके हैं, नालियां जीर्ण-शीर्ण हो गई हैं और हर साल इनकी मेन्टीनेन्स के लिये जो पैसा मिलना चाहिये, वह नहीं मिला । वर्ष 1991 में जब मैं सिंचाई मंत्री था तो अनुरक्षण व्यय को 5 हजार से बढ़ाकर 7 हजार किया था, उससे पहले की सरकारों ने नहीं बढ़ाया था, अब फिर इस अनुरक्षण व्यय को बढ़ाकर 7 हजार से 12 हजार कर रहे हैं क्योंकि निश्चित रूप से यह सबकी मांग थी, यह धनराशि कम थी, इसकी वजह से अनुरक्षण हो भी नहीं पा रहा था । मैंने पता कराया कि नालियों की मरम्मत के लिये कितना पैसा चाहिये, तो पता लगा कि सब नलकूपों की नालियों की मरम्मत के लिये 130 करोड़ रुपया चाहिये ।

अब डबटेलिंग के माध्यम से हमने जिलाधिकारियों को कहा है कि वह नालियों की मरम्मत करायें । 15000 नलकूपों के पम्प सेट बदलने की आवश्यकता थी, यह 91-92 की बात बता रहा हूं । अभी पिछले वर्ष काफी बदले गये हैं और इस वर्ष 98-99 में 3400 पम्प सेट और बदले जायेंगे । लेकिन नलकूपों की व्यवस्था और सुदृढ़ हो, इसके लिये मैं एक व्यवस्था और करने जा रहा हूं । एक ग्राम नलकूप किसान समिति का गठन करेंगे जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होगा । ग्राम प्रधान इसलिये होगा क्योंकि वह इलेक्टेड व्यक्ति होता है, भले ही अलग-अलग जगह अलग विचार रखते होंगे, लेकिन वह

सही फीडबैक दे सके, इसलिये ग्राम प्रधान को बनाया गया है, इस समिति के अन्य सदस्य वह किसान होंगे जो उस नलकूप से लाभ उठाते हैं ताकि लोग कूप चालक से प्रभावित होकर रिपोर्ट न दें।

मान्यवर, इस प्रदेश में 229 लघु डाल नहरें हैं, इसमें 377 पम्प बदलने योग्य हैं, यह सब पुरानी पीढ़ियों का पाप है, जिसकी ढोने की जिम्मेदारी हमारी होती है, इसके लिये हम भगीरथ प्रयास करेंगे और पापों को तार कर रहेंगे, आगे के वर्षों में हम इसमें भी सुधार करेंगे।

मान्यवर, इन सबकी व्यवस्था के लिये हमने जनपद सिंचाई बन्धु का गठन किया था, 1991 में, लेकिन बीच के वर्षों में यह बंद हो गई, इसे फिर से हमने शुरू किया है। यह केवल समीक्षा के लिये समिति नहीं है। अब यह समिति कितना सफल है, कितना असफल, यह इस पर निर्भर करता है कि जो भाग लेने वाला जनप्रतिनिधि या ब्लाक प्रमुख है, वह कितने प्रभावी ढंग से अंकुश रखते हैं। इसमें अगर उनकी इच्छा के अनुसार खर्च नहीं होता तो वह हमें सूचित करें, हम उस पर कार्यवाही करेंगे, लेकिन यह केवल नये प्रस्तावों का फोरम न बनें, बल्कि समीक्षा का भी फोरम बनें, ऐसी हमारी योजना है जिससे कि हम सब नियंत्रण रख सके जन प्रतिनिधियों का सिंचाई की व्यवस्था पर जिला स्तर पर नियंत्रण रखा जा सके।

मान्यवर, पानी का उपयोग सही हो नहरें ठीक ढंग से चलें क्योंकि नियमित जल से ही सिंचाई अच्छी हो सकती है। इसलिए हमने एक योजना बनाई है कि अब किसानों को जल उपयोग के बारे में पूरे वर्ष भर प्रशिक्षक दिया जायेगा। बाल्मीकि की संस्था थी, एक उसका स्ट्रेयन किया है। भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचार विकास का दुश्मन है। गरीब का दुश्मन है, किसान का दुश्मन है जिसके पास साधन नहीं हैं क्षेत्र नहीं हैं जब तक भ्रष्टाचार रहेगा विकास की गति तेज नहीं हो सकती इसलिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कार्य प्राथमिक कार्य के रूप लिया जायेगा।

यही नहीं, मैं बता दूं कि यही नहीं पता था कि सिंचाई सेक्शन में कितनी फाईलें हैं। जब कड़ाई की गई, दंडित करने का निर्णय लिया गया तब निकल कर आया कि 2900 फाईलें पड़ी हुई हैं। 1971-72 की फाइलें, जो अधिकारी उस समय सहायक अभियन्ता था वह आज सर्वोच्च पदों पर चला गया, या रिटायर हो जाता है तब फाईलें आ पाती हैं मैंने उसको सूची बद्ध करने को, कम्प्यूटराईज कराने वर्षवार सूचीबद्ध करने के लिए कहा है अब हर फाइल का समय से ही निरीक्षण परीक्षण होगा अब कोई जांच की फाइल रुकवाकर दण्ड से बच नहीं सकता है। हमने अपने कार्यकाल में 14 माह में 110 जांचें आयोजित किया जिसमें से 82 जांच पूरी कर दी गयी हैं। क्योंकि जांचें अब समयबद्ध करा रहे हैं। एक केस मिला था एक करोड़ 22 लाख रुपये का है आम के पेड़ बेच दिये थे। मैंने तुरन्त मुख्यमंत्री जी से मिलकर सी०आई०डी० से जांच कराई और इसकी रिपोर्ट आ गयी है उसमें वह शिकायतें सही पाई गयीं इसमें भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने के लिए जो वित्तीय अनियमितता में दोषी पाये गये हैं, जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता में दोषी पाये गये।

जब पहली बार विभाग में भ्रष्ठाचारियों की सूची बन रही है तो इसमें 130 भ्रष्टाचारियों की सूची बनाई गयी उसमें और भी भ्रष्टाचारी जांच के माध्यम से जुड़ते जा रहे हैं। अब सिंचाई विभाग और गन्ना विभाग का अधिकारी या तो भ्रष्टाचार छोड़ेंगे या नौकरी छोड़ेगा अब दोनों चीजें साथ-साथ नहीं चलने दी जायेंगी। अब मैं इस बात पर प्रसन्नता जाहिर करता हूं कि हमारे प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव, प्रमुख अभियन्ता जो हैं वह भी भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कट्टरता से कार्यवाही कर रहे हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि वह सहयोग कर रहे हैं। सिंचाई विभाग में निश्चित रूप से इससे भ्रष्टाचार कम होगा।

(टोकाटाकी होने पर)

मेरी नीति है, मैं राजनीति में पहली बार नहीं आया हूं, मैं 1974 में आया था जब इधर माननीय बहुगुणा जी और उसके बगल में नरायण दत्त तिवारी जी बैठते थे और उधर चौधरी चरण सिंह जी विपक्ष में बैठते थे, माधव प्रसाद त्रिपाठी जी बैठते थे, काम वह नहीं है कि जुबान से कहें काम वह है जिसको किया जा रहा है और लोग अनुभव करें इसलिए मैं कहता हूं कि ओम प्रकाश सिंह का काम कैसे होता है कैसे करते हैं यह आप भी चर्चा करते हो, क्षेत्रीय जनता भी चर्चा करती है इसलिये जो व्यवस्था है, जिसकी भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं, जिसको चारों ओर से संरक्षण है, उसको दूर करने में समय लगेगा। लेकिन संकल्प है, इच्छाशक्ति है तो सारी बुराइयों पर विजय पाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिंचाई का बजट आपके सामने प्रस्तुत करते हुए आग्रह कर रहा हूं कि इसे स्वीकार कराने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

गन्ने पर भी आप कह दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, गन्ने की कुछ दो तीन समस्याएं थीं, गन्ने की समस्या थी, भ्रष्टाचार, गन्ने की समस्या थी, भुगतान और एक जो गन्ने का आंकलन किया है वह गन्ने की समस्या है, गन्ने की उपज का न बढ़ना, पुरानी वैरायटी जो पिछले 25 वर्षों से चली आ रही है। मान्यवर, मैंने अपने को, शासन को सुधार के लिए समर्पित किया। मान्यवर, फर्जी सट्टा कैसे होता था, क्यों होता था, फर्जी कलेक्शन क्यों होता था, फर्जी भुगतान क्यों होता था, घटतौली क्यों होती थी, यह परिस्थितियां थीं, सब स्वीकार करते हैं? उन परिस्थितियों में मैं गन्ना मंत्री नहीं था, मैं शासन में नहीं था, वह परिस्थितियां केवल एक साल में नहीं पैदा हुई, कई साल में पैदा हुई। उन परिस्थितियों की उन लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो उन वर्षों में सत्ता में थे, हम आगे का भी देख रहे हैं। हमने एक साल में भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। संकल्प और इच्छाशक्ति, कथनी और करनी में एका इससे एक साल में सुधार हुआ है, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन हुआ है, शासन हुआ है, किसान हुआ है। यह किसान भी अनुभव कर रहा है, पूरा प्रदेश अनुभव कर रहा है। यह कहां से हुआ, कैसे हुआ, वही नियम है वही कानून है परिवर्तन हुआ केवल दिशा निर्देश देने वाली यह मा० कल्याण सिंह की सरकार है, जिसके कारण यह परिवर्तन हुआ। जो गन्ने की राजनीति करने वाले लोग थे उनको अब मुद्दा नहीं मिल रहा है, उनके आन्दोलन में कोई शामिल नहीं हो रहा है। मुद्दाविहीन हो गये हैं। गन्ना माफियाओं को संरक्षण किसका था, घटतौली करने वालों को संरक्षण किसका था, समिति और सचिवों को जो घटतौली करने का और फर्जी पर्ची बांटने का कार्य करते थे किसका संरक्षण था, क्यों लोगों ने कदम नहीं उठाया? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग पूर्व वर्षों में थे उनको किसानों का दर्द वाणी से था, दिल से नहीं था।

हमने एक वर्ष में किसानों को शोषण से मुक्त किया है यह जो उपलब्धि है यह एक साल की उपलब्धि है। बैंक का भुगतान 10 साल से सरकार घोषित करती थी और वापिस ले लेती थी। मान्यवर, हमारा भ्रष्टाचार पर अंकुश रखने वाला कदम है आज पूरी जनता, किसान सब इसकी सराहना कर रहे हैं। मैंने बैंक के माध्यम से भुगतान किया कि किसान शोषण से मुक्त होगा।

मान्यवर, मैंने पहले ही नारा दिया था कि किसान और चीनी मिलें एक दूसरे की प्रतीक और पोषक हैं।

बिना मिल के किसान का गन्ना नहीं और बिना गन्ना के मिल नहीं। क़ानूनी अधिकार न होते हुए भी हमने किसानों को 80 रुपए तथा 75 रुपए प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य दिलवाया। समझौते से दिलवाया। पहले कितना दिया जा रहा था 70 व 72 रुपए कुन्तल, क्या यह शोषण नहीं था? सहकारी मिलें जो लगातार घाटे में चल रही थीं, हमने जी०एम० से कह दिया है कि यह स्थान भोग का नहीं है कर्म का

है। अब जी०एम० बनने के लिए मारामारी नहीं है क्योंकि जो हमने कह दिया है कि यह भोग की नहीं अपितु कर्म का स्थान है। अब कोई आना नहीं चाहता।

यही वजह है कि आज वह 60 करोड़ के लाभ में है। वही मैनेजर हैं, वही व्यवस्था है, वही एम० डी० हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं दिशा-निर्देश बदला है। हमने अंकुश लगाया है।

पूरे देश का 50 प्रतिशत गन्ना क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, परन्तु हम 26 प्रतिशत चीनी का उत्पादन कर रहे हैं, इस साल यह 33 प्रतिशत है। पिछले दो साल से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाला प्रदेश रहा है परन्तु मैं इससे सन्तुष्ट नहीं हूं। मैं वह सपना देख रहा हूं कि जब हम 50 प्रतिशत गन्ना पैदा करते हैं तो 50 प्रतिशत चीनी का भी उत्पादन करें। इस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिये हम नई चीनी मिलों को लगाने के लिए भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन इससे काम होने वाला नहीं है। हमारे प्रदेश में 25 साल से पुरानी प्रजातियां बोई जा रही हैं, दो प्रजातियां सी० ओ० एस० 767 तथा बी०ओ 91–ये दोनों प्रजातियां 74 से बोयी जा रही हैं, वह भी 70 प्रतिशत क्षेत्र में बोई जाती हैं। क्या यह गलत नीति नहीं है ?

25 साल से यह प्रजाति बोई जा रही है, क्या यह आउटडेटेड नहीं है ? 10–15 साल से ज्यादा एक प्रजाति को नहीं बोया जाना चाहिये। हम इस प्रदेश में पुरानी प्रजातियों को बदल डालेंगे अगले 3 साल में। पोलीबैग के माध्यम से जिसका उत्पादन 6 गुना है, टिश्यू कल्चर से, इसीलिये सभी शोध संस्थानों को सक्रिय कर रहे हैं। प्रति एकड़ गन्ना के उत्पादन को बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। 7 महीने गन्ना मिलें चलें। अगोती गन्ना, मयमकाल का गन्ना तथा विलम्ब से पकने वाला गन्ना को हम मिलवार विकसित कर रहे हैं। उनकी भागीदारी से कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन बढ़े, किसान समृद्ध हो और मिलें 7 महीने सुदृढ़ता के साथ चलें। अब हम गन्ने के क्षेत्र को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अन्य खाद्यान्नों के लिए क्षेत्र की कमी हो जायेगी, परन्तु इतने ही क्षेत्र में हम सही नियोजन से तथा नई प्रजातियों को बोकर गन्ने का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं।

मान्यवर, इस प्रदेश के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और कठिन परिस्थिति में रहने वाले जो क्षेत्र हैं वह मान्यवर, पूरब के क्षेत्र हैं। पूरब से होने के कारण विशेष रूप से दुखी हूं। जो औसत भुगतान 93.33 प्रतिशत हो चुका है, पडरौना कुशीनगर में 35 प्रतिशत हुआ है, वाराणसी में 6 मिले हैं 47 प्रतिशत हुआ है लेकिन सहारनपुर में 2 प्रतिशत, मेरठ क्षेत्र में 6 प्रतिशत, हल्द्वानी में एक प्रतिशत, लखनऊ में दो प्रतिशत इतना ही शेष है, तो औसत तो आयेगा ही। लेकिन कुशीनगर और पडरौना की बुरी व्यवस्था है, वहीं गोरखपुर में 10 प्रतिशत बाकी है। वहां किसान के पास छोटी भूमि हैं व पुरानी प्रजातियां चली आ रही हैं जो मिलें हैं रुग्ण हैं, चाहे प्राइवेट या सहकारी हों उनका भी भुगतान हो, शासन से 20 करोड़ रु० लिया है फेडरेशन से विभिन्न मदों में पैसा लिया है।

हमारा लक्ष्य है कि चाहे सहकारी हों, सरकारी हों या निजी हों, काश्तकारों को भुगतान मिले, 95 प्रतिशत भुगतान जरूर कर दें। 45 मिलें ऐसी हैं जिन्होंने शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया है। लगभग 60 अरब रु० किसानों को दिया गया, यह रिकार्ड है। जो मिलें आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, उस पर कार्यवाही भी की गयी, दबाव बनाया गया। लेकिन हमारा प्रयास यह भी है कि चीनी उद्योग सुरक्षित रहे किसान भी फले-फूले। बैंकों के माध्यम से भी एक बात हुई है, मिल मालिक की गारन्टी पर बैंक ऋण देने के लिए तैयार हैं छोटे किसान ऋण लेकर अपनी फसल को बढ़िया उगा सकते हैं। यह पूरब के किसानों के लिए अविकसित क्षेत्र के जो किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी योजना सिद्ध होगी। चीनी मिलों के निजीकरण के पक्ष में हैं, जो रुग्ण हैं उनको छूट देने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि किसानों का भुगतान जल्दी कर सकें और किसान आर्थिक रूप से पनपे। हम उन्हें बीज देने की बात कर रहे हैं ताकि गरीब किसान अधिक गन्ना उपजा सकें। लक्ष्य एक ही है।

मान्यवर, 1903 में पहली चीनी मिल लगी प्रतापपुर में, सबसे पहले 1902 में बंगाल में लगी, 1914 में तीसरी मिल सेवरई में लगी। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सदा-सदा के लिए गन्ना विकास और चीनी उद्योग में अग्रणी प्रदेश बन जाय, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु का विकास देखने की जरूरत न पड़े।

हमारा मान्यवर, प्रयास है कि उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी हो जाय। मान्यवर, यह दूसरा वर्ष गन्ना विकास को समर्पित होगा। जो भी आवश्यक कदम है, सुविधायें जुटाने का काम है, वह बढ़ायेंगे। इसी के साथ मैं माननीय सदन से आग्रह करता हूं कि हमारे गन्ना विकास विभाग के बजट को भी सहमति दें। धन्यवाद।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (सिंचाई विभाग) की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी को सुनकर ऐसा लगा कि इस देश में, इस प्रदेश में सिंचाई की सुविधाएं किसानों को मुहैय्या हो गयी हैं और किसान खुशहाल हो गया है। मान्यवर, जब बजट पर दृष्टिपात करते हैं तो माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में और बजट में पूरा विरोधाभाष दिखायी देता है। आजादी के बाद से आज तक जितने भी बजट पेश हुए हैं उसमें सबसे कम धनराशि इस बजट में सिंचाई विभाग को दी गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण परिव्यय में सिंचाई विभाग का प्रतिशत 9 प्रतिशत है। जो आज तक जितने भी बजट आए हैं उसमें सबसे कम है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि हम धन की कमी किसी भी परियोजना को पूरी करने में बाधक नहीं होने देंगे तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब धन का आवंटन हुआ ही नहीं तो धन आएगा कहां से ? यह सम्पूर्ण धन 794.9 करोड़ आवंटित हुआ है और 150 करोड़ रुपया संशाधनों की उपलब्धता पर निर्भर हैं। मान्यवर, जब पिछला बजट भी माननीय मंत्री जी ने रखा था, उसमें कटौती नहीं हो पायी थी, तो इन्होंने ही रखा था उससे भी कम यह बजट रखा है। 150 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था है वह मिलने वाली नहीं है और यह पिछले साल भी नहीं मिली थी। नेता सदन, इस प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इन्हें कोई सुझाव नहीं दिया। इन्हें विश्वास में नहीं लिया और धन का आवंटन कर दिया। यह विरोधाभाष है नेता सदन में और माननीय सिंचाई मंत्री के इस विरोधाभाष से किसानों का बहुत बड़ा अहित हुआ। सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिए यह कहा गया कि कोई नयी परियोजना नहीं बनायी गयी है। पुरानी 29 परियोजनाएं हैं, पिछली बार भी थीं, इनमें से 14 के लिए कहा गया, 92 में भी कहा गया था, कि इसको हम पूरा करेंगे जिससे हमें अधिक सिंचन क्षमता का सृजन होगा। नतीजा यह हुआ कि जो भी धन आवंटन किया गया जो पुरानी परियोजनाएं हैं, 29 उनके लिए जो बीच-बीच में धन आवंटित किया जाता है वह भ्रष्टाचार में डूब जाता है। भ्रष्टाचार की बात तो हम बाद में करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कोई परियोजना पूरी नहीं हो सकती तो सिंचन क्षमता का सृजन कैसे होगा और जब इसका सृजन नहीं होगा, खेतों की सिंचाई नहीं होगी तो पैदावार कैसे बढ़ेगी ?

जब बजट पढ़ा, तो कहा कि दुगुनी पैदावार करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि दुगुनी पैदावार कैसे हो जायेगी ? मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। धान की सन् 1995-96 में 34.62 लाख हेक्टेयर सिंचाई हुई, 1996-97 में 34.62 लाख हेक्टेयर सिंचाई हुई, 1997-98 में 34.62 लाख हेक्टेयर सिंचाई हुई। इन

आंकड़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि एक इंच ज्यादा सिंचन क्षमता का सृजन नहीं हुआ है । तो कैसे विकास होगा । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो वक्तव्य सदन में दे रहे हैं वह अपने बजट के हिसाब से दें ।

मान्यवर, बजट में कुछ लिखा है और यह सदन में कुछ बोल रहे हैं अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि समय सीमा निर्धारित करेंगे लेकिन आप बजट में देखें । चम्बल डाल योजना, गोकुल बैराज योजना और बेवर योजना को मार्च, 98 तक पूरा किया जायगा । सवाल पूछा था कि बेवर योजना की क्या स्थिति है तो सवाल के उत्तर में यह बताया गया था कि वह निर्माणाधीन है और वह 98-99 तक पूरी होगी । तो इतना विरोधाभास है लेकिन सदन में हिम्मत से बोलते हैं, जरा भी इनको डर नहीं है । यह बिरले का ही काम है, लेकिन मा० मंत्री जी में यह कला है । माननीय अधिष्ठाता महोदय यह जो सिंचाई का मामला है वह किसानों की जिन्दगी से जुड़ा और प्रदेश के आर्थिक विकास से जुड़ा है । इसलिए माननीय मंत्री जी को सत्यवादी होना चाहिए कि चम्बल डाल योजना जून, 99 तक पूरी करने की बात कैसे होगी ।

मैं तो यह कहता हूं कि जिस चीफ इंजीनियर को यह काम दें उससे यह शपथ-पत्र ले लें कि वह अगर चार साल में पूरा कर दें तो मैं उसका राजतिलक करूंगा । माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । चम्बल डाल योजना की जो डिजाइनिंग की गयी है वह घटिया किस्म की है । चम्बल डाल योजना का पम्प हाउस बना है, जब बाढ़ आयी तो पानी उसके ऊपर से निकल गया और उसमें बालू भर गई । लेकिन माननीय मंत्री जी हमें बतायें कि क्या किसी अधिकारी से इसके बारे में जवाब तलब किया गया जिस अधिकारी ने उसकी डिजाइन की थी उसके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही हुई ? गोकुल बैराज को दिसम्बर, 1999 तक पूरा करने की बात कही गयी है । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी चीफ इंजीनियर से शपथ-पत्र लें और अपना भी शपथ-पत्र दाखिल करें कि इतने समय में यह योजना पूरी हो जायेगी किन्तु वह इतने विश्वास से बोल रहे हैं । मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि दोनों योजनाएं सन् 1999 तक पूरी नहीं हो सकती है । चार साल से कम समय तो लगेगा ही नहीं ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई में क्षेत्रीय असन्तुलन है ताज्जुब की बात है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा चहेते लोग हैं वहीं पर कम सिंचाई है । मैं पहाड़ों की बात नहीं कर रहा हूं । उत्तराखण्ड बनने जा रहा है । बुन्देलखण्ड में 36 प्रतिशत, पूर्वांचल में 62 प्रतिशत मध्य में 62 प्रतिशत और पश्चिमी क्षेत्र में 83 प्रतिशत सिंचाई होती है । बुन्देलखण्ड के लिए सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जा सकती है । राजाघाट बांध, लखेड़ी बांध और कोरार बांध तथा इनके अतिरिक्त जो बांध हैं उनको चालू कर दिया जाय तो वहां के किसानों को पानी मिल सकता है और हरा-भरा बुन्देलखण्ड हो सकता है । मान्यवर, मध्य क्षेत्र में गंगा नहर का जो आधुनिकीकरण हुआ था वह बीच में रुक गया है ।

(समय 4 बजकर 30 मिनट)

यदि सारी योजनाएं जैसे सरजू योजना, शारदा सहायक योजना, अगर पूरी हो जाएं तो हमारा पूर्वी क्षेत्र खुशहाल हो सकता है अनाज की पैदावार बढ़ सकती है । इसी तरह बुन्देलखण्ड की स्थिति है और जो पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में भेद है और सिंचाई में जो अन्तर है वह भी समाप्त हो जाएगा । हमारे प्रदेश में सर्वाधिक जल सम्पदा है । इतना हिन्दुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं । प्रदेश के पहाड़ों से बहुत सारी नदियां निकलती हैं लेकिन उनको बांधने का प्रयास किसी ने नहीं किया । और जब वह बरसात में बह कर आती है तो भयंकर बाढ़ आ जाती है तो उनको अगर बांध दिया जाएं और उस पानी को अगर खेतों तक पहुंचा दें तो खेतों की प्यास बुझ जायेगी और बाढ़ भी रुक जायेगी । इस तरह की सरकार की कोई योजना नहीं है । आज बाढ़ के कारण गांव के गांव बह जाते हैं ।

अरबों-खरबों की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है और यह सरकार कान में तेल डालकर सोयी रहती है। इस जल से सिंचाई के लिए कोई परियोजना प्रस्तावित नहीं है और कह रहे हैं कि सिंचाई में हम तरक्की करेंगे। ऐसा कह देने से ज्यादा दिन तक आप नहीं चला सकते हैं, कोई बड़ी योजना बांध की आपने नहीं बनाई एक राम गंगा योजना, कालागढ़ में 1962 से 74 बनायी गई उसके बाद आज तक एक भी बड़ी योजना नहीं बनी है। छोटी-छोटी बांध की योजनाएं चल रही हैं। लेकिन बड़ी योजना कोई नहीं बनी जिनमें पहाड़ों से निकलने वाले पानी को बांधकर सिंचाई की क्षमता बढ़ा सकें। टिहरी बांध परियोजना जो हाड्रो डबलपमेन्ट कारपोरेशन द्वारा चलाई जा रही है उसमें उत्तर प्रदेश का कुछ शेयर है। उसको बनाने में आपका कुछ नहीं है। मेरा सुझाव है जितनी नदियां हमारे यहां है उनको रोक कर बांध बनाये जायें जिससे बाढ़ की विभीषिका कम होगी तथा सिंचाई से प्रदेश खुशहाल होगा तथा हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कोई सही नियोजन न होने के कारण, सिंचाई की तरफ ध्यान न होने के कारण आज यह स्थिति है। यह तो सिर्फ यह देखते हैं कि कितना रुपया मिल सकता है इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सिंचाई में हम आज सबसे पीछे हैं। जहां पंजाब में 83 प्रतिशत है, तमिलनाडु में 96 प्रतिशत है, हरियाणा में 69 प्रतिशत है, आन्ध्र में 62 प्रतिशत है। वहीं हमारी सिंचन क्षमता केवल 55 प्रतिशत है। आप सारा हिसाब लगाकर देख लें इससे ज्यादा नहीं है कहने का आपने 60 प्रतिशत कहा है लेकिन इतनी नहीं है। नहरों से सिंचन क्षमता 7044.08 है यह दोनों फसलों की जो आंकड़े हैं उसमें 5577 हेक्टेयर आता है। आपने कहा कि हमने पूरे सिल्ट की सफाई करा दी और बजट में लिखा है कि 1995-96 में टेल एण्ड हेड तक पानी पहुंचा दिया। यह आपने बजट में कहा है। लेकिन आपने जो दोनों फसलों की सिंचाई की है वह 5577 हेक्टेयर है और आपकी क्षमता 7044.08 है। तो जो कुछ सिंचाई हुई वह 40 प्रतिशत है तो जो आपने 94 प्रतिशत की बात कहीं है। क्या वह पानी टेल तक पहुंच कर बिना सिंचाई किये वापस हो गया ?

मान्यवर, आंकड़े बजट में लिख देने से कुछ नहीं होता। माननीय सदस्य इधर और उधर के बैठे हैं। अगर ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर बतायें तो असली तस्वीर सामने आ जायगी। मेरे यहां एक रजबहा है, जिसकी सफाई नहीं हुयी है, उसमें पानी नहीं पहुंचता है लेकिन नहरों की सफाई दिखाने में सिंचाई विभाग सिद्धहस्त है। उधर के माननीय सदस्य कहेंगे कि बजट बहुत बढ़िया है और इधर के माननीय सदस्य कहेंगे कि बहुत खराब है। लेकिन बजट को इस पृष्ठिभूमि में देखना चाहिये कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। केवल बजट को अच्छा कह देने से काम नहीं चलेगा। इससे आपको और हम सबको नुकसान है। क्योंकि हम सब एक ही घर के और एक ही परिवार के लोग हैं, इसलिये सदन में सही-सही बात आनी चाहिये। यह जो सिंचाई मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है कि हमने नहरों की सफाई करा दी है और 94 प्रतिशत टेल तक पानी पहुंच रहा है यह थोथा असत्य है। सिंचाई 40 प्रतिशत हुयी है अगर टेल तक पानी पहुंचता तो सिंचाई 94 प्रतिशत होती।

मान्यवर, अब नलकूपों की बात हो जाय। आपका कम्प्यूटर बताता है कि 28672 नलकूप हैं, आपने बताया है कि 28872 नलकूप हैं और बजट में बताया गया है 29350 नलकूप हैं। जाने कौन सा आपका आंकड़ा सही है। इसमें 687 नलकूपों का अन्तर आ रहा है। सिंचाई मंत्री जी के लिये बड़ी मुश्किल है जो अधिकारियों ने लिख दिया वही आपने पढ़ दिया। बजट बनाते समय बैठे होते और अधिकारियों को बैठाया होता और घंटे डेढ़ घंटे बरबाद किये होते तो सही बात सामने आती जो विभाग से लिखकर आ गया उसको आपने पढ़ दिया। इस समय आपकी नहरों से और नलकूपों से सिंचाई होती है। आपके जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 3202 हेक्टेयर नलकूपों की सिंचन क्षमता है। लेकिन जो सिंचाई हो रही है 1224.32 हेक्टेयर की है। आपके ट्यूबवेल केवल 20 प्रतिशत सिंचाई करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सिंचाई करनी चाहिये। 100 हेक्टेयर की और कर पाते हैं 20 हेक्टेयर की। न विभाग के इंजीनियर देखने वाले हैं और न कोई दूसरा देखने वाला है कि नलकूपों से सिंचाई हो रही या नहीं हो रही है। मेरा दावा है कि 50 फीसदी ट्यूबवेल उत्तर प्रदेश में आज बन्द हैं। मैंने

आंकड़े पढ़े हैं 10 परसेन्ट से ज्यादा बन्द नहीं दिखाये जाते हैं। तार की खराबी और मोटर बाइन्डिंग को देखें तो 60 प्रतिशत बन्द दिखाई देते हैं वैसे कहते हैं कि केवल 10 परसेन्ट बन्द है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि एक ट्यूब वेल पर एक साल का खर्चा कर्मचारी का वेतन, बिजली का बिल और जो आपने 7 हजार से बढ़ाकर 12 हजार कर दिया है सब मिलाकर कुल एक लाख 31 हजार रुपये आता है और उससे आमदनी होती है। 16 हजार रुपये की यह सरकार की नीति की पोल खोलता है। मेरा कहना है कि इसको सरकार ठीक नहीं कर सकती है। ट्यूबवेल सबसे बड़ा अड्डा है भ्रष्टाचार का। कभी मीटर जल जाता है कभी तार जल जाता है।

इतना समय नहीं कि मैं वह सब विवरण दे सकूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जनता की गाढ़ी कमाई उसमें चली जाती है उसका दुरुपयोग न हो इसे रोकने के लिये आप यह सारे के सारे ट्यूबवेल किसान को दे दीजिये जिनकी सिंचाई के लिये लगाये गये हैं। तब जलेगा तो उसकी जिम्मेदारी, खराब होगा तो उसकी जिम्मेदारी आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। यह उसकी देख-रेख में रहेगा। ट्यूबवेल बन्द नहीं रहेगा। यह ट्यूबवेल बन्द करते हैं आपके कर्मचारी। कभी मीटर जला दिखाते हैं, कभी तार जला दिखाते हैं तो उसके लिये उनको रुपया मिल जाता है। पिछली बार मैंने सुझाव दिया था और मंत्री जी ने कहा था कि हम किसान को ट्यूबवेल दे देंगे लेकिन कर्मचारियों का इतना दबाव है आपके ऊपर कि आप उससे निकल नहीं पाये।

आपके भाषण में है कि हम गांव के लोगों को नलकूप देंगे। अगर किसान को दे देंगे तो मेरा कहना है कि यह खराब नहीं हो सकता है। यह मेरा सुझाव है आपके माध्यम से कि यह जो 16 हजार की आमदनी है। 1 लाख 31 हजार खर्च करने के बाद इससे निजात मिलेगा और यह बहुत बड़ी धनराशि जो भ्रष्टाचार में चली जाती है वह बच जायेगी और किसानों को लाभ हो सकेगा। जो ट्यूबवेल नये बनते हैं वह पांच साल भी नहीं चलते हैं वैसे तो 15-15 साल उसकी जिन्दगी होती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के टयूबवेल काम कर रहे हैं। अगर अच्छे तरीके से लगें तो काफी समय चलते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आगरा में 380 ट्यूबवेल फेल हो गये हैं जो पांच साल के अन्दर बने थे। क्या सरकार में माननीय मंत्री जी की हैसियत है कि जांच करायें और बनाने वालों के हथकड़ी लगवाकर जेल भेजें। यह 380 ट्यूबवेल 5 साल में बनें और फेल हो गये। मान्यवर, मेरा यह सुझाव है, अगर सरकार माने कि जब ट्यूबवेल बने तो जिस अधिशासी अभियन्ता की देख-रेख में बने उससे एक बान्ड भरवाया जाय कि यह अपनी पूरी शक्ति, क्षमता और पूरे समय तक काम करेगा। अगर यह ट्यूबवेल काम नहीं करता है तो उससे उसकी रिकवरी होनी चाहिये और कोई दूसरा रास्ता समझ में नहीं आता।

श्री अधिष्ठाता–

एक घण्टा माननीय अध्यक्ष जी ने रखा है। 25 मिनट हो गये हैं।

श्री बाबू राम यादव–

हमें आपका हुकुम मन्जूर है लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता था। यह जो हमारे लोग बैठे थे पूरे उत्साह से कि आज सिंचाई का बजट है क्योंकि मंत्री जी ने कहा कि दोगुना गल्ला हो जायेगा, पूरे लोग आये थे खुश होकर कि ऐसी योजना मिल जायेगी हमारे क्षेत्र में पानी पहुंचेगा, हमको लाभ हो जायेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं एक श्लोक है :–

रे-रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम।
अम्भोदाः बहतो सन्ति गगने सर्वेउमि नैतादृशाः।
केचित् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम् गर्जन्ति केचित् वृथा।
यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः।

यह सरकार थोथे बादल है जो गरजते हैं बरसते नहीं सब बादलों से पिहू-पिहू मत बोलो सबसे पानी नहीं मिलता । कुछ ही बादल ऐसे होते हैं जो बरसकर पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ बेकार गरजते हैं ।

मान्यवर, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं, सदन को धोखा देते हैं इनका कोई कार्य जनता के हित के लिये नहीं हुआ । मान्यवर, बैराज की बात होती है, इंजीनियर खोपड़ी तोड़ देते हैं बैराज पर लगने के लिये । ओखला बैराज को ही ले लें । ओखला बैराज में फाटक टूटा है उस पर जंग न लग जाये इसलिये पेंटिंग होती है । पेंटिंग की एक मशीन होती है सेन्ट ब्लास्टिग मशीन, उससे यह साफ किया जाता है । फाटक पर लगी जंग साफ हो जाती है और वह स्टील की तरह चमकता है । मान्यवर, जब से यह पधारे हैं तबसे पेंट नहीं हुआ है जो पेन्ट होता है उसकी कीमत होती है । मशीन से पेन्ट करने में लागत 15 गुनी होती है हाथ से करने के साथ पर एक कहावत है "घर घोड़ी पैदल चले तीर चलावें बीन, थाथी धरे दमाद घर जग में मथुआ तीन । तो मशीन है उसका उपयोग नहीं हुआ है ।"

ओखला बैराज के बारे में रिपोर्ट पड़ी है एकाउन्टेंट जनरल इलाहाबाद की रिपोर्ट है इन्होंने कहा है "सिंचाई" विभाग की कुल जमीन 4,671 ली गई थी तब बैराज बनाया गया था । विभाग कें कार्य में जमीन आई 2,651 एकड़, 4,671 में 2651 विभाग के काम में आ गई 67 एकड़ बाकी खाली पड़ी है । पट्टे में अभियन्ताओं ने जमीन दे दी जैसे कि उनके पिताजी की जमीन थी । 500 एकड़ जमीन पट्टे पर दे दी । 124 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है । अभियन्ताओं ने 500 एकड़ जमीन दी थी इसमें जांच के लिये आठ अभियन्ताओं की समिति बनाई गई थी उनकी रिपोर्ट आई उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि जितने पट्टे दिये गये वह गलत दिये गये । तो माननीय मंत्री जी ने उनका ट्रांसफर कर दिया और रिपोर्ट को खत्ते में डाल दिया । इसमें आगे बढ़ें तो देखें आठ अभियन्ताओं के ट्रांसफर हो गये । मान्यवर, जलकुंभी के बारे में कहना चाहूंगा कभी-कभी पानी में, नदी में जलकुंभी बह कर आती है जलकुम्भी निकालने के लिये 1 करोड़ 7 लाख दिया गया । जबकि सभी जानते हैं कि जलकुम्भी एक बैराज का फाटक खोल दो तो वह निकल जाती है सामान्य आदमी भी जानता है कि जलकुम्भी फाटक खोलने से निकल जाती है और उसके लिये 1 करोड़ सात लाख का पेमेंट किया गया । ऐसा हिस्ट्री में नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

आपके पूर्व प्रधान मंत्री के निर्देश पर ही सफाई हुई थी ।

श्री बाबूराम यादव–

पहले मुझे अपनी बात कहने दें । इंजीनियर से कहा गया कि इतना पैसा आपने जलकुम्भी निकालने पर खर्च कर दिया । तो उन्होंने कहा कि जब मंत्री जी के परिवार को खरीददारी कराने के लिये लाखों रुपया खर्च करूंगा और वह हर हफ्ते यहां आयेंगे तो जलकुम्भी निकालने पर तो इतना पैसा खर्च होगा ही । क्या अपनी जमीन बेच दूंगा ।

यह विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है । अभी मंत्री जी बड़े साफ तौर पर कह रहे थे कि हमारे प्रमुख सचिव, हमारे अभियन्ता बड़े ईमानदार हैं । मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता आप पर भी नहीं लेकिन जो बातें आई हैं उनको कहना चाहता हूं । आपके प्रमुख सचिव बड़े कमजोर हैं जो इतने गलत कार्यों की अनुमति देते हैं और कोई ईमानदार अधिकारी होता तो कहता कि आप भले ही हमारा ट्रांसफर कर दो लेकिन गलत आर्डर नहीं करूंगा । वह आपके आर्डर को खड्डे में डाल देता । जितनी जिम्मेदारी मंत्री की है उतनी ही सचिव की है । उतनी ही जिम्मेदारी इंजीनियर्स की भी है । ओखला के पूरे सामान को बरबाद कर दिया गया । जांच आई तो उसको हटा दिया गया । एक दो साल के लिए लेकिन बाद में उनकी फिर बहाली हो गई ।

उत्तरी खण्ड गंगा नहर रुड़की की सफाई के लिये 12 करोड़ दिये गये उसकी मरम्मत के लिये । नहर 20-10-97 से 6-11-97 तक बन्द रही, मात्र 16 दिन । इन 16 दिनों में 12 करोड़ रुपये खर्च हो गये। उस समय जूनियर इंजीनियर्स की हड़ताल थी । हड़ताल में जूनियर इंजीनियर्स गये उसकी पूरी वीडियो फिल्म बनाई गई । कोई काम नहीं हुआ और 12 करोड़ रुपये निकाल लिये गये । इसकी किसी निष्पक्ष संस्था से, जो सरकार के नियंत्रण में न हो जांच कराई जाय सच्चाई सामने आ जायेगी और कितने लोग हवालात में बन्द होंगे । कोई संस्था नहीं, कोई ताकत नहीं जो इतनी बड़ी रकम को 16 दिन में खर्च कर सके । यह वीडियो फिल्म इनके राज्य मंत्री को भी दिखाई गई वह भी देखकर दंग रह गये । उन्होंने कहा भी कि यह काम झूठा हुआ है । उस समय के उनके बयान की अखबारों की कटिंग हमारे पास हैं । उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्य को दुबारा शुरू कर दिया जायेगा । भले ही पहले 12 करोड़ रुपये लग गये हों । मंत्री जी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं इनके एक रिश्तेदार लखनऊ डिवीजन में तैनात थे 12 लाख के गबन के मामले में उनकी (एक्जीक्यूटिव इंजीनियर), सहायक अभियन्ता और अवर अभियन्ता की वेतन वृद्धि रोकी गई, रिकवरी हुई, भर्त्सना प्रविष्ट दी गई इतना दंड मिला । मंत्री जी से उन्होंने दरख्वास्त दी मंत्री जी ने अपने बहनोई के सारे आरोप खत्म करके उनको पदारूढ़ कर दिया । जो सिंचाई विभाग है उसमें अस्सी हजार से ऊपर कर्मचारी हैं, बहुत विशाल हृदय होना चाहिये और भाई भतीजावाद, रिश्तेदारी से ऊपर उठकर काम करना चाहिये । इन्होंने अपने बहनोई को माफ कर दिया जो बारह लाख रुपये खा गये लेकिन जूनियर इन्जीनियर और सहायक अभियन्ता आज भी सजा भुगत रहे हैं। दिनांक 7-4-95 को ये लोग दण्डित किये गये और माननीय मंत्री जी जब 7-4-97 को आये तो इन्होंने अपने रिश्तेदार को माफ कर दिया । जिस अखलाख नवी नामक व्यक्ति ने यह जांच की थी उसे अटैच कर दिया गया । श्री ए०के० गुप्ता जो एम०डी० थे बिना किसी कारण के सस्पेंड कर दिये गये क्योंकि वह चीफ इन्जीनियर होने वाले थे । मुझे बताया गया कि इसके खिलाफ उन्होंने न्यायालय की शरण ली है । यह सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिये हम हतप्रभ रह जाते हैं । इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठकर अगर हमारे मन में यह बात रहे कि यह हमारा भाई है, रिश्तेदार है और यह दूसरा आदमी है तो हम कभी भी गरीब जनता की और किसान का कल्याण नहीं कर सकते ।

आज अधिकारियों में कुण्ठा है, जो अधिकारी सबसे ज्यादा पैसा पैदा कर रहे हैं वह मंत्री जी के नजदीक हैं और जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वह मंत्री जी से दूर हैं । माननीय अधिष्ठाता जी आप बार-बार संकेत कर रहे हैं तो मैं अपनी बात इस सुझाव के साथ खत्म कर रहा हूं कि यह जिन्दगी बहुत बड़ी नहीं है जो इस जिन्दगी को अक्षुण्ण मानते हैं वह गैलत करते हैं । माननीय सिंचाई मंत्री जी सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी आपके लिये परिवार के सदस्य हैं और इनके साथ परिवारवत व्यवहार किया जाय धन किसी का नहीं होता है । आदमी अन्त में एक लगोटी लेकर जायेगा और उसके साथ कुछ नहीं जायेगा । किसानों के हित में और विभाग के हित में भ्रष्टाचार पर मंत्री जी अंकुश लगायेंगे इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय समरपाल सिंह जी आप गन्ना विकास पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखें । माननीय अध्यक्ष जी ने 15 मिनट का समय आपके लिये निर्धारित किया है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने सुझाव भाषण में इस बात की स्पष्ट घोषणा कर दी कि गन्ना विभाग बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है और गन्ना किसान खुशहाल हो गया है । गन्ना किसान की अब कोई समस्या नहीं बची और उत्तर प्रदेश गन्ना उद्योग के मामले में देश में सर्वप्रथम स्थान पर आ गया । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि केवल भाषण देने से गन्ना किसानों का विकास नहीं होगा, चीनी उद्योग का विकास नहीं होगा और न गन्ने की खेती का विकास होता है । विकास तो काम करने से होगा । आपने यह भी कह दिया कि पहले की सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही थीं और आपने आकर भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया । इससे पहले आप भी 91-92 में गन्ना विकास मंत्री थे तो आपने स्वीकार कर लिया कि उस समय आप की सरकार भी भ्रष्टाचार में लिप्त थीं ।

मान्यवर, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और इस प्रदेश में गन्ना सबसे बड़ी कैश-क्राप के रूप में है । इसके अलावा कोई भी ऐसी अन्य फसल नहीं है जो पूरे प्रदेश में बोई जाती हो लेकिन आप देखें कि गन्ना ऐसी फसल है जो पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे वह पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य उत्तर प्रदेश हो, सब जगह बोई जाती है । पश्चिम में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मथुरा सब जगह गन्ने की फसल बोई जाती है । इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, महराजगंज, फैजाबाद; बहराइच, गोण्डा, गाजीपुर जनपद हैं जहां गन्ने की फसल होती है । इसी प्रकार मध्य उत्तर प्रदेश में भी किसान गन्ना पैदा कर रहे हैं ।

हमारे देश के अन्दर जितना गन्ने का क्षेत्रफल है, उसका 50 प्रतिशत क्षेत्रफल केवल उत्तर प्रदेश के अन्दर है और चीनी का उत्पादन हम पूरे देश का 45 प्रतिशत कर रहे हैं । मान्यवर, इस प्रदेश के करोड़ों किसान गन्ने के ऊपर आधारित हैं । हमारे प्रदेश में 122 चीनी मिलें हैं वहां पर श्रमिक काम करते हैं, इसके अलावा अल्कोहल पर आधारित इण्डस्ट्री हैं, उसमें भी श्रमिक काम करते हैं, वह भी गन्ने की फसल के ऊपर निर्भर करते हैं, इस प्रकार यह अत्यन्त महत्व का विषय है । मंत्री जी ने बस 5 मिनट का एक अच्छा सा भाषण दे दिया और विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया और यह भी कह दिया कि अब आगे आने वाले समय में किसानों को कोई समस्या नहीं बची ।

मान्यवर, हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या गन्ना किसानों की यह है कि गन्ना किसान और उसके बच्चे साल भर मेहनत करके फसल तैयार करते हैं और चूंकि यह कैश-क्राप है तो किसान यह सोचता है कि हमारे गन्ना की पर्ची कब भुनेगी ? किसान की भी अपनी आवश्यकतायें होती हैं, उसे अगली फसल की तैयारी करनी है, बीज, खाद, कीटनाशक, का इन्तिज़ाम करना है, किसान को अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस देनी है, उनके कपड़े कापी किताब का इन्तिज़ाम करना है, शादी-ब्याह भी करना है, लड़कियों के हाथ पीले करने हैं ।

यह एक परम्परा बन गई है कि साल भर दो साल से पहले कोई भी मिल गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करती । आपने कह दिया कि हमने सब भुगतान करा दिया । यदि आपने भुगतान करा दिया तो किसान ने गन्ना दिया था, उसका भुगतान करा दिया, इसमें कोई खास बात तो कर नहीं दी । इसी सिलसिले में मेरा एक प्रश्न था लेकिन उसका जवाब आया इस वर्ष का किसान का कोई बकाया नहीं है, यह माननीय मंत्री जी का लिखित उत्तर है । मैं बताना चाहता हूं कि 1997-98 का 241 करोड़ रुपया अभी भी मिल मालिकों पर बकाया है ।

मान्यवर, जबकि यह पेराई सत्र समाप्त हो चुका है इतना ही नहीं पेराई सत्र 1994-95, 1995-96, 1996-97 का भी है, 33 करोड़ रुपये आज तक किसानों का, मिल मालिकों के ऊपर बाकी है । किसान 3 साल से क्या कर रहा होगा । कहां से खा रहा होगा । उसकी स्थिति पर सरकार ने कोई प्रकाश नहीं डाला । किसी व्यापारी से पैसा ले रहा होगा, कर्जे के ऊपर । यह ऐसा तथ्य है जिससे किसान पूरी तरह से आंदोलित है । मान्यवर, हमें स्मरण है आपकी सरकार थी जब रामकोला के अन्दर प्रदर्शन हुआ, 4 साल के बकाये के भुगतान की किसान मांग कर रहे थे भुगतान दिलाने के बजाय गोली चलवाई, 5 किसान मर गये । सिम्भावली चीनी मिल पर 10 करोड़ रु० का बकाया था वहां सत्याग्रह शुरू कर दिया गया । पुलिस अधिकारियों ने निहत्थे किसानों के ऊपर गोली चलवाने का काम किया एक किसान मारा गया और साथ ही साथ 70-70 साल के बूढ़े किसानों को जेल में डालने का काम किया गया ।

सत्तापक्ष के एक माननीय विधायक ने दुखी होकर माननीय अध्यक्ष के पास अपना त्याग पत्र भेज दिया । सरदारनगर चीनी मिल है 22 करोड़ रु० बाकी है, मैं भी वहां गया, दुख दर्द को देखा । इसी तरह से गौरी बाजार, खलीलाबाद, पडरौना, कटकुइंया-सारी चीनी मिलें ऐसी हैं जिन पर 4-4 साल का बकाया है । चीनी मिल मालिक यदि कोई जेल में हो, कृपया उसका नाम बता देंगे । किसान का यदि 10 हजार रु० बाकी है तो आर०सी० काट दी जाती है जेल में बन्द कर दिया जाता है किसानों के ऊपर दोहरी मार है । पेमेन्ट लेट हो रहा है, ब्याज नहीं दिया जा रहा है, अगर कोई चीनी मिल 14 दिन के अन्दर भुगतान न कर दे 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देना होगा । माननीय मंत्री जी ने कह दिया इस नियम के पालन की कोई आवश्यकता नहीं है । शुगर कन्ट्रोल आर्डर 1996 में है–

... ह्वेन ए प्रोड्यूसर आफ शुगर आर हिज एजेन्ट फेल्स टु मेक पेमेन्ट फार दि शुगरकेन परचेज विदिन परसेन्ट पर एनम फार दि पीरियड आफ सच डिले वियोन्ड 14 डेज ।

यदि 14 दिन के अन्तर्गत उसे भुगतान नहीं मिलता है तो उसके बाद उसे 15 प्रतिशत ब्याज लगाकर मिलेगा । परन्तु इस कानून का पालन नहीं हो रहा है और मंत्री जी कहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है । चार साल से किसानों का पेमेन्ट शेष है, इसी साल का ढ़ाई करोड़ बाकी है किसान भी तो इन्हीं समितियों से पैसा लेता है, और उससे ब्याज लिया जाता है । किसान भले ही 3 महीने में पैसा वापस कर दे परन्तु उससे 6 महीने का ब्याज लिया जाता है । यदि उसने नहीं दिया तो उसकी आर०सी० काट दी जाती है । इसलिये मेरा कहना यह है कि किसानों का मिल मालिकों के ऊपर जो बकाया है, उस पर ब्याज क्यों नहीं दिया जा रहा है ? किसानें को जो गन्ना मूल्य दिया जा रहा है वह कम है ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि 75 रुपये व 80 रुपये गन्ने का मूल्य निर्धारित है, हालांकि कोई भी किसान उससे सन्तुष्ट नहीं है । 100 रुपये उनकी मांग थी, कहीं-कहीं पर तो 100 रुपये तक किसान को मिला है । माननीय मंत्री जी अर्ली वेराइटी हमारे यहां बहुत कम होती है. सामान्य प्रजाति ही होती है । जिसका आप 75 रुपये दे रहे हैं और उस पर भी आप 3 रुपये दुलाई का काट लेते हैं । अब आप ही हमें बतायें कि वह कौन सा उद्योगपति है जो रा-मैटीरियल लेता है और जिससे लेता है, उससे यह कहता हो कि जाओ हमारा यह माल पहुंचा कर आओ । परन्तु यहां पर किसान गन्ना मिल तक पहुंचाता है । दूसरी जगहों पर भी चीनी मिलें हैं, वहां पर आप देखिये ।

महाराष्ट्र के अन्तर्गत तो खेत से गन्ना काटकर ले जाते हैं । यहां पर किसान एक तो उसकी 1 रुपये क्विंटल छिलाई और कटाई का पैसा देता है, ऊपर से आप दुलाई का 3 रुपया लेते हो, इस प्रकार देखा जाय तो आप उससे 12 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से लेते हो और देते हो 75 रुपये । 75 रुपये में से यदि 12 रुपया घटा दिया जायं तो 63 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से आप देते हो । 122 चीनी मिलें हैं, जिसमें केवल 32 प्रतिशत गन्ना आता है, शेष 68 प्रतिशत गन्ना तो कोल्हू और क्रेशर के माध्यम से पेरा

जा रहा है । क्रेशर वाले किसानों को लूटते हैं और 15 रुपये के हिसाब से गन्ना लेते हैं । मान्यवर, गन्ना की कटाई के बाद गेहूं बोया जाता है । 95 प्रतिशत गेहूं गन्ना के खेत में बोया जाता है । नवम्बर तक किसान को गेहूं के लिये खेत तैयार चाहिये । नवम्बर कें अन्त तक आप की चीनी मिलें चालू होती नहीं हैं । किसान अपने गन्ने को काटने के लिये मजबूर होता है जिस कारण क्रेशर वाले उसका गन्ना 15-20 रुपये के हिसाब से खरीद लेते हैं । कहीं-कहीं पर किसान के पास बीज के लिये जो गन्ना होता है, दिल्ली में गन्ने का रस बिकता है इसलिये 2-3 कुन्तल किसी किसान ने 95 रुपये के हिसाब से बेच दिया होगा । तो 68 प्रतिशत गन्ना 20.25 रुपये में जाता है और बाकी 32 प्रतिशत मिल मालिक लेते हैं । तो जब तक खांडसारी पर नियंत्रण नहीं किया जाता है तब तक इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है । मान्यवर, आपने दूसरे प्रान्तों की तुलना की । आपने यह भी बताया कि पहली चीनी मिल पश्चिम बंगाल में लगी । दूसरी चीनी मिल 1903 में हमारे उत्तर प्रदेश में लगी और तीसरी चीनी मिल भी हमारे उत्तर प्रदेश में लगी । लेकिन मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आप क्या जो गन्ने की पैदावार हो रही है उसका कंजमशन कर पा रहे हैं ?

आज आप केवल 32 प्रतिशत ही गन्ना मिलों में पेर पा रहे हैं । दूसरे प्रदेशों में ले लीजिये चाहे वह महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, वहां पर 95 प्रतिशत गन्ना मिल मालिक खेत से काट लेते हैं और उनको ढुलाई भी नहीं देनी पड़ती है । तो इस तरह से आप किसानों का शोषण कर रहे हैं । एक चीज का जिक्र आपने यहां पर नहीं किया । हालांकि अखबारों के माध्यम से हमको पढ़ने को मिला है वह है सट्टा नीति । मान्यवर, पिछले दो सालों से गन्ने का कितना बकाया है । 97-98 का सत्र चला गया, 96-97 का पेराई सत्र था तो 96-97 में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार समितियों के माध्यम से हुआ था ।

. एक-एक पर्ची की बीस-बीस बार तौल हुई थी और जो सप्लाई हुई थी वह ठीक प्रकार से नहीं हुई थी तो उसको आधार बनाकर आप किसानों की सट्टा नीति की घोषणा करेंगे । तो यह किसानों के साथ नाइंसाफी की बात है । मान्यवर, आपने यह कहा कि आपूर्ति के आधार पर । मान्यवर, एक हजार कुन्तल बेसिक कोटे की बात कही गई थी लेकिन चीनी मिल मालिकों ने 500 कुन्तल की पर्ची भेजी । तो यह किसकी गलती है । यह कोई किसानों की गलती नहीं है । तो बेसिक रेट का निर्धारण पिछली सप्लाई के आधार पर न करके जो पिछले साल का बेसिक कोटा था उसके आधार पर करें ।

मान्यवर, आपने यह भी कहा कि जिसके पास दो हेक्टेयर जमीन है उनसे पूरा गन्ना लिया जायेगा और अन्य का 65 प्रतिशत लिया जायेगा । जिनके पास दो हेक्टेयर जमीन है उनसे एक हजार कुन्तल लिया जा रहा है । लेकिन जिनके पास तीन हेक्टेयर जमीन है उससे 950 कुन्तल लिया जा रहा है । तो यह क्यों हो रहा है ? आपने कहा कि 22 सितम्बर तक कलैण्डर प्रकाशित कर देंगे । पिछले वर्ष भी यह कहा गया था कि 22 सितम्बर तक हम कलैण्डर प्रकाशित कर देंगे तो क्या कलैण्डर प्रकाशित हुये ? न तो यह किसानों के पास पहुंचे हैं और न ही उसके हिसाब से मिल मालिकों ने सप्लाई दी । सट्टा नीति के अन्तर्गत यह कहा गया कि जो चीनी मिल गन्ना पेरने में असमर्थ रहती हैं उसे आर्थिक दण्ड देना होगा ।

मैं एक नहीं कई ऐसे उदाहरण दे दूंगा कि जहां चीनी मिल मालिकों ने सट्टा नीति के अनुरूप सप्लाई लेने में असफल रहे तो क्या आप उन्हें आर्थिक दण्ड दिलवायेंगे ? आज उन किसानों का शोषण हो रहा है । एक महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा । यह सरकार किसानों की होनी चाहिये, इसे किसानों का हित देखना चाहिये । लेकिन आज किसानों के पास क्या है ? वह अत्यन्त गरीब है, उसके पास साधन नहीं हैं । जो किसानों का हित होना चाहिये वह नहीं हो रहा है और यह सरकार मिल मालिकों को अनुचित लाभ पहुंचाने का काम कर रही है ।

जो व्यापार करता है उसको वाजिब लाभ मिलना चाहिये । किसी व्यक्ति को अनापशनाप लाभ दें वह ठीक नहीं है । मैं आंकड़े रख रहा हूं सरकार के माध्यम से चीनी मिल मालिकों को बहुत लाभ हुआ है । 1996–97 में 72 रुपये और 76 रुपये गन्ने का मूल्य निर्धारित किया गया था । कोआपरेटिव सेक्टर की चीनी मिलों ने और चीनी निगम की मिलों ने 72 रुपये के हिसाब से मूल्य का भुगतान किया था, जबकि निजी मिल मालिकों ने 70 रुपये के हिसाब से भुगतान किया । सरकार ने आश्वासन दिया था कि यह 2 रुपये का जो एरियर है उसका बाद में भुगतान करा दिया जायेगा । लेकिन सरकार ने अभी वह रुपया किसानों को नहीं दिलाया है ।

मान्यवर, इस 2 रुपये के अन्तर से 16 हजार लाख रुपया का लाभ चीनी मिल मालिकों को पहुंचाया गया है । मान्यवर, 1934 से लेकर अब तक अरली वैरायटी और जनरल वैरायटी में 4 रुपये का अन्तर रहता था । इस साल जो मूल्य निर्धारित किया गया है वह 80 रुपये और 75 रुपये है जो 76 रुपये होना चाहिये था । तो इस प्रकार से 1 रुपये प्रति कुन्तल का लाभ चीनी मिल मालिकों को दिया गया है इससे 9800 लाख रुपये का फायदा चीनी मिल मालिकों को हुआ है । इसके अतिरिक्त 3 रुपये कुन्तल ढुलाई किसानों से ली जाती है इस प्रकार से 29400 लाख रुपये का फायदा चीनी मिल मालिकों को हुआ है । इस तरह से एक साल के अन्दर 552 करोड़ का फायदा चीनी मिल मालिकों को इस सरकार ने पहुंचाया है ।

मान्यवर, 1934 में भारत सरकार ने एक शूगर केन एक्ट बनाया था उसके अन्तर्गत राज्य सरकार को अधिकार दिया गया था कि वे किसी क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती हैं और उस क्षेत्र से वैक्यूम पैन चीनी मिलों को सप्लाई होने वाले गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर सके तब से लेकर आज तक हर साल सरकार मूल्य निर्धारित करती थी और चीनी मिल वाले उस मूल्य को देते थे । इस सरकार के आने•के बाद मिल मालिकों ने इसको देना बन्द कर दिया और वह उच्चतम न्यायालय में चले गये । उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि राज्य सरकार मूल्य को निर्धारित कर सके । मान्यवर, न्यायालय का काम केवल कानून की व्याख्या करना है और इस सदन का काम कानून बनाना है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके सामने क्या मजबूरी है कि वह कानून बनाकर इन मिल मालिकों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है ।

मान्यवर, खण्डसारी इकाइयों में 9172 छापे मारे गये और केवल 1 मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई और बाकी 9171 को अभयदान दिया गया । मान्यवर, एक प्रश्न यहां हुआ था उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा था कि 52 मामलों में अनियमिततायें पकड़ी गई हैं अगर 52 को ही मान लें तो 51 को क्यों छोड़ दिया गया है ? इसी तरह से गन्ना क्रय केन्द्रों पर 8177 छापे मारे गये और उनमें 1655 अनियमिततायें पकड़ी गईं । इनमें केवल 351 तौल लिपिकों के लाइसेंस रद्द किये गये और 71 समितियों के लिपिक सस्पेंड किये गये । केवल 422 पर ही कार्यवाही की गई । जब 1655 अनियमिततायें थी घटतौली की तो केवल 422 पर कार्यवाही क्यों की गई ? 1233 को क्यों छोड़ दिया गया ? कार्यवाही केवल 422 के ऊपर हुई बाकी 1233 का क्या हुआ क्यों वह छोड़ दिये गये ?

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, शेष उत्तर भाषण में कहें ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, आप अच्छी तरह से जानते हैं पिराई सत्र शुरू होने से पूर्व, केन कमिश्नर सब जगह जाते हैं और वह किसानों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर किसानों की जो समस्या है उसको सुनते हैं और देखते हैं कि गन्ने की कितनी उपलब्धता है, चीनी मिल से क्रय केन्द्र कितना दूर है और उसी

हिसाब से नये क्रय केन्द्र खोलने का आदेश करते हैं जितने क्रय केन्द्र खोलने का आदेश करते हैं । उसके आधे भी क्रय केन्द्र नहीं खुले, किसी चीनी मिल ने उनका पालन नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री समरपाल सिंह–

किसानों को सब्सिडी देने का मामला है, कृषि रक्षा हेतु 35 परसेन्ट सबसिड़ी दी जाती है, लेकिन किसान से पूरा पैसा लिया जा रहा है । अगर कोई किसान इस बात को कहता है तो उससे कह दिया जाता है कि बाद में दे दिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । 27 मिनट हो गये हैं, अध्यक्ष जी ने 15 मिनट आपको दिये है ।

श्री समरपाल सिंह–

आपने कहा है कि हम नई चीनी मिल लगाने के लिये प्रयासरत हैं । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में चौधरी अजीत सिंह ने अपने समय में एक चीनी मिल बरनावा में लगाने के लिये स्वीकृत की थी लेकिन उसके लिये अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है । क्यों नहीं आपने इसके लिये प्रयास किया, क्यों नहीं नोटिस दी और उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की ।

मान्यवर, किसान गन्ना पैदा करता है और उसके बच्चे चीनी के एक दाने के लिये मोहताज हैं । दो साल पहले तक किसनों को एक टन गन्ने की सप्लाई पर 750 ग्राम की दर से चीनी दी जाती थी । उसको आपने क्यों बन्द कर दिया ? किसानों के बच्चों को चीनी खाते नहीं देखना चाहते हैं ।

हमारे प्रदेश के अन्दर जहां मैंगो होता है उसे मैंगो बेल्ट घोषित किया जाता है जहां आंवला होता है उसे आंवला बेल्ट घोषित किया जाता है । तो हमारे यहां जिस जमीन में 96 परसेंट गन्ना होता है। उसे गन्ना बेल्ट क्यों घोषित नहीं किया जाता ? ताकि जो सुविधायें किसानों को इससे मिलती हैं वह हमें भी मिल सके, जो जरूरी सुविधायें गन्ना किसानों को मिलनी चाहिये वह मिल सके ।

मान्यवर, संक्षेप में किसानों की समस्याओं के बारे में मैंने अपनी बात रखी है । गन्ना किसान आज तंगी की हालत में है वह अपने बच्चों के हाथ पीले नहीं कर पा रहा है । गन्ना सबसे बड़ी कैश-क्राप हैं ।

* श्री गोरख नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय गन्ना एवं सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के पक्ष में मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये माननीय सदन के सम्मुख कुछ बातें रखना चाहता हूं । हमारा प्रदेश गांव का प्रदेश है और किसान का मुख्य व्यवसाय खेती है । बजट के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने किसानों के हित के लिये अनेक योजनायें रखी हैं जो किसानों के लिये लाभकारी हैं । जल-जीवन है चाहे वह मानव हो, चाहे पेड़ पौधे हों और चाहे फसलें हों । अगर जल नहीं मिलता तो फसल सुरक्षित नहीं रहेगी । माननीय मंत्री जी ने फसलों में वृद्धि के लिये विशेष बल दिया है । निर्माण कार्यों में वृद्धि के लिये नई योजनायें रखी हैं । जिसमें एक हजार छियासठ करोड़ रुपया खर्च करने की है । जल का अधिकतम उपयोग करने की बात कही है ताकि हर खेत तक पानी पहुंच सके । अगर किसान को सिंचाई की सुविधा दी जाये तो उत्पादन

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में वृद्धि होगी । जिससे किसान का और प्रदेश का लाभ होगा । इसकी तरफ सरकार ने ध्यान दिया है इसलिये मैं इस बजट का समर्थन कर रहा हूं ।

(समय 5 बजकर 30 मिनट)

मान्यवर, परियोजनायें जो प्रदेश में चल रही हैं और जो अर्से से चल रही हैं दसियों वर्षों से चल रही हैं, वह अपूर्ण हैं । इन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिये योजनायें बजट में रखी गई हैं । 14 नई परियोजनायें बजट में रखी गई है । उसके लिये मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, नहरों के माध्यम से पूरे प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है । हर खेत को पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है टेल तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है । गुलों और नहरों की सफाई के लिये और नहरों के विकास के लिये प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिये मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

नहरों पर आवागमन के लिये ग्रामीण लोगों को सुविधायें देने के लिये उनको हल बैल ले जाने के लिये नहरों पर पुल बनाने की व्यवस्था की गई इसके साथ ही नहर की पटरियों को पक्का कराने की जो योजना बनाई गई है वह प्रशंसनीय है । आज हमारे प्रदेश में 2782 नलकूप हैं इनमें से कुछ खराब हैं जिनका निर्माण किया जा रहा है । नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिये योजना रखी गई है और व्यय के लिये धनराशि रखी गई है जिससे काफी सहयोग किसानों को मिलेगा और सिचाई सुविधा मिलेगी । मान्यवर, नलकूपों की जो मोटरें होती हैं, वह खराब हुआ करती हैं, इससे किसानों को दिक्कत होती है उनके पुनर्निर्माण के लिये व्यवस्था की गई जिससे किसान को राहत मिलेगी । मान्यवर, नलकूप चल रहे हैं या नहीं उनका रख-रखाव हो रहा है या नहीं अधिकारियों द्वारा अनियमितता बरती जा रही है या नहीं इसकी समीक्षा जनप्रतिनिधि करेंगे । यह व्यवस्था इस बजट में की गई है । इसलिये मैं इस बजट की प्रशंसा करता हूं ।

मान्यवर, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये ऐसी योजनानयें बनाई गई हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है, इसलिये मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । गन्ना जिसके बारे में पिछले बजट में काफी शोर शराबा सदन में हुआ और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने आलू और गन्ने को लेकर काफी हंगामा किया और सदन दो दिन तक नहीं चला था वह भी मुझे याद है । माननीय मंत्री जी ने गन्ना मिलों के लिये जो व्यवस्था की है उससे काफी अच्छी कामयाबी हासिल हुई है । इससे पहले जो किसानों को भुगतान नहीं मिलता था वह भुगतान आज दिया जा रहा है और फर्जी भुगतान रोका जा रहा है तथा ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि बीज में जो किसान का शोषण कर रहे थे उससे किसान का शोषण बन्द हो । मान्यवर, मिलें लाभ की तरफ जा रही हैं । इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे भदोही जनपद में एक ज्ञानपुर माइनर है जो पूर्वांचल में सैकड़ों कि०मी० तक सिंचाई करती है, वहां एक किहुनी ग्राम है, इसके पास से नहर का प्रारम्भिक स्थल है, वहां एक कि०मी० पर आये दिन नहर टूटती है और हजारों एकड़ फसल बर्बाद होती है लाखों रुपये का नुकसान होता है उसका पुनर्निर्माण किये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये । माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि उसका निरीक्षण करायें । एक किलोमीटर नहर पक्का करा दें । नलकूप की व्यवस्था जो आपके द्वारा है, उसमें जो वहां के कर्मचारी हैं, अधिकारी अभियन्ता हैं, निश्चित रूप से वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं । जो भी आकड़ें यहां बताये गये हैं रिबोर के हों, नालियां खराब होने के हों, वह सब यहां पर फर्जी बताये गये हैं । मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं । मैं जानता हूं इसीलिये कहना चाहता हूं कि जो भी यहां सदन में दिये जायं सही दिये जायं ।

भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दी जाय । फर्जी आंकड़ें बताते हैं वे आपको । आपने मशीनरी तो अच्छी दी, सारी व्यवस्था ठीक दी लेकिन जो चालक रूपी इंजीनियर बैठे हैं यह गाड़ी कभी बांयें, कभी दायें चलाते हैं और कभी पटरी से नीचे उतार देते हैं । इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना बहुत जरूरी है ।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह लाभकारी है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

* श्री भोला शंकर मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे इस सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं श्री बाबू राम यादव द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि आपने टिहरी परियोजना की पूरे जोर-शोर के साथ घोषणा की। मान्यवर, इनके विश्व हिन्दू परिषद् ने परसों ही यह प्रस्ताव पास किया है कि टिहरी परियोजना को नहीं बनाया जाय। जब इनका रिमोर्ट कन्ट्रोल कह रहा है, जब इनकी केन्द्र में और यहां दोनों जगह सरकार है तो यह किस तरीके से उस परियोजना को पूरा करेंगे। यह परियोजना बहुत पहले बन जानी चाहिए थी क्योंकि यह बहुउद्देशीय परियोजना है। इसको टाइम बाउन्ड बनाना चाहिए। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने मध्य गंगा कैनाल के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। विश्व बैंक से इन्हें जो ऋण मिला है इसके लिये उल्टा इन्हें उसका ब्याज देना पड़ रहा है। उस परियोजना को इन्होंने समय से पूरा न करके प्रदेश का बहुत बड़ा अहित किया है इसके लिये इनकी जितनी भी आलोचना की जाय कम है। मान्यवर, मैं जो बाबू राम जी ने बिन्दु उठाये हैं उसके विस्तार में न जाकर एक जो परियोजना मध्य गंगा कैनाल के बारे में जरूर कहना चाहता हूं कि यह परियोजना मान्यवर, 1986–87 में बनाई गई थी और इसमें मान्यवर, उन जिलों को लेने की बात कही थी जो अब तक अछूते रह गये थे नहर की सिंचाई से।

बदायूं, मुरादाबाद, बरेली जनपद में स्थिति यह है कि जल स्तर इतना गिरता जा रहा है कि उसको अगर विचार नहीं किया गया तो एक दिन स्थिति ऐसी आ जायेगी कि वहां डार्क ही डार्क हो जायेगा। सिंचाई के जो साधन हैं वह नगण्य हो जायेंगे। मैं बदायूं जनपद की बात कह रहा हूं वहां पर 18 ब्लाक हैं उसमें से 8 ब्लाक डार्क हो गये हैं, 6 ग्रे हो चुके हैं। 14 की सिंचिन क्षमता समाप्त सी होने जा रही है। उनके बारे में सोचते हुए मान्यवर,मध्य गंगा कैनाल की योजना को इस साल नहीं तो अगले साल शुरू कर दें तो इससे चन्दौसी, बदायूं, बरेली, मुरादाबाद जनपद में जिनके खेत में दीमक हो गये हैं लाभ पहुंचेगा। पानी के अभाव में यह हाल है कि आम के बाग पूरी तरह से इतने सूख गये हैं, जब आप दिल्ली की तरफ जायं सब बाग सूखे ही सूखे नजर आयेंगे।

यह परियोजना ऐसी बहुउद्देशीय है जिससे धान का उत्पादन बढ़ेगा और जो बेकार पानी जा रहा है यह बांयी तरफ दे दिया दांयी तरफ दे दिया होता तो जो जनपद आज सूखे हैं बदायूं, मुरादाबाद, बरेली में पानी उपलब्ध हो जाता। इसी तरह से यह जो परियोजना है इसको पूरा करने की कोशिश करें। दूसरा मान्यवर, इन्होंने स्टेट ट्यूबवेल की बात कही प्रदेश में वास्तविकता में और इन्होंने कम्प्यूटर से जो आंकड़े बताये उसमें बहुत बड़ा अन्तर है। यह खुद में एक विरोधाभास है। यह स्टेट ट्यूबवेल की बात कर रहे हैं। री-बोर करायेंगे। जल्दी ठीक करा देंगे। कहीं भी पूरे प्रदेश में वितरण प्रणाली जो है वह हेड से लेकर टेल तक त्रुटिग्रस्त है। कहीं एक साल में ट्यूबवेल बनता है वह खराब हो जाता है। नाली खराब हैं, नालियों को ठीक कराने के लिए ढंग से व्यवस्था नहीं की है, यह कहते हैं कि नान प्लान में एक पैसे का प्राविधान नहीं किया है। नाली सही नहीं होगी तो एक ट्यूबवेल की 100 हैक्टेयर सिंचाई की क्षमता है, वह सिंचाई नहीं हो पाती है तो इसको आप कैसे बढ़ायेंगे। एक बात बदायूं जनपद के बारे में कहना चाहता हूं। यहां जितने राजकीय नलकूप हैं वह सबके सब खराब हैं। 75 फीसदी खराब हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गन्ना विभाग के बारे में कहूंगा हमारे जनपद के लिए दो साल पूर्व एक चीनी मिल स्वीकृत हुई थी वीनस शुगर मिल को स्वीकृत किया गया था। वीनस शुगर मिल में कुछ कार्य नहीं हुआ है न जमीन ली गई है, न और कोई कार्य हुआ है। तो वीनस शुगर मिल का लाइसेंस खत्म किया जाए। चीनी मिल को वहां सहकारिता के आधार पर लगाया जाए। मान्यवर, यह बात करते हैं गन्ने की बढ़ोत्तरी की मेरे जिले में 75 प्रतिशत गन्ने का राब और गुड़ बनता है बाकी बिचौलियों के जरिये जा रहा है तो वहां पर जल्दी से जल्दी चीनी मिल बनाई जाए।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है 500 लाख हेक्टेयर भूमि पर यहां खेती होती है। आज भी खेती की सिंचन क्षमता 48.27 हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना में हमारे सिंचाई मंत्री जी ने बहुत सी योजनाओं की चर्चा की है। धन की भी चर्चा की है जो व्यय करने वाले हैं। श्रीमन् मैं उसी जनपद से आता हूं जहां आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे कम सिंचाई है 13.69 प्रतिशत क्षेत्र सिंचाई का उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जनपद में है। इसमें 70 प्रतिशत वर्षा पर निर्भर करता है। वर्षा का जल भर लिया जाता है यदि वर्षा कम हुई तो 13.69 में 7.34 प्रतिशत रह जाता है वह ऐसा क्षेत्र है। पूरा बुन्देलखण्ड, ललितपुर, झांसी पहाड़ी, पठारी क्षेत्र, उरई मैदानी क्षेत्र, हमीरपुर मैदानी कम पहाड़ी क्षेत्र बांदा पठारी कम मैदानी क्षेत्र, यह पांचों जिले मिर्जापुर जनपद में हैं। सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा भू-भाग जो सिंचाई का क्षेत्र है। जिस जनपद से यह आए हैं उसका भी उद्धार करना है। वहां की योजनाएं जो चालू की गई थीं। 1989 के पहले वह सारी योजनाएं रोक दी गई हैं। उन पर धन भी व्यय हुआ था, कुछ काम भी हुए थे। कुछ प्रमुख परियोजनाओं की चर्चा मैं कर देना चाहता हूं। सबसे बड़ी व विशाल वाण सागर परियोजना है। जो उत्तर प्रदेश,बिहार और मध्य प्रदेश की समझौते से चल रही है। उसका शिलान्यास स्व० तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देशाई ने किया था।

उस समय वाण सागर से मिर्जापुर से एक टनल बनने की बात थी। इक्युपमेंट भी खरीदे गए और प्रस्ताव भी बना था। उस लाइन का सर्वे भी हुआ था। जिस रास्ते वह टनल आ रही थी, उस रास्ते में भी गया था, तब मैं सिंचाई मंत्री नहीं था, एक विधायक की हैसियत से गया था। अब उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। वाण सागर योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि मिर्जापुर के लिए मिर्जापुर के सोन के उत्तर और दक्खिन जो बंधे हैं उन बंधों को वाण सागर के जल से भरा जाए और सिंचाई की जाए। सोन लिफ्ट योजना बनी थी जो कभी चलती नहीं है। उसके दो पम्प चलते हैं। उसमें 12 पम्प हैं मैं नहीं जानता कि सिंचाई मंत्री जी उसको क्यों रोके हुए हैं। बिजली घर बना है। पैसा जमा है विद्युत परिषद् को। उसको 30 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है। 2 पम्पों को चलाने के लिए।

मैं चाहता हूं कि वाण सागर की लाइन को नहीं बदलना चाहिए। छोटी-छोटी योजनाएं और हैं, मैंने सिंचाई मंत्री जी को पत्र भी लिखा है। मिर्जापुर में पहाड़ी विकास खण्ड है वहां चार योजनाएं मंजूर थी। जमथुआ में काम रुक गया। वन विभाग और सिंचाई विभाग ने जमीन का भुगतान कर दिया फिर भी काम शुरू नहीं हुआ। पहाड़ के ऊपर सिद्धि नदी है उससे लिफ्ट योजना की बात थी। 20-25 क्यूसेक की। उससे सिंचाई होती। सरैमा लिफ्ट कैनाल की आपने स्वीकृति दे दी है। पडरी लिफ्ट कैनाल को आपके विभाग ने कह दिया कि यह फीजेबुल नहीं है। किस तरह का यह विभाग है। चट्टर नदी के ऊपर जहां वह साइट है गंगा का बैक वाटर आता है। पांच क्यूसेक की वह नहर है। चट्टर पर एक बंधा बनना था, वह वहां से हट गया। दूसरी जगह बन गया वहां सिंचाई हो रही है। सिंचाई मंत्री जी आपका क्षेत्र भी जमालपुर पड़ता है। मेरा क्षेत्र भी है। नवम्बर में ओला गिरा था, वहां के किसानों ने आपसे मांग की थी। मैंने भी मांग की थी, संस्तुति भेजी थी कि यहां की सिंचाई वसूली माफ कर दिया

जाय । सोनभद्र, मिर्जापुर, मधुपुर रजवहा, कोरात रजवहा आदि क्षेत्रों में पत्थर गिरने से खड़ी फसल बर्बाद हो गयी, उसके ऊपर नहर सेट लगाया जा रहा है इसको आप मुल्तवी नहीं, माफ कर दें । मान्यवर, 1970 में जसो से एक नहर निकल रही थी, उससे सोनपुर कैनाल बनना था, जमीन अधिगृहीत हो गयी थी लेकिन उक्त कैनाल नहीं बनवायी गयी, इसमें मात्र 5–7 लाख रुपये खर्च होना था, इसमें कोई झगड़ा नहीं है लेकिन 28 वर्षों से काम रुका पड़ा है । मान्यवर, डोगिया से उच्ची नगर तक भी बहरौरा के नहरों को पानी बढ़ाने के लिये उसे पुनः ठीक कराने का काम भी बन्द है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा शस्त्र शारदा सहायक परियोजना है, साढ़े 10 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो रही है । उसके मेन कैनाल में गड़बड़ी है ।

अभी समाचार पत्रों में निकला था, हरियाणा में 3 वर्ष में 15 हजार किसानों ने आत्महत्या की, नहरों के जल से उनके खेत डूब रहे थे जिस कारण वह ऊसर बन गये । उनका छोटा सा प्रदेश है और आपका लम्बा-चौड़ा प्रदेश है । लखीमपुर खीरी से लेकर मिर्जापुर तक नहर चलती है और लगभग 12 जिले कवर करती है । इसके मेन कैनाल की लाईनिंग कराने का कार्य नहीं किया गया तो आपके 20 लाख किसान मरेंगे क्योंकि उनकी जमीन बर्बाद हो रही है । बुन्देलखण्ड में 3-4 इंच का ट्यूबवेल एलाऊ करते हैं, मिर्जापुर में क्यों नहीं करते हैं । आप अण्डर ग्राउण्ड बोरिंग करायें और जो सब्सिडी दे रहे हैं ट्यूबवेल में, उस सब्सिडी का लाभ मिर्जापुर जनपद को भी दिलायें और वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग की योजना चलाईये । अन्त में मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि मिर्जापुर में बंधियों का निर्माण होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, नदी नालों का पानी रोककर उन्हें सिंचाई कराईये ।

उत्तर प्रदेश में 296 लिफ्ट कैनाल हैं । मेरा अनुरोध है कि उनको धीरे-धीरे पक्का करें वह बाढ़ से ऊपरं हैं । बाढ़ में पानी ऊपर नीचे होता रहता है और वह पानी की आवश्यकता पर काम नहीं देते हैं । पहले बड़ी-बड़ी लिफ्ट कैनालों को पक्का बनवायें फिर छोटे लिफ्ट कैनालों को पक्का बनवायें ताकि उनका सही लाभ मिल सके । पहले सभी कैनालों को फीडर से सीधे लाईने दे दी गयी थी और उससे अलग-अलग गांवों का विद्युतीकरण हो गया था । उसका अंजाम यह हुआ कि जब विद्युत कटौती होती है तो लिफ्ट कैनालों पर भी कटौती होती है और वह बन्द हो जाती हैं । इस समय 28 हजार नलकूप इस प्रदेश में हैं और औसतन 10 हजार नलकूप खराब हैं । प्रयास यह होना चाहिये कि खराब नलकूप की संख्या कम हो और उनको चलाया जाय । यह सिस्टम बड़ा गड़बड़ पड़ गया है ट्रांसफारमर जल गया तो किसान ट्रैक्टर या बैलगाड़ी पर लादकर उसको ले जाय, फिर वहां से लेकर आये, इसी तरह पम्प/मोटर जल गया तो उसको लादकर सिंचाई विभाग की वर्कशाप ले जाये, कृपया आप इसको रुकवाइये और अपने विभाग को आदेश दीजिये कि अभियन्तागण अपनी कार्यकुशलता को बढ़ावें ।

जिनके लिये आप 11 अरब रुपये का बजट ले रहे हैं, उन किसानों को यह महसूस हो कि उत्तर प्रदेश शासन हमारे लिये कुछ कर रहा है, इसलिये यह काम अभियन्ताओं को सौंप दीजिये, इसी के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*श्री राजधारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिंचाई और गन्ना विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय मंत्री जी ने सिंचाई के विकास के लिये, गन्ने विकास के लिये, चीनी मिलों के विकास के लिये जो इच्छा शक्ति और संकल्प व्यक्त किया, मैं ऐसे बजट के समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमारे प्रदेश में क्षेत्रीय सिंचन विषमता है, जहां पश्चिम में 85 प्रतिशत, पूर्व में 55 प्रतिशत और बुन्देलखण्ड में मात्र 35 प्रतिशत सिंचन

---

* वक्ता ने भाषणका पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्षमता है, इसको एक करने के लिये, विषमता को समाप्त करने के लिये काम करने का जो माननीय मंत्री जी ने संकल्प लिया है, योजना बनाई है, वह स्वागत योग्य कदम है ।

हमारे प्रदेश में जल जमाव के नाते हजारों एकड़ जमीन खेती योग्य नहीं रह जाती है । माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में ड्रेनों की सफाई तथा उसके लिये धनराशि का प्रबन्ध करके खेती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है । पहली बार इस सरकार ने नहरों की पटरियों को पक्का कराने का काम बड़े संकल्प के साथ, बड़े व्यापक पैमाने पर पिछले साल शुरू किया, इस बार भी उससे ज्यादा बजट का प्राविधान किया गया है । नहरों की पटरियां पक्का होने से अगल-बगल के गांवों के लोगों की आवागमन की समस्या दूर होगी वहीं हमारे नहर की पट्टी भी मजबूत होगी ।

माननीय मंत्री जी ने ट्यूबवेल के अनुरक्षण के लिये 7 हजार से बढ़ा कर 12 हजार किया है, इस प्रकार खेती को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो एक स्वागत योग्य कदम है । नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने का संकल्प भी स्वागत योग्य है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नहरों की सफाई के लिये प्रदेश स्तर पर अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जाय, जिससे नहरों की टेल तक पानी पहुंचना शत प्रतिशत सुनिश्चित हो । एक और निवेदन करना चाहूंगा कि नहरों का जो कमान्ड एरिया है, उस तक पानी नहीं पहुंच पाता है,लेकिन विभाग द्वारा वहां के किसानों से जबरन वसूली की जाती है, इसको रोका जाना चाहिये । ताकि गलत पड़ताल न हो । जहां पानी पहुंचने की स्थिति नहीं है, उसको कमान्ड एरिया से निकाल दिया जाय और किसान अपने संसाधन लगाकर वहां सिंचाई सुविधा जुटायें, इसके लिये उसको मदद दी जानी चाहिये मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से बलिया जनपद के बारे में निवेदन करूंगा कि वहां शारदा सहायक परियोजना की एक नहर काफी दिनों से निर्म्माणाधीन है । पिछले 15 साल से वह नहर पूर्ण नहीं हुई है । बलिया में जाकर शारदा सहायक का टेल पड़ता है तो जो आपने संकल्प लिया है कि अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करायेंगे उसमें शारदा सहायक परियोजना को प्राथमिकता पर रखें जिससे कि हमारा बलिया जनपद लाभ उठा सके ।

मान्यवर, सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ताओं की बहुत कमी है । मेरा अनुरोध है कि इनको भरा जाय ताकि सिंचाई और बाढ़ जैसे कार्यों में वह सहयोग दे सकें और जनता उनसे लाभान्वित हो ।

मान्यवर, गन्ने के बारे में माननीय मंत्री जी ने जो संकल्प लिया है वह सराहनीय है । मान्यवर, पहली बार चीनी मिल लाभ में आई है यह प्रसन्नता की बात है । माननीय मंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि पूरे देश स्तर पर उत्तर प्रदेश का उत्पादन लायेंगे यह निश्चित ही सराहनीय कदम है । मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । शुगरवेज बोर्ड 1991 की समीक्षा होनी थी, और उसकी संस्तुतियां लागू होनी थी, लेकिन यह नहीं हो पाया है । कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर इसे लागू करायें । चीनी मिल के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान सुविधा दी जाय ताकि उत्साह बढ़े ।

मान्यवर, बलिया जनपद में एक चीनी मिल है उसकी पेराई क्षमता 1250 टन है प्रतिदिन के हिसाब से वह वायबिल नहीं है उसकी क्षमता 2500 टन प्रतिदिन पेराई की करें जिससे चीनी मिल लाभ में हो । इसके साथ ही बलिया में गन्ने का 40 प्रतिशत बकाया है इस बकाये को निश्चित रूप से जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम 15 अगस्त तक सारी चीनी मिलों का भुगतान कर देंगे तो मैं चाहता हूं कि इसके बकाया का भी पूर्ण रूप से भुगतान हो जाय ।

मान्यवर, चीनी मिलो में जो काम करने वाले दैनिक कर्मचारी हैं वह 15–15, 20–20 सालों से काम कर रहें हैं । मेरा अनुरोध है कि उनकी सेवा को देखते हुए उन्हें नियमित करें । इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

* श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र कौड़ी राम जनपद गोरखपुर की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। मान्यवर, मेरा क्षेत्र चारों तरफ से आमी राप्ती से घिरा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र का 3 हिस्सा बाढ़ से प्रभावित रहता है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में मलौली बांध है जो कि 12 कि०मी० है इसमें 3 जगह से भीषण कटान हो रही है। इससे पहले मैंने इसके लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था और माननीय मुख्य मंत्री को भी मैंने अवगत कराया है। एक लहसिड़ी है जो बिल्कुल गोरखपुर से करीब है। मुश्किल से 8 कि०मी० की दूरी पर यह कटान हो रही है। मान्यवर, यह तीसियों हजार की आबादी का यह गांव है उसके बगल में मिर्जापुर है नदुवा है। अगर यह बंधा कटेगा तो लहसड़ी ही नहीं पूरा गोरखपुर शहर जलमग्न हो जायेगा। मान्यवर, इससे जनजीवन प्रभावित होंगे। कई हजार एकड़ फसल का नुकसान होगा। कौड़ीराम, सौहगौरा, गजपुर,कटरा है,गजपुर के पास कटरा है, कनईल के पास कटरा है, राप्ती इतनी तेजी से कट रही है बंधा सट करके जो आबादी है, वहां तक पहुंच गया है। शासन प्रशासन के कान तक जूं रेंगने वाली नहीं है। कमिश्नर, डी०एम०, एस०एस०पी० सब को अवगत करा दिया गया है, माननीय सिंचाई मंत्री जी से मैंने निवेदन कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन कर रही हूं। अगर बंधे पर ठीक समय से ठोकर लग गयी होती तो जो नौबत है कटान न कटती। होगा क्या जब बाढ़ आयेगी तो छोटी-छोटी बोरियों में उसमें ढेला इट्टा और धांवा और बल्ली एक तरफ–एक तरफ लगेगी तो दस तरफ दिखायेंगे इनके अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जायेंगे और वहां पर 100 बोरी के स्थान पर 1000 बोरी दिखायी जायेगी यही समय से बांध की टिचिंग हो जाती तो यह नौबत न आती।

मान्यवर, गोरखपुर से आयी वारिश बहुत तेजी से हो रही है लोग भयभीत हो गये हैं कि पता नहीं कब बंधा कट जायेगा गांव सैलाब हो जायेगा। सिंचाई मंत्री जी कह रहे थे कि हम हर क्षेत्रों में पानी देंगे मैं हर गांव में जाती हूं शिकायत यह मिलती है कि ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं नाली टूटी पड़ी हैं गूल खराब है ट्रांसफारमर जले पड़े हैं एक भी चीज शुद्ध नहीं है। हमारे क्षेत्र में नहर नहीं है पानी की असुविधा है किसानों की वहां हजार-हजार एकड़ जमीन है पानी के अभाव में उनकी सिंचाई नहीं होती है माननीय सिंचाई मंत्री जी गोरखपुर गये थे, गेस्ट हाउस में रुके थे, मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया कि 2–3 ट्यूबवेल दे दें,बोले मैं अपने क्षेत्र में तो लगवा नहीं पा रहा हूं तो आपको कैसे दूंगा। बड़े अफसोस की बात है कि हजारों हजार एकड़ जमीन वहां किसानों की है, पानी की सुविधा नहीं है। मान्यवर, अगर आज वहां कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये .....

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त।

श्रीमती गौरी देवी–

तो बीसियों हजार आदमियों का जनजीवन प्रभावित हो जायेगा और वह क्षेत्र ही नहीं पूरा शहर सैलाब हो जायेगा। वहां के लिए ठोस कदम उठाये जायें, इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, सिंचाई विभाग पर श्री बाबू राम यादव जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया,इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने इस प्रदेश की प्यासी भूमि की सिंचाई के लिए तमाम कारगर उपायों का वर्णन किया और तमाम परियोजनाओं को शुरू करने के बारे में कहा। बुन्देलखण्ड के बारे में माननीय मंत्री जी ने अतिश्योक्ति वाली बात कही। बड़े दुख की बात है कि आज भी वहां पर 35 प्रतिशत ही सिंचाई होती है और उसे बढ़ाने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं हुए हैं। ललितपुर जनपद में बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना कई वर्षों से लम्बित है। 1996-97 में राजघाट परियोजना की जो स्थिति थी, वही आज भी है। माननीय मंत्री जी ने तब कहा था कि इस पर 95 प्रतिशत कार्य हो चुका है, शेषं पांच प्रतिशत रह गया है। एक वित्तीय वर्ष पूरा हो चुका है परन्तु वह शेष कार्य पूरा नहीं हुआ। या तो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्रियों के बीच या उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच संवादहीनता के कारण यह कार्य नहीं हो पा रहा है। क्योंकि दोनों प्रदेशों को इस पर समान पैसा लगाना था।

मान्यवर, जनपद जालौन, ललितपुर की जमीन पंजाब व हरियाणा से भी ज्यादा अच्छी है। जनपद जालौन में एक साल में केवल एक फसल बोई जाती है। अगर यहां पर सिंचाई की क्षमता को बढ़ा दिया जाय और नहरें ए–क्लास की हो जायं तो पंजाब व हरियाणा से ज्यादा उत्पादन यहां पर हो सकता है। कुंडा बांध के बारे में मंत्री जी ने कहा,यह बांध तो आपके इंजीनियरों ने इतने घटिया स्तर का बना रखा था कि पिछली बरसात में ही यह बह गया। गुणवत्ता ठीक नहीं होगी तो चाहे वह कितना ही पैसा खर्च कर दीजिये इससे भला होने वाला नहीं है। नहरों की सफाई के बारे में कहा गया। मैं आलोचना के रूप में नहीं समालोचना के रूप में जानना चाहता हूं कि नहरों की सफाई के लिए जो बजट जिलों को दिया जाता है, क्या इसका इस्टीमेट ट्रैक्टर का होता है या मजदूर से कराने का होता है। जनपद जालौन तथा हमीरपुर की ब्रांच पर जितने भी राजबहे हैं, उनकी सफाई ट्रैक्टरों से कराई जा रही है परन्तु पैसा मजदूरों का लिया जाता है, जिससे कार्य जल्दी हो जाता है। मजदूरों से कार्य करने का इस्टीमेट आपके अधिकारी दे रहे हैं और ट्रैक्टर से कार्य हो रहा है। आप अच्छी से अच्छी योजना बनायें लेकिन वास्तव में जहां कार्य हो रहा है उसका क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है यह सबसे बड़ी बात है ? मान्यवर, जो ट्यूबवेल लगाये गये हैं, आपके अधिकारी कहते हैं कि यह विद्युत विभाग के दोष से खराब हुए हैं, और विद्युत विभाग ये कहता है कि आपका दोष हैं तो ऊर्जा विभाग और सिंचाई विभाग दोनों एक दूसरे को धक्का मारते हैं और जो नहरें कमान्ड एरिया से खारिज होकर ट्यूबवेल में आ जाती हैं, ट्यूबवेल इनके खराब पड़े हैं, ट्यूबवेल वाले इनको सिंचन होना दिखाते हैं और नहर वाले भी दर्ज कराते हैं तो इससे भी आप अवगत हैं। इस पर कोई व्यवस्था करें।

आपके वर्कशाप में जहां ट्यूबवेल बनते हैं वहां पर जिस गेज के तार प्रिसक्राइब्ड हैं वह नहीं लगाये जा रहे हैं और जितना भरा जाना चाहिये उतना नहीं भरे जा रहे हैं जिससे मोटरें जल्दी फुक जा रही हैं। नाबार्ड से पैसा जो उन्हें मिलता है, नये सामान के लिए, तो पुराने सामान को लीप पोतकर लगा देते हैं और नये सामान का बिल लगा देते हैं तो इस तरह से जो पैसे सही इस्तेमाल होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। आपकी नियत भले ही ठीक हो लेकिन आपके अधिकारी हैं वह लूट मचाये हुए हैं। मान्यवर, आज कहा कि ब्लाक डार्क घोषित किये गये हैं और भू-गर्भीय जल स्तर पांच मीटर से 25 मीटर नीचे चला गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपकी एक योजना है सताहवा में जो कि प्रेक्टिकल के रूप में कार्य कर रही है उसमें पता नहीं कितना भू-गर्भ जल स्तर ले रहे हैं जो भू-गर्भीय जल स्तर कम होता जा रहा है । तो प्रदेश में जितने भी ट्यूबवेल लगे हैं वह पानी देना बन्द कर देंगे । इसलिए उसके जल स्तर को ठीक रखने के लिए आपके विशेषज्ञ दूसरे देशों में जायें, जहां पर इस प्रकार से कार्य हो रहा है और जाकर देंखे और वहां से टेक्निक लेकर आयें ताकि जो जल स्तर नीचे जा रहा है उसको रोका जा सके । मान्यवर, जिलों में जो रोस्टर प्रणाली बनायी गयी है उसमें एक गलती हो रही है । जो लम्बी माइनरें हैं, 40 किलोमीटर लम्बी हैं उसके लिए भी 10 दिन रोस्टर के लिए हैं और जो छोटी माइनरें हैं उसके लिए भी 10 दिन रोस्टर के हैं । तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि जो लम्बी माइनर हैं उसके दिन ज्यादा रखे जायें और जो छोटी माइनरें हैं उसके दिन कम रखे जायें । मान्यवर, आपके जे०ई० और दूसरे जो कर्मचारी हैं वह कुलावा बन्द कर देते हैं जिसकी वजह से भी परेशानी होती है । तो व्यवहारिक दृष्टि से यदि आप राजघाट परियोजना को शुरू कर देते हैं तो झांसी मण्डल और चित्रकूट में इतनी ज्यादा पैदावार होगी कि जो प्रदेश में खाद्यान का उत्पादन का औसत हैं उससे ज्यादा वह बढ़ जायेगा । मान्यवर, गन्ने के बारे में भी एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । मान्यवर, जनपद जालौन में माधोगढ़ में एक चीनी मिल हैं वह 15 वर्षों से बन्द पड़ी है और यह चालू हालत में बन्द हो गयी थी । पहले हजारों एकड़ पर गन्ने की फसल पैदा होती थी आज वह आपके अधिकारियों के कारण बंद पड़ी है तो मान्यवर, उस चीनी मिल का क्या करने जा रहे हैं ? उसकी जमीन जो है, उस पर कब्जा हो रहा है, लाखों करोड़ों की उसकी मशीनरी है वह बेकार पड़ी है । जनपद जालौन की वह एकमात्र मिल है, अगर यह मिल चालू हो गयी तो गन्ने की पैदावार का मार्ग प्रशस्त होगा ।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर,हमारे सिंचाई मंत्री जी ने अपने बजट में कहा है कि हम सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रहे हैं । मान्यवर, मेरे जनपद कौशाम्बी में कई ऐसी नहरें हैं जो अपने स्वरूप को बदल चुकी हैं और रोड का स्वरूप धारण कर लिया है । फतेहपुर जनपद में जरौली पम्प नहर स्वीकृत की गयी थी जिस पर 8 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है । 8–9 वर्ष हो गये हैं लेकिन आज तक वह पूर्ण नहीं हो पायी है जबकि राज्य सेक्टर से 3.48 करोड़ और नाबार्ड से 4.52 करोड़ रुपये उसमें खर्च भी किया गया है ।

इस परियोजना से फतेहपुर जनपद के तीन ब्लाक–विजयीपुर असोथर और धाता तथा कौशाम्बी जनपद के सरसवां मंझनपुर और सिराथू ब्लाक को सिंचाई की सुविधा होने वाली थी लेकिन इसके पूरा न होने से सिंचाई में बड़ी असुविधा हो रही है इसके साथ ही साथ इन ब्लाकों का जल स्तर भी घट रहा है क्योंकि ट्यूबवेल से जल का दोहन हो रहा है और पीने के पानी की समस्या हो रही है । नाबार्ड से 38.13 करोड़ रुपया मिला है जिसमें 4.52 करोड़ रुपया खर्च किया गया है और यह प्राविधान किया गया है कि सन् 2000 तक इसको पूरा कर दिया जायेगा । माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन है कि इस परियोजना को आप तेजी से पूरा करें जिससे जो नहरें रोड का स्वरूप ले चुकी हैं उनमें पानी पहुंच सके और खेतों की सिंचाई हो सके । मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में किशनपुर पम्प कैनाल है । वह आये दिन खराब रहती है, उसका पम्प डाउन हो गया है, ट्रान्सफारमर जल गया है । कभी टेल तक पानी नहीं पहुंचता है जब अधिकारियों से शिकायत करते हैं तो वह कहते हैं कि बजट में कोई प्राविधान नहीं किया जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक कौशाम्बी जनपद का किसान सिंचाई खण्ड–2 इलाहाबाद में अपनी शिकायत दर्ज कराता था जिससे वह पम्प नहर चालू हो जाती थी लेकिन उक्त पम्प कैनाल को स्थानान्तरित कर फतेहपुर कर दिया गया है । इससे पम्प खराब होने पर कोई किसान फतेहपुर शिकायत लेकर नहीं जा पाता है और उसके रखरखाव में दुर्व्यवस्था हो रही है । अभी तक जनता इलाहाबाद में

शिकायत कर लेती थी । अब आप कौशाम्बी में नया डिवीजन खोल रहे हैं तो उसको उसी में ट्रान्सफर करवा दें । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं मैं किसान हूं छोटे घर से आया हूं । किसानों की समस्या मैं जानता हूं । किसान साल भर गन्ने की निराई-गुड़ाई करता है और खेत में पानी और खाद की व्यवस्था करता है और जब गन्ना बेचने की नौबत आती है और पर्ची का वितरण होता है तो उसमें 50 रुपया दलाल को देना पड़ता है तब उसे पर्ची मिल पाती है । पर्ची मिलने के बाद भी वह घटतौली का शिकार होता है और उसे फर्जी रसीद दे दी जाती है । कई लाख रुपया किसानों का फंसा पड़ा हुआ है । जो ठेकेदार हैं उनको 15 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है । किसान वैसे ही मरा है । मा० मंत्री जी ईमानदारी से किसानों का हित चाहते हैं तो उनको ठेकेदारों के हाथ से मुक्त करायें । ठेकेदार किसान का पैसा खा जाते हैं । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री लाल सिंह वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने सिंचाई और गन्ना मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया । मा० मंत्री जी ने पिछले साल भी सिंचाई का बजट प्रस्तुत किया था उसमें हमारे जिले के लिए आगरा चम्बल योजना जो 1978 से शुरू हुई थी वह 20 साल के अन्तराल तक बन्द पड़ी रही । उसके लिए पिछले बजट में रुपये का प्राविधान करके चालू किया गया । उसको पूरा करने का लक्ष्य जून, 1999 रखा गया है । मुझे आशा है कि जून 1999 न सही लेकिन 2000 तक हो जायेगा । हमारा वह इलाका जहां चम्बल और यमुना के बीच का इलाका है, वहां पर पानी का प्रबन्ध अधिकांश ट्यूबवेल खराब होने से खराब हो गया है । वहां नहर के बन जाने से बहुत लाभ होगा औरैया की जनता को टेल तक पानी पहुंचेगा । इसके साथ ही बूडादान राजबहा तक पानी न पहुंचने से किसान तबाह हो गये हैं । उस रजबाह को गहरा और चौड़ा करके पानी देने की व्यवस्था की गयी है । उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । इसके साथ-साथ एक दो और समस्याएं हैं जिनका निदान करने की कृपा करें । हमारे औरैया में बीजव तक एक रोड बनी है जिसमें सेंगर नदी पर एक पुल बना है भोगनीपुर से थोड़ा आगे राहतपुर में एक सकरा रास्ता है उस पर जो एक पुल बना है वह सकरा होने के कारण सड़क का उपयोग नहीं हो रहा है । मैं निवेदन करूंगा कि उस पुल को थोड़ा चौड़ा कर दिया जाये जिस से बसों का आवागमन हो सकें । दूसरा औरैया में एन०टी०पी०सी० दिवियापुर में बनायी गयी है उसमें रजबहे से पानी लिया जाता है । उसका उपयोग करने पर जब उस पानी को निकाला जाता है तो उससे सेहुत ग्राम की सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाती है । उसको अगर निकालने के लिए प्रबन्ध हो सके तो जो जमीन बरबाद हो रही है वह बच सकती है । इसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं । इन शब्दों के साथ मा० मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं और इसे ईमानदारी से लागू किया जायेगा ।

श्री कमला प्रसाद रावत–

मान्यवर, मैं माननीय बाबू राम यादव जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, प्रदेश में गंगा की सफाई के नाम पर लाखों रुपया लिया गया । यह कार्य 1985 में आरम्भ किया गया है जिसमें 700 करोड़ डालर हालैण्ड गवर्नमेन्ट ने दिया था ।

(समय 6 बजकर 30 मिनट)

हालात यह थे कि 1985 में गंगा का पानी कानपुर और इलाहाबाद में नहाने के लायक था गंगा सफाई अभियान चलाया गया जिससे इतनी गन्दगी बढ़ी कि आज गंगा का पानी नहाने के लायक नहीं रह गया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । मैं कहना चाहता हूं कि जिस जनपद से मैं आता हूं वह घाघरा और गोमती की बाढ़ से प्रभावित होता है । घाघरा में हर साल बाढ़ आती है और हर साल न जाने कितने गांव तबाह हो जाते हैं । मेरा निवेदन है कि गोमती नदी पर धनौली के पास एक डैम बनाया जाय तो गोमती के पानी से अच्छी सिंचाई हो सकती है और वहां पर जो बेकार जमीन पड़ी है उस पर अच्छी खेती हो सकती है । मोहतरम वजीर साहब से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां ड्रेनेज की समस्या है, नहरों में केवल घास को उखाड़ने का काम, इसके आलावा कुछ नहीं हुआ है किसी प्रकार की सफाई नहीं हुई है और धन का भारी दुरुपयोग किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि जिन्होंने धन का दुरुपयोग किया उन्हें आप क्या सजा देंगे ? इन्हीं चन्द अलफाज के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर मंत्री जी जांच करा लें तो सारे घपले सामने आ जायेंगे । इन्हीं चन्द अलफाज के साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ।

श्री विजय कुमार–

आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका आभारी हूं, महोदय हमारे जनपद में एक शारदा सहायक माइनर है वह आजमगढ़ के आखिरी छोर के पास से जाती है जब किसानों को पानी की आवश्यकता होती है तो नहर से पानी नहीं मिलता है और जब पानी की आवश्यकता नहीं होती है तो नहर में पानी छोड़ा जाता है जिससे किसानों की फसलें डूब जाती हैं और किसानों को क्षति होती है इस नहर का अफिस आजमगढ़ में पड़ता है । जब हम गाजीपुर में शिकायत करने के लिए जाते हैं तो वहां पर अधिकारी कहते हैं कि इस नहर का आफिस आजमगढ़ में है वहां जाकर शिकायत करायें इस नहर की पटरी भी क्षतिग्रस्त हो गई है जब नहर में पानी छोड़ा जाता है तो नहर के ऊपर पानी बहने लगता है जिससे फसलों को नुकसान होता है । मान्यवर, हमारे यहां एक देवकली पम्प कैनाल है अगर वह पूरी क्षमता से चलती है तो वह टूट जाती है और पानी नहर के बाहर आ जाता है तो उस नहर को पक्का कराया जाय ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके । मान्यवर, इसी तरह से तरबा सौरी बरौली, अकरा माइनर की खुदाई नहीं हुई है इसमें पानी आने से लगभग दो सौ एकड़ फसल पानी से डूब गई है और वहां लगा हुआ गेहूं सूख गया था । इसी तरह से मरदह, सिकड़ी,छपरी माइनर आती है इसकी खुदाई नहीं हुई है इसके कारण जब नहर में पानी आता है तो किसानों की फसल डूब जाती है अभी जब लोक सभा का चुनाव हो रहा था और वोट पड़ रहे थे और सारे अधिकारी इलेक्शन में लगे थे तो नहर में पानी छोड़ दिया गया जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई हम लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत की तब जाकर नहर का पानी बन्द हुआ । नहर में पानी आने के कारण गेहूं की फसल सूख गई थी । गाजीपुर जनपद में सिंचाई ट्यूबवेलों के माध्यम से होती है । वहां की 8 प्रतिशत बोरिंग फेल हो गई हैं जब हम रिबोरिंग के लिए अधिकारियों से कहते हैं तो वह कहते हैं कि पैसा नहीं है, आप पैसा दिलाइये। कहते हैं कि बोरिंग करने के लिये मशीन नहीं है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर बोरिंग करने के लिये धन उपलब्ध करायें । गाजीपुर जनपद में नन्दगंज सिहोरी चीनी मिल है । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 60 करोड़ का फायदा हुआ है । लेकिन मान्यवर, वह बन्द होने की स्थिति में है सरकार का आदेश है कि वह घाटे में चल रही है ।

मान्यवर, वहां किसानों को गन्ने का मूल्य नहीं मिला अभी बकाया है । उनके पहले पैसे का भुगतान हो और चीनी मिल बन्द करने की बात बन्द कर दी जाय इससे किसानों का नुकसान होगा । गाजीपुर में गोरखपुर, देवरिया का गन्ना आता है लेकिन वहां के किसानों का गन्ना नहीं लिया जाता है जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने गन्ने की बोआई कम कर दी है और मिल घाटे में जा रही है, अधिकारी मनमानी लूट कर रहे हैं । उस चीनी मिल को पुनः चालू कराया जाय मैं इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री मुरलीधर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिये आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मान्यवर अभी माननीय मंत्री जी ने जो जन विरोधी बजट प्रस्तुत किया है मैं उसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने यहां बार-बार दोहराया है कि हर खेत को पानी देने का वायदा ले रहे हैं। मैं चन्द निवेदन के माध्यम से आपके सामने बताना चाहता हूं फतेहपुर में 547 नलकूप लगे हुये हैं जिसमें से 250 बन्द हैं। आप वायदा लेते हैं बार-बार संकल्प दोहराते हैं कि हर खेत को पानी पहुंचायेंगे लेकिन जब 547 में से 250 नलकूप खराब हैं बन्द हैं तो यह कोरी बात साबित हो रही है जो टेनी क्लास्टर में उसमें 25 लगे हैं जिसमें से 10 बन्द हैं लेकिन सिंचाई गरीबों के नाम पर आ रही है। जिनके नाम एक बीघा खेत हैं उसको 10 बीघा खेत का पैसा देना पड़ रहा है। इसी तरह से पी०वी०सी० पाइप लाइन नलकूप विभाग द्वारा नहीं लगाई जा रही है उसको स्वीकृत कराकर बेच रहे हैं। अधिकतर में भी पाइप लाइन नहीं है तो किसान कैसे सिंचाई करेंगे। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत कुछ ट्यूबबेल लगाये गये थे। जो बन्द हैं गोविन्दपुर में एक लगाया गया है जिसको लगे हुये 6 वर्ष हो गये हैं। यह माननीय मंत्री जी के विभाग की स्थिति है धाता विद्युत उपकेन्द्र, बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में निर्मित हुआ था लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उसका ऊर्जीकरण नहीं हो पाया, वह चालू नहीं हो सका।

1400 क्यूसेक पानी स्वीकृत था जो कि 700 क्यूसेक कर दिया गया जिसमें से 300 क्यूसेक मिल पा रहा है। मान्यवर, 400 क्यूसेक पानी के लिये एक गरौली पम्प कैनाल है जब बहन मायावती थीं तब यह स्वीकृत हुआ था। मैं उसके लिये बहन मायावती को धन्यवाद देता हूं। पयरी पम्प कैनाल फतेहपुर के लिये स्वीकृत हुआ था, इस पर कार्य चालू था लेकिन बी०जे०पी० सरकार के आते ही इसका कार्य रोक दिया गया। कृपा करके इसको चालू कराइये।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप खत्म करें।

श्री मुरलीधर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो साहित्य उपलब्ध कराया है उसके आखिरी पृष्ठ पर छपा हुआ है जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण की व्यवस्था है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें मुरलीधर जी।

श्री मुरलीधर–

मान्यवर, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आरक्षण की जो व्यवस्था लागू है उसके हिसाब से लाभ मिलना चाहिये ताकि समन्वय की भावना स्थापित हो सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री बिन्दु लाल–

माननीय सिंचाई एवं गन्ना मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में बहुत अच्छी घोषणायें की हैं जो बहुत वर्षों से योजनायें स्थगित थीं जिसमें करोड़ों रुपया खर्चा हो चुका था उसमें से कुछ परियोजना लेकर माननीय मंत्री जी से सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने का कार्य किया है। वह सराहनीय है। माननीय मंत्री जी ने जो नहरों पर पुल बनाने की बात की है, अक्सर होता यह था कि आबादी बढ़ जाने के कारण लोगों के आने जाने से परेशानी

होती थी । मानक के अनुसार पुल बनते थे । माननीय मंत्री जी ने पुल के लिये पैसा रखा उससे काफी लाभ मिलेगा । यह एक सराहनीय कार्य है । ट्यूबबेल का मानक 7 हजार था उसके लिये 12 हजार रखा है, इससे लाभ मिलेगा ।

माननीय मंत्री जी ने और जो योजनाएं दी हैं चाहे गन्ने के बारे में घोषणायें की हों चाहे गन्ने का भुगतान हो चाहे चीनी उद्योग घाटे में चल रहा हो उसको लाभ में कैसे लाया जाये इसके लिये जो कार्य किया है वह सराहनीय कार्य किया है । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं मेरा क्षेत्र नेपाल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है जिसमें नदी-नाले ज्यादा मात्रा में आते हैं । वहां छः सात बन्धे स्टेट के जमाने के थे कुछ अपनी सरकार के जमाने के बन्धे हैं । वहां पर मान्यवर, भगगवा-मजुआ बन्धा है, फिटर चैनल खराब है इसको ठीक कराया जाये तो बहुत बड़े क्षेत्र को पानी का लाभ मिलेगा । एक बन्धा मान्यवर, नवलगढ़ में मंजूर हुआ था जिसमें जमीन एक्वायर कर ली गई थी । उसको योजना में लिया जाये । जो नहर बन रही है कमाण्ड एरिया उसमें नहीं आती है उसको लिया जाये । वह यदि ट्रांस राप्ती, अनुसूचित जाति का क्षेत्र है, अनुसूचित जाति के क्षेत्र में बन्धा स्थगित है इसको मंत्री जी ले लें तो अच्छा होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री बिन्दु लाल–

मान्यवर, टेल तक पानी पहुंचाने का हमारी सरकार ने प्रयास किया है लेकिन टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है जो लोग अवैध तरीके से पानी को नुकसान पहुंचाते हैं उसको संज्ञेय अपराध घोषित किया जाये । मान्यवर, तीन सौ किलोमीटर हमारे क्षेत्र में सड़कें हैं लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई सड़क पक्की नहीं है, पिछली बार के हिस्से की और इस बार के हिस्से की भी हमारे क्षेत्र में सड़कें पक्की कराई जायें । मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं इसका समर्थन करता हूं ।

* श्री भीम प्रसाद सोनकर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, मंत्री जी ने जो अपने ढकोसली भाषण में रहनुमाई का काम किया है वह ढकोसला साबित हुआ है । पूरे प्रदेश में सिंचाई की समस्या है । विशेषकर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र जहांगीरागंज के संबंध में प्रकाश डालना चाहता हूं ।

जितनी भी हमारी क्षेत्र में नहरें हैं, सफाई के नाम पर केवल कागज में ही सफाई हुई है । कागज में ही उसका भुगतान हुआ है । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे क्षेत्र में नहरों की जिनकी सफाई हुई है उनका परीक्षण करायें कि सही मायने में सफाई हुई है कि नहीं । मंत्री जी ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम नहरों के आखिरी छोर तक पानी पहुंचायेंगे । लेकिन जब किसानों को पानी की आवश्यकता होती है तब पानी नहीं मिलता है । जब किसान किसी तरह से खेती कर लेते हैं उसके बाद पानी आता है और फिर वह जगह खेती को काट देता है तथा पूरे क्षेत्र में पानी भर जाता है । इससे किसानों को नुकसान होता है । नहरों की पटरी पिच के संबंध में कहना है कि हमारे क्षेत्र में केवल एक नहर की पटरी को पिच किया गया है । लेकिन उसमें भी मैटीरियल कम पड़ा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नलकूपों के संबंध में कहना है कि हमारे क्षेत्र में 10 नलकूप हैं जो बन्द पड़े हैं । कई सालों से जो चलते हैं उनके नल टूटे-फूटे हैं । जिससे जिन किसानों के खेत पर पानी पहुंचना चाहिये वहा न पहुंचकर अन्य खेतों में जाता है । जिससे उनकी फसलों को नुकसान होता है तथा किसानों से इससे नाजायज तरीके से वसूली की जाती है । उसकी धर पकड़ की जाती है यह सब बन्द होना चाहिये । इन शब्दों के साथ में श्री बाबू राम यादव जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री रामतेज यादव "एडवोकेट"–

अधिष्ठाता महोदय, व्यवस्था का सवाल है मेरा दल आपके दल से बड़ा है । लेकिन आप मेरे दल से एक और अपने दल के दो सदस्यों को बुलाते हैं । कृपया इस बात का ध्यान रखें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष, ने अलग-अलग दलों के लिये अलग अलग समय दिया है । सवा घण्टे सत्ता पक्ष के लिये दिया है । जिसमें 58 मिनट, 7 मिनट, 4 मिनट सत्ता पक्ष के समाप्त हो गये । सपा के लिए एक घंटा दिया है । जिसमें 47 मिनट, 4 मिनट सपा के समाप्त हो गए । बसपा के लिये 45 मिनट दिया है उसमें 34 मिनट बसपा के समाप्त हो गये । इस तरह से जो समय निर्धारित किया गया है उसी के अनुरूप में विभिन्न दलों को समय दे रहा हूं । इसमें कहीं आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री रामतेज यादव "एडवोकेट"–

इस सदन में किसान कामगार पार्टी, कांग्रेस पार्टी व निर्दलीय भी हैं । आप अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें । जिससे हमारे नये साथियों को बोलने का अवसर मिले ।

* श्री श्याम सुन्दर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हम हर खेत को पानी पहुंचायेंगे लेकिन मैं अपने विधान सभा क्षेत्र बछरावां जनपद रायबरेली में कुछ माइनरों के बारे में बताना चाहूंगा, वरियारपुर, रायपुर, भवानीगढ़ आदि माइनर में अभी पानी चढ़ना शुरू हुआ ही है कि माइनरों की पूरी पटरियां ध्वस्त पड़ी हैं । सनेथू, नरायनपुर, इटौती, मझगवां आदि माइनरों को देखने से लगता है कि कई सालों से सफाई नहीं हुई है । हो सकता है कि कागजों पर सफाई होकर पेमेन्ट हो गया हो । महोदय जैसा की अभी जुलाई की शुरुआत है और पानी तेजी से बरस चुका है तपनपुर, जगतपुर, शिवगढ़ आदि ड्रेन ऐसे पड़े हैं जैसे लगता है कि कई सालों से सफाई न हुई हो एक तरफ माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि टेल तक पानी पहुंचायेंगे लेकिन जब माइनर हेड पर कटे हुये हों तो टेल पर पानी कैसे पहुंचेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री श्याम सुन्दर–

मान्यवर, जहां पर पानी की आवश्यकता है वहा पानी नहीं पहुंच रहा है । बगल में ही जमीन खाली पड़ी हुई है उसमें अनावश्यक रूप से पानी भरा है तो कैसे कृषि का उत्पादन बढ़ेगा । हमारे विधान सभा क्षेत्र में कई ड्रेनों के पुल अधूरे पड़े हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें लिखा नहीं जायेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री श्याम सुन्दर–

[× × ×]

सिंचाई, राज्य मंत्री (श्री धनराज यादव)–

माननीय अधिष्ठाता जी, सिंचाई और गन्ना विकास विभाग का बजट जो श्री ओम प्रकाश जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें भाग लेने का अवसर मिला है, मैं उनके द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं। माननीय बाबूराम जी जो सिंचाई मंत्री भी रहे हैं, ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, और दो चार बातें कही हैं लेकिन कोई तथ्य की बात नहीं कही। पहली बात जो उन्होंने यह कहा कि सिंचाई मंत्री जी ने इतनी सारी घोषणायें की हैं, उसको पूरा कैसे करेंगे ? मैं बताना चाहता हूं कि माननीय बाबूराम जी ? जिसने घोषणा की है उसने विश्वास व हिम्मत से की है, वह पूरा होगा। एक-एक शब्द नोट है जो किताबों में छपेगा और सत्र आगे भी चलेगा, सारी की सारी घोषणायें पूरी होंगी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी ने जो समय सत्तापक्ष के लिये रखा है उसके अनुसार 7 मिनट ही शेष हैं।

श्री धनराज यादव–

अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, सिंचाई विभाग बहुत बड़ा है .....

श्री बाबूराम यादव–

अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय धनराज यादव से कि उनका सिंचाई विभाग से कोई लेना-देना नहीं है, इसलिये आप टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं। सारी शक्ति ओम प्रकाश सिंह के हाथ में है। इसलिये इनके बोलने का कोई मतलब ही नहीं है।

श्री धनराज यादव–

अधिष्ठाता महोदय, हृदय की बात माननीय बाबूराम जी के मुंह से निकल गई। यह तो सही है कि हम लेने देने के चक्कर में हैं नहीं, लेकिन इनका जरूर इससे लेना देना होगा। हमारे सिंचाई मंत्री जी यह नहीं कहते हैं कि सिंचाई विभाग की सब व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो गई है या हर खेत में पानी पहुंच गया है, कर्मचारी-अधिकारी सब भ्रष्टाचार से मुक्त हो गये हैं, इसके लिये प्रयास हो रहा है। यहां पर सब पार्टी के लोग जो यहां बैठे हैं, सत्ता में रह चुके हैं, लेकिन हमारी पार्टी जो सबसे कम सत्ता में रही है, इतने कम समय में सुधार करके दिखाया है। देहात में एक कहावत है "बारह बरस की कोई, एक पखवारे न जाई" अब तक सत्ता में रहे लोगों ने भ्रष्टाचार बढ़ा रखा था, कर्मचारी अधिकारी सब निरंकुश हो गये थे, उनको माननीय मंत्री जी ने रास्ते पर लाने का काम किया है।

माननीय ओम प्रकाश जी सख्त मंत्री हैं और आपने उन पर लांछन लगा दिया। मैं अधिष्ठाता जी के माध्यम से आदरणीय सदन से कहना चाहता हूं कि जो भ्रष्ट हैं, वह न तो उनके रिश्तेदार हैं, न नातेदार हैं और न कोई किसी का बचाव करेगा न ही सिंचाई विभाग का अधिकारी अब करने वाला है। बाबूराम जी ने एक मिशाल दिया और कहा कि चीफ इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया वह न्यायालय

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

में चले गये और स्टे मिल जायेगा । अब बाबूराम जी को कैसे पता है कि स्टे मिल जायेगा, जरूर यह बिचौलिये का काम कर रहे हैं ।

अधिष्ठाता महोदय, ट्यूबबेल की बात आई, सारे ट्यूबबेल नहीं चल रहे हैं, यह सही है लेकिन उसको चलाने के लिये सरकार ने प्रयास किया है, जो इसके चलाने वाले पहले पार्टटाइम थे, उनको फुल टाइम किया गया है और अब पूरा वेतन दिया जा रहा है तथा उनको 25 कि०मी० दूर किया जा रहा है, अगर इससे भी काम नहीं चलेगा तो दूरी और बढ़ाई जायेगी लेकिन ट्यूबबेल हर हाल में चलवाया जायेगा ।

मान्यवर, सिंचन क्षमता की प्रदेश में कमी है, इसको मंत्री जी ने स्वीकार किया है । सरयू परियोजना 1977–78 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय चालू हुई थी, माननीय बाबूराम जी ने अपने शासनकाल में इटावा, एटा, मैनपुरी के अलावा पूरब की तरफ देखा ही नहीं, कभी पैसा भी नहीं दिया । इस परियोजना पर पिछले वर्ष एक अरब रुपया खर्च किया गया है और इस वर्ष इसके लिये एक अरब 20 करोड़ रुपया दिया जायेगा और यह सरयू परियोजना बहराइच से महराजगंज, गोरखपुर तक की सिंचाई करेगी, इसके पहले एक ही चीफ इंजीनियर थे, अब एक और चीफ इंजीनियर की तैनाती की गई है । इसी प्रकार अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता और कर्मचारी तैनात किये जा रहे हैं और बरसात के बाद इस परियोजना पर युद्ध स्तर पर काम होगा और जो नहरें फेल हो गई हैं, सब फीड होंगी ।

इस समय जितनी भी निर्माणाधीन परियोजनायें हैं, उसमें सबसे बड़ी परियोजना सरयू परियोजना है, जिससे सिंचाई का काम शुरू भी हो गया है, इस समय एक हजार हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो रही है, आगे इसके पूरा होने पर 12 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी । सिंचाई विभाग को चुस्त दुरुस्त करके जो अधिकारी गलत होगा, उसको अब दंडित किया जायेगा । बीस-बीस साल अधिकारियों की फाइलें दबाई गई थीं, हो सकता है, माननीय बाबूराम जी के समय की सबसे ज्यादा हों, सब फाइलें निकाल-निकाल कर उनको सजा दी जा रही है, मुअत्तल किया जा रहा है, हो सकता है शायद वह लोग बाबूराम जी के पास गये हों, इसलिये इनको ज्यादा तकलीफ है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई विभाग का संकल्प है "सिंचेन समृद्धि भवेत भवति"

श्री अधिष्ठाता–

अगर सत्ता पक्ष ही समय निर्धारण से ज्यादा समय लेगा तो हमें मजबूर होकर समय बढ़ाना पड़ेगा । इसलिये मेरा अनुरोध है कि समय ज्यादा न लें ।

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, गन्ना विभाग की बात आई है पहली बार किसी सरकार ने हिम्मत किया और बैंकों से किसानों की पासबुक खुलवाकर मिल मालिकों से पैसा जमा करवा दिया । यह उसी तरह से जमा हुआ है जैसे बैंक में अपना जमा हुआ पैसा निकाला जाय । मान्यवर, गन्ना माफिया चाहे पूरब के हों या पश्चिम के हों सब ध्वस्त हो चुके हैं । यह तो मालूम है कि 2 मिलों का भुगतान एक पैसा भी नहीं हुआ है इसके पहले तो बीसों मिलों का भुगतान नहीं होता था । चूंकि अधिष्ठाता महोदय, आप मुझे मना कर रहे हैं इसलिये मैं इन शब्दों के साथ कटौती का विरोध करते हुये माननीय ओम प्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

*श्री विश्वनाथ–

माननीय अधिष्ठाता जी, आज सिंचाई और गन्ना विकास के बजट पर विचार रखने का मुझे मौका दिया इसके लिये मैं आभार व्यक्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, भाई धनराज जी को सुनकर ताज्जुब हुआ कि हेड से पानी टेल तक पहुंचा सके हैं, माइनर में तो जाता नहीं, हर खेत को पानी देने की घोषणा थोथी है, मिथ्या है, कपोलकल्पित है। सरकार को ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिये। माननीय मंत्री जी मैं किसान हूं और आप भी किसान हैं। सही बात तो यह है कि किसी रजबहे में, किसी माइनर में पानी जा ही नहीं रहा है। आप नहरों की सफाई करवाइये, माइनर्स की सफाई करवाइये और नहरों का विस्तारीकरण करिये। मैं गन्ने की बात करता हूं कि बरतानिया जमाने की पूरे प्रदेश में दो मिले हैं गन्ने की पडरौना और देवरियाँ में, नई मिलों की स्थापना आपने नहीं की है। गन्ने का जिला पडरौना में कचकुइयां दम तोड़ रही है। संचालक मंडल कचकुइयां में रेल रोको आन्दोलन चला था तो आपके वर्तमान और तत्कालीन एम०पी० रामनगीना जी को भी शामिल होना पड़ा था। राधेश्याम सिंह कुछ दिन पहले गिरफ्तारी देकर आये, मैं स्वयं पहुंचा, आपके एम०पी० साहब भी पहुंच गये। आप मिल चलाने की बात करते हैं, दो मिलें पडरौना और देवरिया बन्द हो रही हैं, एक नयी मिल देने की स्थिति में आप हैं नहीं। आपने कहा कि 95 प्रतिशत पेमेन्ट हो गया है, एक सेवरई और प्रतापपुर को छोड़कर किसी ने हमारे यहां पेमेन्ट नहीं किया है, सत्य को बयान कीजिये। देवरिया और पडरौना का किसान आज रो रहा है। गोरखपुर मण्डल की हालत विचित्र है। सरदारनगर की मिल दम तोड़ चुकी है। 45 प्रतिशत बाकी है मिलों को चलवाने और गन्ना भुगतान कराने की मुकम्मल व्यवस्था करायें। गन्ना किसान आपको दुआ देगा। अपनी पीठ ठोकना खुद बन्द कीजिये। सरकार काम से चलती है, रेडियो, टेलीविजन और विज्ञापन से नहीं चला करती है। अकेली पेराई की मुकम्मल व्यवस्था कराइये ताकि 14–15 दिन के अन्दर किसान को पैसा मिल जाय तो मैं आपको बधाई दूंगा अभी मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं।

विधान सभा के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे सीमेंट मजदूरों की समस्याओं से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना को नियम 311 में उठाये जाने का प्रयास

श्री राम जग–

मान्यवर, मैंने नियम 311 में भी एक सूचना दी थी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रामजग–

मान्यवर, हजारों चीनी निगम के कर्मचारी धरने पर बैठे हुये हैं आप अपनी पीठ से व्यवस्था दें कि इन मजदूरों की रक्षा की व्यवस्था की जाय 9 महीने के इनके वेतन का बकाया है वेतन दिया जाय। पुलिस इन पर लाठी चार्ज और गोलियों से भूनने की योजना बना रही है उसको रोका जाय।

श्री अधिष्ठाता–

रामजग जी आप पार्टी के नेता हैं, अब आपकी कोई बात लिखी नहीं जायेगी।

(इसी मध्य श्री रामजग, श्री विनोद मणि आदि सदन के फ्लोर पर आ गये)

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री रामजग व श्री विनोद मणि के सदन के फ्लोर पर आने से घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

श्री रामजग जी, आप तो एक वरिष्ठ सदस्य हैं और अपने दल के नेता भी हैं । आप फ्लोर पर आ जाते हैं ।

(श्री राम जग व श्री विनोद मणि वापस अपने स्थान पर चले गये)

श्री अम्बिका चौधरी–

हजारों लोग विधान सभा के गेट के सामने खड़े हैं । जिस स्थिति में वह वहां पर हैं और जितनी उनके लिए तैयारी की गई है, हम कोई चर्चा की मांग तो कर नहीं रहे हैं, इतना निवेदन कर रहे हैं कि आप केवल सरकार को निर्देशित कर दें कि मजदूरों का वहां पर उत्पीड़न न होने पाये ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने अपनी बात कह ली है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसका नोटिस ले लिया है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, बजट पर चर्चा चल रही है । मैं मानता हूं कि सीमेन्ट कारपोरेशन के हजारों मजदूरों को 9 महीने से वेतन नहीं मिला है परन्तु क्या यह उचित अवसर है इस मुद्दे को उठाने का ?

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपा करके बैठ जायं । लिखा नहीं जायेगा । श्री रामजग जी ने अपनी बात कह दी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसका संज्ञान ले लिया और उसके अनुसार शासन कार्यवाही करेगा । कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपने तो कह दिया कि मंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है परन्तु सदन तो अवगत नहीं हुआ । किसी पार्टी विशेष से संबंधित यह विषय नहीं है । बहुत ही संवेदनशील मामला उठाया गया है । वहां स्थिति विस्फोटक नहीं होनी चाहिये । मान्यवर, आपकी पीठ की गरिमा भी है । आप सरकार को निर्देशित करें कि वह वहां पर क्या प्रयास कर रही है, इसे बतायें ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

गोली तो इन्होंने चलाई थी ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप सब लोग नियमों के जानकार हैं । क्या होने वाला है इस आधार पर यहां पर वह मामला नहीं उठाया जा सकता ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आप विद्वान हैं और संसदीय ज्ञान के ज्ञाता भी हैं । मेरा आपसे यह विनम्र अनुरोध है कि नियम–311 को आप देख लें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मुझे इनके संसदीय ज्ञान पर हंसी आती है । नियम–311 की नोटिस लिखकर दी जाती है । मुझे आश्चर्य है कि दल के उप नेता होकर भी यह बचकानी बात कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह नियम–311 में नहीं आती है । आप कृपया बैठ जायें ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई बात लिखी नहीं जायेगी । यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, आपने यह कहा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने संज्ञान ले लिया है तो वे अपनी भावना से सदन को अवगत करा दें । केवल इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह नियम–311 में नहीं आती है । मैं संसदीय कार्य मंत्री को आमंत्रित कर रहा हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपने मेरा नाम पुकार लिया है इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं । कष्ट इस बात का है कि कुछ माननीय सदस्य संभवतः यह समझ बैठे हैं कि नियमों का ज्ञाता उनसे बड़ा कोई और नहीं है और इसी नाते वे जिसका चाहे अपमान करते हैं चाहे वह अध्यक्ष पीठ ही क्यों न हो । अभी एक सदस्य खड़े होकर कह रहे थे कि "आखिर आपको कष्ट क्या है" तो यह सम्बोधन शोभा नहीं देता है । यदि आप इस तरह की भाषा बोलेंगे तो कैसे होगा । अगर अपना आपा खोकर, अनियंत्रित होकर, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करके कोई दबाव डालने की बात है तो यह उचित नहीं है । जहां तक संवेदनशीलता का मामला है तो यह सरकार मजदूरों के प्रति, श्रमिकों के प्रति इतनी संवेदनशील सरकार है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं । अभी माननीय डंग साहब कह रहे थे कि आप जिन मजदूरों के प्रदर्शन को लेकर प्रश्न उठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आप तो न बोलिये । आपने तो निहत्थे लोगों को गोली से मरवा दिया था, उनकी हत्या करा दी थी । आज आप उनके पक्षधर बनकर खड़े हो । यह सरकार पूर्णतया सजग है और श्रमिकों की सुरक्षा भी करेगी और उनके हितों की रक्षा भी करेगी यह मैं बताना चाहता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य), अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) एवं अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (क्रमागत)

* श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, फतेहपुर में रामगंगा नहर और निचली गंगा नहर आती है जिनसे वहां पर सिंचाई होती है । फतेहपुर जनपद को इन दोनों नहरों से 2300 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, इसको कम करके 1400 क्यूसेक कर दिया गया लेकिन अब यह भी पानी फतेहपुर को नहीं मिल रहा है केवल

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

700 क्यूसेक पानी मिल रहा है । ये दोनों नहरें महीने में 15-15 दिन चलती है जिससे अधिकांश भाग असिंचित रह जाता है ।

मान्यवर, नहरों का जो टेल पोर्शन है उसको सिंचाई के कमाण्ड एरिया से बाहर कर दिया गया था लेकिन इस साल इसी टेल पोर्शन की सफाई की गयी है जहां पर पानी नहीं जाता है । टेल पोर्शन की सफाई करायी गयी है और वहां पर कोई ट्यूबवेल भी नहीं लगा है काश्तकारों को पानी नहीं मिल पाता है जिससे उनकी पैदावार नहीं हो पाती है । मान्यवर, बिन्दकी–हींग रजबहा जो 11 मील का है उसमें केवल दो मील पानी जाता है । वहां पर श्री बेग सहायक अभियन्ता थे इन्होंने इस नहर में टेल पोर्शन में सफाई के नाम पर ढाई लाख रुपया निकाल लिया है । इस प्रकरण की जांच हुई और वह दोषी पाये गये, जिनको माननीय मंत्री जी से बहा से हटाकर बांदा लिफ्ट कैनाल में पोस्टिंग कर दिया है । पथरी डैम कैनाल पर साढ़े तीन करोड़ रुपये के विरुद्ध सवा करोड़ रुपया खर्च होना था और साठ लाख रुपया दिया गया है लेकिन दूसरी किश्त अभी नहीं दी गयी है जिससे उसका काम प्रभावित हो रहा है मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी रुपये को रिलीज किया जाय जिसे काम पूरा हो सके ।

श्री बाबूलाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का अवसर दिया । मान्यवर, करहरा माइनर, चैकोरा माइनर, कोरई माइनर, जागरओ राजबहा, जैंगरा माईनर, गहरा माइनर, कचोंरा माइनर, मडौली माइनर, मलिकपुर माइनर में 20-20 साल से पानी नहीं गया है लेकिन वहां पर किसानों से फर्जी आबपासी वसूल की जाती है । फतेहपुर सीकरी रजबहा पर 10 किमी० की सड़क बनायी जा रही है । यह सड़क मानक के अनुरूप नहीं है । अधिकारियों ने इसमें बहुत गोलमाल किया है । मेरा मा० मंत्री जी से अनुरोध है कि इसकी जांच करायी जाय और जो दोषी अधिकारी हैं उनको दण्डित किया जाय ।

मान्यवर, 1991-92 में खारी नदी मोटी गांव पर चेक डैम स्वीकृत हुआ था उसमें कुछ काम शुरू हुआ था वह पूरा नहीं हुआ है उसको पूरा कराया जाय । गवन्स नाला के लिए 12 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था और वेस्टर्न डिप्रेशन डैम के लिए 31 लाख रुपये सफाई के लिए स्वीकृत हुआ था । इसमें अधिकारियों ने गोलमाल किया है पूरा काम नहीं किया है अधूरा काम किया है इसकी जांच करायी जाय और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय । तेरामोरी बांध में बरसात से पानी भर जाता है और किसानों पर आबपासी लगायी जाती है यह घोर अन्याय है । मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि किसानों पर आबपासी न लगायी जाय । किरावली स्टेडियम में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है उसका पानी के लिए नया नाला खोदकर डब्लू डी० ड्रेन में डाला जाय जिससे बाढ़ का पानी वहां जमा न हो । फतेहपुर सीकरी ब्रांच नहर पर में एक एक्यूडेक्ट बना है उसकी जर्जर हालत है उसको नया बनवाया जाय ।

मान्यवर, हमारे फतेहपुर सीकरी का शलाका राजस्थान से लगा हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बाबू लाल–

तो, जब राजस्थान में बाढ़ आती है तो उसे राजस्थान की तरफ डायवर्ट कर देते हैं जिससे हमारे किसान तबाह हो जाते हैं । माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां से जो पानी आता है उसे रोका जाये । हमारे यहां सुरौली और औरैला में जो बांध है वह टूटा पड़ा है उसे ठीक कराया जाय । वहां पर आमतौर पर किसानों की आबपासी सिंचाई होती नहीं लेकिन आबपासी वसूल की जाती है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें ।

श्री रामतेज यादव "एडवोकेट"–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती पर बोलने का अवसर दिया । अभी सिंचाई मंत्री जी ने बहुत देर योजनाओं का जिक्र किया । गोण्डा, बहराइच आदि जिलों में सरयू परियोजना निकलती है, तो आगे गोण्डा से कई जगह तक जाती है लेकिन हमारे जनपद को उससे कोई सिंचाई नहीं मिलती है । इसी तरह शारदा सहायक मुदहा आदि कई योजनाओं का जिक्र किया लेकिन वह सब कागज पर है । अगर मौके पर देखे तो कहीं पर सिंचाई नहीं मिलेगी । इसका आप परीक्षण करा लीजिये । मेरे क्षेत्र में आदमपुर रौली बांध घाघरा नदी के किनारे पर है यह करीब 14 किलोमीटर है । उसके रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है पिछले दिनों मैंने पत्र भी लिखा था घाघरा नदी से आदमपुर हाता, रेजीहाता पुर, खुर्रमपुर, नाजीगंज, गडेडहिया नं०–4 आदि के कई गांव हैं जो कट गये हैं ।

गांव के लोग बांध के किनारे रहने लगे हैं । उनकी जिन्दगी बड़ी खराब है । उनको पीने के लिए पानी तथा रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है । मैंने सवाल भी किया था कि घाघरा नदी के बांध से जो गांव कट गये हैं उससे हजारों लोग बेघर हो गये हैं । उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है । मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन आपके अधिकारी फैजाबाद मण्डल और लखनऊ में बैठे हैं उन्होंने इसके नाम पर लाखों का चूना लगा दिया है । हमारे राज्य मंत्री जी बड़ी वकालत करते हैं । आप ओम प्रकाश जी का बस्ता ढोने से बाज आयें तो अच्छा है । आपको कोई काम मिलने वाला नहीं है । मैं आपको एक नाम बताना चाहता हूं कि गोपाल सिंह इनके रिश्तेदार हैं । जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हुई थी लेकिन उनको आपने बहाल कर दिया है । मा० राज्यमंत्री जी आप इनकी झूठी वकालत करते हैं । (व्यवधान) आप सुनने के लिए कलेजा रखें इसलिए मैं कह रहा हूं । आप बहुत मक्खन लगा रहे हैं । लेकिन ओम प्रकाश जी पिघलने वाले नहीं हैं । तो मान्यवर, मैं कहा रहा था कि पिछले साल भी आप मंत्री थे उस समय बात आयी थी वाराणसी में घाघरा नदी के कटाव से गांव के गांव कट गये थे उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है । (व्यवधान)

सिंचाई के साथ-साथ गन्ना मिलों की भी बात है हमारे यहां जरवल में एक चीनी मिल है उस पर किसानों का तमाम बकाया पड़ा हुआ है । आपने कहा था कि बैंकों से भुगतान करवा देंगे लेकिन आज तक पैसा नहीं मिल पाया है । जो गरीब किसान है । वह बैंकों का चक्कर लगाते हैं । वह कह देते हैं कि तुम्हारा कागज नहीं आया । जो मंत्री के चहेते लोग हैं वह दूसरों का पैसा भी निकाल लेते हैं । तो ऐसी स्थिति में आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं आपकी करनी और कथनी में बड़ा अन्तर है । यह आप नहीं रोक सकते है । क्योंकि मंत्री लोग तबादलों को उद्योग बना दिये हैं तो यह कैसे भ्रष्टाचार रोकेंगे ?

(समय 7 बजकर 30 मिनट)

किसी अधिकारी को अच्छी जगह चाहिये गन्ना विभाग में या सिंचाई विभाग में तो रुपया देकर अच्छी जगह चला जाता है और अगर रुपया नहीं देता है तो कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं इस तरफ ध्यान दें मान्यवर, जरवल और नानपारा चीनी मिलों पर किसानों का काफी बकाया है केवल कागज पर भुगतान हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठिये, नहीं लिखा जायगा ।

श्री रामतेज यादव "एडवोकेट"–

मान्यवर, किसानों की हालत बहुत खराब है किसानों का गन्ने का सर्वे सही तरीके से नहीं होता है उसकी पर्ची का भुगतान नहीं किया जाता है किसान पर जब बकाया होता है तो उसको पकड़ कर तहसील में बन्द कर दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि यदि किसान पर सरकारी भुगतान बकाया है तो उसकी पर्चियां तहसील में रख लीजिये और उससे कर्ज को वसूल लीजिये। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री कमलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, माननीय गन्ना एवं सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय सिंचाई एवं गन्ना मंत्री बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं जो इन्होंने रुकी हुई योजनाओं को चालू करवा कर जनता को सहूलियत देने का प्रयास किया, इसका परिणाम बहुत अच्छा रहा है। सरयू नहर के लिये पिछले साल काफी धन दिया गया था और इस वर्ष 120 करोड़ रुपये दिये गये हैं, जिससे सिंचाई सुविधा किसानों को मिलेगी और उनको लाभ पहुंचेगा।

मान्यवर, इसी तरह से गन्ना किसानों के लिये माननीय मंत्री जी ने जो टिशू कल्चर योजनायें चलाई हैं इससे गन्ना उत्पादन बढ़ेगा, अच्छी और उपजाऊ प्रजाति के गन्ना बीजों की व्यवस्था की जायेगी जिससे गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा। गन्ने का मूल्य जो बकाया था उसको भुगतान के बारे में माननीय मंत्री जी ने प्रयास किया है, इसका परिणाम अच्छा आया है। माननीय मंत्री जी ने गन्ने के सर्वे को युद्धस्तर पर किये जाने के प्रयास किये हैं और मिलकर्मी भी सहयोग कर रहे हैं। इससे फर्जी सट्टे बन्द हुये हैं। मैं अपने क्षेत्र के चार बन्धों के बारे में कहना चाहता हूं पहले इनका प्रयोग सिंचाई कार्यों के लिये होता था और मत्स्य पालन के काम में होता था मेरा आग्रह है कि बन्धों को माफियाओं से मुक्त कराये ताकि इनसे सिंचाई की व्यवस्था हो सके मान्यवर, गिरगिटही–बघेलखण्ड–सैरमान-गनेशपुर यह जो बन्धे हैं इन बन्धों का प्रयोग सिंचाई के काम में लाया जाय इन शब्दों के साथ मैं सिंचाई के बजट का समर्थन करता हूं।

(श्री राम सिंह सैनी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुधाकर सिंह–

मान्यवर, आप मौका नहीं दे रहे आप जब भी कुर्सी पर बैठते हैं मुझे मौका नहीं देते हैं।

(माननीय श्री सुधाकर सिंह सदन के वेल में आकर बैठ गये)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें। मैंने श्री राम सिंह सैनी जी का नाम पुकारा है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि शान्ति बनाये रखें। आप ही लोग बोलने लगते हैं।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। जहां तक गन्ने की बात है अभी तक गन्ना किसानों के मूल्य का 260 करोड़ रुपया मिलों पर बकाया है। जब यहां पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी सब फैक्ट्रियों ने गन्ना मूल्य का भुगतान समय से किया था और आज माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम भुगतान समय से दिला रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि यह सत्य से परे बात है। कीमत बढ़ोत्तरी की बात कही है। आपको याद होगा जब 1990 में मुलायम सिंह की सरकार थी तो उन्होंने गन्ने का मूल्य 11

रुपये क्विन्टल बढ़ाया था इसके बाद 1993 में जब फिर मुख्य मंत्री हुए तो 10 रुपये क्विन्टल बढ़ाया था।

आज आपके सामने कहना चाहूंगा कि किदवई जी ने जो फार्मूला गन्ने की कीमत का रखा था उसे कम से कम 100 रुपये क्विंटल भाव होना चाहिये लेकिन आप 75-80 रुपये क्विंटल दे पा रहे हैं और किसानों का अहित कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी या फैक्ट्री कोई सामान खरीदती है तो वह उसकी ढुलाई देती है। आज किसान का गन्ना लिया जाता है सेन्टर पर उसका गन्ना परचेज किया जाता है और उससे तीन रुपये क्विंटल के हिसाब से ढुलाई ली जाती है। यह तो फैक्ट्री को देना चाहिये न कि किसानों को। जहां तक लाठी चार्ज की बात कही है गन्ना किसान जिस वक्त आन्दोलित थे रामकोला में। आपकी सरकार थी। आपने गोली चलवाई थी, उनके ऊपर अत्याचार किया था। यह आपके शासनकाल में हुआ था हमारे शासनकाल की बात नहीं है। इसके अलावा मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सहकारी प्रदेश में गन्ना विकास परिषद् हैं उनका चुनाव 10-12 सालों में नहीं हुआ है। तब से यह लम्बित है।

आज प्रजातंत्र में इस प्रकार का चुनाव नहीं हो रहा है तो यह एक अप्रजातांत्रिक कार्य है। उनका चुनाव होना चाहिये। इसी तरह से बताना चाहता हूं कि हरियाणा और महाराष्ट्र में गन्ना नीति बनी हुई है। गन्ने मूल्य का भुगतान सबसे अधिक दिया जाता है। आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य दिया जा रहा है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री हुकुम सिंह जी बैठे हैं। हरियाणा में भाव 100 रुपये क्विंटल है। पश्चिमी जिलों का गन्ना हरियाणा में चला जाता है। आप जो गन्ने का दाम दे रहे हैं वह अपर्याप्त है। हमारे राज्य मंत्री ने जो कहा वह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है हमारे बाबू राम जी के लिये ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है जिसमें भ्रष्टाचार कहा गया है। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि समय की पाबन्दी लगाई गई है लेकिन जरूर कहूंगा कि इससे पहले किसी भी कैबिनेट मंत्री के ऊपर आरोप नहीं लगा है जैसा कि मीडिया के माध्यम से अखबार में प्रचार प्रसार हो रहे हैं। हमारे मत्स्य विभाग के श्री पी० के० खरे से घूस मांगी गई थी उन्होंने कहा था कि न मैं लूंगा न दूंगा इसलिये उन्हें पद से हटा दिया गया है। मंत्राणी जी चप्पल लेकर दौड़ी थीं। कहना चाहता हूं कि किसी सीनियर आई० ए० एस० आफिसर के साथ ऐसा हाल होगा तो आपकी सरकार किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ कैसा व्यवहार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री राधेश्याम सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे समय दिया मैं आपका आभारी हूं। माननीय गन्ना विकास मंत्री जी ने गन्ना किसानों के हित में कई प्रकार की बातों को सदन में रखा है मैं आपके माध्यम से गन्ना मंत्री जी को बताना चाहता हूं उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में पडरौना कुशीनगर देवरिया में मिलों की दशा जर्जर है। और बकाया भी है। पडरौना जनपद में आज भी 56 करोड़ रुपया बकाया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार मिले हैं। कप्तानगंज में 16 करोड़ बकाया है 1997-98 का। रामकोला में वर्तमान समय में 8 करोड़ बकाया है। लक्ष्मीगंज में दो करोड़ बकाया है।

मान्यवर, इसी तरह से इस सदन को मैंने अवगत कराया था गन्ना मंत्री को अवगत कराया था 1997 में मेरे नेतृत्व में आन्दोलन हुआ था उस समय गन्ना मंत्री जी ने कहा था कि मैंने गन्ना किसानों को इतना खुश कर दिया है कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कोई सोच भी नहीं सकता है। मान्यवर, मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि 14 जुलाई को रामकोला में आन्दोलन करने जा रहे हैं। रेल का चक्का जाम करने की बात है, मैं अभी से बता रहा हूं। अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो सरकार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जिम्मेदारी होगी । 90 प्रतिशत किसानों का जीवन खेती पर आधारित है । जो मेहनत वह खेतों में लगाते हैं उसका पैसा चाहते हैं । गन्ने के बकाये का भुगतान नहीं दिया जा रहा है ।

माननीय गन्ना मंत्री जी ने कहा था कि बैंकों से पेमेन्ट करने की व्यवस्था की गई है इसलिये किसान खुश है, मान्यवर, माफिया पर तो अंकुश लगा है, इसको हम मानते हैं कि लेकिन बैंक में तीन कर्मचारी हैं, दस बजे आते हैं । पान खाकर 11.00 बजे कुर्सी पर बैठते हैं और दो बजे नोटिस लगा देते हैं कि भुगतान बन्द कर दिया है । पहले आठ बजे तक किसान पेमेन्ट की लाइन में लगते थे और पैसा बंट नहीं पाता था । मान्यवर, इसमें आप गन्ना आयुक्त से सर्वे करायें । जिलाधिकारी कुशीनगर से पडरौना में सर्वे करायें । 25 परसेन्ट लोगों के बैंक में खाते नहीं खुले हैं । मान्यवर, मा० विधायक ने इस्तीफा .....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री राधेश्याम सिंह–

25 परसेन्ट लोगों के खाते बैंक में नहीं खुले हैं मैं चाहूंगा कि गन्ना के भुगतान की व्यवस्था कराकर कार्यवाही करायें ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री राधेश्याम सिंह–

जिन किसानों के बैंक में खाते नहीं खुले हैं उनके बैंक में खाते खुलवायें जायें और जिन लोगों ने इनके खाते नहीं खुलवाये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये ।

श्री मतेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मेरे क्षेत्र सिराथू में अफजलपुर साताग्राम से रामगंगा निकली है । माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वहां पर लिफ्ट कैनाल बनाकर नहर निकलवाई जाए मैं बताना चाहता हूं कि कोरियों अफजलपुर से अलीपुर जीता होते हुए रामगंगा नहर निकलती है उसमें दस सालों से पानी नहीं चल रहा है उस नहर के बारे में हर साल सुझाव दिये जा रहे हैं पानी नहीं मिल रहा है और किसानों से पैसे की वसूली हो रही है तो इस पर रोक लगाई जाय । दस साल से पानी नहीं चलाया गया तो किस तरह से पैसे की वसूली की जा रही है । नलकूपों के संबंध में मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारी विधान सभा सिराथू के अन्तर्गत मिर्जापुर जबई खाड़ेपुर, जवई, पडरी हजरा आदि ऐसे अनेक गांव हैं जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं । इन स्थानों पर नलकूप लगाने की व्यवस्था की जाए । इसके अलावा बन्द पड़े नलकूपों को तत्काल चलवाने की व्यवस्था की जाए । इन शब्दों के साथ मैं श्री बाबूराम जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री बचनू राम पटेल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मा० मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला प्रदेश है । यहां गन्ना पेराई के लिये कुल 32 उ० प्र० सहकारी चीनी मिल लि० हैं, जिनमें करीब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

71,375 कु० गन्ना प्रतिदिन पेरा जाता है । दूसरे उ० प्र० चीनी मिल निगम कुल 358 हैं जिसमें करीब 57,755 टन गन्ना प्रतिदिन पेरा जाता है । इस तरह से कुल चीनी मिलों द्वारा 1,29,130 टन गन्ना प्रतिदिन पेरा जाता है । गन्ना पेराई अच्छे ढंग से हो, किसान खुशहाल हों इसलिये कुछ मिलों की क्षमता बढ़ाने का उपक्रम मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में दिया है और संकल्प भी लिया है । जैसे बेलरिया, ननौता यहां 25 मी० टन की पेराई क्षमता है इसको बढ़ाने का काम किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री बचनू राम पटेल–

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री सुधाकर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्री बाबूराम जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मऊ जनपद में शारदा नहर है जो काफी दूर से चलकर मऊ जनपद पार करती हुई बलिया जनपद जाती है । इसमें हमारे यहां की 5 हजार एकड़ जमीन निकली है । इसको बने 15 वर्ष हो गये लेकिन नहर में पानी नहीं गया । हमारी जमीन बरबाद हुई लेकिन पानी उस नहर से हमें प्राप्त नहीं हुआ । हमारे यहां एशिया की सबसे बड़ी पम्प कैनाल शारदा पम्प कैनाल प्रदेश सरकार ने बनाई थी वह जीर्ण शीर्ण हो गई । उसमें हेड से टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है । उसमें शाखाओं की सफाई के नाम पर बीसों लाख रुपये 1997-98 में फर्जी पेमेन्ट कर लिया गया । लेकिन नहरों की सफाई नहीं हुई ।

सिकड़ीपुर माइनर 1952 में 55 लाख रुपये में बनी थी लेकिन इसमें कभी टेल तक पानी नहीं पहुंचा है । हमारी जमीन भी गई लेकिन पानी प्राप्त नहीं हो सका । हमारे क्षेत्र में नलकूप की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है । इस संबंध में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे यहां कम से कम 10 ट्यूबवेल जरूर लगने चाहिये । ताकि उस क्षेत्र का विकास सम्भव हो सके । हमारे यहां घाघरा नदी है । जब घाघरा में बाढ़ आती है तो काम तेज कर दिया जाता है लेकिन पहले कोई इंजीनियर नहीं जाता है । जब बाढ़ आती है तो करोड़ों रुपया फर्जी पेमेन्ट के लिये काम शुरू हो जाता है । मान्यवर, मैंने असेम्बली में प्रश्न किया था और माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि कटान से बन्धा 200 मीटर की दूरी पर है इसलिये कटान का प्रश्न ही नहीं उठता है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह उस पार्टी की सरकार है जो पार्टी 1980 में ऐसी थी कि जिसके प्रस्तावक हैं तो समर्थक नहीं और समर्थक हैं तो प्रस्तावक नहीं । वह पार्टी आज राम का नाम लेकर के सबसे बड़ी पार्टी हो गयी है । मान्यवर, दोहरीघाट में विद्यमान राम का मंदिर, गौरीशंकर घाट व सीतामढ़ी को कटान से नहीं बचा पाये जबकि यह राम के नाम पर जीतते हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बीबीपुर, दोहरीघाट, रसूलपुर, परसियान, गौंधना आदि लगभग 25 गांव घाघरा के कटान में विलीन हो जायेंगे, यदि समय से व्यवस्था नहीं की गयी ।

चीनी मिल के बारे में कहना चाहूंगा । घोसी चीनी मिल 1984 में स्थपित हुई है उसमें 600 कर्मचारी हैं लेकिन 599 कर्मचारी केवल एक नेता के इशारे पर रखे गये हैं । मान्यवर, फर्जी पर्चियां छपवाकर करोड़ों रुपयों का फर्जी पेमेन्ट ले लिया गया इस चीज को सरकार के संज्ञान में लाया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । जहां चीनी मिल से फायदा होना चाहिये वहां दूषित पानी निकल रहा है और बीसों गांवों के लोगों का जीवन नारकीय है । राम के नाम पर पार्टी बनाने वाले जब

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राम का घर नहीं बना सकते, यह भगवान राम के नहीं हुए तो समाज के कैसे हो सकते हैं ? इसी के साथ माननीय बाबूराम जी यादव ने कटौती का जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये आभार व्यक्त करता हूं।

* श्री राजाराम पाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र के कोरमा माइनर, छतरापुर माइनर, भदरस माइनर, फतेहपुर माइनर आदि माइनरों व निचली गंगा नहर में 10 वर्षों से सफाई न होने के कारण किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। यह सरकार रामराज्य लाने की कल्पना करती है, सिंचाई मंत्री जी टेल तक पानी पहुंचाने की घोषणा करते हैं, टेल तक पानी पहुंचाना तो दूर की बात है, 10 वर्षों से माइनरों में पानी नहीं गया है। जहां किसान एक ओर सूखे की चपेट में है वहीं पर उस क्षेत्र से आने वाले किसानों से बराबर आबपासी लिया जा रहा है।

माननीय अधिष्ठाता जी, जिलाधिकारी महोदय एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कई बार प्रार्थना-पत्र दे करके उनसे मांग की कि अगर टेल तक पानी नहीं पहुंचा है तो कम से कम आबपासी की वसूली न की जाय। जिलाधिकारी ने कई बार आश्वासन दिया लेकिन बराबर किसानों से आबपासी की वसूली की जा रही है। मान्यवर, लाखों रुपया प्रतिवर्ष माइनरों की सफाई पर खर्च किया जाता है लेकिन उसकी सफाई नहीं होती है। अभी पिछले दिनों ही माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने शिकायत की थी कि इसकी जांच करायी जाये लेकिन जांच कराने के बजाय अधिकारियों ने उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राजाराम पाल–

मान्यवर, घाटमपुर चीनी मिल के संबंध में बताना चाहता हूं। घाटमपुर चीनी मिल यह सोचकर लगाया गया था कि उस क्षेत्र के किसानों का गन्ना लिया जायेगा और उन्हें उनके उत्पादन का मूल्य मिलेगा लेकिन घाटमपुर क्षेत्र के किसानों का गन्ना न ले करके बाहर का गन्ना लिया जा रहा है। जिससे क्षेत्रीय किसानों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये था, वहां किसानों को नुकसान हो रहा है। वहां के किसान गन्ना जलाने को मजबूर हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगले साल से वह ऐसा प्राविधान करें कि पहले स्थानीय किसानों का गन्ना लिया जाय और उसके बाद बाहर का गन्ना लिया जाय, इसी के साथ मैं माननीय बाबूराम जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, भ्रष्टाचार की बात अभी माननीय मंत्री जी ने कही। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अभी भी बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है, जब किसी भी किसान की पर्ची गुम हो जाती है तो किसान की शिकायत पर डुप्लीकेट पर्ची बन जाती है और उसका पैसा सहकारी समिति वाले अपने बैंक खाते में जमा कर लेते हैं और किसान का पेमेन्ट नहीं होता, इस तरह का किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है, सोसाइटियों के ऊपर। इस पैसे पर किसान को किसी तरह का ब्याज भी नहीं दिया जाता है। इसी तरह चीनी मिलों द्वारा भी किसान के साथ अन्याय किया जा रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

मुन्ना जी, अब समाप्त करें, मैंने दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है, अब आपका लिखा नहीं जायेगा ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[x x x]

श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, आपने बजट चर्चा में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया, इसके लिये मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । मैं अपनी बात को बजट के समर्थन में लयबद्ध और छन्दबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूं–

पानी किसानों के लिये आधार खेती का,
पानी बिना सब ठप्प कारोबार खेती का
जब तक नहीं होगी व्यवस्था ठोस पानी की
कल्पना हो नहीं सकती कभी साकार खेती की ।
सिंचाई बन्धु के जरिये समस्याओं का निदान हो रहा
निजी क्षेत्रों में नलकूप लगाने का प्राविधान हो रहा
मिलेगी सब्सिडी पचास प्रतिशत नलकूप के खातिर
सिंचन क्षमता बढ़ा किसानों का कल्याण हो रहा ।
नहरों में पानी टेल तक पहुंचाया जायेगा
नहरों की पटरियां पक्का कराया जायेगा
सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रही
अक्षम अकर्मण्य को हटाया जायेगा ।
नलकूप अब की बार धुंआधार लगेगा
होगी फसल अच्छी अनाज का अम्बार लगेगा
सरकार असरदार बजट लाई है इस बार
किसानों का कारोबार जानदार लगेगा ।
त्वरित सिंचाई लाभ की परियोजना चालू
नलकूप पंचायत समिति की है योजना चालू
चार सौ अठारह नलकूपों का उर्जीकरण होगा
डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि को है सींचना चालू ।
आज जो लाई यहां सरकार है बजट
किसानों के लिये काफी मददगार है बजट
क्षमता सिंचाई की बढ़ाई जा रही काफी
खेतिहर के लिये बन गई पतवार है बजट ।
हमको भी अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये
दो ही मिनट बस हमें बोल रह लेने दीजिये
आप तो विद्वान मनीषी और भिज्ञ हैं,
सब धैर्य से सुनते हैं थोड़ा सुन लेने दीजिये ।
नलकूप की आवश्यकता है हमारे भी यहां

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

खेती नहीं हो पा रही अब भी जहां तहां
है सैकड़ों एकड़ जमीन अब भी असिंचित
लिखकर दे रहे हैं नलकूप लगना जहां-तहां ।
गन्ने की भांति नहरों का मुआवजा दिलाइये
परेशान किसानों को कुछ ढ़ाढस बंधाइये
हरियांव शेरपुर और दुर्गागंज, गड़ौरा
रोते पचीसों वर्ष से राहत दिलाइये ।
कुछ लोग तो थे मीलों को बरबाद कर रहे
मीलों को बेच कम उसकी तादाद कर रहे
कल्याणकारी आई जब कल्याण की सरकार
लुटते उजड़ते मीलों को अब आबाद कर रहे ।
समस्याओं से जूझता रहा प्रदेश आज तक
चोट पर चोट खाकर सह रहा था क्लेश आज तक
कभी सम्प्रदायवाद कभी जातिवाद का
नारा रहे लगाते बदलकर भेष आज तक ।
मीलों में करेगा बन्द लूट खसोट यह बजट
माफियाओं पर कर रहा है गहरा चोट यह बजट
अब दाल दलालों की नहीं गलने पायेगी
सीधे किसानों में बंटेगा नोट यह बजट ।
कल्याण ने रचा नया इतिहास प्रान्त में
गन्ना विकास कर रहे ओम प्रकाश प्रान्त में
पिछली सरकारें कई चीनी मिल बेच दी
अब सात चीनी मिलों का होगा शिलान्यास प्रान्त में ।
शीरा नियंत्रण मूल्य से अब मुक्त हो गया
सड़कों पुलियों के लिये भी धान अवमुक्त हो गया
चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान यू०- पी० का
गन्ना खरीद जोनल ट्रायल से युक्त हो गया ।
बीजों के लिये दीर्घ कालीन सीड प्लान बजट में
मिलकर सट्टा सुविधा का है ध्यान बजट में
शीघ्र पकने वाली गन्ना प्रजाति की
पच्चासी लाख क्विंटल बीज का विधान बजट में ।
सरकार ने इस बार चमत्कार किया है
गन्ना किसानों का नहीं उधार किया है
यह है पहली सरकार जो गन्ना मूल्य का
किसानों का पूरा भुगतान पहली बार किया है ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

धन्यवाद ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं माननीय बाबू राम यादव जी और माननीय समरपाल सिंह द्वारा क्रमशः सिंचाई विभाग और गन्ना विकास विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बार-बार यह घोषणा किये हैं कि इस सरकार के प्रयास से गन्ना किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान हमने तत्परता से करा दिया है। मान्यवर, वर्तमान पेराई सत्र तक उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का जो बकाया मूल्य प्रदेश की मिलों पर बाकी है वह 240 करोड़ 41 लाख रु० है। इतने विलम्ब से भुगतान के लिये जो सरकार की दोषपूर्ण व्यवस्था है, उसका दुष्परिणाम काश्तकार भुगत रहा है। मान्यवर, गांव में बसने वाले किसान की अर्थव्यवस्था नगदी फसल गन्ना से संचालित होती है। उसे उम्मीद बंधी रहती है कि जब गन्ने मूल्य का भुगतान होगा तो वह अपने बच्चे की फीस दे देगा, जाड़े के दिनों के लिये गरम कपड़े का इन्तजाम कर लेगा, बेटी का गौना करेगा। वह अपनी समस्त पूंजी द्वारा उत्पादित गन्ना मिलों को गन्ना देता है। गन्ना क्रय अधिनियम में व्यवस्था है कि निर्धारित अवधि के अन्दर गन्ने के मूल्य का भुगतान कराया जाय, लेकिन आज उस अधिनियम की खिल्ली उड़ायी जा रही है। केन परचेज ऐक्ट के मुताबिक यदि 14 दिन के बाद मिल मालिक भुगतान करता है तो 15 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान गन्ना किसानों को करेगा। मा० मंत्री जी एक भी दृष्टान्त आज नहीं दे सकते हैं कि विलम्ब से भुगतान होने पर आपने मिलों पर कोई दबाव बनाया हो कि अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार 15 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान किया जाय।

मान्यवर, विगत पेराई सत्र में उत्तर प्रदेश के अन्दर प्राइवेट मिल मालिकों के संगठन "इसमा" ने मा० उच्च न्यायालय में चुनौती दी कि उत्तर प्रदेश सरकार को केन प्राईज तय करने का अधिकार नहीं है। मा० उच्च न्यायालय ने उ० प्र० सरकार के विरुद्ध स्थगन आदेश देकर इस अधिकार पर रोक लगा दी। इस स्थगन आदेश के खिलाफ सरकार मा० उच्चतम न्यायालय में नहीं गयी। किसानों का फेडरेशन गया राज्य सरकार मूक दर्शक बनकर देखती रही। किसान प्राइवेट मिल मालिकों के साथ लुटता रहा। मा० मंत्री जी इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यवस्था करते कि पिछले वित्तीय वर्ष का लगभग 2 रु० के अन्तर का भुगतान वह गन्ना किसानों को करायेंगे। शोषण तो किसानों का हुआ लेकिन इस बड़ी क्षति की भरपाई का इन्तजाम सरकार ने नहीं किया। पं० जवाहर लाल नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के निर्धारण के लिये जो टैरिफ बोर्ड गठित हुआ था उसमें किदवई फार्मूला बना था इसमें जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया मूल्य निर्धारण का उसे उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार से परामर्श करके तत्काल लागू करना चाहिये। यदि गन्ना मूल्य के निर्धारण में किदवई फार्मूला लागू कर दिया गया होता तो चीनी के वर्तमान मूल्य के आधार पर 120 रुपये प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को मिल रहा होता परन्तु उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। मान्यवर, मैं देवरिया, पडरौना के इलाके से आता हूं जहां की पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था गन्ना पर निर्भर है। 1992 में माननीय मंत्री जी की सरकार थी। 9 करोड़ रुपये किसानों का राम कोला चीनी मिल के ऊपर बकाया था। बकाया मूल्य के भुगतान के लिये किसानों ने धरना दिया। वहां किसानों पर गोलियां चलायी गई जिसमें बहुत संख्या में किसान शहीद हो गये परन्तु आज भी उस मिल पर वह पैसा किसानों का बकाया है। देवरिया में गौरी बाजार मिल जो विगत कई वर्षों से बन्द है, आज यहां पर हजारों मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं, किसानों का 65 लाख रुपया इस मिल पर बाकी है।

वर्तमान में भारत सरकार और प्रदेश सरकार भा० जनता पार्टी की हैं परन्तु प्रदेश सरकार इस मिल को चलाने के लिये भारत सरकार के साथ कोई वार्ता नहीं कर रही है। अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सम्पूर्ण पूर्वांचल में चीनी उद्योग की स्थिति बहुत ही जर्जर है माननीय कल्याण सिंह जी जब नेता विपक्ष थे तो उन्होंने तत्कालीन सरकार की नई चीनी मिलों के लाईसेन्स संबंधी घोषणा को अपर्याप्त कहा था, तब मा० श्री मुलायम सिंह यादव जी ने 11 नई चीनी मिलें लगाने की बात कही थी। पूर्वांचल में जो चीनी मिलें लगी हैं, वह स्वतंत्रता से पहले की हैं तथा पूंजीपतियों द्वारा लगाई गई मिलें हैं। इनकी तकनीक और उपकरण बहुत पुराने हो गये हैं।

माननीय मंत्री जी ने इन चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण व विस्तारीकरण की बात इस वित्तीय वर्ष के बजट में नहीं कही है। सिंचाई विभाग के संबंध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जितने रजवाहे हैं और नहरें हैं, चाहे आप जितनी घोषणा कर लीजिये वह पूरी की पूरी मिथ्या हैं क्योंकि वर्तमान सरकार किसी भी नहर के टेल तक पानी नहीं पहुंचा पा रही है। हमारे क्षेत्र में हाटा रजबाहा है, गौर रजवाहा है परन्तु उन रजबाहों में पानी का इन्तजाम नहीं है। इसलिये रजबाहों तथा नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ दोनों माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और आपकी अनुकम्पा के लिये आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।

* श्री रामाधार सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं बुन्देलखण्ड की सिंचाई की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। मंत्री जी ने अपने भाषण में तमाम योजनाओं के बारे में कहा। हमारे बुन्देलखण्ड में जिला महोबा तथा जिला झांसी में धसान नदी पर लहचूर बांध है, जिससे महोबा में चरखारी और हमीरपुर में राठ विधान सभा क्षेत्र की सिंचाई होती है। यह बांध बहुत पुराना हो गया है, जिसके टूटने से जनमानस, जानवरों तथा फसलों को नुकसान हो सकता है। पुराना होने के कारण उसमें जलभराव भी कम हो गया है, जिसके कारण टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। अब इसके नीचे 6 कि०मी० पर एक नया लहचूर बांध बनाया जा रहा है, जिस पर 6 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है, इसलिये उसे शेष पैसा देकर इस बांध को पूरा कराया जाय। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को वरीयता के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जायेगी, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बांध को भी वरीयता के आधार पर पूरा कराया जाय। इसी के साथ ही मैं श्री बाबू राम यादव जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया बैठ जायें।

श्री योगेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि भाटपाररानी विधान सभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर सात नदियां, नाले बहती हैं और कोई नहर नहीं है। मान्यवर, एक बार उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एग्रीमेन्ट हुआ कि भाटपाररानी को बिहार से पानी दिया जायेगा। मान्यवर, बिहार की नहरें उत्तर प्रदेश की सीमा तक भाटपाररानी क्षेत्र तक आ गयीं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने यहां की नहर भाटपाररानी में नहीं बनवायीं। मान्यवर, बिहार के इन नहरों से पानी आने से प्रति वर्ष यहां पर बाढ़ आ जाती है और यह क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। इससे किसानों की फसल का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे अनुरोध है कि नहरें बनवायी जायें।

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र सात नदियों, नालों से घिरा हुआ है। खनुवा गन्डक हाहानाला बन्धे यहां पर 80 किमी० बांध बना हुआ है परन्तु बांध अधूरा होने के कारण वह बांध के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि पांच-सात किमी० बांध अधूरा है। यहां पर प्रतिवर्ष इस कारण बाढ़ आती है। सरकार अनुदान देती है जिससे यह बांध बन सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे बजट में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शामिल किया जाय । मान्यवर, यहां पर जगह-जगह नदियों से कटान हो रहा है इसलिए ठोकर बनवायी जाय ।

मान्यवर, गन्ना हमारे यहां की मुख्य कैश क्राप है । भटनी और देवरिया चीनी मिल 45 परसेन्ट पेमेन्ट करती हैं । मान्यवर, 1976-77 में जिस प्रकार से समितियों के अध्यक्षों ने हड़ताल करके गन्ने के रेट 72 रुपया करवाया था और फिर 1977-78 में चेमरमैनों ने फिर हड़ताल करके इसके रेट 75-80 प्राइवेट फैक्टरियों से तय करवाये थे तो उसी तरह से इस साल भी चेयरमैनों अध्यक्षों ने प्लानिंग किया है कि गन्ने का रेट 100 रुपया कुन्तल करवाया जाय । लेकिन आज आप समितियों को भंग करने का काम कर रहे हैं, चेयरमैनों को हटाने का काम कर रहे हैं तो इन परिस्थितियों में किसानों का अहित होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

बाबूराम जी आप अपना उत्तर भाषण दें ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मुझे भी दो मिनट दें । सत्ता पक्ष के लोगों के क्षेत्र की नहरों में पानी जा रहा है, बोलना तो हम लोगों को है ।

(व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, आप 2-2 मिनट का समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर 2-2 मिनट का समय देंगे तो 10-12 लोग हैं, सभी को समय देना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह आरोप लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम विशुन आजाद–

मेरा क्षेत्र गन्ना बाहुल्य क्षेत्र हैं, हमारी समस्यायें हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं ।

श्री रामतेज यादव–

मान्यवर, एक-एक मिनट दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

10-12 लोग हैं, आप लोग तय कर लें, सभी को बुला लिया जाय, समय चाहे जितना लगे, मुझे कोई एतराज नहीं है ।

(व्यवधान)

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अगर एक भी आदमी को बुलाऊंगा तो दूसरे लोगों को भी बुलाना पड़ेगा । बाकी आप लोग तय कर लीजिये उत्तर भाषण देना चाहते हैं तो अपने सदस्यों को रोकिये ।

(व्यवधान)

आवास, राज्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, यह सदन कल सुबह तक चलने दें । साढ़े 9 घन्टे चर्चा और बढ़ा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

(श्री राम विशुन आजाद से) आप बोलेंगे तो फिर सत्ता पक्ष के लोग भी बोलेंगे (व्यवधान) आपको मैंने समय नहीं दिया (कई माननीय सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे) मा० बाबूराम जी आप अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं सिंचाई मंत्री जी को बुलाता हूं ।

श्री बाबूराम यादव–

अधिष्ठाता महोदय, अभी मा० सिंचाई मंत्री जी ने उत्तर भाषण ही दिया लेकिन मा० राज्य मंत्री जी कुछ कह रहे थे जो मेरी समझ में नहीं आया । लेकिन थोड़ा बहुत जो कुछ समझ पाया उसमें उन्होंने कहा है कि सारी योजना मैनपुरी ले गये । आपका तो सिंचाई विभाग से दूर का रिश्ता भी नहीं है । हम हमेशा समता की बात करते रहे हम समाजवादी हैं हमारे समय में कोई अलग से वहां के लिए योजना नहीं बनी । आपने मिथ्या भाषण किया है आपने जितने भी आरोप लगाये है वह सब असत्य है । यहां तक सिंचाई मंत्री जी के वक्तव्य का सवाल है, आपने बड़े विश्वास के साथ कहा है, हम सारे ग्रामीण लोगों को जो नहरों के किनारे हैं उन नहरों पर पुलिया बनाकर नहर पार करने की सुविधा इस वर्ष उन्हें दे देंगे । यह घोषणा अपने आप में मिथ्या है । यह कभी पूरी नहीं हो सकती ।

मा० सिंचाई मंत्री जी विद्धान हैं, अनपढ़ नहीं है वह बता दें कि कैसे करेंगे । यहां पर जो नहरें हैं वह ब्रिटिश काल की हैं और उन पर जो पुल बने हैं ।

(समय 8 बजकर 30 मिनट)

वह पुल ब्रिटिश काल के बने हुये हैं । हमारे क्षेत्र में जितने पुल बने हुये हैं वह ब्रिटिश काल के बने हुये हैं । उनको 100 वर्ष बने हो गये हैं । हमारे क्षेत्र में किशनी और मैनपुरी के बीच में एक पुल है उस पर से एक बस गुजरी उसी समय पुल बस सहित नहर में गिर गयी । सारे पुल वहां के अपनी समय सीमा पूरी कर चुके हैं । सबसे पहले इन पुलों के निर्माण की बात होनी चाहिये इन पर तमाम यातायात, बस, ट्रैक्टर गुजरते हैं यह पुराने हो गये हैं इनका निर्माण होना चाहिए लेकिन उनका जिक्र बजट में नहीं किया गया है । मैं समझता हूं जो पैदल पटरियों के निर्माण की बात कही गयी है उसमें भी मुझे बहुत बड़ी शंका है और शंका इसलिए है कि पैदल पटरियों के निर्माण की घोषणा हुई है ।

(इस समय 8 बजकर 31 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

पैदल पटरियों के निर्माण की घोषणा अध्यक्ष महोदय, पहले भी हो चुकी है, पहले भी कहा गया था कि नहर की पटरियां पक्की करायेंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस घोषणा का पालन नहीं हुआ अगर हुआ तो पक्षपात से हुआ । मेरे मैनपुरी जनपद में एक इन्च नहर की पटरी पक्की नहीं हुई है । आपका समतावाद कहां गया, आप कहते हैं कि हम दल की भावना से उठकर काम करते हैं, मैनपुरी में मंत्री जी की पार्टी का न तो कोई विधायक है और न एम० पी० है इसलिए वह मैनपुरी को उत्तर प्रदेश का जिला ही नहीं समझते हैं । मैंने उस दिन भी निवेदन किया था कि मैनपुरी में लोक निर्माण विभाग द्वारा सबसे कम पैसा भेजा गया है, आपने डंडी मार दी, आपको डंडी नहीं मारनी चाहिए, कभी इधर आप बैठेंगे कभी हम उधर बैठेंगे उससे कोई फर्क

नहीं पड़ना चाहिए । जनता हमारे लिए समान है जनता के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए जो आप नहीं कर रहे हैं ।

एक दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं जो अन्तर्राज्यीय जल विवाद है उससे हमारे बहुत सारे काम रुके पड़े हैं । अन्तर्राज्यीय जल विवाद, केन नदी का विवाद अभी सुलझा नहीं है । मध्य प्रदेश और हमारे प्रदेश में विवाद है । इसी तरह से सोन नदी का विवाद मध्य प्रदेश और बिहार से, इसी तरह से चम्बल नदी का विवाद मध्य प्रदेश से है । जब तक जल के बटवारे का विवाद सुलझ नहीं जाता है तब तक जो योजना प्रस्तावित है उसका कोई मतलब नहीं है अगर है तो माननीय मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए, इन विवादों के चलते आप योजना कैसे पूरी करेंगे । आपकी योजनाएं अपूर्ण रहेंगी और जनता के लिए एक छलावा रहेंगी इन योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिलने वाला ।

इसके साथ ही थोड़ा सा वैसे तो माननीय सदस्य जिक्र करते हैं कि हम अपने क्षेत्र की बात कह लें । बजट में जो बोला जाता है उसको कोई नहीं पूछता, लेकिन पिछले 7-8 सालों से जो परम्परा चल रही है और इस पक्ष के और उस पक्ष के माननीय सदस्य जानते हैं कि कुछ भी कह लो होगा कुछ नहीं । यह परम्परा गलत है लेकिन फिर भी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की बात कहते हैं । हमारा जिला मैनपुरी है लेकिन डिवीजन इटावा में करहल आता है । करहल में पहले एक जे०ई० और ए० ई० का मुख्यालय था लेकिन मान्यवर, आपके आने के बाद यह सब दफ्तर इटावा चले गये । अब करहल में सिंचाई विभाग का कोई कार्यालय नहीं है । अब इसको क्या कहें यह ऐसी विडम्बना है जिसका जनता के साथ सीधा जवाब है । नहर, रजबहा कटता है तो करहल के कास्तकार को इटावा जाना पड़ता है । सारे दफ्तर वहां चले गये हैं । करहल में दफ्तर अनुमन्य है लेकिन यह सरकार उनकी व्यवस्था वहा नहा कर। पाई है न इसको दिखाई दे रहा है ।

इसी तरह से मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो कर्मचारियों का आरक्षण कोटा है उसकी हालत बहुत खराब है और इतनी खराब है जिसे देखकर, सुनकर, पढ़कर ऐसा लगता है कि सरकार अब क्या कहूं उसके लिये ऐसा खराब तो नहीं बोलूंगा, यह सरकार इतनी संवेदनहीन है, इतना ज्यादा इसमें बेशर्मई है, बेहयाई है कि अपने बनाये कानूनों का स्वयं पालन नहीं करती है । मान्यवर, अनुसूचित जाति का कोटा और पिछड़े वर्ग का कोटा, अधिकारियों में तो पिछड़े वर्ग का कोटा शून्य है । आपने जो किताब दी है उसमें कोटा पूरा नहीं है । क, ख, ग वर्ग हैं उसमें भी न अनुसूचित जाति का पूरा है न पिछड़े वर्ग का पूरा है । यह सरकार संकल्प लेकर कहती है कि हम दबे कुचले लोगों के लिये काम करेंगे लेकिन इनके कार्य कलापों से स्पष्ट है कि यह शिड्यूल कास्ट के तो विरोधी हैं, इनकी मानसिकता खराब है एस० सी० के प्रति और वही हाल पिछड़े लोगों के प्रति है ।

(व्यवधान)

मैं नहीं कह सकता कि पंडितों के प्रति हैं । उधर तो नहीं हैं भले ही इधर के लोगों के साथ हों । तो मान्यवर, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर यह सरकार जरा भी शर्मदार है, इसको जरा भी शर्म हो तो स्वयं बनाये हुए कानून को जो केन्द्र में भी लागू है और यहां भी लागू है एस० सी० का कोटा और बैकवर्ड का कोटा जो भी अनुमन्य है उसको पूरा करे और पूरा करके माननीय सिंचाई मंत्री जी जिस समय अगली टाइम सदन बैठे और दुर्भाग्य से सरकार इनकी बनी रहे ।

श्री अध्यक्ष–

आपके सौभाग्य से मंत्री जी ब्राम्हण नहीं है ।

श्री बाबूराम यादव–

ठीक है मान्यवर, मैं कहता हूं कि 23 जुलाई के बाद जब यह सदन बैठे और जरा भी मोरेलिस्ट हैं तो इस कोटे को पूरा करके दिखायें। इनकी बातों और बजट पेश करने का कोई मतलब नहीं है .....

श्री अध्यक्ष–

अब सभी बात आ गई है आपकी।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आप जबाब दीजिये। जबाब जबाब के लिये नहीं विद्वान का जबाब ज्ञान के लिये होता है।

विद्या विवादाय धन मदाय, शक्ति परेशां परपीडनाय।
खलस्य साधो विपरीतमेतद, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥

विद्वान के पास जो विद्या होती है वह ज्ञान के लिए होती है विवाद के लिये नहीं होती है, धन दूसरों का सृजन करने के लिए होता है घमंड़ करने के लिए नहीं होता है शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है पर पीड़ा के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं होती है। (व्यवधान) उधर के मा० सदस्य कहते है बजट अच्छा है मैं कहना चाहूंगा– "उष्ट्रानाम् लग्नवेल्यां गर्धव मुति गायक। परस्पर प्रशसन्ति अहोरूप अहोध्वनि:" इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इसी माहौल में सदन चलता रहे तो अच्छा है। वह श्लोक पढ़ रहे थे तो डा० धर्मज्ञ मिश्रा जी कह रहे थे हमीं ने सिखाया है।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था गन्ना और चीनी उद्योग पर निर्भर करती है। करोड़ों किसान इस पर निर्भर हैं जितनी पूरे देश के अन्दर चीनी पैदा होती है जितना पूरे देश के अन्दर गन्ना पैदा होता है उतना हमारे प्रदेश में गन्ना पैदा होता है। 45 प्रतिशत गन्ना हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था गन्ने और चीनी उद्योग पर निर्भर कर रही है और गन्ना किसानों का शोषण हो रहा है गन्ना किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ रहा है। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कई चीजों का उल्लेख तक नहीं किया। किसानों की सबसे बड़ी समस्या लेट पेमेन्ट की है, भुगतान देर से हो रहा है। माननीय मंत्री जी जोर-शोर से कहते हैं गन्ने का पूरा भुगतान कर दिया। इतने प्रतिशत भुगतान कर दिया। पिछले साल का भुगतान कर दिया। सदन के अन्दर और सदन के बाहर चर्चा हो रही है गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया। आज भी इस सत्र के पेराई सत्र में 1997-98 का 240 करोड़ रुपये के करीब बकाया है। 1994-95 का किसानों का बकाया है। 1995-96 का बकाया है। 1996-97 का बकाया है।

हमारे 90 प्रतिशत पूर्वी उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की जमीन में गन्ने की खेती होती है। अगर गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होगा तो वह अपने बच्चों को खिलायेंगे कैसे ? अपने बच्चों को पढ़ायेंगे कैसे, उनके बच्चों के हाथ कैसे पीले होंगे। अगली फसल किसान कैसे बोयेंगे। इसके लिए कोई बात नहीं की गई कि किस तरह से इसमें सुधार करेंगे। किसानों का बकाया रहता है तो उन्हें जेलों में बन्द कर दिया जाता है मिल मालिकों पर इतना बकाया रहता है लेकिन कोई जेल नहीं जाता है कहीं आर०सी० कहीं कुर्की नहीं हुई। कटी तो दबा दी गई। शुगर केन कंट्रोल आर्डर है जिसमें 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का प्राविधान है अगर मिल मालिक किसानों का पैसा नहीं देंगे। उसको ब्याज

देने पर बाध्य कर दिया जाए तो वह 14 दिन के अन्दर भुगतान कर देंगे और किसान का काम चलने लगेगा। सरकार चीनी मिल मालिकों से दबी हुई है। मैं तो चाहूंगा कि मंत्री जी को चीनी मिल मालिक विकास मंत्री कहा जाए। इन्होंने रिकार्ड कायम कर दिया। एक साल के अन्दर 577 करोड़ रुपए का मिल मालिकों को मुनाफा करा दिया। दो रुपया प्रति कुन्तल पिछला बाकी है और उसका एरियर नहीं दिलाया। अगली और पिछली प्रजातियों में पांच रुपया अन्तर करके मिल मालिकों को 192 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया।

चीनी मिल मालिक इस प्रयास में इस सरकार के कार्यकाल में सफल हो गए कि गन्ना मूल्य निर्धारित करने का प्रदेश सरकार को कोई अधिकार नहीं है। पिछले वर्ष माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि इस निर्णय के विरुद्ध हम सर्वोच्च न्यायालय में जाऐंगे। हमने एक प्रश्न के माध्यम से पूछा था कि क्या तैयारी हो रही है तो उन्होंने कहा था कि केन्द्र सरकार से अनुमति ले रहे हैं। वहां पर पत्र भेज दिया है लेकिन पता नहीं आज तक उस पत्राचार का क्या हुआ ? केन्द्र सरकार में किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किए हैं। उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया। कानून बनाने का अधिकार प्रदेश सरकार को है, भारत सरकार को है। न्यायालय का काम केवल कानून की व्याख्या करने का है। क्यों नहीं प्रदेश सरकार ऐसा कानून बना देती है। जिससे गन्ना का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का अधिकार सरकार के हाथ में आ जाए। आपके मिल मालिकों से सम्बन्ध है। तमाम मिल मालिक आपकी पार्टी में बड़े-बड़े ओहदों पर बैठे हैं। कल जब कोई दूसरी सरकार आएगी तो वह संगठित होकर उसको फेल करने की कोशिश करेंगे। तब कौन रुकवाएगा। हमारे यहां केवल 32 प्रतिशत गन्ने की मिलों द्वारा पेराई की जाती है। बाकी 68 प्रतिशत गन्ने की लूट हो रही है। जबकि महाराष्ट्र तमिलनाडु में 95 प्रतिशत तक गन्ने की मिलों द्वारा पेराई होती है। अधिकांश चीनी मिलें हमारे यहां आजादी के पहले की हैं उनके उपकरण पुराने हैं, उनकी तकनीकी पुरानी है। उनकी पेराई क्षमता बढ़ाने एवं मिलों के आधुनिकीकरण की योजना बनाई जानी चाहिए। दूसरी नई चीनी मिलों को लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जिन चीनी मिलों को लाइसेंस मिल गई उनको जमीन नहीं उपलब्ध कराई जा रही, दूसरी सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई जा रहीं।

बैंक के ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। बैंक वाले किसानों का खाता खोलने से इन्कार कर देते हैं। मेरे पास उदाहरण है। बैंक ने अभी तक खाता नहीं खोला। आपकी सट्टा नीति दोषपूर्ण है। ऐसे में जो किसानों का सबसे बड़ा आय का स्रोत है, उस गन्ने की खेती की दुर्दशा हो रही है। गन्ना किसानों को न्याय मिलना चाहिए। उनकी जो समस्याएं हैं, उनको जो शोषण कर रहे हैं उस पर रोक लगे। केन्द्र सरकार से जो चीनी विकास निधि 53 करोड़ रुपए की आई है हमें नहीं मालूम वह धन कहां लगा ? उसको विकास में लगना चाहिए था। इस विभाग में भ्रष्टाचार बहुत अधिक हो गया है, उस पर रोक लगनी चाहिए।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, दोनों पक्षों के जिन माननीय सदस्यों ने बजट चर्चा में भाग लिया, उन सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि किसी न किसी रूप में दिशा-निर्देश या आत्म-चिन्तन करने का सुझाव ही दिया है लेकिन मान्यवर, कुछ प्रमुख उच्च पदों पर रह चुके लोग जब व्यक्तिगत ऐसे उदाहरण दे करके बात करते हैं जो शायद पद और वरिष्ठता की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो मां सरस्वती की याद आती है कि सबके ऊपर कृपा क्यों नहीं करती ? एक दोहा याद आता है–"बूंद अघात सहें गिरि कैसे" उसी भावना से सबकी बातों को ग्रहण कर रहा हूं। पहले मैंने सिंचाई विभाग की बात कही है। पैदल-पुलिया की जो योजना रखी गयी है उस पर आश्चर्य व्यक्त किया गया कि मुझे नहीं लगता कि यह कार्य हो पायेगा।

मान्यवर, 1991 में नहर पटरी योजना लागू की गयी थी लेकिन सरकार चली गयी, हमने उस समय पैसे की व्यवस्था की थी। वही नहर पटरी योजना 1992 के बाद लागू की गयी होती लेकिन उसके बाद लागू नहीं किया गया। लोग ऐसे पदों पर रहे लेकिन उसे नहीं किया। जो करते नहीं उन्हें विश्वास नहीं हो पाता, वह कल्पना नहीं कर पाते। यहां यह बात कही गयी कि ये योजनायें कैसे पूरी होंगी ? पैदल-पुलिया योजना पर सन्देह व्यक्त किया गया। मान्यवर, सरयू परियोजना पर बल दिया था 1991-92 में, बीच में उसकी गति धीमी हो गयी। हमने पिछले साल से बल दिया है, पिछले वर्ष 100 करोड़ तथा इस वर्ष 120 करोड़ रुपया दिया है।

समर पाल सिंह जी, हिण्डनकृष्णी परियोजना कितने साल से चल रही थी, 11 तारीख को जा रहे हैं उस नहर का उद्घाटन करेंगे, पानी छोड़ेंगे, चम्बल घाटी परियोजना कितने सालों से चल रहीं थी, क्या कारण है कि पिछले साल से उसने गति पकड़ी, यह योजना बहुत सालों से धीरे-धीरे चल रही थी, वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे कि इसका नियोजन गलत है और गलत ढंग से बनायी गयी थी, उसको किसने बनवाया था, कौन लोग बीच में आये थे, क्यों नहीं जांच करवाया। परियोजना के डिफेक्ट को जानकर पिछले साल इसे शुरू किया था और अगले साल पूरा करके दिखाऊंगा। कमजोर मन की यह सरकार नहीं है। मौदहा बांध कितने साल से चल रहा है ? बेवर फीडर बनकर तैयार है। गुण्टा बांध टूट गया, कितने सालों से बन्द चल रहा था, अगले साल उसको पूरा कर देंगे। अगर आदमी में संकल्पशक्ति हो तो क्या नहीं हो सकता है। क्या कारण है कि 20 साल के बाद इतने धन की उपलब्धता हुई, पहले केन्द्रीय सरकार की बाह्य सहायतित संस्थायें थी, क्यों नहीं 1991 के बाद पैसा लाये और पिछली सरकार मार्च में आयी, नियोजन का समय नहीं मिला, 300 करोड़ रुपया लाये। इस बार 500 करोड़ से ऊपर आ रहे हैं। नियोजन की दिशा चाहिये। प्रदेश के विकास का संकल्प चाहिये, दर्द चाहिये, निश्चित रूप से विकास होगा। मैंने अलग परियोजनाओं के लिये संगठनात्मक व्यवस्था की है और अलग मुख्य अभियंता बनाये हैं, सहायक अभियंता का कितना कार्य होगा इसका डायग्राम बनाकर मैं बराबर मानीटरिंग करता हूं, साथ ही पैदल, पुलिया बनाकर भी दिखायेंगे। जो तारीख दिया है, उस तारीख को प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखायेंगे, साथ ही किसानों को सुविधा देकर दिखायेंगे।

बाढ़ से कटान की बात कही गई, 30 करोड़ में 30 प्रतिशत तो इस्टैविलिशमेंट में चला जाता है, इसलिये मैंने नाबार्ड से 100 करोड़ लेने का प्रस्ताव किया है, और पूरी उम्मीद है कि स्वीकृति भी हो जायेगी। नाबार्ड के लोगों की शिकायत है कि उत्तर प्रदेश पैसा नहीं लेता, वह पैसा देने के लिये तैयार हैं और आज खुशी की बात यह है कि यहां जो सिंचाई सचिव थे, वह अब केन्द्र में हैं और हमें आवश्यक सहयोग उनका मिल रहा है, वह पैसा देने को तैयार हैं। इस पैसा के मिल जाने से जितनी सुरक्षा अब तक होती थी, उससे ज्यादा करके दिखायेंगे।

माननीय लोकपति त्रिपाठी जी ने बाणसागर में टनल बंद कर देने की बात उठाई। शायद वह चले गये, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मिर्जापुर, इलाहाबाद, सोनभद्र और जहां-जहां पानी की व्यवस्था पहले थी, वहां-वहां पानी अवश्य जायेगा, लेकिन टनल की जगह नहर के द्वारा पानी ले जाया जा रहा है, नहर आसान है, इसलिये टनल की आवश्यकता नहीं है। उसको पिछले सालों में क्यों शुरू नहीं किया गया, पिछले साल इसके लिये मैंने 30 करोड़ दिया था, इस साल इसके लिये 66 करोड़ रुपया दे रहे हैं, यह हमारा संकल्प है, दिशा है।

कनहर बांध, शारदा सहायक परियोजना फिर से शुरू करने जा रहे हैं। शारदा सहायक में जून, 99 तेक लाइनिंग का काम पूरा कर दिया जायेगा और सीपेज के उपाय भी किये जा रहे हैं। सन् 2000 तक हमारा लक्ष्य है कि इससे बलिया तक पूरी पानी पहुंचायेंगे। हर चीज का समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है क्योंकि पिछले 50 साल में इस प्रदेश की जनता के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है, बहुत शोषण हुआ है, केवल नारों से बहलाया गया है। हम काम करके उसके मन को भरना चाहते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

शारदा सहायक अभी मऊ जिले तक है, क्या इस साल आधा-एक किमी० ले जा रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नहरों की खुदाई का काम शुरू कर रहे हैं, इसलिये प्लान कर रहे हैं, पैसा दे दिया है, लेकिन एक साल में सारी नहरें तो खुद नहीं जायेंगी । लोगों ने कहा सरकार थोथे वायदे करती है, बरसती नहीं है, केवल गीला करती है । मैं बताना चाहता हूं कि यह बादल, सरकार रूपी बादल उस जल की धारा है, जो तृप्त भी करते हैं और अन्दर बाहर दोनों तरफ शीतलता पहुंचाते हैं । हम यह सब प्रदेश के किसानों के लिये करके दिखायेंगे । नलकूप की जहां तक बात है, मैंने पहले ही स्वीकार कर ली थी । पहले केवल 5 हजार अनुरक्षण राशि थी, उसको बढ़ाकर पहले 7 हजार किया और अब मैं ही उसे बढ़ाकर 12 हजार कर रहा हूं । क्या पहले नलकूप की चिन्ता नहीं थी, तब कहां गई थी चिन्ता । हम तो कुछ करते भी हैं, लेकिन सब कुछ एक साल में कर देंगे, ऐसा नहीं कहते यह अनुरक्षण की राशि कम थी । आप भी पत्र देकर कहते थे कि इसको बढ़ा दीजिए । हमने इसको 12000 रुपया कर दिया है 5,000 रुपया बढ़ा दिया है । जो सीमित संसाधन है, उसमें कुछ कर रहे हैं । नहर की सफाई मैंने कभी नहीं कहा कि 95 प्रतिशत हो गयी है । मैंने कहा है कि एक तिहाई हुई है 20,000 किलोमीटर । मैं यह नहीं कहता हूं कि हण्ड्रेड परसेन्ट हुई है, कुछ गलतियां हुई हैं लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में अच्छा हुआ है यह जनता कहती है, आप कहते हैं । मान्यवर, हम 40,000 किलोमीटर नहर की पटरी को पक्का कर रहे हैं । बाबू रामजी ने कहा कि नलकूप समितियां बना दें, 91 में प्रयोग किया था बीच में खत्म हो गयी, नलकूप समितियां बनाये, पंचायत समितियां बनायें लेकिन जाति व्यवस्था, भेदभाव की व्यवस्था, मनमुटाव यह इतना भर गया है कि एक साथ मिलकर कोई नलकूप चलाने को तैयार नहीं है । जो हमने बनाई भी थी वह खत्म हो गयी इसलिए उनके संचालन के लिए ग्राम समितियां बनाने का प्रस्ताव है वह भी एक प्रयोग करके देख रहे हैं । हम चिन्ता तो कर रहे हैं । आज नलकूपों की नालियां इतनी जीर्ण-शीर्ण हो गयी हैं कि उसके लिए 130 करोड़ रुपया चाहिए, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं ।

(टोका-टाकी होने पर)

जरौली का भी कर रहे हैं, उसका शिलान्यास अगले महीने करने जा रहा हूं ।

मान्यवर, यह कहा गया कि सिंचाई विभाग का परिव्यय 9 प्रतिशत है और वर्षों से ज्यादा है पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 7 प्रतिशत तक पहुंच गया था इसलिए 9 प्रतिशत किया गया है, वह कम नहीं है । 92 में गण्डक किसने पूरी किया, सरजू का पुनः प्रारम्भ किसने किया, राजघाट पर उस समय पैसा किसने दिया, राजघाट पूरा होने जा रहा है उत्तर प्रदेश ने पूरा पैसा दे दिया है, मध्य प्रदेश नहीं दे रहा है, मैं 6 पत्र लिख चुका हूं, मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्री को फुरसत नहीं है, एक बार वहां के मुख्य मंत्री जी आये थे उन्होंने तय भी किया था लेकिन क्या हुआ तो जिस व्यक्ति को रूचि ही नहीं है करने में, तो क्या करेगा ? लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं । 14 परियोजनाओं की बात कही गयी, मैं उसको पढ़कर सुना देता हूं –

1–किशाऊ बांध

2–भोपोली पम्प नहर की क्षमता वृद्धि परियोजना

3–कचनौध बांध

4–चिल्लीमल पम्प कैनाल की क्षमता वृद्धि

5–वृहद एवं मध्यम पम्प नहरों का आधुनिकीकरण

6–मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण

7–बदायूं सिंचाई परियोजना

8–भौरत उतारी बांध

9–पंचेश्वर बांध

10–राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना–द्वितीय चरण

11–लखेरी बांध

12–रेसिन बांध

13–कुरार बांध

14–सिजारी बांध

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, जहां चम्बल, जमुना, क्वारी, ऐथ, पहूज आदि नदियां एक स्थान पर मिलती हैं सब की अथाह जलराशि है उसमें पंचनद परियोजना का प्रारूप तैयार हुआ था सेन्ट्रल वाटर कमीशन को उसका प्रारूप भी चला गया था, उसका क्या हुआ ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उसकी दो बैठकें नेपाल और भारत सरकार के अधिकारियों के बीच हो चुकी हैं । कुछ ओखला की बात उठायी गयी, 1991 में वहां कौन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर था, उसकी इन्कवायरी करायी गयी, हमने आकर चार्जशीट दिलवायी । ओखला में जमीन का कुछ तो जबरन पट्टा हुआ है, कुछ पट्टा किया गया । पट्टे की जांच भी करायी, दंडित भी करेंगे । क्योंकि बीच के पीरियड में फाइल दबायी गयी ।

जल कुंभी की बात आपने छेड़ दी, नहीं छेड़नी चाहिए थी वह गुजराल साहब के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की सरकार पर टैक्स था क्यों सफाई हुई । क्योंकि उसके किनारे की कालोनी में पूर्व प्रभावशाली मंत्री का आवास था । जहां जल कुंभी होती है निश्चित रूप से वहां मच्छर होते हैं हमने कहा कि पैसा हम क्यों दें । प्रधान मंत्री जी के आफिस के साथ उ० प्र० के अधिकारियों की वार्ता हुई, कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ही दे । 75 लाख रु० वहन करना पड़ा जितने जलाशय थे सारी सफाई करानी पड़ी। चूंकि देश के प्रधान मंत्री जी की इच्छा थी इसलिये करना पड़ा ।

हरिद्वार की बात आयी कि 20 दिन में 14 करोड़ रु० खर्च हो गये वहां की परम्परा है कि बीस दिन में नहर की मरम्मत सफाई होती है, हरिद्वार कुम्भ मेले के लिये दिन कम थे, वह सब उसी 20 दिन की बन्दी में करना था । अगर बढ़ाते तो किसानों को पानी न मिलता उसमें ढाई तीन करोड़ रु० खर्च हुए । इसके लिये तो आपको बधाई देनी चाहिए कि कुम्भ मेला सरकार ने सम्पन्न करा दिया और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सारा कार्य समय से करा दिया । मेरे एक रिश्तेदार की बात कही गयी, माननीय बाबूराम जी आप ही उस समिति के अध्यक्ष बन जाइये उस फाइल को निकलवा लीजिए । वह किसी कारपोरेशन की फाइल है । यह माननीय अध्यक्ष जी आपको जांच कर रिपोर्ट दे दें । लेकिन एक बात आप समझ लीजिए ओम प्रकाश सिंह किसी भ्रष्टाचार के सामने झुकने वाला नहीं है । आज उसके खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है । उस मुख्य अभियन्ता के कहने पर वहां पर बात उठाई गई । जरा उस मुख्य अभियन्ता के गिरेबान में तो झांक कर देख लिये होते । माननीय सदस्य, आप स्वयं जांच करके देख लीजिये और उसकी रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को दे दीजिये, अगर कहीं पर भी मेरे हस्ताक्षर हों तो आप मुझे बता दीजिये । मुझे जो दण्ड मिलेगा, मैं सहने के लिये तैयार हूं । शर्मदार की बात कही

जाती है । मेरा जीवन भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जीवन भी साफ है । जिन लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया था, उन्हें रिइनसटेट कर दिया गया । किसके शासनाकाल में यह हुआ । अकर्मण्यता के कारण जिन लोगों को टर्मिनेट किया गया था,वह रिइन्सेटेट कर दिये गये । मैं कहना चाहता हूं कि जिन अभियंताओं को पहले दण्ड दिया गया था उस दण्ड को मैंने कम करने का काम नहीं किया बल्कि उस सजा को बढ़ाने का ही काम किया । मेरा कार्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना है और मैं दोनों विभागों में भ्रष्टाचार को हटाकर दिखाऊंगा ।

श्री ओम प्रकाश सिंह जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहा है क्या उसका कार्य असर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है ? सिंचाई के बारे में जो बातें यहां पर कहीं गई थी, उनके बारे में मैंने अपनी बात रखी । मैं बाबू राम यादव जी का बड़ा सम्मान करता हूं उनका स्नेह और प्रेम भी हमें मिलता है पता नहीं आज कैसे भ्रम में वह फंस गये । जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, उन सुझावों के आधार पर प्रभावी तरीके से काम करने का काम हम दोनों पक्षों के लोग करेंगे । सदन भले ही पक्ष व विपक्ष का हो परन्तु जनता एक है । हम सबका एक ही लक्ष्य भी है इसलिये हमारी जो 50 प्रतिशत सिंचाई क्षमता है, संसाधनों को जुटाकर कम पैसे में हम उसको अधिक से अधिक उपयोगी बनायें और हर खेत को पानी मिल सके यही आपका और हमारा लक्ष्य है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री बाबू राम जी से आग्रह करता हूं कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें ।

मान्यवर, गन्ना के बारे में संक्षेप में अपनी बात कहूंगा । बार-बार कहा जाता है कि बड़ा बकाया है । मैंने तो कभी नहीं कहा कि बकाया नहीं है । 92 प्रतिशत का भुगतान हो चुका है । 93.03 प्रतिशत का भुगतान हो चुका है । 6.97 प्रतिशत बांकी है । 3 हजार 29 करोड़ का गन्ना हुआ । 2818 करोड़ का भुगतान हुआ है 7 तारीख तक और 211 करोड़ रुपए शेष है । मान्यवर, किसान इतना नक्कारा नहीं हो गया है कि हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे और उसका शोषण होता रहे, फर्जी घटतौली होती रहे और उसे पैसा नहीं मिले । हमने पहली बार बैंक से भुगतान शुरू कराया है, कुछ कठिनाइयां हुई हैं परन्तु अगली बार हम इस कठिनाई को दूर कर देंगे । जिन समितियों ने देरी की अब हम उसकी एडवाइस सीधे भेज देंगे । और जिसने 10-15 दिन का विलम्ब किया है, उस विलम्ब को भी हम खत्म कर देंगे । आप सब लोग कहते थे कि चीनी उद्योग को खतरा है और शोषण हो रहा है । मैंने किसानों का शोषण ही बन्द नहीं किया है बल्कि चीनी उद्योग को स्थिरता दी है । मुझे पूरा विश्वास है कि हम आगे बिना किसी कानून का सहारा लिये पन्द्रह दिन के भीतर गन्ने का भुगतान करायेंगे यह हमारा संकल्प है । अभी तो इसकी शुरूआत है । किसी ने 15 दिन के भीतर देने की बात कही । किसी भी सरकार ने 93 प्रतिशत गन्ने का भुगतान किया । हमने इतना भुगतान कराया तो कम से कम प्रशंसा के दो शब्द ही बोल देते कि आपने यह किया । लगता है कि राजनैतिक वैचारिक मतभेद न होकर के कोई व्यक्तिगत मतभेद है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि राजनीति में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता है । हमारा आपका लक्ष्य एक ही होता है इसलिए आपस में ऐसा कोई व्यवहार न करें जिससे कठिनाई हो । मान्यवर, बार-बार यह कहा गया कि 70.72 का अंतर नहीं दिया गया । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह 70.72 किसने तय किया था । मान्यवर, जब राष्ट्रपति शासन था तो इससे पूर्व के जो राज्यपाल थे, जो ख्याति प्राप्त थे उन्होंने ही यह किया था । राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल ही शासन का नियंत्रक होता है । तो उन्होंने ही जब समझौता कर लिया तो हम कैसे 72 दे देंगे । इस प्रश्न को तो उठाने का कोई औचित्य ही नहीं था । मुझे दुख है कि इस प्रकार के प्रश्न उठाये गये जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं ।

मान्यवर, इसी तरह से हम गन्ने के मामले में सट्टा नीति में परिवर्तन करेंगे । किसी नीति में जब तक परिवर्तन नहीं होगा वह हितकारी नहीं होगा । लाइसेंस की बात कही गयी । मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने 6 लोगों के लाइसेंस निरस्त कर दिये हैं और यह कहा है कि 94 तक जिन लोगों को

लाइसेंस दिया है 31 जुलाई तक का समय मैं दे रहा हूं उसके बाद मैं समीक्षा करूंगा और जिसकी प्रगति संतोषजनक नहीं पायी जायेगी उसके लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए केन्द्र सरकार को लिख दिया जायेगा । हम नयी चीनी मिल लगाना चाहते हैं । हम गन्ना किसानों का भला चाहते हैं । मान्यवर, जो मुख्य-मुख्य बिन्दु उठाये गये थे उसका मैंने जवाब दे दिया है । इसके अतिरिक्त मैं सभी चीनी मिलों में कम्प्यूटर लगा रहा हूं । पर्चियां भी वहीं बनेंगी और पर्ची में यह लिख दिया जायेगा कि कितना गन्ना था, कितने का भुगतान हो चुका है, एडवाइस नम्बर क्या था, कितना पिछले साल का था, यह सब उसमें लिखा रहेगा ? उसी से बैंक की एडवाइस बनायेंगे । जो समितियां ठीक से काम करती हैं उनके माध्यम से भेजा जायेगा और जो ठीक से नहीं करती हैं उनको डायरेक्ट करेंगे । इस तरह से हम इस विभाग में भ्रष्टाचार को मिटायेंगे । मान्यवर, एक हजार उन्चास कर्मचारी शायद ही किसी विभाग में दण्डित हुए होंगे । लेकिन हमने किया है । हम जांच कराकर दण्डित करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय समर पाल जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, जो रैफरेन्स की बात थी उसके बारे में बता दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, एक सप्ताह पहले अखबारों में जे० ई० के एप्वाइन्टमेंट के लिए एडवरटीजमेंट निकला है और सैकड़ों की संख्या में निकला है । 90 प्रतिशत रिजर्व क्लास के हैं । चुनाव आयोग से होगा । सहायक अभियन्ताओं का भी कोटा भरा जायेगा । परीक्षा आयोग को लेनी है उसमें कुछ समय लग सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

श्री बाबूराम जी, क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री बाबूराम यादव–

मैं आपका आदर करता हूं और सम्मान करता हूं अगर पांच भी माननीय सदस्य खड़े होकर कह देंगे कि सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूंगा । मान्यवर, जो बिन्दु मैंने उठाये थे उसका समुचित उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं और अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय समर पाल सिंह जी क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री समर पाल सिंह–

माननीय मंत्री जी ने बहुत संक्षेप में सारी बातों को टाल दिया । जो पुरानी चीनी मिले हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा है इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं और उस पर बल दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 3,61,54,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 10,53,56,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 35,64,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 21,18,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 9-7-98 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनायें प्राप्त हुईं । जिनमें डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड की वर्ष 1998 की परीक्षा के परिणाम 37 कालेजों सहित मेरठ के डी० एन० इण्टर कालेज तथा राजकीय इण्टर कालेज में रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

दूसरी सूचना श्री राम नरेश यादव की प्रदेश में बढ़ती हुई डकैती की घटनाओं तथा सरकार द्वारा समुचित कदम न उठाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

तीसरी सूचना श्री भरत सिंह एवं श्री राजधारी की जनपद बलिया में बलिया बैरिया मार्ग पर मझौना में गंगा की कटान एवं तुरता पार श्रीनगर बंधे पर डूडां ग्राम में घाघरा की कटान से हजारों एकड़ भूमि एवं फसलों की क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

चौथी सूचना श्री तेजभान सिंह की जनपद सुल्तानपुर में शारदा सहायक खण्ड–49 के अन्तर्गत करोड़ों की लागत से खरीदी गयी खुदाई मशीनों से ड्रेनों की सफाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पांचवीं सूचना श्रीमती माया प्रसाद की जनपद लखीमपुर खीरी में श्री नगर क्षेत्रान्तर्गत भूमि संरक्षण अधिकारी डी० पी० ए० पी० लखीमपुर खीरी द्वारा कतिपय ग्रामों में अधोमानक कार्य कराये जाने तथा मजदूरों को स्वीकृत दर पर मजदूरी न दिये जाने के संबंध में है , केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

छठी सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की जनपद कौशम्बी के मझनपुर क्षेत्रान्तर्गत कौशम्बी ब्लाक में वृद्धा, विधवा एवं विकलांग पेंशन कैम्प में प्रमाण-पत्र बनाने हेतु डाक्टर के उपस्थित न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

सातवीं सूचना श्री सतीश जतारिया की जनपद झांसी के थाना प्रेमनगर अन्तर्गत पुलिस चौकी बिजौली के पुलिसजनों द्वारा झांसी ललितपुर मार्ग पर ट्रकों एवं बसों से वसूली किये जाने तथा डग्गामार वाहनों को वसूली कर संचालित कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

आठवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की जनपद गोण्डा के कतिपय मार्गों के दोनों ओर की पटरियों के क्षतिग्रस्त होने तथा जगह-जगह गड्डे होने के कारण आवागमन में बाधा उत्पन्न होने के संबंध में है। पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

नवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की प्रदेश की बी० टी० सी० परीक्षा में शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट के स्थान पर स्नातक किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

दसवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी एवं श्री दद्दू प्रसाद श्री बाबू लाल कुशवाहा की नगर पालिका बांदा के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि की नीलामी किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

शेष सूचनाएं श्री राम जग, श्री रामाधार सिंह, श्री चन्द्रनाथ सिंह, श्री आर० के० सिंह पटेल, डा० राम बाबू हरित, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री उदयराज यादव, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना एवं श्री कौकब हमीद, श्री कमलेश सिंह, श्री सौलत अली एवं श्री इकबाल महमूद, श्री रिफाकत हुसैन, श्री भोला शंकर मौर्य एवं डा० धर्मज्ञ मिश्र की है वह अस्वीकृत हुई।

प्रदेश के बेरोजगार आयुर्वेदिक/यूनानी फार्मासिस्टों द्वारा कतिपय मांगों के संबंध मे किये जा रहे आमरण अनशन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा० शिवाकान्त ओझा)–

[मा० सदस्य द्वारा आयुर्वेदिक/यूनानी बेरोजगार फार्मासिस्टों के संदर्भ में दी गयी सूचना के संबंध में स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 4235–9/5–243/90, दिनांक 22-7-91 के माध्यम से आयुर्वेदिक/यूनानी फार्मासिस्टों की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गयी थी, जिसमें उनके चयन का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को था। शासन द्वारा अधीनस्थ चयन सेवा आयोग भंग किये जाने के फलस्वरूप प्रश्नगत भेषजिकों की नियुक्ति हेतु कार्मिक अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 28-1-91–टी०सी० 97, दिनांक 9-6-98 द्वारा उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा

नोट :– [ ] अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह ''ग'' के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 के प्राविधानों एवं आयुर्वेदिक/यूनानी बेरोजगार फार्मासिस्ट संघ द्वारा प्रेषित मांग पत्र में डिप्लोमा का वर्षवार प्राप्त अंकों के आधार पर बनायी गयी ज्येष्ठता सूची के अनुसार नियुक्ति करने विषयक मांग के संदर्भ में आवश्यक परीक्षण प्रक्रियाधीन है ।

पूर्व में प्रशिक्षित आयुर्वेदिक/यूनानी बेरोजगार फार्मासिस्टों की नियुक्ति हेतु आयु सीमा में शिथिलीकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (उत्तर प्रदेश के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण, 1992) के प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही विचाराधीन है । यह समस्त कार्यवाही मार्च, 1998 से ही प्रचलित है । अतएव मा० सदस्य का यह कथन समीचीन नहीं कि सरकार ने बेरोजगार फार्मासिस्टो के संबंध में रुचि नहीं दिखाई है । इसी अनुक्रम में यह भी उल्लेख करना है कि अनशन कर रहे बेरोजगार फार्मासिस्टों के प्रतिनिधियों द्वारा शासन में विभिन्न स्तरों पर सम्पर्क किया गया था तथा उनकी वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया जिससे संतुष्ट होकर आमरण अनशन को समाप्त किया जा चुका है । आयुर्वेदिक/यूनानी फार्मासिस्ट को आयुर्वेदिक दवा विक्रेता के यहां रखे जाने की अनिवार्यता लागू किये जाने के पूर्व औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में समुचित परिवर्तन/परिवर्धन आवश्यक है तथा इसके अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित है । प्रदेश सरकार द्वारा उक्त अधिनियम में संशोधन संबंधी संस्तुति प्रेषित किये जाने के पूर्व आवश्यक परीक्षण कराया जा रहा है ।

2–वर्तमान व्यवस्था के अधीन आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के अतिरिक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अतिरिक्त प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात हैं । इन स्वास्थ्य केन्द्रों में एलोपैथिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है तथा एलोपैथिक फार्मासिस्ट तैनात है । वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी तैनात नहीं है । अतएव वहां पर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के तैनात किये जाने का औचित्य नहीं है ।]

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस शासनादेश का जिक्र किया है । कितने पद रिक्त है क्या जो कमी है उसमें वृद्धि करके भर्ती करके विचार कर रहे है ?

दूसरा मैं जानना चाहता हूं कि क्या इनको नौकरी देने में पंजीकरण के अनुसार कार्य करेंगे ?

और तीसरा भारत सरकार से फार्मासिस्टों को लाइसेंस देने पर विचार करेंगे ?

डा० शिवाकान्त ओझा–

मान्यवर, हमने फार्मासिस्टों की नियुक्ति के संबंध में जो नये अस्पताल खोले गये हैं उसमें फार्मासिस्टों की भर्ती की जायेगी और यह भी तय किया है कि पंजीकरण वरीयता के क्रम में की जायेगी और उसी अनुसार नियुक्त की जायेगी । हमने यह भी निश्चय किया कि केन्द्र सरकार को सिफारिश करेंगे कि इस बात को सुनिश्चित कर लेकिन फार्मासिस्टों को लाइसेंस देने का प्रयास किया जाय ।

(समय 9 बजकर 30 मिनट)

(मद संख्या–11, मद संख्या–12, मद संख्या–13, मद संख्या–14, मद संख्या–15 एवं मद संख्या–16 के लिए निर्धारित वक्तव्य सदन की अनुमति से पढ़े हुये माने गये)

(पढ़े हुये माने गये वक्तव्य संलग्न हैं)

जनपद मैनपुरी की ग्राम सभा मैनपुरी देहात की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किये जाने से संबंधित नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही) –

[मा० श्री मानिक चन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 1-7-98 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में सूचित किया गया है कि जनपद मैनपुरी की ग्राम सभा मैनपुरी देहात की भूमि सं० 1301/0–338 पर भूमि माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है जिससे क्षेत्र की आम जनता में असंतोष व्याप्त है । इस संबंध में अवगत कराया है कि दिनांक 1-7-98 को श्री महावीर सिंह, ज्योति रोड, मैनपुरी द्वारा उक्त के संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ।

2—इस प्रकरण की जांच कराई गई तथा यह पाया गया कि गाटा सं०–1301/0–338 हेक्टेयर जिसका कि पुराना नं० गाटा सं० 1318/0–96 एकड़ है, का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 6(2) में है । इस भूमि में कुछ भाग में एक पुरानी कोठी निर्मित है । भूमि सं० 1301/0–338 जिसका कि पुराना नं० 1318/0–96 एकड़ है, निष्क्रान्ति सम्पत्ति (एवेन्यू प्रापर्टी) थी । जिसका अधिग्रहण सरकार द्वारा कर लिया गया तथा इसका नीलाम 8-2-1958 को श्री हेतराम पुत्र श्री बसन्दा राम निवासी मैनपुरी के हक में हुआ जिसका विक्रय पत्र 25-1-61 को निर्गत किया तथा श्री हेतराम द्वारा कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया गया ।

श्री हेतराम की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी सर्वश्री ठाकुरदास व देवेन्द्र कुमार ने कब्जा व दखल प्राप्त किया और उनके द्वारा इस भूमि का विक्रय आदि करने से ग्राम सभा के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है । दिनांक 18-6-98 को जो निर्माण हुआ है वह श्री ठाकुरदास की सहमति से हुआ है तथा 30-6-98 को भी श्री ठाकुर दास की सहमति से ही इकरारनामे के आधार पर नीच भरी गई थी । मौके पर शान्ति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं पाई गई । प्रश्नगत भूमि सं० 1301/0–338 हे० ग्राम सभा की न होकर निष्क्रान्ति सम्पत्ति होने के कारण नीलामी क्रेता श्री हेतराम के वारिसान सर्वश्री ठाकुर दास व देवेन्द्र कुमार की है ।]

जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर की ग्राम मोहलिया पट्टी में श्री नाथू लाल जाटव को नायब तहसीलदार द्वारा मारपीट एवं बेइज्जती करने से संबंधित नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

[मा० श्री नन्द राम, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 1-7-98 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गइ सूचना में सूचित किया गया है कि जनपद बरेली के ग्राम मोहलिया पट्टी तहसील फरीदपुर में श्री नाथूलाल जाटव की तहसील के नायब तहसीलदार ने 26 जून, 1998 को दिन के 11.00 बजे बुरी तरह मारा-पीटा एवं उसकी पत्नी को भी सरेआम मारा पीटा तथा बेइज्जती की । गांव के अन्य लोग तथा सरदार बलवीर सिंह ने बीच-बचाव करना चाहा तथा बकाया वसूली के पैसे भी देने को तैयार होने के बावजूद भी उनको भी सरेआम बुरी तरह मारा-पीटा गया तथा दाढ़ी नोच ली एवं घायल कर दिया गया जिससे गांव में भय व आतंक व्याप्त है लोग गांव छोड़कर पलायन करने पर विवश हो रहे हैं जिससे क्षेत्र की जनता आन्दोलित हो रही है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2—इस प्रकरण की जांच जिलाधिकारी, बरेली द्वारा उप जिलाधिकारी, फरीदपुर से कराई गई । जांच में यह पाया गया कि नायब तहसीलदार उस ग्राम में वसूली के लिये दिनांक 26 जून, 98 को गये थे और उन्होंने बकायादार श्री नाथूलाल को नियमानुसार गिरफ्तार किया था । गांव के एक दूसरे बाकीदार श्री दलवीर सिंह ने स्वयं अभद्रता करते हुये सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया था, किन्तु नायब तहसीलदार गांव के बाकीदार को लेकर चले आये थे । नायब तहसीलदार के द्वारा गांव में आतंक पैदा किया जाना और नागरिकों की पलायन किये जाने की घटना सिद्ध नहीं हुई है ।

जनपद मथुरा में जल निगम द्वारा कराये जा रहे कार्यों में किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मथुरा जल निगम द्वादश शाखा में कार्यरत जूनियर इंजीनियर श्री शंकर लाल वादवा एवं अधिकारियों द्वारा 5.00 लाख रुपये की पाइप लाइन गोबर्धन ब्लाक के गगोरां में डाली गई जो घटिया किस्म की होने के कारण पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा सकी और धनराशि हड़प ली गई, के संबंध में स्थिति यह है कि गगोरां पेयजल योजना के अन्तर्गत सड़क के किनारे पी०बी०सी० लाइन डाली गई थी जो बार-बार ग्रामवासियों द्वारा तोड़ दिये जाने के कारण 750 मीटर लम्बाई की सी०आई० तथा जी०आई० पाइप बदली गई जो अब ठीक कार्य कर रही है इस पर रु० 1,57,300 का व्यय हुआ है ।

मा० सदस्य द्वारा उठाये गये दूसरे बिन्दु कि माधुरी पम्प हाउस के निर्माण हेतु दो बार धनराशि का आहरण किया गया, के संबंध में स्थिति यह है कि माधुरी कुण्ड पेयजल योजना का कार्य 1996–97 में पूर्ण किया गया था । उसमें दो नलकूप प्रस्तावित थे जिनमें से एक पूर्व से ही निर्मित एवं चालू है । नलकूप नं० 2 की बोरिंग 1995 में ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित ग्राम समाज की जमीन में की गई जिस पर फरवरी, 1996 में ही युवक मंगल दल द्वारा आपत्ति की गई जिसे सुलझाने हेतु मार्च, 1996 में ही द्वादश मण्डल द्वारा उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार मथुरा को लिखा गया चूंकि विवाद अभी तक सुलझा नहीं है, इसलिये पम्प हाउस का निर्माण नहीं किया गया तथा इसके लिये न ही कोई भुगतान किया गया और न हीं सामग्री क्रय की गई और न ही भुगतान किया गया ।

जहां तक भगोसा पेयजल सामूहिक योजना का वर्तमान पम्प का पानी पीने योग्य न होने तथा दूसरे पम्प को कई वर्ष तक चालू न किये जाने का प्रश्न है, के संबंध में स्थिति यह यह कि योजना के अन्तर्गत दो नलकूप निर्मित थे । जिसमें नलकूप नं० 1 का पानी खारा हो गया था एवं बाद में नलकूप की कैबिटी ब्रस्ट हो जाने के कारण निष्प्रयोज्य हो गया । जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996–97 में प्रस्तावित कर एक नलकूप का निर्माण कराया गया है जिस पर विद्युत लाइन मार्च, 1998 में खींची गई है । इसी बीच भरतपुर फीडर का पुल टूट जाने एवं सिंचाई विभाग द्वारा पटरी की मिट्टी अस्थाई पुल निर्माण हेतु राइजिंग मैन के ऊपर डाल दिये जाने के कारण राइजिंग मैन क्षतिग्रस्त हो गई है जिसकी मरम्मत का कार्य प्रगति पर है । नलकूप शीघ्र ही चालू किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

जहां तक अनैतिक एवं विभाग विरुद्ध कार्य करके करोड़ों की सम्पत्ति अर्जित करने तथा वन विभाग में यू०पी० 85–4145 स्वयं के भाई को खरीद कर जिसकी आवश्यकता नहीं थी धन कमाया, खर्च किया जा रहा है का प्रश्न है, के संबंध में स्थिति यह है कि शाखा में उपलब्ध दो वाहनों में से एक टैंकर अक्टूबर, 97 में चलने योग्य न रहने के कारण उसे खड़ा कर दिया गया और इसे अधिशासी अभियन्ता मथुरा द्वारा नवम्बर, 97 में इसे निष्प्रयोज्य घोषित करने की कार्यवाही की गई । माह फरवरी, 98 में

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

निर्वाचन में समय-समय पर उपलब्ध जीप को जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहण कर लेने के कारण शाखा के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने तथा अन्य कार्यों यथा तहसील दिवस, किसान सेवा एवं अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेने एवं कार्यों का शत-प्रतिशत लक्ष्य मार्च में प्राप्त करने के उद्देश्य से एक अतिरिक्त वाहन 17/2/1998 से किराये पर लिया गया था और पुनः 10/3/98 से 15/7/98 तक की स्वीकृत अधीक्षण अभियन्ता दशम मण्डल, आगरा से प्राप्त कर ली गई है । उक्त वाहन संख्या यू०पी० 85–4145 श्री हरपाल सिंह, 6 मोहन बाग, द्वारिकापुरी मथुरा से लिया गया है तथा इसका श्री शंकर लाल वादवा, जूनियर इंजीनियर से कोई संबंध नहीं है ।

गोवर्धन फरहा मथुरा ब्लाक की सामूहिक पेयजल योजना के व्यर्थ होने और खराब एवं बन्द होने पर भी पीलुआ सादिकपुर आदि सभी कर्मचारियों को वेतन दिये जाने के संबंध में स्थिति यह है कि इस योजना के अन्तर्गत बामोली ग्राम समूह पेयजल योजना के तहत दो नलकूप ग्राम पीलुआ सादिकपुर में निर्मित है तथा विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण नलकूप नहीं चल पा रहे हैं । उक्त विद्युत आपूर्ति के व्यवधान को समाप्त करने हेतु स्थानीय स्तर पर प्रयास किये गये तथा इस संबंध में अध्यक्ष, जल निगम द्वारा अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् से भी अनुरोध किया गया है । अतः स्पष्ट है कि जल निगम द्वारा इस पेयजल योजना को चालू करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है ।

जहां तक हैण्ड पम्प दर्शित सूची के आधार पर लगाया जाना द्वादश शाखा के अलावा दूसरी शाखा के कार्यालय में ताला लगा रहना एवं सहायक अभियन्ता श्री आर०पी० शर्मा द्वारा दस वर्ष से मथुरा में ही भ्रष्टाचार चरम सीमा पर किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में स्थिति यह है कि सभी हैण्ड पम्प जिलाधिकारी मथुरा द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार ही अधिष्ठापित है । द्वितीय निर्माण शाखा मथुरा की नोडल शाखा है । जनपद स्तर की सभी सूचनायें उन्हीं के द्वारा प्रेषित होती हैं । अतः ताला लगा रहने का प्रश्न नहीं उठता है । श्री आर०वी० शर्मा, सहायक अभियन्ता दिनांक 31-7-1991 से ही मथुरा में है ।]

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्र अन्तर्गत मनकापुर नवाबगंज मार्ग पर ऊंट घाट व मसकनवां गौराचौकी मार्ग पर श्रंगार घाट तथा सिलाई बजीरगंज मार्ग पर चौखटघाट के लकड़ी के पुलों के टूटने से जन-सामान्य को हो रही असुविधाओं तथा पुलों के पुर्ननिर्माण के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[1—जनपद गौण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत उतरौला फैजाबाद इलाहाबाद (इस मार्ग का अंश मनकापुर-नवाबगंज है) मार्ग के कि०मी० 46 में चमदही नाले के उंटघाट पर लगभग 40 वर्ष पुराना लकड़ी का पुल निर्मित है, जो 700 बोरी लदी ट्रक (कुल वजन 42 मी०टन) के गुजरने से दिनांक 9 अप्रैल, 1998 को टूट गया, जिसके कारण आवागमन अन्य मार्ग से चालू कराया जा चुका है । जिला प्रशासन गोण्डा द्वारा जवाहर रोजगार योजना में मरम्मत हेतु धन उपलब्ध कराने के पश्चात मरम्मत का कार्य प्रगति में है । प्रश्नगत सेतु की मरम्मत का कार्य पूर्ण कराकर 31 जुलाई, 1998 तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा ।

2—जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के मसकनवां-गौरा चौकी मार्ग पर श्रंगार घाट पर बने लकड़ी के पुल में आग लग जाने के कारण 21 अप्रैल, 1998 को क्षतिग्रस्त हो गया है । लकड़ी के पाइल सेतु की मरम्मत हेतु जिला प्रशासन द्वारा जवाहर रोजगार योजना से धन का प्रबन्ध हो गया है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रश्नगत सेतु (श्रंगार घाट) की मरम्मत का कार्य 31 जुलाई, 1998 तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।

जहां तक यातायात के अवरुद्ध होने का सम्बन्ध है उल्लेखनीय है कि पैदल व दो पहिया वाहन इसी पुल से अस्थाई लकड़ी के स्लीपर के रास्ते से गुजर रहे हैं। जीप व टैक्सी उक्त पुल के पास से कच्चे मार्ग द्वारा जंगल से आ-जा रहे हैं। बड़ी गाड़ियां मनकापुर, मछली गांव, सादुल्लानगर होकर गौरा चौकी व इसके आगे के लिये गुजर रहे हैं।

3—जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत झिलाही (झिलाई) वजीरगंज मार्ग पर चौखट खाट (चौका घाट) लकड़ी का पुल भारी वाहन के गुजरने से दिनांक 1 जून, 1998 को क्षतिग्रस्त हो गया है इस पुल की मरम्मत कार्य वित्तीय वर्ष 1998–99 की सामान्य अनुरक्षण मद से प्राप्त धन से किया जा रहा है। मरम्मत कार्य प्रगति पर है और इसे यातायात हेतु 31 जुलाई, 1998 तक खोल दिया जायेगा।]

पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश में जंगलों के बीच रहने वाले वन टांगिया किसानों की दयनीय दशा सुधारने हेतु उनके विरुद्ध झूठे मुकदमों को समाप्त किये जाने तथा उन्हें स्थाई रूप से बसाकर सरकारी सुविधा का लाभ दिलाये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[प्रदेश के वनों में पातन कूपों के कटान के उपरान्त पातित क्षेत्रों के पुर्नजनन हेतु टांगिया पद्धति विकसित की गई। टांगिया पद्धति से गोरखपुर, महराजंगज, गोण्डा जनपद तथा पुराने शिवालिक वन प्रभाग में वृक्षारोपण वर्ष 1919 से 1930 के बीच में प्रारम्भ हुआ। इस पद्धति के अन्तर्गत निःशेष पातित क्षेत्र को टांगिया श्रमिकों के लिये पांच वर्षों की अवधि के लिये आवंटित कर दिया जाता था, जिसमें टांगिया श्रमिक वन विभाग के कर्मचारियों की देख-रेख में कृषि एवं वानिकी कार्य करते थे। वानिकी कार्य के अन्तर्गत टांगिया श्रमिक निर्धारित दूरी पर नाली खोदकर बीज बुआई/रोपण का कार्य करते थे तथा नालियों के बीच की भूमि में वे कृषि कार्य करते थे। समय-समय पर इन्हीं टांगिया श्रमिकों द्वारा नये उगे पौधों की निराई गुड़ाई सुरक्षा एवं पहले चार वर्षों तक का विरलन कार्य किया जाता था। ये टांगिया श्रमिक जंगल में ही अस्थाई झोपडी बनाकर वृक्षारोपण के स्थापित होने तक रहते थे।

वृक्षारोपण के समय बोरिंग के माध्यम से पेयजल रहने के लिये झोपड़ी में उपयोग हेतु घास-फूस आदि उपलब्ध कराई जाती थी। टांगिया श्रमिकों को बच्चों की शिक्षा के लिये टांगिया स्कूल चलाये जाने का प्राविधान था। इसके साथ ही टांगियादारों के स्वास्थ्य संबंधी समस्या के निराकरण हेतु स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से माह में एक बार चिकित्सक द्वारा स्थल निरीक्षण करने तथा वन विभाग द्वारा औषधि दिये जाने का प्राविधान था। पांच वर्षों के बाद टांगिया श्रमिकों को अन्य निःशेष पातित क्षेत्र आवंटित कर दिया जाता था। जहां ये श्रमिक जाकर पूर्वोक्त प्रक्रिया अनुसार फिर वृक्षारोपण करते थे।

2—वर्ष 1982 के पश्चात् निःशेष पातन पर जोर न देने तथा साल के वृक्षों का आवर्तन काल बदल दिया गया। निःशेष पातन न होने के कारण निःशेष पातित क्षेत्र टांगिया श्रमिकों को उपलब्ध नहीं हो सके जिसके फलस्वरूप टांगिया श्रमिकों ने, जिन क्षेत्रों में कार्यरत थे उन वन क्षेत्रों को खाली न कर अवैध रूप से काबिज रहे और वृक्षारोपण को नष्ट कर वनभूमि पर कृषि कार्य करते रहे। ये टांगिया श्रमिक आज भी वनभूमि पर अवैध कब्जा किये हुये हैं और उस भूमि पर कृषि कर रहे हैं। इस

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतिक्रमण के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में वाद लम्बित है। यह सही नहीं है कि झूठे मुकदमें कायम कर टांगिया किसानों को परेशान किया जा रहा है। चूंकि यह अतिक्रमणकारी वनभूमि पर अवैध रूप से काबिज हैं। अतः सभी नागरिक सुविधायें इन्हें उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु वन विभाग द्वारा श्रमिकों को वृक्षारोपण के समय दी गई सुविधायें जैसे पेयजल हेतु बोरिंग, झोपड़ी तथा टांगिया स्कूल अभी भी विद्यमान हैं।

3—उल्लेखनीय है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधान के अन्तर्गत बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के कोई भी वनभूमि बनेत्तर प्रयोजन के लिये दिया जाना सम्भव नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार अतिक्रमण का नियमितीकरण प्रतिबन्धित है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गई मार्ग दर्शिका के अनुसार किसी वन भूमि पर स्थित अतिक्रमण, जिसे राज्य सरकार ने मानक निर्धारित कर नियमित करने का निर्णय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने की तिथि 25–10–1980 से पूर्व न लिया हो, उसका नियमितीकरण करने हेतु वनभूमि का बनेत्तर प्रयोजन प्रतिबन्धित है। यह भी उल्लेखनीय है कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित रिट याचिका संख्या 202/1995–टी०एन०गोण्डा वर्मन थिरुमल्कपाद बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में यह आदेश पारित किया या है कि वन भूमि पर किसी प्रकार का गैरवानिकी कार्य जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में भारत सरकार के बिना पूर्वानुमति से किया जा रहा है, उसे तत्काल बन्द कर दिया जाये। अतः इन परिस्थितियों में इन टांगिया परिवारों को अब प्रश्नगत वनभूमि पर बसाये जाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करना संभव नहीं है।

4—अतः ऐसी स्थिति में इन टांगिया परिवारों की समस्याओं का एक स्थायी हल निकालने के लिये प्रदेश में जहां-जहां टांगिया कृषक वनभूमि पर बसे हैं उन्हें अन्यत्र बसाने की योजना बनाने हेतु संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यालय ज्ञाप संख्या एम–79/14-2-95-800(95)/1995 दिनांक 4-12-1995 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जिसमें संबंधित वन संरक्षक एवं मुख्य विकास अधिकारी को सदस्य नामित किया गया है। उक्त समिति इन टांगिया परिवारों को बसाने के संबंध में सभी आवश्यक पहलुओं का अध्ययन करेगी। समिति द्वारा भूमि की उपलब्धता, आवश्यकता प्राप्त करने का माध्यम अथवा श्रोत तथा अन्य समस्त सुविधाओं पर विचार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर टांगिया किसानों को अन्यत्र बसाये जाने के संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

उत्तरांचल विकास मंत्री के लखनऊ स्थित आवास से हजारों रुपये के जेवरात व सोने के मुकुट की चोरी कर अपराधियों द्वारा सरकार को शान्ति व्यवस्था के संबंध में दी गई चुनौतियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[सरकार प्रदेश की शान्ति व्यवस्था को नियंत्रित करने एवं अपराधों की स्थिति में सुधार लाने हेतु पूरे प्रयास सहित कटिबद्ध है एवं जनता को स्वच्छ एवं शान्ति पूर्ण माहौल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। मा० सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई नोटिस में उल्लिखित घटना की जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि दिनांक 29-6-98 को श्री कुन्दन सिंह कण्डारी निवासी ए–5 दारुलशफा थाना हजरतगंज, लखनऊ ने थाना हज़रतगंज पर आकर सूचना दिया कि वह मा० राज्य

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मंत्री उत्तरांचल विकास, उ०प्र० सरकार के यहां दारुलशफा ए ब्लाक के कक्ष में रहकर उसकी देखभाल करता है।

दिनांक 26-6-98 को मा० मंत्री जी के अपने क्षेत्र में भ्रमण हेतु टिहरी गढ़वाल चले जाने पर वह आवास संख्या–6 में दिनांक 28/29–6–98 की रात को सोने चला गया। प्रातः 8.30 बजे जब वह मंत्री जी के आवास का ताला खोला तो पाया कि कूलर की जाली तोड़कर चोरी की गई है। श्री कुन्दन सिंह कण्डारी की इस सूचना पर थाना हजरतगंज पर मु० अ० सं० 576/98 धारा 457/380 भा०दं०वि० का अभियोग पंजीकृत किया गया और इस प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक श्री कालीचरण द्वारा की जा रही है। विवेचक के गहन विवेचना एवं सुरागरसी व निरीक्षण घटना स्थल तथा वहां पर मौजूद अभियोग साक्षियों आदि के बयान अंकित करने पर पाया गया कि मा० मंत्री जी के उक्त आवास से एक सोने का मुकुट तथा लगभग 9,000/– की चोरी हुई है।

इस संबंध में माल तथा मुल्जिम की तलाश/सुरागरसी व माल की बरामदगी हेतु अथक प्रयास किये जा रहे हैं तथा संदिग्ध व्यक्तियों से गहनता से पूंछताछ की जा रही है। विवेचना प्रचलित है तथा घटना के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने हेतु सार्थक प्रयास किया जा रहा है। यह कहना सही नहीं है कि अपराधी भयमुक्त एवं समाज भययुक्त है। पूरे प्रदेश के अपराध आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष घटित घटनाओं में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है वरन् कुछ अपराधों में कमी ही आई है।]

प्रदेश में सरकारी वाहनों के प्रयोग हेतु शासन द्वारा मानक निर्धारित किये जाने विषयक दिनांक 23 जून, 1998 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 नत्थी "क" के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि की सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपने इस विषय पर चर्चा स्वीकार की इसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं यह महत्वपूर्ण विषय था। मान्यवर दिनांक 23 जून, 1998 को नत्थी "क" के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 में यह जानकारी चाही गई थी कि वित्त विभाग के फरवरी, 97 के शासनादेश के द्वारा प्रदेश के सरकारी वाहनों के प्रयोग के मानक निर्धारित किये गये हैं क्या यह सही है कि उक्त मानकों के अनुसार प्रमुख सचिव/सचिवों को एक से अधिक वाहनों के प्रयोग की सुविधा दी गई है यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है? मान्यवर, सरकार ने उत्तर में कहा था कि जी नहीं राजकीय व्यय में मितव्ययता के परिप्रेक्ष्य में सरकारी गाड़ियों की अनुमन्यता एवं उनके रख-रखाव आदि के संबंध में शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 1997 द्वारा नीति निर्धारित की गई है मान्यवर, इस शासनादेश द्वारा प्रत्येक माह राजकीय कोष में निर्धारित राशि जमा कराये जाने के निर्देश हैं तथा नई गाड़ियों के क्रय/प्रतिस्थापन हेतु प्रस्तावों के परीक्षण के संदर्भ में वाहनों की गणना किये जाने के निर्देश हैं।

(इस समय 9 बजकर 31 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट पीठासीन हुये)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इन सारी चर्चाओं को किसी एक दिन के लिये लगा दें।

श्री अधिष्ठाता–

अब इस पर चर्चा शुरू हो गई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, सरकार ने उत्तर में कहा है कि 19 मार्च, 1997 के शासनादेश द्वारा नीति निर्धारित की गई है प्रमुख सचिवों/सचिवों को एक से अधिक वाहन के उपयोग की सुविधा किसी शासनादेश के अन्तर्गत प्रदान नहीं की गई है। मान्यवर, चर्चा की मांग करने का कारण यह है कि जिस शासनादेश के उत्तर में यह उल्लेख किया गया है कि उसी के 1–(ख) (II) में विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव के लिये एक अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था की गई है। एक तरफ सरकार वित्तीय संकट की बात करती है और खर्च पर नियंत्रण की संस्तुति करती है। दूसरी तरफ विभागीय प्रमुख सचिवों/सचिव के पास एक से अधिक वाहन चलते हैं और सरकार कहती है कि शासनादेश के अन्तर्गत अनुमति नहीं है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि एक-एक सचिव के पास यदि निरीक्षण किया जाय तो पता चलेगा 4-5-6 गाड़ियां उनके निवास पर खड़ी पायेंगे। इसके अतिरिक्त वह निगम निदेशालय से गाड़ियां मंगवाते हैं और उनका उपयोग घरेलू कार्यों में करते हैं जो अधिकारी गाड़ियों के लिये पात्र नहीं हैं वह भी सरकारी गाड़ियों का पारिवारिक कार्यों में उपयोग करते हैं और अपने निवास पर गाड़ी रखते है। मैं सरकार से निवेदन इस चर्चा के माध्यम से करना चाहता हूं कि शासनादेश के अनुसार जो वाहनों की अनुमति दे रखी है क्या सरकार इन सचिवों और प्रमुख सचिवों के घरों का निरीक्षण करवायेगी ताकि वे एक से अधिक वाहनों का उपयोग न कर सकें ? अपने अन्तर्गत निगम की गाड़ियों का दुरुपयोग न कर सकें। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ? उस दिन जब मैंने प्रश्न किया था तो उसका उत्तर नहीं आ पाया था। इसलिये इस पर चर्चा की मांग की थी। मेरा सुझाव है कि सरकार को अपने वित्तीय संकट से निपटने के लिये इस महत्वपूर्ण कदम को उठाना चाहिए और जब शासनादेश में स्पष्ट है कि एक से अधिक गाड़ियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसका पालन कराना चाहिए।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, जिस चर्चा को डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी ने प्रारम्भ किया है। उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं यहां पर कुछ वाहनों के नम्बर भी देना चाहता हूं। यह ऐसे वाहन हैं, जो राज्य सम्पत्ति विभाग के उन अधिकारियों को आवंटित नहीं किये गये हैं पर्यटन विभाग या अन्य निगम की गाड़ियां हैं। अगर इनकी लाग बुक मंगवा लें और शासन जांच करवा लें, तो स्थिति स्पष्ट सामने आ जायेगी। गाड़ियों का दुरुपयोग हो रहा है और शासनादेश का उल्लंघन हो रहा है, जिसकी चर्चा हम यहां पर बैठकर कर रहे हैं। उस दिन स्पष्ट उत्तर न आने के कारण मान्यवर, इन गाड़ियों के नम्बर इस प्रकार हैं। यू०जी०आई०–2433, यू०जी०आई०–3981, यू०जी०आई०–2416, यू०जी०आई०–4659, जिप्सी–यू०पी०–32–आर–8767, यू०पी०–32–यू–5860। यह गाड़ियां पर्यटन और लोक निर्माण विभाग से संबंधित हैं। सरकार अगर इनकी लाग बुक की जांच करवा लें कि यह कौन भर रहा है इससे स्थिति साफ हो जायेगी। इस शासनादेश का दुरुपयोग हो रहा है। जांच में यह पाया जाय कि इस शासनादेश का उल्लंघन हो रहा है, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सरकार की तरफ से यह भी घोषणा करने की कृपा करें कि सही पाये जाने पर इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

* श्री गोरख नाथ पाण्डेय–

माननीय अम्बरीष जी और बाजपेयी जी ने जो कहा है चूंकि इस प्रश्न का उत्तर अनुत्तरित रह गया था। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि जो वित्त विभाग ने अपने उत्तर में 19-12-97 के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा कहा है कि प्रमुख सचिव और सचिव एक वाहन से अधिक वाहन के प्रयोग की अनुमति किसी शासनादेश द्वारा नहीं दी गई है। जहां एक ओर शासन की नीति है कि हम मितव्ययता पर पूर्ण रूप से ध्यान दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जहां इतनी गाड़ियां हैं और किन-किन विभागों को आवंटित की गई हैं। एक से अधिक गाड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो उत्तर दिया गया था, उसमें दो गाड़ियों की संख्या दी गई और उनके बीच की गाड़ियां बच रही हैं। वे किन विभागों में किन सचिवों के यहां लगाई गई हैं। दूसरी तरफ जो निगम हैं, निदेशालय हैं उनसे भी गाड़ियों को मंगाया जा रहा है और इनको घर पर रखा जा रहा है जो कि उस स्तर के नहीं हैं। जिन सचिवों के पास गाड़ी के उपयोग की सुविधा अनुमन्य नहीं है। वे भी उसका उपयोग कर रहे हैं। मैं यह भी स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि जो उन्होंने उत्तर दिया कि प्रमुख सचिव, सचिव को एक से अधिक वाहन की सुविधायें प्रदान नहीं की गई, जिस नियम का हवाला दिया है उसी नियम के अन्तर्गत यह 'ख' में बताया गया कि विभागीय सचिव, प्रमुख सचिव एक से अधिक वाहन के ऊपर और जो अनुच्छेद के पैरा 'ख' के दूसरे भाग से स्पष्ट हो रहा है विभाग में काफी विसंगति है। इनका दुरुपयोग हो रहा है इसको बन्द किया जाए और सही-सही बात पटल पर रखी जाए।

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर भाषण में कुछ कहना है।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मंत्री जी पहले कुछ कहेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर भाषण के बाद खत्म हो जाएगा। अगर उत्तर भाषण से पहले आप कुछ कहना चाहते हैं, तो अवसर उपलब्ध है।

वित्त राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

मान्यवर, आपके माध्यम से सदस्यगण की शंका का समाधान करना चाहता हूं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि अपव्यय पर अंकुश लगाएगी।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मितव्ययता पर अंकुश लगाएगी या मितव्ययता बरतेगी।

श्री बालेश्वर त्यागी–

हमारी सरकार मितव्ययता बरतने के लिए प्रतिबद्ध है। मान्यवर, शासनादेश निर्गत हुआ। 19 मार्च, 1997 को माननीय सदस्य ने शायद इसको ठीक तरह से नहीं पढ़ा है, मैं कहना चाहता हूं कि जो उत्तर है, वह स्पष्ट है, इसमें कहा गया है कि प्रमुख सचिवों, सचिवों को एक से अधिक वाहन के उपयोग की सुविधा किसी शासनादेश के अन्तर्गत प्रदान नहीं की गई है। प्रमुख सचिवों और सचिवों को वाहन उपलब्ध होते हैं, वह सचिवालय से उपलब्ध नहीं होते हैं। इसको उपलब्ध कराने की व्यवस्था विभाग से है जिस शासनादेश का उल्लेख आप कर रहे हैं ? उसमें है–नई गाड़ियों के क्रय की स्वीकृति के लिये क्या-क्या शर्तें होगी। मैं बताना चाहता हूं पहला है विभागाध्यक्ष के लिए एक वाहन, विभागीय प्रमुख सचिव, सचिव के लिए एक वाहन, सचिवालय के अधिकारियों के लिए जीरो से 4 विभाग होंगे तो कोई गाड़ी नही मिलेगी 5 से 14 होंगे तो गाड़ी मिलेगी तो यह सुनिश्चित किया गया है। इसके अन्तर्गत गाड़ियों के अपव्यय पर रोक लगाई गई। उसी शासनादेश के अन्तर्गत यह कहा गया कि प्रत्येक

अधिकारी जिन्हें घर आवंटित है 250/- रुपया महीने तथा जिन्हें जीप आवंटित है 200/- रुपया महीना सरकारी खजाने में जमा करेंगे उन्हें निजी उपयोग में 200 कि०मी० वाहन चलाने का अधिकार होगा। अगर ज्यादा उपयोग करते हैं तो तीन रुपया किलोमीटर के हिसाब से लिया जाएगा। नई गाड़ियां खरीदने के लिए वित्त विभाग से अनुमति ली जाती है। मान्यवर, शब्दों के कारण भ्रम हुआ है। प्रमुख सचिवों और सचिवों को सचिव स्टेज से गाड़ी उपलब्ध नहीं होती है। मैं कहना चाहता हूं सरकार इस बात पर पूरी तरह से गम्भीर है कि किसी भी विभाग की गाड़ी दूसरे अधिकारी के साथ संबद्ध नहीं की जाएगी। यह शासनादेश का अंग है।

श्री अधिष्ठाता–

इसी के साथ चर्चा समाप्त होती है।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

इतने संकट से एक विभीषण मिला है, जो भेद खोल रहा है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मंत्री जी ने विभागीय नीति स्पष्ट की। जो बात मैंने की कि एक-एक सचिव व प्रमुख सचिव अपने घर पर चार-चार गाड़ियां रखे हुए हैं वह किस कानून के तहत रखे हैं ? आपने कहा कि 200 कि० मी० के बाद तीन रुपया प्रति कि० मी० चार्ज किए जाते हैं तो क्या पेट्रोल के दाम बढ़ने पर बढ़े हुए दाम के हिसाब से उनका रेट बढ़ायेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

शासन के संज्ञान में अगर आएगा कि कोई गाड़ियों का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने अभी माननीय मंत्री जी को जो कुछ गाड़ियों के नम्बर बताए उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि उनकी भी जांच करवाकर वस्तु-स्थिति से सदन को अवगत कराएं।

श्री बालेश्वर त्यागी–

आपने जो बात हमारे संज्ञान में लाई है उसकी जांच करा लेंगे।

प्रदेश में चल रही अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा से संस्थाओं में ली जाने वाली फीस की दरों में कई गुना वृद्धि किए जाने के विषय में दिनांक 23 जून, 1998 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 नत्थी 'ख' के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि की सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा

*डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय 23 जून को सदन की बैठक में प्रश्नकाल में नत्थी 'ख' तारांकित प्रश्न–1 पर चर्चा में हम लोगों ने मांग की थी, उस दिन मंत्री जी ने जो उत्तर दिया था। वह उत्तर पूछे गए प्रश्न से कहीं तालमेल नहीं खा रहा था। इस सरकार द्वारा अंग्रेजी स्कूलों को जो आई० सी० एस०

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ई० और सी० बी० एस० ई० द्वारा संचालित होते हैं, उनको एन० ओ० सी० देती है । उसमें यह शर्त होती है कि तुम्हारे द्वारा प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए आदेशों का अनुपालन किया जाएगा तथा विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा विभाग का एक अधिकारी रखा जाएगा । शासन इन लोगों द्वारा ली जा रही फीस को नियंत्रण करने में कठिनाई अनुभव कर रहा है । एक बार एन० ओ० सी० देने के बाद पब्लिक स्कूल स्वच्छन्द और निरंकुश हो जाते हैं । उनका प्रबन्ध तंत्र सामान्य जनता का शोषण कर रहा है । पब्लिक स्कूल अपने स्कूलों को मुनाफे के व्यवसाय के रूप में चला रहे हैं । जब कोई व्यापारी व्यापार करता है, तो उसके व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सरकार कानून बनाती है ।

शिक्षा के नाम पर व्यापार करने वालों के संबंध में मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास अधिकार नहीं है । प्रत्येक सप्ताह दो-दो ड्रेस, नर्सरी और के० जी० में तैराकी फीस, कम्प्यूटर फीस, कापी किताबें स्कूल से लो, उसमें कमीशन, रिएडमेशन के एनुअल चार्जेज, यह सारी फीस हैं जो जनता से लेकर जनता का शोषण करते हैं । 1964 में शिक्षा के संबंध में कोठारी आयोग बना था । राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य और समान शिक्षा पद्धति रखने का । आज पब्लिक स्कूलों और सामान्य स्कूलों में हजूर और मजूर का अन्तर है । मंत्री जी ने कहा कि सी० बी० एस० ई० कोर्स संसद की नियमावली से संचालित होते हैं । संसद ने फीस के संबंध में यह कहा था कि पब्लिक स्कूलों से जो फीस ली जाएगी । वह उस तुलना में ली जायेगी कि वह क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं । एन० ओ० सी० देने का इनको अधिकार है, लेकिन चेक करने का अधिकार नहीं है । यह स्कूल लूटें तो यू० पी० में और कानून चले केन्द्र का यह अजीब विडम्बना है । उ० प्र० सरकार असहाय स्थिति में है । प्रदेश की जनता इन पब्लिक स्कूलों के माध्यम से लुट रही है । मान्यवर, जिस भारत सरकार के अधिनियम का उल्लेख किया गया है । दिल्ली में भारत सरकार का अधिनियम लागू है । दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी कि बढ़े हुए फीसों के विरोध में और यह कहा गया था कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 का उल्लंघन हुआ है और हस्तक्षेप करने का अधिकार सरकार को है । भारत सरकार के उसी कानून के अन्तर्गत आप एन० ओ० सी० देते हैं । दिल्ली हाईकोर्ट में एफीडेविट दे करके एक तरफ फीस बढ़ायी गयी है, जिससे दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 का उल्लंघन हुआ है ।

दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा–3 के अन्तर्गत शिक्षा के नियमन करने का अधिकार प्राप्त है, 17 (3) में फीस के संबंध में अधिकार दिया गया है, धारा 23 व 30 (4) में नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं, 50 (4) मान्यता की शर्तें तय करने का अधिकार है । धारा–51 में क्या सुविधाएं देंगे, इसके नियमन का अधिकार है ? 177 में पब्लिक स्कूलों द्वारा तय की गयी फीस को नियमन करने का अधिकार है, धारा 180 में पब्लिक स्कूलों द्वारा किये गये खर्चों पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी, उसको चेक कर सकती है, यह अधिकार है । फीस का ढांचा शिक्षा निदेशक के यहां प्रस्तुत करना अनिवार्य है और शिक्षा निदेशक जांच करने के बाद अगर अनुरूप पायेंगे तो अनुमति देंगे । ये सारी शक्तियां दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त है, तो उत्तर प्रदेश सरकार कैसे बचना चाहती है ? यह सी० बी० एस० ई० को एन० ओ० सी० देती है, इनके नियमन करने का अधिकार क्यों नहीं है ?

हाईकोर्ट में जब याचिका गयी तो उन्होंने कहा कि अन्तिम निर्णय जब तक नहीं हो जाता, पब्लिक स्कूलों द्वारा जितना वेतन आयोग द्वारा तनख्वाहें बढ़ायी जाती हैं, तो 40 प्रतिशत से ज्यादा ट्यूशन फीस न बढ़ायी जाये, यह भी कहा गया है कि काशनमनी, सिक्योरिटी फीस, रजिस्ट्रेशन फीस व रि-एडमीशन फीस न बढ़ायी जाये । यह दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिबन्ध लगाया है । एक तरफ़ माननीय मंत्री जी माध्यमिक शिक्षा फ्री करने की बात करते हैं । दूसरी तरफ सी० बी० एस० ई० कोर्स के माध्यम से होने वाली माध्यमिक शिक्षा में लूट को बढ़ावा देते हैं । अल्पसंख्यकों के नाम पर संस्थायें सी० बी० एस० ई० कोर्स का परमीशन लेकर आम जनता का शोषण कर रही है ।

मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से मांग करता हूं कि जिन संस्थाओं ने सी० बी० एस० ई० का एन० ओ० सी० लेकर रजिस्ट्रार फर्म चिट एण्ड सोसाईटीज के यहां रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, केवल उन संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन फार्म आप वहां से मंगा ले और जो उसके उद्देश्य और कारण पंजीकरण में दिये गये हैं, आज कोई भी पब्लिक स्कूल उन उद्देश्य और कारणों के आस-पास भी नहीं देखा जायेगा। मान्यवर, इन सभी तथ्यों के माध्यम से यह बात आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि केवल भारत सरकार के किसी नियम और कानून का हवाला देकर उत्तर प्रदेश की जनता को पब्लिक स्कूलों के नाम पर लूटने देना न्यायसंगत और तर्कसंगत नहीं मानते हैं। अगर हर समस्या का जवाब भारत सरकार का कानून है "सबै भूमि गोपाल की" तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार का क्या काम है ?

मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि पब्लिक स्कूलों के माध्यम से हो रही लूट को तत्काल प्रभावी तरीके से रोकने के लिए कानून बनायें और भारत सरकार के कानून के आड़ में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर न खड़े हों। माननीय शिक्षा मंत्री जी उस दिन जब जवाब दे रहे थे, तो वह सही जवाब नहीं दे पाये थे। इसीलिए आज चर्चा करनी पड़ रही है। मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वह इस लूट से जनता को बचायें। किसी भी भारत सरकार के कानून की आड़ लेकर, जो पब्लिक स्कूलों में पढ़ाने की होड़ लगी है, जो मांग-पूर्ति का अन्तर है, उस शोषण को शासन बन्द कराये और इसी सत्र में कानून लाकर इन पब्लिक स्कूलों में नियंत्रण करें कि यह पब्लिक स्कूल बन्द हों और जो शिक्षा के व्यापारी हैं, वह माध्यमिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से माध्यमिक स्कूल खोलने पर विवश हों, यही मैं चर्चा के माध्यम से मांग करता हूं।

(माननीय मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

(कई सदस्यों द्वारा बुलवाये जाने का अनुरोध करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य जी, पहले चर्चा की ओपनिंग हो जाती है, फिर मंत्री जी जवाब दे देते हैं, फिर उसके बाद दूसरे सदस्य बोलते हैं, यह प्रक्रिया है और यही नियमानुसार है।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

अधिष्ठाता जी, पहले सबके विचार आ जायें, तब मंत्री जी जवाब दें, तब तो ठीक रहेगा, ऐसे तो पूरी बात आ नहीं पायेगी, मंत्री जी जवाब क्या देंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

आप स्वयं विज्ञ हैं कि जिस माननीय सदस्य के प्रश्न पर चर्चा स्वीकृत होती है, वह चर्चा का प्रारम्भ करते हैं, फिर माननीय मंत्री जी उसका उत्तर दे देते हैं, फिर वह विषय हाउस की प्रापर्टी हो जाता है, उसके बाद जिस सदस्य की भी रुचि होती है, वह चर्चा में भाग लेते हैं। उसके बाद फिर अन्तिम रूप से माननीय मंत्री जी अपना उत्तर देते हैं और चर्चा समाप्त हो जाती है।

माध्यमिक शिक्षा, राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा जैसा कि उन्होंने अपनी चर्चा में कहा। मान्यवर, सी० बी० एस० ई० बोर्ड और आई० एस० सी० बोर्ड जो कई गुना ज्यादा फीस ले रहे हैं, यह जो सूचना दी गयी है। उसमें कहना है कि इस मामले में सरकार के अगर संज्ञान में लाया जाता है, तो निश्चित रूप से सरकार इसे गंभीरता पूर्वक लेगी।

श्री अधिष्ठाता–

यह तो संज्ञान में लाया जा चुका है ।

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, अगर व्यक्तिगत रूप से भी किसी विद्यालय का प्रकरण लाते हैं, तो सरकार निश्चित रूप से उसे गंभीरतापूर्वक लेगी । माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार असहाय है, निश्चित रूप से सरकार किसी भी स्थिति में असहाय नहीं है । अगर वह कोई फीस इस तरह की उनकी सुविधा से अधिक ली जाती है, तो निश्चित रूप से उनके प्रति कार्यवाही की जायेगी लेकिन उसमें कुछ शर्तें दी गयी हैं । जैसे हम उन विद्यालयों को एन० ओ० सी० देते हैं, उनकी कुछ शर्तें हैं, वह दिल्ली से संबंधित हैं । जहां तक फीस का संबंध है तो फीस की दर उतनी होनी चाहिए जो सामान्य रूप से उस क्षेत्र में अन्य विद्यालयों में चार्ज की जा रही हो, जिसमें न तो कोई डोनेशन लिया जायेगा और न ही भवन शुल्क लिया जायेगा । इसके साथ ही सरकार द्वारा सी० बी० एस० ई० बोर्ड में नियमावली 3/30 के अन्तर्गत फीस संबंधी नियमावली बनाई गयी है । फीस उतनी ही चार्ज की जायेगी जितनी सुविधा प्रदान की गयी है, यानि कि वह जितनी सुविधा देंगे उसके अनुसार ही उन विद्यालयों को फीस लेने का चार्ज होगा ।

*श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर ने पहले से ज्यादा भ्रमित कर दिया है । मान्यवर, जहां तक संज्ञान में लाने की बात है । वह चर्चा में तो है ही, इसे सारा प्रदेश जान रहा है और इसको सारे गार्जियन भुगत रहे हैं । मान्यवर, अभी माननीय बाजपेयी जी ने बहुत स्पष्ट कहने की कोशिश की है इनके पहले प्रश्न का उत्तर भी स्पष्ट नहीं दिया गया था । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि जहां शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है, उससे हमें वंचित नहीं किया जा सकता, 'जहां हम निरक्षरता को समाप्त करने की घोषणा कर चुके हैं, जहां हम हायर सेकेण्डरी स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कानवेन्ट स्कूल चलाये जा रहे हैं और मनमानी फीस वसूली जा रही है । यहां ऐसी स्थितियां पैदा हो गयी हैं कि प्रदेश में गैर सरकारी संस्थान प्राइवेट संस्थान जो शोषण और दोहन कर रहे हैं, उनके प्रति क्या सरकार का यह दायित्व नहीं बनता है कि उनकी फीस का निर्धारण करे । उनके फीस के स्तर का निर्धारण करे । ऐसे स्कूलों पर सरकार अपने स्तर से क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या उनके लिए कोई नियमावली बनाने जा रही है ? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या उन मूल अधिकारों की सुरक्षा सरकार देगी ? मान्यवर, मनमानी फीस से गार्जियन और बच्चे सभी प्रभावित होते हैं । दूसरी तरफ यह उद्योग के रूप में पनपेंगे । अगर रीढ़ की हड्डी प्रभावित होगी, तो शरीर फिर लुंज-पुंज हो जायेगा । माननीय मंत्री जी या तो उसका स्पष्टीकरण हो तो दे या फिर इसे स्थगित कर दिया जाय ।

*श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक गंभीर विषय पर नियम 49 में चर्चा स्वीकार हुई । आज इसकी चर्चा के जवाब में जितने अगंभीर आचरण का परिचय माननीय मंत्री जी ने दिया है, वह सबके सामने है । संयुक्त उत्तरदायित्व का भार है । मान्यवर, भारत के संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में है । पार्लियामेन्ट जो

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कानून बना सकती है। शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश से जुड़े मामलों में वही अधिकार विधायी अधिकार उत्तर प्रदेश की असेम्बली में हमें प्राप्त हैं। इतनी खुली लूट हो रही है। उस पर एक लचर जवाब दे दिया जाय यह कहां तक उचित है ? कह दिया कि केन्द्रीय कानून है उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं।

माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, माननीय गोरखनाथ पाण्डेय जी ने इस विषय को गंभीरता से लिया है सदस्य मौजूद हैं इन सबका सरोकार है। हमारे भविष्य का मामला इससे जुड़ा हुआ है। यह असंवेदनशील सरकार है। नकल विरोधी अध्यादेश लाये हैं, जो इनको चिट दी गयी है। उसकी डेढ़ लाईन भी पढ़ने की जानकारी न हो, यह तो शर्मनाक स्थिति है सदन में आज पोल खुल गयी है। मैं मान्यवर मांग करता हूं कि इस तरह की खुली लूट में शामिल लोगों को दण्डित करने का विधान किया जाय, सक्षम कानून लाया जाय, कान्वेन्ट स्कूलों की इस लूट को बन्द करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाय।

* डा० रामबाबू हरित–

मान्यवर, आपने अंग्रेजी माध्यम से संस्थाओं में ली जाने वाली फीस की दरों में कई गुना वृद्धि होने के विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हम आज स्वतंत्रता की पचासवीं वर्ष गाठ मना रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि अंग्रेज चले गये परन्तु अंग्रेजी भाषा के हम गुलाम हो गये। जब हमारे महापुरुषों ने संविधान का निर्माण किया था, तो उस समय उन्होंने यह व्यवस्था की थी कि 10 वर्ष के अन्दर हमारी मातृ भाषा हिन्दी होगी और सभी लोगों को मातृ भाषा में शिक्षा दी जायेगी। इससे उनका बौद्धिक विकास भी होगा और उन्हें किसी की बात को समझने में कठिनाई नहीं होगी।

1991 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आज भी है। 1991 में एक शासनादेश जारी किया गया था। यह शासनादेश उप सचिव श्री गांगुली जी का है, जिसकी संख्या 2762/15-13-91–4(40) 91 दिनांक 30 नवम्बर 1991 के तहत उत्तर प्रदेश शिक्षण संस्थाओं को कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली, सेक्रेटरी आफ एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में है। इसके धारा 4 (घ) में इस बात का प्राविधान है कि विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति जनजाति के मेधावी छात्रों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा, परन्तु मान्यवर, जब हम इसका सर्वेक्षण करते हैं, तो इन उपधाराओं में जो प्राविधान किये गये हैं, उसका कहीं भी इन संस्थाओं में पालन नहीं हो रहा है। फीस तो दूर प्रवेश नहीं मिलता है इन जाति के बच्चों को।

इस शासनादेश में आगे यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश जारी किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी और विद्यालय के रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारा इन पर कोई अंकुश नहीं है। काश, मंत्री जी ने इस शासनादेश का संज्ञान ले लिया होता, यदि वह हमारे कानून का पालन नहीं करते हैं, तो हम उनका अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर सकते हैं। हम उन पर टैक्स लगा सकते हैं, जल कर बढ़ा सकते हैं आदि अनेक टैक्स लगा सकते हैं यदि उन्हें हमारे प्रदेश में संस्था चलानी है, तो उनको हमारी बात माननी पड़ेगी। आज दलित, गरीब, पिछड़ा या किसी भी गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि क्या वह इस शासनादेश का पालन करायेंगे ? दूसरा, उन स्कूलों की जांच

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करायेंगे एक कमेटी बनाकर जो यह देखे कि कितने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल इस प्रदेश में चल रहे हैं और किन-किन में इस शासनादेश का पालन नहीं हो रहा है, यदि नहीं हो रहा है तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया समय का ध्यान रखें । दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जितनी भी बातें डा० बाजपेयी जी ने कहीं बात उससे भी आगे हैं । केवल फीस का सवाल नहीं है । जो अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं जो वहां काम करते हैं। उनका भी शोषण इनके माध्यम से हो रहा है । हमारी प्रदेश सरकार फीस के मामले पर स्पष्ट मत नहीं बना पा रही है । उन्हें क्या वेतनमान मिलना चाहिए, कितना मिल रहा है ? इसकी गहराई से जांच कराने की कृपा करें तो सारी अनियमितताएं सामने आ जायेंगी । जो स्कूल के प्रबन्धक हैं वह इतने दम्भ में बात करते हैं कि एक साधारण आदमी की हैसियत नहीं है कि इनसे बात कर ले ।

मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो पब्लिक स्कूल हैं, यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर हमला बोल रहे हैं । इनका पहनावा, इनका रहन-सहन, इनका एडीकेट के नाम पर जो पढ़ाया जा रहा है । वह निश्चित रूप से इस समाज को दो भागों में बांटने वाला है । हम जिस समरसता की बात करते हैं, एक करने की बात करते हैं, तो यह खाई और चोड़ी करने का काम कर रहा है । इसलिए मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन बातों को ध्यान में रखने के बाद कोई ऐसा अधिनियम, कानून या विधि बनाया जाना चाहिए जिससे नियंत्रण हो सके और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर हमला हो रहा है, उसको रोका जा सके । जो प्राइमरी स्कूल हैं, उसका स्तर बन सके तो सही अर्थों में शिक्षा का विकास हो सकेगा और समान शिक्षा का आदर्श भी सरकार पर होगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे डा० बाजपेयी जी ने जो गम्भीर विषय उठाया है उस पर चर्चा करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, यह पक्ष और प्रतिपक्ष का विषय नहीं है । बल्कि मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सम्मानित सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, उस कड़ी से अपने को सम्बद्ध करते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ता हुआ यह कहना चाहूंगा । मान्यवर, मुझे ध्यान है कि जिस तारीख में इस सम्मानित सदन में यह प्रश्न उठाया गया था और अनुपूरक प्रश्न किया गया, तो उस समय माननीय अध्यक्ष इस पीठ पर विराजमान थे । पीठ से दिशा निर्देश हुए थे कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा ऐसी सूची में हैं जिसमें प्रदेश सरकार का और केन्द्र सरकार दोनों का दायित्व है ।

मान्यवर, सबसे बड़ी संवेदनशून्यता का परिचय यह है कि माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से जो जवाब आया कि अंग्रजी स्कूल हम लोगों के नियंत्रण से बाहर है । मुझे ध्यान है किसी ने बीच में यह कहा था कि हम इसमें नियंत्रण कैसे कर सकते हैं ? यह तो विद्यालय माइनोरिटीज के नाम से और कुछ मैजोरिटीज के नाम से हैं । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बिन्दु की और आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । आपने यह कहा कि जिन्हें आप पब्लिक स्कूल कह रहे हैं । मैं सी०बी०एस०सी०, आई०सी०एस०ई० की बात कर रहा हूं, इनकी शुरूआत कहां से होती है ?

इसकी शुरूआत प्रदेश सरकार के अनापत्ति प्रमाण-पत्र से होती है। प्रदेश सरकार का 100 प्रतिशत नियंत्रण है। अगर नियंत्रण न होता, तो उनको प्रदेश सरकार के अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता न होती। आप अनापत्ति प्रमाण-पत्र कुछ नियमों के तहत देते हैं। तमाम विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होता है और उस सोसाइटी के ऐम्स एन्ड आब्जेक्ट होते हैं, उसी के अनुरूप कार्य करना होता है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कभी उत्तर प्रदेश के अन्दर जो पब्लिक स्कूल हैं, जिन्हें अंग्रेजी स्कूल कहा जाता है, उनके प्रर्वतन का काम तो आपके पास है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर अंग्रेजी स्कूलों के नाम पर उद्योग पनप रहा है। क्या आपने कभी रूटीन में इन विद्यालयों को चेक किया है ? किसी प्रकार की इन्सपेक्शन किया है ? क्या आपके अधिकारियों ने इन विद्यालयों को देखा है ? आप के अधिकारी वहां नहीं गये। अगर आप कहेंगे कि हमको अधिकार नहीं है, तो यह कहकर आप गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं, क्या जिसकी जो मर्जी में आये वह करे, क्या आप इसको करने देंगे ? आज उत्तर प्रदेश सरकार की जो अथारिटी है उसको यह स्कूल चैलेन्ज कर रहे हैं और सरकार अपने को असहाय पा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री मुन्ना चौहान–

मैं समाप्त कर रहा हूं। आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, क्या उनकी हिम्मत है कि इन स्कूलों में चले जायें, क्या वह इन अंग्रेजी स्कूलों को देख सकेंगे ? तमाम सारी शर्तें होती हैं, जब आप प्रमाण-पत्र देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण यह स्थिति आ गयी है। यह उद्योग है, जैसा कि डा० बाजपेयी ने कहा है और ऐसा उद्योग है जो टैक्स फ्री है और सरकार के अंकुश से फ्री है। माननीय डा० बाजपेयी ने कहा कि हम ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हैं, सर्वोच्च विधायी संस्था के सदस्य है, जो कानून बना सकती है। शिक्षा समवर्ती सूची में है और हमारी जिम्मेदारी है कि जो गरीब जनता का शोषण हो रहा है, उसको बचाने के लिये कानून बनायें और उन पर लगाम लगाये। शिक्षा के नाम पर गरीब जनता पर डकैती डालने का काम किया जा रहा है, उसको समाप्त किया जाये। कानून बनाकर इन स्कूलों को रेगुलेट किया जाये।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े शहर हैं और छोटे-छोटे नगर भी हैं। जहां पर इस तरह की शिक्षण संस्थायें चल रही हैं और उनमें 100 रुपये 500 रुपये तक फीस ली जाती है। इनके भी आर० एस० एस० के स्कूल हैं उनमें भी 80–80 रुपये फीस ली जाती है। और एक बहुत बड़ा षड़यंत्र है जिसके तहत लूट हो रही है। यह पूरे प्रदेश में शिशु मंदिर बढ़ाना चाहते हैं और कानून बनाकर उन स्कूलों को मजबूत करना चाहते हैं। मान्यवर, पूरे प्रदेश में तमाम फर्जी डिग्री कालेज खुले हैं। उनमें 400–500 फीस ली जाती है। उसकी जांच होनी चाहिए और जो सही चल रहे हों उनको सरकार सहायता प्रदान करें।

श्री अधिष्ठाता–

मा० मिश्रा जी स्थान ग्रहण करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस प्रश्न पर सर्वाधिक किसी के विचारों की आवश्यकता है, तो वह माननीय सदस्य मलिहाबाद जो बैठे हैं उनके विचारों को सुनने की आवश्यकता है । बगैर उनको सुने यह अधूरी रह जायेगी । आप उनके विचार सुनने की कृपा करें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विषय पर जो बिन्दु निकल कर आये हैं । मैं उनका नटसेल में शासन के संज्ञान में लाते हुए कहना चाहता हूं ।

यह कुकरमुत्ते की तरह उद्योग बन गया है । इनकों नियमित करने के लिए सरकार इसी सत्र में कानून लाये और उनको नियमित किया जाये ।

दूसरा सोसायटी रजिस्ट्रेशन के अधीन जो अधिकार हमें प्राप्त है, उनका निरीक्षण करके नियमित करने की कार्यवाही होनी चाहिए और अनापत्ति प्रमाण-पत्र की जो शर्तें हैं उनको कड़ाई से लागू किया जाये ।

आगे फीस के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जनहित याचिका पर इन्टरिम आदेश दिया है । उसको मंगवाकर सरकार देख लें और उसके अनुरूप फीस पर नियंत्रण करने की व्यवस्था करें, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को शोषण से बचाया जा सके ।

अगला बिन्दु उनकी जो बैलेन्शशीट बनती है उसका कड़ाई से परीक्षण कराकर उनके फर्जी खर्चों को अलग करके जो वास्तविक आय है। उसके अनुसार कार्यवाही की जायें और उनकी आय निर्धारित की जाये । इस पर शक्ति से कार्यवाही की जायें, तो अपने आप वह नियमित हो जायेंगे ।

अगला बिन्दु शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो इन विद्यालयों में काम कर रहे हैं, उनको शासन द्वारा निर्धारित वेतन, जिसके लिये दिल्ली हाईकोर्ट ने 40 फीसदी अनुमन्य किया है । उसकी जांच होनी चाहिए । वह दी जा रही है या नहीं इसका भी परीक्षण होना चाहिए महिला कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है इसकी शक्ति से जांच होनी चाहिए, तो इन बिन्दुओं का सरकार प्रभावी निरीक्षण कर ले और इन पर शक्ति से कार्यवाही की जाये तो फिर यह फीस बढ़ाना भूल जायेंगे ।

(समय 10 बजकर 30 मिनट)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, अगर डा० बाजपेयी के सुझावों को सरकार स्वीकार कर ले, तो उनकी बात सुनने का अर्थ है अगर दूसरा तर्क देते हैं, तो फिर मंत्री जी की बातों को सुनने का क्या औचित्य है ?

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी का उत्तर सुने बगैर कोई धारणा न बनायें ।

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, चर्चा के दौरान जो विषय उठाया गया है । उसमें सरकार निश्चित रूप से गम्भीर है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, सरकार स्वीकार नहीं कर रही है । इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री अम्बिका चौधरी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, इस संबंध में नियमावली बनायी गयी है अगर कोई भी अनियमितता सरकार के संज्ञान में लायी जाती है, तो निश्चित रूप से उस विद्यालय की एन० ओ० सी० समाप्त कर देंगे अगर जांच के दौरान दोषी पाया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

जैसा कि डा० बाजपेयी और डा० रामबाबू हरित ने भावनायें व्यक्त की हैं । सरकार को निश्चित रूप से कार्यवाही करनी चाहिये ।

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार बिना किसी कानून को बनाये पूर्णरूप से सक्षम है कि जिन विद्यालयों में अनियमितता है उसकी मान्यता समाप्त करने के लिये । मान्यवर, जो विद्यालय आई० सी० एस० ई० और सी०बी०एस०ई० द्वारा विनियमित हैं वह कैपिटेशन शुल्क, भवन शुल्क काशनमैनी नहीं ले सकते हैं । सरकार प्रयत्न करेगी कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला मंगवाये और उसका अध्ययन करे । निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के कल्याण के लिये कार्य करेगी । माननीय सदस्य जो विषय संज्ञान में लायेंगे सरकार कड़ाई के साथ उन पर कार्यवाही करेगी ।

अगर कोई विद्यालय इस प्रकार की अनियमितता बरतता है, तो उसकी मान्यता समाप्त करके भविष्य में उसको मान्यता नहीं देंगे

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

जो विषय संज्ञान में आया है जिन स्कूलों के बारे में समस्या है उनकी कठिनाइयों के निवारण के लिये सुझाव दिये गये हैं । यह मामला सरकार के सामने है और उसको देखना है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैंने कहा कि जिन स्कूलों के बारे में हमें जानकारी है उसके बारे में हम देख रहे हैं और इसके अतिरिक्त जिनके बारे में और सूचना होगी उसको भी हम देखेंगे । जहां पर अनियमितता बरती जा रही हैं, उसको हम देख रहे हैं । मैंने स्पष्ट कर दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी जानकारी में है कि कुछ स्कूलों में अनियमितता बरती जा रही उनके बारे में कार्यवाही करने जा रहे हैं और जिनके बारे में आगे आयेगी उस पर भी करेंगे । बात पूरी आ गई है और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आपने बताया है, जिसका सन्दर्भ दिया है, उसको वह देख लेंगे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, पूरे प्रदेश के विद्यालयों (प्राइवेट) द्वारा फीस में वृद्धि की गई है, इसको आप दिखवा लें । पिछले साल क्या फीस थी और इस साल फीस कहां पहुंच गई है ? आपने जो बताया मैंने भी कहा कि 40 प्रतिशत फीस की वृद्धि कर सकते हैं परन्तु अगर कहीं पर इससे ज्यादा फीस में वृद्धि हुई होगी, तो क्या आप उसे वापस लेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

अब मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता रह जाती है । विषय स्वतः स्पष्ट है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिनकी जानकारी है और जिनके बारे में जानकारी में आयेगा उसको देख लेंगे ।

डा० बाजपेयी, श्री गोरखनाथ पाण्डेय और डा० राम बाबू हरित जी आप सभी जानते हैं कि यह सबके संज्ञान में हैं। जो कोर्ट का डिसीजन है, उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे ताकि जनता को परेशानी न हो और उस पर अंकुश लगाया जा सके।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, आपके कथन का अक्षरशः पालन होगा। इसके साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि जो सूचना दी है वह सरकार के संज्ञान में है। हम उसका सर्वे करवा रहे हैं और दोषी पाये जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं।हमारी सरकार है अगर उनका भला करना चाहे, तो जो शासनादेश हुआ था उसके अनुसार कार्यवाही करेगी ?

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, शासनादेश का अनुपालन ठीक तरह से होगा।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी कृपया इसको भी दिखवा लें।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, ऐसा न हो रात गई और बात गई।

श्री अधिष्ठाता–

मैं समझता हूं अब चर्चा समाप्त होती है। अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(तत्पश्चात सदन की बैठक की कार्यवाही कल 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हो गई।)

(इसके बाद सदन 10 बजकर 38 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

9 जुलाई, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–78 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर)

ग्राम–उतरौला में 1-1-94 से 30-4-98 तक किये गये कृषि आवास पट्टेदारों का वर्षवार विवरण तहसील उतरौला जनपद बलरामपुर।

पट्टे का वर्ष	मद	पट्टेदारों का नाम तथा पिता/पति का नाम	आवंटित गाटा सं०/क्षेत्रफल
1	2	3	4
94-95	आवास	1–अर्जना पुत्र परागीनाथ	2677 मि 0–006
		2–हुकुमनाथ पुत्र रतननाथ	2567 मि 0–01
			2551 मि 0–01
		3–उदयचन्द्र पुत्र मिश्रीनाथ	2677 मि 0–006
		4–अर्जुन पुत्र बेवारू	2597 मि 0–005
			2551 मि 0–015
			0–02
		5–कल्लू पुत्र पाटन	2597 मि 0–01
			2551 मि 0–01
			0–02
		6–मु० पार्वती बेवा मिश्रीनाथ	1400 मि 0–01
		7–युसुफ पुत्र इश्हाक	1403 मि 0–02
		8–शहजीद पुत्र हनीफ	1403 मि 0–02
		9–मोबीन पुत्र नईम	1403 मि 0–02
		10–फजलख पुत्र नईम	1431 मि 0–02
		11–गुलचीन बेवा वलीउल्ला	203 मि 0–025
		12–विमला पत्नी नन्दलाल	2597 मि 0–01
			2551 मि 0–01
			0–02
		13–हरिश्चन्द्र पुत्र रामजस	1400 मि 0–02
		14–रामबदल पुत्र दयाराम	1400 मि 0–02
		15–रामसागर पुत्र रामसमुझ	1400 मि 0–015

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

1	2	3	4
		16–अकालवती पत्नी सूरजभान	1400 मि 0–01
		17–सुरेश चन्द्र पुत्र रामजस	1400 मि 0–02
		18–राजेन्द्र पुत्र रामपियारे	1400 मि 0–01
		19–अकबरीबेग पत्नी निजाम	1431 मि 0–015
		20–मु० जैनब बेवा मुन्ना	2743 मि 0–01
			2744 मि 0–01
			0–02
		21–सन्दीप पुत्र विन्ने	1400 मि 0–015
		22–मालती देवी पत्नी राममिलन	2677 मि 0–006
		23–कनकलता पत्नी राजेन्द्र प्रसाद	2597 मि 0–01
			2551 मि 0–01
96	आवास	24–अशोक कुमार पुत्र बैजनाथ	1431 मि 0–02
		25–झगरू पुत्र राम आसरे	1431 मि 0–02
		26–शेषराम पुत्र बुधई	1184 मि 0–015
		27–किशुन पुत्र बेकारू	1184 मि 0–015
		28–शंकर पुत्र लोचन	1184 मि 0–015
		29–हीरालाल पुत्र कल्पनाथ	1431 मि 0–015
95–96	आवास	30–मनोज कुमार पुत्र जगदीश	1431 मि 0–01
		31–राधेश्याम पुत्र रामलाल	1431 मि 0–015
		32–माता प्रसाद पुत्र दुर्गाप्रसाद	1431 मि 0–01
		33–सुनील कुमार पुत्र रामदुलारे	1431 मि 0–015
		34–रामतीरथ पुत्र पियारे	1431 मि 0–01
		35–अलाऊ पुत्र लोचन	2551 मि 0–01
		36–बाले पुत्र झीगुर	2551 मि 0–01
		37–निरमोही पुत्र बिरजे	2551 मि 0–01
		38–घनश्याम पुत्र सुन्दरनाथ	1431 मि 0–01
		39–चन्द्रशेखर पुत्र सन्तनाथ	1431 मि 0–01
		40–लक्ष्मीदेवी पत्नी अर्जुननाथ	1431 मि 0–01
		41–राकेशनाथ पुत्र प्रतापनाथ	1431 मि 0–01
		42–विजयनाथ पुत्र डालनाथ	1431 मि 0–01

1	2	3	4
		43–अख्तर अली पुत्र चिन्ना	1431 मि 0–015
		44–गुलामजीलानी पुत्र बिन्ना	1431 मि 0–015
		45–लालता पुत्र सुन्दर	1431 मि 0–01
		46–सुरेश पुत्र कृष्णा	2829 मि 0–01
		47–शहाबुद्दीन पुत्र गफार	1431 मि 0–01
		48–अ० मन्नान पुत्र कल्लू	1431 मि 0–01
		49–शिवाली बेवा बूदी	2677 मि 0–01
		50–मायादेवी पत्नी राजकुमार	1431 मि 0–01
		51–साबिर अली पुत्र कासिम	1688 मि 0–01
		52–ओंकार पुत्र मथुरा	2677 मि 0–01
		53–शब्बीर पुत्र कल्लू	1431 मि 0–01
		54–रेहाना पत्नी हुसैनसज्जाद	1431 मि 0–01
		55–शफीकुन्निहा पत्नी सादिक	1431 मि 0–01
		56–छेदीलाल पुत्र लालाराम	2597 मि 0–015
		57–दिलीप पुत्र राजाराम	1431 मि 0–01
		58–बहादुर पुत्र सालिकराम	1431 मि 0–02
		59–मीरा पत्नी धमदेव	1431 मि 0–015
		60–नूरजहां पत्नी हबीबुल्ला	2251 मि 0–02
		61–मो० अकी पुत्र इनायत	1431 मि 0–01
		62–रसीद पुत्र मजीद	1405 मि 0–02
		63–आफताब पुत्र अब्बास	1405 मि 0–02
		64–कलावती पत्नी हृदय नारायण	1431 मि 0–01
		65–जगबहादुर पुत्र रामानन्द	1431 मि 0–015
		66–पुष्पा देवी पत्नी रामजी	1431 मि 0–01

उत्तर प्रदेश राजपत्र असाधारण

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–102 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर)

1-1-95 से 30-4-98 तक किये गये मत्स्य पालन पट्टेदारों का विवरण जिनमें पू० प्र० समिति के प्रस्ताव से स्वीकृत किये गये हैं तहसील उतरौला जनपद बलरामपुर।

क्र०सं०	ग्राम का नाम	मद	पट्टेदारों का नाम तथा पिता/पति का नाम	आवंटिन गाटा सं०/क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	
		मत्स्य पालन			
1	भेदपुर	,,	मसीहुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन	50	1–22
2	महमूदाबाद ग्रन्ट	,,	अकबाल अहमद खां पुत्र मो० कादिर खां	396	0–49
3	महदेइया सिरसिया	,,	मो० अहमद पुत्र नहम	150 क	0–72
4	चवई बुजुर्ग	,,	लाले पुत्र वरखन	219	1–02
5	चवईबुखुर्ग	,,	वीपत पुत्र बादू	185	0–54
6	,, ,,	,,	भागीरथ पुत्र लाले	424 मि	2–00
7	,, ,,	,,	सन्तराम पुत्र देबी	123 क	0–40
				129/2	0–95
8	बढयाभेलाही	,,	बुधराम पुत्र रामआसरे	148	0–16
9	गनवरिया बुजुर्ग	,,	रामबचन पुत्र बोखई	324	0–67
10	,, ,,	,,	मनीराम पुत्र रामलोटन	211	0–48
11	खरदौरी	,,	रामप्रताप पुत्र राम लखन चौधरी	100 क	3–01
12	बडहरा भिटौरा	,,	मेहीलाल पुत्र निरहू	110	0–78
13	,, ,,	,,	खलीउल्ला पुत्र करीमुल्ला	546	0–86
14	अगयाबुजुर्ग	,,	फागू पुत्र बाले	773	0–57
15	,, ,,	,,	परदेशी पुत्र भगेलू	867	0–61
16	मझारीवांछिल	,,	परमेश्वरी पुत्र मोहन	206	9–50
17	,, ,,	,,	नगीनदास पुत्र गोबर्धन		
18	,, ,,	,,	बालक पुत्र विदेशी		
19	,, ,,	,,	राजीव कुमार पुत्र राजकरन		
20	टेढ़वाऐम	,,	पंचम पुत्र बाले	03	0–63
21	पेहर	,,	रामसरन पुत्र महावीर	104	2–15

1	2	3	4	5	
22	दोहरे	,,	दयाराम पुत्र बंधू	792	0–59
23	,,	,,	बालकराम पुत्र सनेही	531	0–64
24	,,	,,	हसनू पुत्र अलगू	332	1–25
25	,,	,,	छंगा पुत्र तुलसी	267	1–75
26	,,	,,	मोहन पुत्र भीखी	94	1–66
27	टैढवातप्पाबांक	,,	जमाल अख्तर पुत्र जलालुद्दीन	595	3–22
28	,, ,,	,,	अब्दुल्ला पुत्र इदरीश	471	1–66
29	बौडिहार	,,	तिलकराम पुत्र भगौती	1309	34–26
30	,,	,,	मुन्ना पुत्र खेलावन	,,	,,
31	,,	,,	गोबरे पुत्र खेलावन	,,	,,
32	,,	,,	बुधराम पुत्र बीरे	,,	,,
33	,,	,,	नियाज अहमद पुत्र गनी	,,	,,
34	,,	,,	अब्दुल रहमान पुत्र अबूबकर	,,	,,
35	बोयहार	,,	अजीज पुत्र नसरूल्ला	1309	30–26
36	,,	,,	अब्दुलवाहिद पुत्र दाउद	,,	,,
37	पेडरिया	,,	राम गुलाम पुत्र गुम्मा	47 मि	0–96
38	,,	,,	रामसेवक पुत्र रामलोटन	99	0–52
39	पहरीरैकवार	,,	परशुराम पुत्र कुन्नू	147 ग	0–58
40	महिला	,,	हीरालाल पुत्र पवन	421 मि	2–50
41	,,	,,	रामपियारे पुत्र मोल्हू	421 मि	2–50
42	,,	,,	बाबू राम पुत्र साम समुझ	75	0–90
43	,,	,,	उदल पुत्र छोटू	146 मि	0–55
44	अगया खुर्द	,,	कलहू पुत्र राम आसरे	542 मि	1–00
45	गुमडी	,,	रामबरन पुत्र छन्तू	1742	0–90
46	बिठूर	,,	अलगू पुत्र बलेसर	137 मि	1–00
47	टेढव (तप्त) बाढ	,,	रामलखन पुत्र नाथे	1241 मि	0–60
48	चिचूडीलू हंगिया	,,	राम जियावन पुत्र रामफेर	146	2–50
				286	1–4
				531	0–25
49	कोल्हू बिनोनी	,,	सकटू पुत्र झगरू	863	1–06
50	कूपा देवर	,,	हबीबुर्रहमान पुत्र मो०	71	0–74
			अमीन खां	73	0–41

1	2	3	4	5	
51	महुवाधनी	,,	ओम प्रकाश पुत्र भग्गू	311	1–6
52	सेखुईकला	,,	नीबर पुत्र खेलावन	142 मि	5–00
53	टेढवातप्प (वाक)	,,	लखन पुत्र नाथे	762 मि	1–00
54	रसूलाबाद	,,	तिलकराम पुत्र दासे	812	1–72
				328	3–12
				417	1–25
55	जोगिया करक्यि	,,	बृजभान पुत्र कन्धई	351	1–00
56	सिकरमाफी	,,	सुजीत कुमार पुत्र सन्तोष कुमार	151	0–60
57	,,	,,	गोमी प्रसाद पुत्र राम कुमार	222	1–00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० 347 विधान सभा (499)–1998–813 (डी० टी० पी०) ।